गेल (इंडिया) लिमिटेड

उत्तरदायित्व के साथ ऊर्जावान कल

स्थायित्व रिपोर्ट

जी.आर.आई. जी3.1+ओ.जी.एस.एस. अनुपालन अनुप्रयोग स्तर ए+रिपोर्ट

2012–13

भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास ने ऊर्जा के नए स्रोतों का पता लगाने और मौजूदा स्रोतों का कारगर ढंग से इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। गेल में, हमारा मानना है कि वर्तमान में ऊर्जा के न केवल पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं अपितु नए और स्वच्छ स्रोत भी उपलब्ध हैं जो निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली मांग को पर्यावरण की दृष्टि से सतत् रूप से पूरा करने में सक्षम हैं। हम राष्ट्र के हित में प्राकृतिक गैस का प्रभावी और किफायती उपयोग सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए लगभग तीन दर्शकों से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। महारत्न का दर्जा प्राप्त भारत के सबसे युवा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की हैसियत से, हम ***सतत् विकास*** को सुनिश्चित करते हुए दीर्घावधि ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए अपने निवेश को लगातार बढ़ा रहे हैं।

विषय–वस्तु

2/ इस रिपोर्ट के बारे में 4/ उत्तरदायित्व के साथ ऊर्जावान कल

6/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से संदेश 8/ गेल में सतत् विकास को मुख्यधारा में लाने की ओर अग्रसर होना

14/ कारोबार की रूपरेखा 20/ पुरस्कार और सम्मान 22/ निगमित नियंत्रण

28/ स्टेकहोल्डरों को शामिल करना और इसका महत्व 36/ सतत् विकास कार्यनीति

42/ शेयरहोल्डर/निवेशक 56/ समुदाय 70/ ग्राहक 76/ आपूर्तिकर्ता

80/ कर्मचारी 91/ संक्षिप्त निष्पादन विवरण 96/ स्वतंत्र आश्वासन विवरण

98/ शब्दावली 100/ जी.आर.आई. विषय–वस्तु सूची

116/ जी.आर.आई. जी3.1 दिशा–निर्देशों, एन.वी.जी. और बी.आर.आर. का एकीकरण

139/ भावी कदम

इस रिपोर्ट के बारे में

गेल के वित्त वर्ष 2012–13 के सतत् विकास प्रयासों और निष्पादन में *''उत्तरदायित्व के साथ ऊर्जावान कल''* रहने पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमने अपने स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सकारात्मक जानकारी के आधार पर इस वर्तमान रिपोर्ट में स्टेकहोल्डर केन्द्रित रिपोर्ट तैयार करने के उसी पैटर्न को बनाए रखा है। हमने संबंधित स्टेकहोल्डर खण्डों और समग्र संदर्भ जानकारी में यथासंभव अधिक से अधिक सूचना शामिल करने का प्रयास किया है।

यह हमारी तीसरी वार्षिक रिपोर्ट है और इसमें गेल के निम्नलिखित प्रचालन क्षेत्रों को शामिल किया गया है :

- गैस प्रोसेसिंग यूनिट (जी.पी.यू.) गंधार, पाता, उसर, वाघोडिया और विजयपुर;
- पेट्रोकैमिकल यूनिट, पाता;
- प्राकृतिक गैस कम्प्रैसर केन्द्र, दिबियापुर, हजीरा, झाबुआ, खेड़ा, वाघोडिया और विजयपुर;
- एल.पी.जी पम्पिंग/प्राप्ति केन्द्र, आबू रोड, चेरलापल्ली, जी. कोन्डुरू, जामनगर, कांडला, लोनी, मनसारामपुरा, नसीराबाद, समाखियाली और विजाग;
- क्षेत्रीय पाइपलाइन कार्यालय, अगरतला, बडौदा, मुम्बई, पुड्डुचेरी और राजमंद्री;
- गेल प्रशिक्षण संस्थान (जी.टी.आई.), जयपुर और नोएडा;
- निगमित कार्यालय, नई दिल्ली; और
- इन्फो हब, नोएडा।

यह रिपोर्ट स्थायित्व रिपोर्ट और तेल एवं गैस क्षेत्र की अनुपूरक सामग्री तैयार करने से संबंधित जी.आर.आई. जी 3.1 दिशा–निर्देशों के आधार पर तैयार की गई है। इस खण्ड में प्रस्तुत सामग्री अनुप्रयोग स्तर 'ए+' की अपेक्षाओं के अनुसार है और इसमें 73 *मुख्य* तथा 25 *अतिरिक्त जी.आर.आई.* निष्पादन संकेतकों को शामिल किया गया है। यह टाइप 2 मध्यम स्तर की आश्वासन रिपोर्ट है; और इसमें गेल के विभिन्न स्थलों पर आंकड़ों के सत्यापन को शामिल किया गया है जिससे हमें अपनी प्रक्रियाओं तथा संबंधित आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली में सुधार करने के लिए निरंतर सहायता मिलती रहेगी। पृष्ठ 100–115 पर दी गई जी.आर.आई. विषय–वस्तु में जी.आर.आई. निष्पादन संकेतकों और मानक जानकारी से संबंधित विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इस रिपोर्ट में निगमित कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कारोबार करने वाली कम्पनियों के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक उत्तरदायित्वों के संबंध में प्रकाशित राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों के नौ सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है। इससे हमें स्थायी विकास से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में सहायता मिलती है जो कि भारतीय संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सतत् विकास से संबंधित अपनी जानकारी का और अधिक विस्तार करने के लिए हमने निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने संबंधी विवरण भी इस रिपोर्ट में शामिल किया है :

- पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से संबंधित वैश्विक तेल और गैस उद्योग संघ (आई.पी.आई.ई.सी.ए.) और अमरीकी पेट्रोलियम संस्थान (ए.पी.आई.) द्वारा तैयार किए गए स्वयं अपनी ओर से स्थायित्व रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित तेल और गैस उद्योग दिशा–निर्देश (2010)।
- संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते (यू.एन.जी.सी.) के तहत सिद्धांत और संबंधित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकताएं।

हालांकि प्रस्तुत आंकड़े हमारे निष्पादन का संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए मुख्यतः वित्त वर्ष 2012–13 के लिए हैं, फिर भी हमने स्थायित्व विकास से संबंधित अपनी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों और संबंधित कार्यकलापों का भी इसमें उल्लेख किया है जो हमने हाल ही में हासिल की हैं।

हम पारदर्शिता बढ़ाने और पारदर्शी तरीके से जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहे तथा हमारा निष्पादन हमारे सभी स्टेकहोल्डरों के लिए त्रिआयामी स्थायित्व व्यवस्था पर आधारित है। हमने अपनी सुदृढ़ स्थायी विकास नियंत्रण संरचना को स्थायित्व से संबंधित विभिन्न आयामों को नियंत्रित करने का कार्यभार सौंपा है। पिछले वर्ष हमने स्थायित्व अपेक्षाएं, 2020 के द्वारा अपने स्थायित्व लक्ष्य निर्धारित किए हैं ताकि अपने कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करके हम अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल कर सकें। हमारी ऐसी धारणा है कि हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभी काफी लम्बा सफर तय करना है, तथापि हम अपनी संबंधित प्रगति की पारदर्शी तरीके से जानकारी प्रदान करते हुए इन्हें हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहे।

इस रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े और सूचना को हमने अपनी आंतरिक आंकड़ा प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं से प्राप्त किया है। इस वर्ष हमने आंकड़ों के प्रबंधन में जवाबदेही, पारदर्शिता और गति को सुनिश्चित करते हुए गेल के समग्र प्रचालनों में स्थायित्व निष्पादन आंकड़ों को एकत्र करने तथा इनके बीच संबंध निर्धारित करने के लिए अपने आंतरिक ई–स्थायित्व मॉड्यूल – ऑनलाइन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली को तैयार करके इसे लागू किया है। जहां–कहीं आवश्यकता महसूस की गई है वहां हमने आंकड़ों के आकलन और निर्धारण के लिए अवधारणाओं, मानक समीकरणों तथा गणना पद्धतियों का भी उपयोग किया है। हमने अपनी आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली में सुधार को जारी रखा है और इसके परिणामस्वरूप, हमने पिछले वर्ष अपनाई गई प्रणाली में कुछ सुधार किए हैं जिससे कुछ आंकड़ों के संकेतकों में छिटपुट परिवर्तन हुए हैं; और जहां–कहीं आवश्यकता थी, वहां इन्हें स्पष्ट किया गया है।

इस खण्ड में प्रस्तुत सभी मौद्रिक मूल्यों के लिए हमने 1 अमरीकी डालर = 54.99 भारतीय रुपए दर का उपयोग किया है।

अपने स्थायित्व कार्यकलापों का समग्र लेखा–जोखा प्रस्तुत करने के लिए हमने इस रिपोर्ट में अपनी भावी योजनाओं तथा आशय के बारे में कुछ सूचना शामिल की है। यह सूचना हमारे प्रचालन की कार्यनीतियों, प्रचालनों, निष्पादन लक्ष्यों तथा उद्देश्यों, कारोबार योजनाओं, अनुसंधान और विकास तथा अन्य देशों में निवेश, संबंधित क्षेत्र अथवा बाजार के बारे में है। इस प्रकार की सूचना में परिवर्तन होने की संभावना के कारण इसमें कुछ अनिश्चितता बनी रहती है, इसलिए अंतिम परिणाम भावी बाजार स्थितियों तथा भौगोलिक–राजनीतिक स्थिति पर निर्भर होता है तथा इनमें से अधिकांश हमारे नियंत्रण से परे होते हैं अथवा इनका बिलकुल भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। यद्यपि हम इन मुद्दों के बारे में प्रगति हासिल करने का प्रयास करेंगे, तथापि हम इन सभी मामलों में वांछित परिणाम प्राप्त करने का आश्वासन नहीं दे सकते।

उत्तरदायित्व के साथ ऊर्जावान कल

हमने पच्चीस वर्ष पहले प्राकृतिक गैस संचरण कम्पनी के रूप में अपना कार्य शुरू किया था और आज हम विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाते हुए प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला के साथ–साथ एक एकीकृत ऊर्जा कम्पनी में परिणत हो चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा 10,500 कि.मी. लम्बा प्राकृतिक गैस ट्रंक पाइपलाइन नेटवर्क तैयार करने के साथ–साथ हमने अपने प्रचालकों को एल.पी.जी., तरल हाइड्रोकार्बन, पेट्रोकैमिकल, अन्वेषण और उत्पादन तथा शहर गैस वितरण के रूप में विविध स्वरूप प्रदान किए हैं और वैश्विक स्तर पर हमारी उपस्थिति बढ़ती जा रही है। अपने संचरण नेटवर्क का 15,000 कि.मी. से आगे तक विस्तार करने की सुदृढ़ योजना से हमारी क्षमता में लगभग 300 एमएमएससीएमडी की वृद्धि हुई है और हम भविष्य के लिए ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

देश के आर्थिक विकास में गेल की ओर से निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका और एक विश्व स्तरीय कम्पनी के रूप में उभरने की संभावित क्षमता को देखते हुए हमें भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने हाल में महारत्न (अर्थात् विशाल हीरा) का प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया है। हमारा उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे युवा उद्यम है जिसे अधिकारिता का यह उच्चतम दर्जा प्रदान किया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि विकास किसी निष्पक्ष, पारदर्शी और नैतिक स्वरूप से अपने कारोबारी संबंधों को सुदृढ़ करने की ओर वास्तविक प्रतिबद्धता में निहित होता है और इस प्रकार यह सभी स्टेकहोल्डर समूहों के लिए हमारे अंशदान में वृद्धि करता है। इससे हमने एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में एक कदम आगे बढ़ाया है और स्वयं को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बहुमूल्य रत्न के रूप में प्रस्तुत किया है।

'कारोबार से इतर मूल्य', वित्त वर्ष 2010–11 की हमारी प्रथम स्थायित्व रिपोर्ट में गेल के कारोबार करने के दृष्टिकोण का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जिसमें हमारे स्टेकहोल्डरों के लिए सकारात्मक मूल्य सृजित किया गया है। वित्त वर्ष 2011–12 की हमारी द्वितीय स्थायित्व रिपोर्ट में 'भविष्य की रूपरेखा बनाने' के तहत साझा उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अपने स्टेकहोल्डरों के साथ समग्र कार्रवाई करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। अपनी अच्छी सोच से एक कदम और आगे बढ़ते हुए हमने वित्त वर्ष 2012–13 की स्थायित्व रिपोर्ट के विषय के रूप में 'उत्तरदायित्व के साथ ऊर्जावान कल' सिद्धांत को अपनाकर तथा ठोस कार्रवाई करते हुए स्वयं को जवाबदेह बनाकर इसकी रूपरेखा के लिए प्रतिबद्ध किया है। हमने प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके, ऊर्जा और जल का संरक्षण करके, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाकर तथा इस प्रकार प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणाली को सुरक्षित रखकर अपने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने पर विशेष ध्यान दिया है।

हमारा प्रयास भारत और विश्व को स्वच्छ और कुशल ऊर्जा स्रोत, जो जीवन के विकास और इसे बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, प्रदान करना है। सर्वाधिक हितकारी हाइड्रोकार्बन के लिए प्रचालन करने की अपनी आंतरिक क्षमता, सतत् विकास कारोबारी कार्यनीतियों के आधार पर और सकारात्मक अग्रणी भूमिका के कारण गेल बेहतर ऊर्जा भविष्य के लिए समर्पित रहा है और रहेगा।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

अध्यक्ष की कलम से

लोगों के जीवन और प्रचालन प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार करने की गेल की यात्रा को सतत् विकास की प्रकटन रिपोर्ट के तृतीय संस्करण में स्पष्ट किया गया है जो 'उर्जावान भविष्य के लिए समर्पित' शीर्षक के अनुरूप है।

प्रिय शेयरधारक,

स्थायित्व विकास एक लोकाचार है जिस पर हाल ही में विशेष ध्यान दिया गया है तथा इसने वर्ष 1992 में प्रथम रियो शिखर सम्मेलन से लेकर अब तक पिछले 21 वर्षों में काफी लम्बा सफर तय किया है। मानव जीवन को बचाए रखने के लिए पृथ्वी पर सीमित संसाधनों की उपलब्धता की चुनौती और पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी पर जलवायु के प्रभाव के बारे में बढ़ती जागरूकता और प्रतिस्पर्धा से निःसंदेह ये दोहरी वैश्विक शक्तियां बन गई हैं तथा इन्होंने नीति–निर्माताओं और समाज को निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रणाली के दृष्टिकोण पर फिर से विचार करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दबाब डाला। इसके साथ–साथ, न्यायसंगत और समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास की बढ़ती आवश्यकता एशियाई और अफ्रीकी उप–महाद्वीप में स्थायी विकास के लिए ठोस प्रेरक शक्ति बन गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जून 2012 में आयोजित रियो+20 शिखर सम्मेलन में एक सामान्य संकल्प पारित किया गया था जिसे *'हम कैसा भविष्य चाहते हैं'* नाम दिया गया था तथा जिसे भावी पीढ़ियों की आवश्यकता के लिए उन्हें बेहतर ग्रह सौंपने के लिए बहु–पक्षीय संस्थाओं, जनता, सरकार और उद्योग के संगठित प्रयासों के माध्यम से इस पुनीत कार्य के लिए समर्पित किया गया था।

आज गेल सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र ऐसा उपक्रम है जो जी.आर.आई. (वैश्विक रिपोर्टिंग पहल) का संस्थापक सदस्य बन गया है, जो भारत के सतत् विकास और पारदर्शी संघ का केन्द्र है।

इन सिद्धांतों के आधार पर गेल ने कारोबार से इतर अपना मूल्य बढ़ाने के लिए त्रिस्तरीय ठोस निष्पादन सुनिश्चित करने के बारे में विशेष ध्यान दिया है। इस रिपोर्ट में हमारे कारोबारी प्रचालन के परिणामस्वरूप पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। गेल अपनी 'स्थायित्व विकास अपेक्षाएं 2020' कार्यक्रम के तहत अपने स्वयं–निर्धारित लक्ष्यों की ओर प्रतिबद्ध रूप से आगे बढ़ रही है। इस पहल के तहत निर्धारित किए गए महत्वपूर्ण उद्देश्यों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में पर्याप्त कमी, जल उपयोग तथा विनिर्दिष्ट ऊर्जा घनत्व शामिल किया गया है।

चूंकि गेल विश्व स्तर पर पहचान बनाने के साथ–साथ समग्र प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए प्रगति कर रहा है इसलिए हम स्थायी विकास के आधारभूत सिद्धांतों को अपने कारोबार में सर्वाधिक महत्व प्रदान करने के प्रति सचेत रहे हैं। इसके साथ–साथ गेल को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वैश्विक स्थायित्व रिपोर्ट, 2013 के लिए यूनेस्को सी.ई.ओ. 2013 के लिए अध्ययन करने वाली 100 कंपनियों में शामिल किया गया है।

मुझे आशा है कि इस रिपोर्ट में शामिल की गई गहन और सुबोध सामग्री से पाठक ज्ञानार्जन करेंगे। आपके द्वारा दी गई जानकारी से भविष्य के स्थायी विकास करने के हमारे प्रयासों को दिशा प्रदान करने में काफी सहायता मिलेगी।

बी.सी. त्रिपाठी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

गेल (इंडिया) लिमिटेड

गेल में सतत् विकास को मुख्यधारा में लाने की ओर

महारत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में हमारा प्राथमिक उत्तरदायित्व पर्यावरण और समाज से कोई समझौता किए बिना भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जब भी भारत सरकार गेल जैसे किसी युवा संगठन पर अपना विश्वास व्यक्त करती है तो हमारी यह अतिरिक्त जिम्मेदारी बन जाती है कि हम तेजी से विकास करें और मूल्यों का सृजन करें। हमारा गेल को वर्ष 2020 तक लगभग 100 बिलियन भारतीय रुपए के अनुमानित लाभ कमाने वाली कंपनी बनाने की परिकल्पना की है जिसका मूल्य 1,300 बिलियन भारतीय रुपए होगा। इस अप्रत्याशित कारोबारी विकास से हम विश्व स्तर पर तेल और गैस कारोबारियों के बड़े समूह में शामिल हो जाएंगे और हम इसके लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमें अपने पिछले जिम्मेदाराना व्यवहार की परंपरा के कारण गेल को अन्य कंपनियों से बेहतर स्थिति में रखने में सहायता मिलेगी।

हमें इस बात की जानकारी है कि अपने स्टेकहोल्डरों की सहायता के बिना गेल की यह महत्वाकांक्षी विकास योजना सफल नहीं हो सकती। गेल में हमारे निवेशकों के आत्मविश्वास और आस्था तथा प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में अग्रणी कम्पनी बनने की इसकी परिकल्पना तथा सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा से हमें अपनी विकास योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने का प्रोत्साहन मिलता है। समुदाय हमें प्रचालन करने का सामाजिक लाइसेंस प्रदान करते हैं और उनका विश्वास हमें अपने लाभ का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों की रूपरेखा बनाने और उन्हें कार्य रूप देने के लिए निवेश करने की ओर प्रेरित करता है। हमारे उपभोक्ता अपनी लगातार बढ़ती अपेक्षाओं से हमें नया समाधान खोजने में सहायता करते हैं जिससे वे कालांतर में अपना कारोबार चलाते रहें और समृद्ध हो सकें। गेल के आपूर्तिकर्ता कड़ी समय–सीमा का अनुपालन करने और महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने के लिए निरंतर सहायता प्रदान करते हैं जबकि हमारा उत्तरदायित्व उनके हितों को सुनिश्चित तथा सुरक्षित रखना रहा है। अंततः हमारे कर्मचारी गेल की सफलता की आधारशिला हैं जिनके बिना हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

आर. डी. गोयल

निदेशक – परियोजना

भारत की अग्रणी एकीकृत गैस कम्पनी गेल महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे युवा उद्यम बन गया है और इससे सरकार का हमारे संगठन के प्रति विश्वास परिसक्षित होता है। हमें पर्यावरण की रक्षा और समाज का कल्याण करते हुए भारत की ऊर्जा–सुरक्षा में सहायक जिम्मेदारी पूर्ण विकास की दिशा में अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिखाना है कि हम इस सम्मान के योग्य पात्र हैं।

हम उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की सुपुर्दगी करने के लिए पूरे देश में विश्व–स्तरीय अवसंरचना तैयार करने के लिए गहन प्रयास कर रहे हैं। हमारे 10,800 किलोमीटर के मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क का वर्ष 2015 तक लगभग 15,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जा रहा है। हमने 1,000 किलोमीटर लम्बी दाभोल बंगलौर पाइपलाइन परियोजना शुरू की है। गेल ने दाभोल में 5 एमएमटीपीए एल.एन.जी. पुनः गैसीकरण सुविधा की स्थापना करके एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

कार्य–कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए हम उद्योगजगत में तेज गति से होते बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में, गेल को ''सैप का अभिनव प्रयोग करने के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार'' प्रदान करने के लिए एस.ए.पी. ए.सी.ई. सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष के दौरान सैप द्वारा गेल को ग्राहक विशेषज्ञता केन्द्र (सी.सी.ओ.ई.) के रूप में भी प्रमाणित किया गया है।

ऊर्जा के कुशल उपयोग के इस दौर में हमने अनेक नई पहल की हैं और पहले से मौजूद पद्धति को सुदृढ़ किया है। सतत् विकास से संबंधित गेल के दृष्टिकोण तथा कार्यनीतियों को कार्यान्वित करने की अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़े हैं और इस वर्ष राजस्थान में 5 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना अर्थात् एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना सौर माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस संयंत्र को 118 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजनाओं के साथ सम्बद्ध किया गया है, जिससे हमारे नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार की रूपरेखा को निर्धारित करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

चूंकि हमने गेल को विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर करने की परिकल्पना की है इसलिए जिम्मेदार विकास पर हमारे मजबूत इरादे से हमें अपना अलग मुकाम हासिल करने में सहायता मिलेगी। पर्यावरण संबंधी मुद्दे हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेंगे। हमारे सभी प्रचालनों की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के जरिए कड़ी स्वतंत्र लेखा–परीक्षा की जाती है ताकि हमारा कार्य–निष्पादन अपेक्षित मानकों से बेहतर हो जाए।

एस. एल. रैना

निदेशक – मानव संसाधन

गेल में हमारा सही मायनों में यह मानना है कि हमारे कर्मचारी हमारे केन्द्र का बिन्दु रहें। अपनी मानव पूंजी के समर्पण, निष्ठा और योगदान के कारण ही हम अपने कारोबार, उद्देश्यों तथा महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने में सफल रहे हैं। हम अपनी ओर से अपने कर्मचारियों और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों को सामाजिक तथा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ सुरक्षित कार्यस्थल, चुनौतीपूर्ण कार्य, सहयोगात्मक कार्य माहौल, स्वतंत्र और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करना सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

गेल में कार्यालय–परिवार के बीच संतुलन पर पर्याप्त बल देते हुए "निष्पादन–उन्मुख संस्कृति" को प्रोत्साहित किया जाता है। हम अपने प्रयासों में ऐसा कार्यस्थल तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करते हैं जो बौद्धिक रूप से उत्प्रेरक हो, साथ ही काम करना रूचिकर भी हो। हम अपने कर्मचारियों के चहुंमुखी विकास में विश्वास रखते हैं। भर्ती स्तर के कार्यक्रम के भाग के रूप में हम भर्ती किए गए नए कर्मचारियों की विभिन्न कार्य–प्रमुखों से बातचीत कराते हैं जिसमें उन्हें श्रेष्ठ कार्यपालकों से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उन्हें गेल के कारोबार तथा इसकी मूल्य श्रृंखला के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त हो। भर्ती के स्तर के कार्यक्रम में विभिन्न आयाम शामिल करने के लिए हमने योग और नाटक इत्यादि के बारे में प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न मॉड्यूल लागू किए हैं। हमारी टाउनशिप में स्पोर्ट्स क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय इत्यादि जैसी सुविधाएं हैं जो हमारे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध रहती हैं। हम अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को एक–दूसरे के साथ परस्पर मिलने और विशाल गेल परिवार का हिस्सा होने की भावना विकसित करने के लिए त्योहार मनाते हैं और कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

हम अपने कार्मिकों के लिए अनुकूल मानव संसाधन नीतियों, प्रणाली और प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें दिल और दिमाग से व्यस्त रखते हैं ताकि उनकी वास्तविक संभावित क्षमता का पता लगाया जा सके। हमारी नीतियों में विविधता और समानता को प्रोत्साहित किया जाता है और व्यक्तियों को उनकी नस्ल, जाति, धर्म, रंग, वंश, वैवाहिक स्थिति, स्त्री–पुरूष, आयु और राष्ट्रीयता पर ध्यान दिए बिना उनकी प्रतिभा और दक्षता के आधार पर महत्व दिया जाता है। हम आंतरिक कार्य परिवर्तन द्वारा अपने कर्मचारियों की सहायता करते हैं ताकि उन्हें विभिन्न विषयों में व्यापक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हों।

हम जहां पर अपना प्रचालन कार्य करते हैं, वहां के समुदायों के महत्व को पहचानते हैं और हम उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संबंधित समुदाय की आवश्यकताओं और समस्याओं को पता करने और उनका समाधान करने के लिए गेल में सुगठित फ्रेमवर्क है और अपने सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के माध्यम से हम यह व्यवस्था करते हैं। एक समर्पित दल द्वारा ऊपर से निचले स्तर तक के सुदृढ़ नियंत्रण ढांचे के जरिए हमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यक्रमों का चयन और मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है।

उत्तरदायी कॉरपोरेट नागरिक के रूप में हम अपने स्टेकहोल्डरों – अपने शेयरहोल्डरों, कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं और विस्तृत समुदाय का सम्मान करते हैं – और हम पर्यावरण में सुधार करने और उन समुदायों जिनमें हम कारोबार करते हैं, की बेहतर स्थिति में योगदान करने के लिए सक्रिय रूप से अवसरों की तलाश करते रहते हैं। समाज के उपेक्षित वर्गों की विभिन्न आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए हम अपने सी.एस.आर. कार्यक्रम तैयार करते हैं। इन कार्यक्रमों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सार्थक जीवन–यापन अवसर, पर्यावरण सुरक्षा और गुणवत्तामूलक अवसंरचना जैसी समाज की विभिन्न आवश्यकताओं का समाधान किया जाता है। सी.एस.आर. के संबंध में इस बहु–स्तरीय दृष्टिकोण से समुदायों के समग्र विकास और हमारे सी.एस.आर. कार्यकलापों के लिए सतत् विकास आयाम प्रदान करना सुनिश्चित किया जाता है। हमारे सी.एस.आर. का उद्देश्य सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना और सतत् विकास में सक्रिय रूप से योगदान करना है।

जब गेल ऊर्जावान भविष्य के लिए जिम्मेदार तरीके से प्रतिबद्ध होता है, तब इस प्रतिबद्धता को पूरा करने का आत्मविश्वास हमारी मुख्य मानव संसाधन क्षमताओं – सीमित कार्यबल, समग्र कार्यात्मक विशेषज्ञता वाली युवा और उच्च अर्हता प्राप्त जनशक्ति, सक्षम अध्ययन और विकास प्रथाओं, स्वतंत्र और मुक्त संचार प्रक्रिया और तत्काल उपलब्ध रहने वाले वरिष्ठ नेतृत्व से पैदा होता है।

प्रभात सिंह

निदेशक, विपणन

भारत में प्राकृतिक गैस परिवहन में 75 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी और प्राकृतिक गैस विपणन में 51 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ गेल प्राकृतिक गैस की सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

गेल अपने उपभोक्ताओं को अपने विकास में मुख्य स्टेकहोल्डर बनाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। अपने उपभोक्ताओं को विकास तथा प्रगति के कार्यों में शामिल करने के लिए हमने उनसे सक्रिय सुझाव तथा विचार प्राप्त करने के लिए पहल की है ताकि हम अपने मौजूदा उत्पादों तथा सेवाओं में सुधार कर सकें अथवा नए उत्पाद और सेवाएं शुरू कर सकें। गेल ने अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से कार्य करके सर्वोत्तम ग्राहक संतुष्टि को हासिल करने का सदैव सतत् प्रयास किया है। हमारी ग्राहक संतुष्टि सूची 90.47 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों के साथ नियमित संवाद और मौजूदा उपभोक्ता शिकायत निवारण नीति से उनकी समस्याओं का सुनियोजित ढंग से तथा यथा–समय समाधान सुनिश्चित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अनेक वर्षों से गेल ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का विस्तार करके ग्राहकों की शिकायतों, समस्याओं तथा चिंताओं का समाधान करने के लिए कुशल प्रणाली का प्रबंधन किया है।

हमने अपनी मौजूदा गैस संचरण प्रणाली के उन्नयन से हम नए विकसित हो रहे गैस उपभोग केन्द्रों तक पहुंच बनाने में सक्षम हुए हैं। बहु–स्तरीय स्रोतों से गैस की आपूर्ति और सुपुर्दगी की व्यवस्था हमारी सुसज्जित गैस निगरानी प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय आधार पर की जाती है। हमारा गेल पॉलीमर प्रौद्योगिकी केन्द्र (जी.पी.टी.सी.) अपने ग्राहकों को तकनीकी समाधान और अन्य संबंधित जानकारी प्रदान करता है।

गेल ने पर्यावरण से संबंधित भारतीय प्लास्टिक केन्द्र (आई.सी.पी.ई.) के साथ उत्पाद उत्तरदायित्व तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भागीदारी की है ताकि उपयोगिता और पर्यावरण दोनों की दृष्टि से अन्य विकल्पों की तुलना में प्लास्टिक के सकारात्मक प्रभावों का प्रचार–प्रसार किया जा सके।

गेल ने उद्योग निकायों और प्रभावशाली समूहों सहित विभिन्न चेनलों के माध्यम से इसका समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गेल द्विवर्षीय कार्यक्रम अर्थात् एशिया गैस भागीदारी शिखर सम्मेलन (ए.जी.पी.एस.) का मुख्य प्रायोजक है, जिसमें पूरे विश्व के प्राकृतिक गैस उत्पादक देश, व्यापारी और उपभोक्ता भाग लेते हैं।

एस. वेंकटरमण

निदेशक - व्यवसाय विकास

"ऊर्जावान भविष्य के लिए समर्पित" पर सतत् विकास से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने का यह हमारा तीसरा वर्ष है जिसमें हमने सतत् विकास से संबंधित कार्यकलापों में अब तक की गई पहल और हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख किया है।

ऊर्जा को आर्थिक विकास का उत्प्रेरक माना जाता है। भारत इस समय विश्व में चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और वर्ष 2035 तक चीन के साथ मिलकर एशियाई ऊर्जा मांग का सबसे बड़ा हिस्सेदार होगा। भारत में 75 प्रतिशत हाइड्रोकार्बन ऊर्जा आवश्यकता को आयात से पूरा किया जाता है, अतः भारत की विकास गाथा को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। हम उत्तरदायी स्रोत व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्र के लिए ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस प्रकार भविष्य को ऊर्जावान बना रहे हैं।

बेहतर कार्य–कुशलता और लागत प्रभाव के साथ–साथ अंतर्निहित पर्यावरण अनुकूल प्रकृति के कारण प्राकृतिक गैस 21वीं सदी के ईंधन के रूप में उभरी है। विश्व औसत 24 प्रतिशत की तुलना में भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत है और इस प्रकार भारत में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने की प्रबल संभावना है। हमारा ऐसा विश्वास है कि भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की अग्रणी एकीकृत प्राकृतिक गैस कम्पनी के रूप में गेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राकृतिक गैस की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हम उत्तरोत्तर रूप से अपनी पाइपलाइन अवसंरचना का विस्तार कर रहे हैं और एल.एन.जी. स्रोत के अवसरों की संभावना का पता लगा रहे हैं। हम परम्परागत तरीके से देश में एल.एन.जी. का आयात करने की ओर इक्विटी आधारित एल.एन.जी. स्रोत के लिए उत्पादन परिसम्पत्तियों/द्रवीकरण सुविधाओं में इक्विटी प्राप्त करने की भी योजना बना रहे हैं। इस संबंध में हमारे प्रयासों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख इस रिपोर्ट के प्रासंगिक खण्डों में किया गया है। जैसा कि हम समझते हैं आज भावी आपूर्तियों को जिम्मेदार ढंग से दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य पर विचार करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

ऊर्जा कम्पनी होने के नाते हमने अपनी प्रौद्योगिकी क्षमताओं में सुधार करने के लिए नीतिगत उपाय किए हैं। हम ठोस नगरपालिका के कचरे और प्लास्टिक कचरे से संभावित ईंधन क्षमता तैयार करने के अवसरों का पता लगाने के लिए अनुसंधान और विकास क्षेत्र में पर्याप्त निवेश कर रहे हैं। हम हाइड्रोजन गैस भंडारण, गैस हाइड्रेट, शेल गैस इत्यादि जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की संभावना का पता लगाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हम सक्रिय रूप से अपने जी.एच.जी. उत्सर्जन में कमी करने की संभावना का पता लगा रहे हैं और माइक्रोबायल माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने के लिए एक अनुसंधान और विकास पहल की जा रही है। हमने पवन और सौर ऊर्जा स्रोत के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और आगामी वर्षों में इसमें वृद्धि करने की योजना बनाई है।

सतत् विकास का सार तत्व हमारे विज़न विवरण से झलकता है और हम पर्यावरण के लिए उत्तरदायी बने रहने में विश्वास रखते हैं। हमने "सतत् विकास अपेक्षाएं 2020" के माध्यम से स्वयं अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करके अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये लक्ष्य अपने जी.एच.जी. घनत्व में कमी करने, जल घनत्व, विनिर्दिष्ट ऊर्जा उपयोग और बेकार पानी को रिसाइकल करने की व्यवस्था में वृद्धि करने तथा सतत् विकास के बारे में जागरूकता पैदा करने से संबंधित पहलुओं पर आधारित हैं। हमने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है ताकि उन्हें सतत् विकास से संबंधित पहलुओं के बारे में वास्तविक रूप से संवेदनशील बनाया जा सके और उनमें आपसी समझबूझ तथा सहयोग की भावना विकसित की जा सके। इसके अतिरिक्त, हमने अपनी मौजूदा प्रणाली में अपनी सतत् विकास पहलों को बेहतर बनाने के उपाय किए हैं। इसी प्रकार का एक उपाय संबंधित विभागाध्यक्ष और संबंधित निदेशकों के मध्य हमारे आंतरिक समझौता–ज्ञापन के माध्यम से किया गया है, जिसमें हमारी सतत् विकास अपेक्षाएं 2020 के लक्ष्यों को सूचीबद्ध किया गया है, इसके अतिरिक्त, हमने ऊर्जा प्रबंधन, महाराष्ट्र के विरासत स्थलों के आस–पास जैव विविधता संरक्षण, बेकार पानी को रिसाइकल करने और जी.एच.जी. उत्सर्जन में कमी करने इत्यादि के पहलुओं के बारे में अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं।

कर्मचारियों और कामगारों की सुरक्षा उच्च प्राथमिकता देकर कोई कारोबार कार्यकलाप शुरू करने से पहले हम स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित उच्च मानकों को सुनिश्चित करते हैं। हम भारत सरकार के साथ सम्पन्न किए गए समझौता–ज्ञापन में यथा–उल्लिखित अपने एच.एस.ई. लक्ष्य को निष्पादित करने का सतत् रूप से प्रयास करते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारी एच.एस.ई. सूची 98.8 प्रतिशत से अधिक रही है।

अपने सुदृढ़ सतत् विकास नियंत्रण के माध्यम से अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए तथा उनसे आगे निकलते हुए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध और सक्रिय रहे हैं।

पी.के. जैन

निदेशक वित्त

ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता तीव्र आर्थिक विकास की आधारभूत अपेक्षाओं में से एक रही है। हम ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए कारोबारी अवसरों के बारे में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में हमने बड़ा निवेश किया है तथा भविष्य में भी इसे जारी रखेंगे। अपने विजन विवरण से दिशा लेकर हमारे विकास को उत्तरदायी कॉरपोरेट नागरिक बने रहने और अपने सभी स्टेकहोल्डरों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हैं।

हमारा विश्वास है कि स्टेकहोल्डर मूल्य को अधिकतम करना और ठोस कारोबार परिणाम केवल आर्थिक, पर्यावरण तथा सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखकर ही संभव हो सकता है। इस वर्ष हमारा कारोबार 18 प्रतिशत बढ़कर 47333 करोड़ भारतीय रुपए और कर उपरांत लाभ 10 प्रतिशत बढ़कर 4022 करोड़ भारतीय रुपए हो गया है।

हमें वार्षिक मोतीलाल–ओसवाल सम्पदा सृजन अध्ययन के द्वारा वर्ष 2007–2012 की अवधि के लिए सबसे बड़े सम्पदा सृजक पहलू के तहत 18वां स्थान भी प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मण्डल ने वित्त वर्ष 2012–2013 के लिए कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 96 प्रतिशत की दर से कुल लाभांश का भुगतान करने की सिफारिश की है।

इस वर्ष हमने बेहतर निवेशक संबंध बनाने तथा इन्हें बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया है। इसमें हमारा उद्देश्य घरेलू और वैश्विक बाजार के अधिकतम निवेशकों तक पहुंच बनाना और संबंधित स्टेकहोल्डरों को नियमित अंतराल पर गेल के बारे में वित्तीय और गैर–वित्तीय सूचना का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना रहा है।

प्राकृतिक गैस क्षेत्र की समग्र मूल्य श्रृंखला में बड़ा संभावित निवेश करने की क्षमता है और इस प्रकार इसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। अनुकूल पर्यावरण नीति से हमारे ऊर्जा क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी और इससे भारत के हरित विकास में सहायता मिलेगी।

कारोबारी आयामों में शामिल होने से कम्पनियां व्यापक उत्तरदायित्व संभाल रही हैं और औपचारिक रूप से अपने कारोबारी क्षेत्र से आगे बढ़ रही हैं। वर्तमान वातावरण में कारोबार के महत्व और विस्तृत भूमिका को महसूस करते हुए गेल में हमने इस वर्ष के दौरान कुछ पहल की हैं जिनमें वैश्विक मिथेन पहल (जी.एम.आई.) सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई, कार्बन डाइ ऑक्साइड उपयोग जैसी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में निवेश करना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त हमने नवीकरणीय क्षेत्र में निवेश किया है और हाल ही में 5 मेगावाट सौर पी.वी. परियोजना चालू की है।

हम इस दिशा में प्रगति करते हुए, हम पर्यावरण और समाज के लिए अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए तथा इस संबंध में निवेश अवसरों की संभावना का पता लगाने के लिए अपने कारोबारी उद्देश्यों को इससे जोड़े रखना जारी रखेंगे।

कारोबार की रूपरेखा

अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध से पिछले पच्चीस वर्षों में प्राकृतिक गैस संचरण कम्पनी के रूप में गठित गेल धीरे धीरे वैश्विक पहचान के साथ प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला वाली एकीकृत ऊर्जा कम्पनी में परिवर्तित हुई है। आज हमारे पास प्राकृतिक गैस, एल.पी.जी., द्रवित हाइड्रोकार्बन, पेट्रोकैमिकल, अन्वेषण तथा उत्पादन, शहर गैस वितरण तथा दूरसंचार के कारोबार में अपने हितों के मद्देनजर 10,500 किलोमीटर लम्बा प्राकृतिक पाइपलाइन गैस नेटवर्क है।

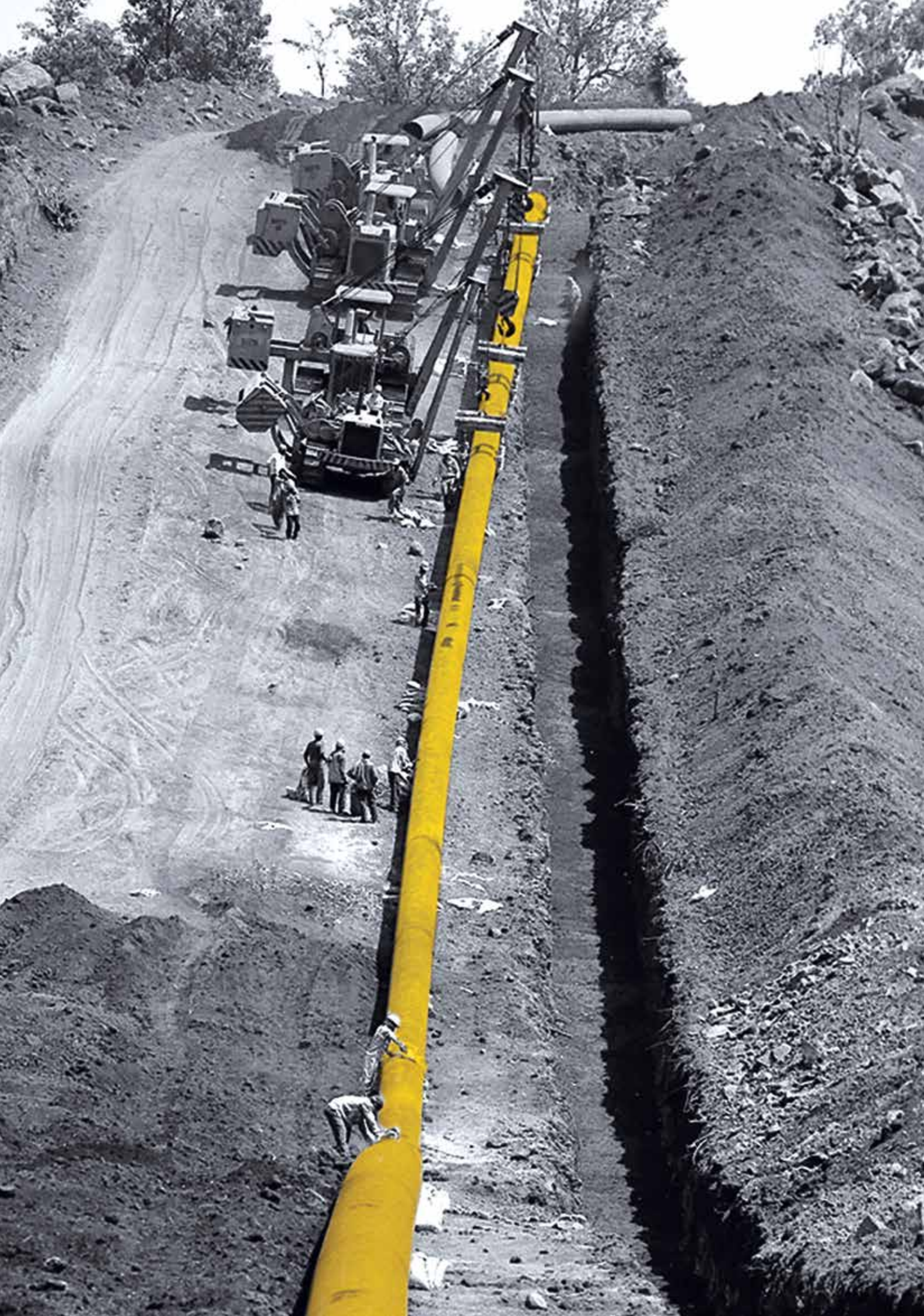

हमारा कारोबार, उत्पादन और सेवाएं

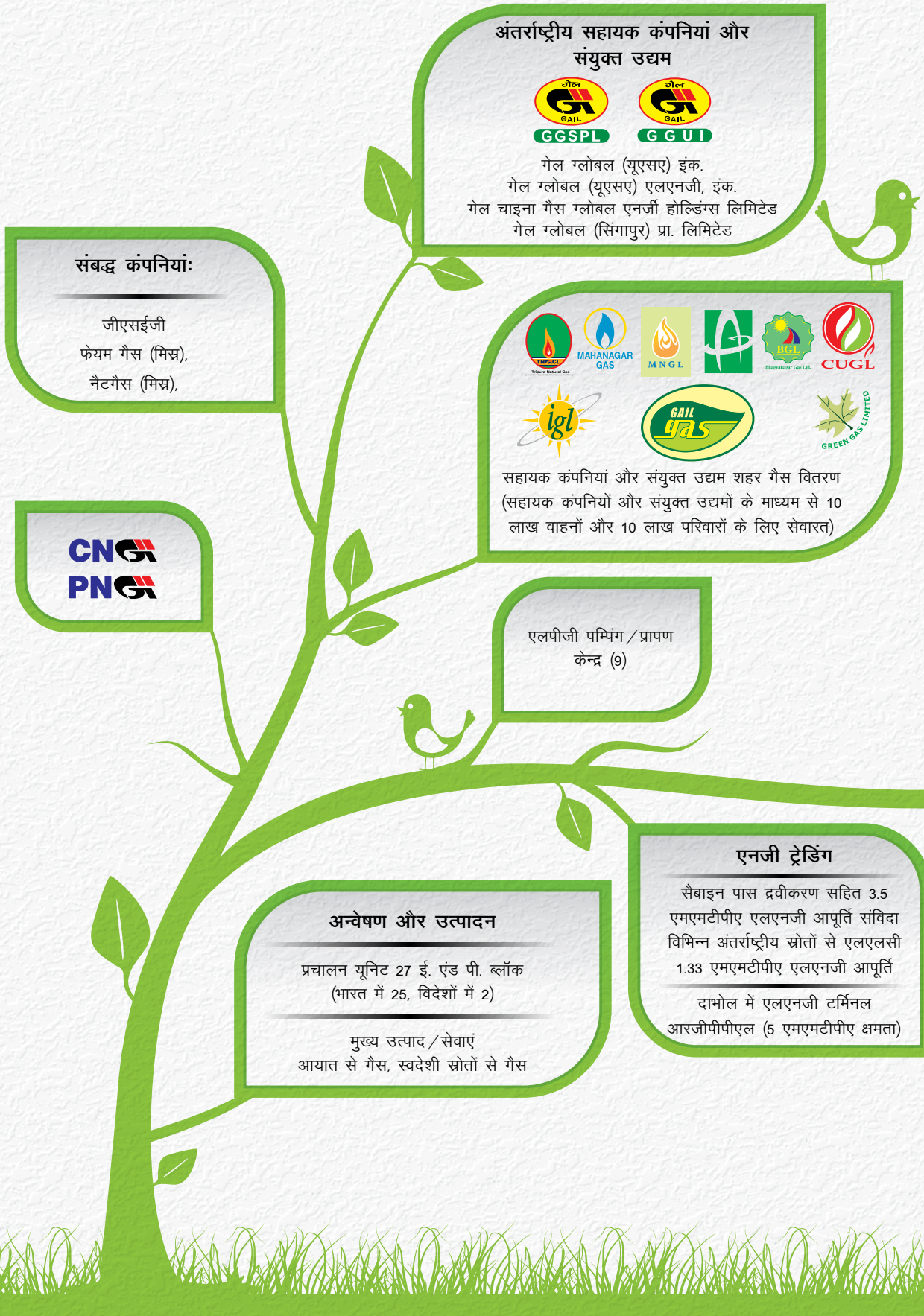

सहायक कम्पनियां और संयुक्त उद्यम कम्पनी

PETRONET LNG LIMITED

ओपीएएल OPAL

गैस प्रोसेसिंग यूनिट

GA PROPANE GA PENTANE

प्रचालन यूनिट 7 (विजयपुर (2), पाता, वघोडिया, उसर, लकवा, गंधार)

एल.एच.सी. उत्पादन 1.4 एमएमटीपीए

मुख्य उत्पाद/सेवाएं एल.पी.जी., पेंटेन, प्रोपेन, एस.बी.पी. सॉलवेंट, नाफ्था

एल.पी.जी. संचरण

कुल 2038 कि.मी. लम्बी 2 एलपीजी पाइपलाइनें

जेएलपीएल (1415 कि.मी.) वीएसपीएल (623 कि.मी.)

परिवहन क्षमता – 3.8 एमएमटीपीए

संचरण थ्रूपुट (वित्त वर्ष 12–13)–3.136 एमएमटी

एनजी संचरण

10700 कि.मी. पाइपलाइन एन/डब्ल्यू

210 एमएमएससीएमडी एनजी पाइपलाइन क्षमता

G-Lene

G-Lex

नवीकरणीय ऊर्जा

पवन (117.95 मेगावाट संस्थापित)

सौर (5 मेगावाट सौर संयंत्र चालू)

पेट्रो कैमिकल

प्रचालन यूनिट 1 (पाता)

कुल उत्पादन 497 टीएमटी (वित्त वर्ष 11–12)

कुल उत्पाद/सेवाएं एचडीपीई/एलएलडीपीई पैलेट्स, एलपी फ्लेक्स, पीई श्रेड्स

GAILTEL

पूरे देश में ओएफसी नेटवर्क की 1300 कि.मी. लम्बी पाइपलाइनें (1581 कि.मी.) और राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग (1746 कि.मी.)

गेल की अखिल भारतीय उपस्थिति

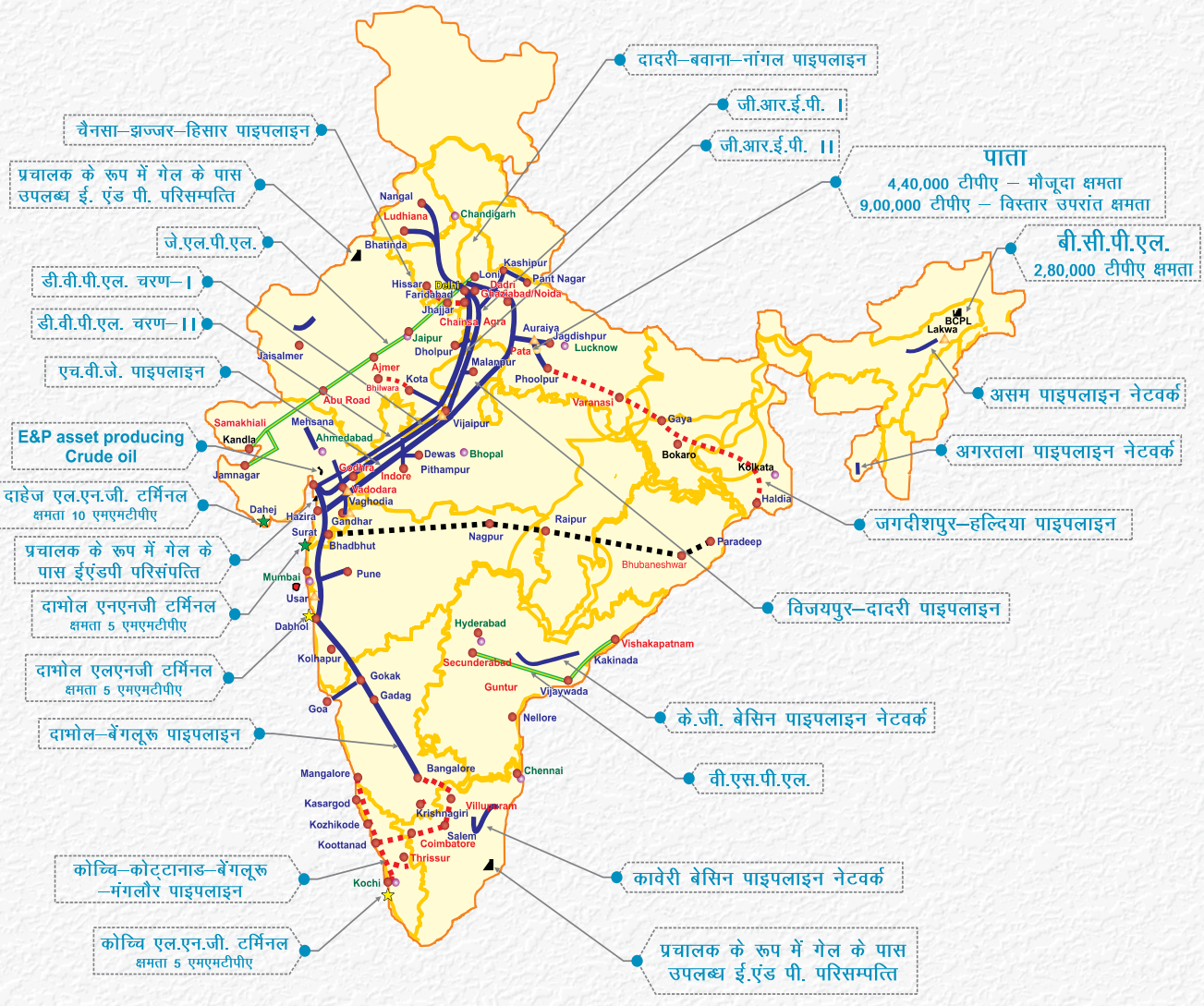

मानचित्र पैमाने के अनुसार नहीं

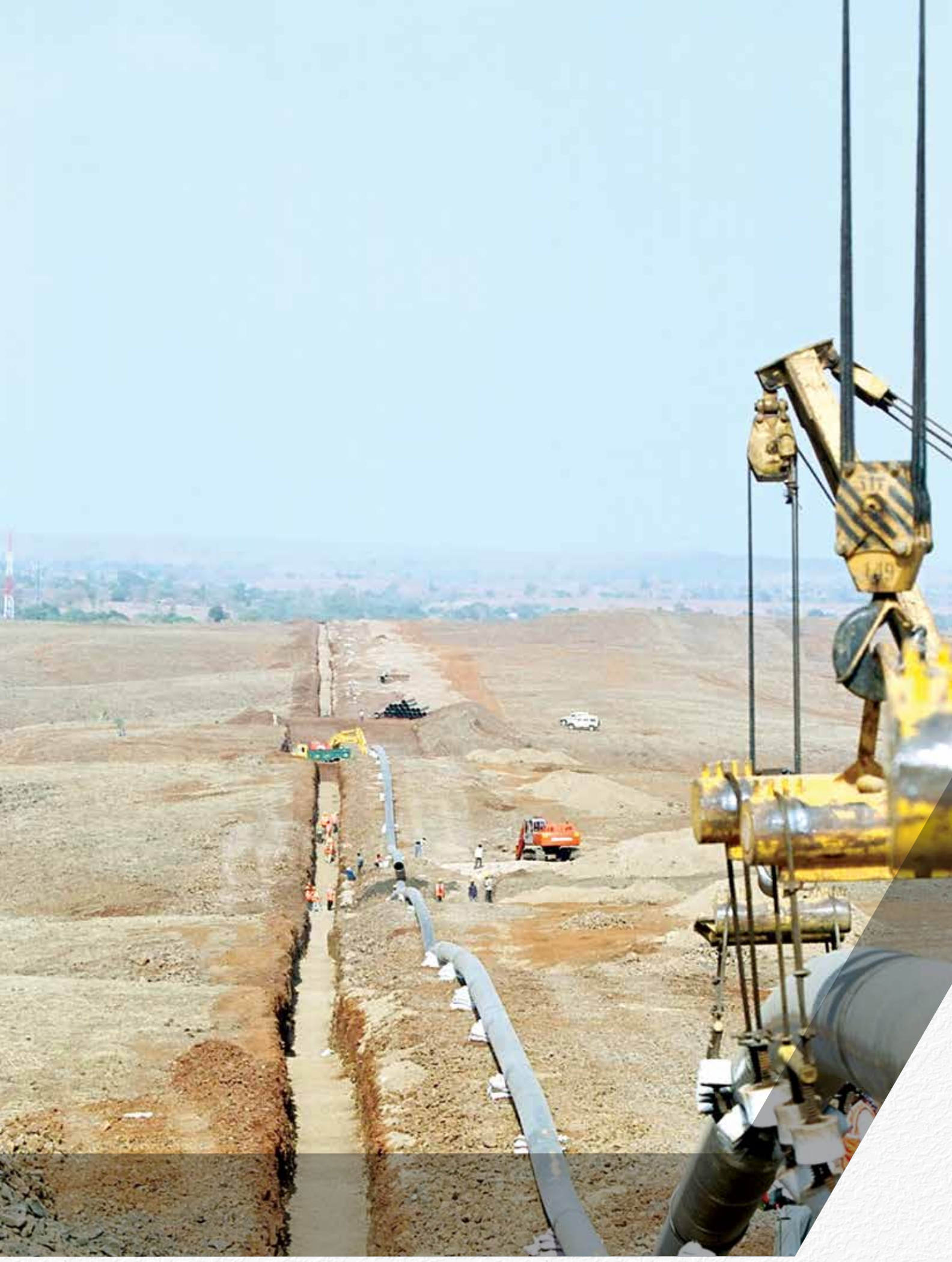

पुरस्कार और सम्मान

जब से लोक उद्यम विभाग ने समझौता–ज्ञापन (एम.ओ.यू.) आधारित निष्पादन समीक्षा प्रणाली शुरू की तभी से लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार ने गेल को लगातार ''उत्कृष्ट'' दर्जा प्रदान किया है। गेल ने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं और अपने प्रचालन क्षेत्रों में निष्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाली कुल 7 महारत्न कम्पनियों में यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे युवा उपक्रम बन गया है। इनमें से कुछ पुरस्कार और सम्मान इस प्रकार हैं :

कॉरपोरेट पुरस्कार/सम्मान

- वर्ष 2012 में ऊर्जा कम्पनियों की प्लेट्स वैश्विक रैंकिंग में एशिया की गैस कम्पनियों में प्रथम स्थान।
- डाउनस्ट्रीम प्रचालनों में 'विश्व' की अव्वल नंबर की कम्पनी के लिए प्लेट्स वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार, 2011।
- वित्त वर्ष 2010–11 के लिए स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार (संस्थागत। : नवरत्न श्रेणी)।
- पेट्रोलियम क्षेत्र में वर्ष 2009–10 के लिए लगातार दूसरी बार सर्वोत्तम निष्पादन करने वाले सीपीएसई के लिए समझौता–ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार।
- भारतीय वाणिज्य संघ से निगमित नियंत्रण पुरस्कार, 2012।
- वर्ष 2010–11 में निगमित नियंत्रण के लिए स्कोप से प्रशस्ति प्रमाण–पत्र।
- गेल ने पेट्रोफेड पुरस्कार, 2012 द्वारा (500 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए श्रेणी) पर्यावरण सतत् विकास श्रेणी में 'वर्ष की कम्पनी' का पुरस्कार प्राप्त किया।

एच.एस.ई. पुरस्कार

- ब्रिटिश सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड किंगडम से गैस प्रोसेसिंग यूनिट और प्राकृतिक गैस कम्प्रेसर केन्द्र, वाघोडिया, गैस प्रोसेसिंग यूनिट, गंधार, क्षेत्रीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मध्य प्रदेश चैप्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मुम्बई से वर्ष 2010 के लिए क्रमशः गैस प्रोसेसिंग यूनिट और प्राकृतिक गैस कम्प्रेसर केन्द्र, विजयपुर के संबंध में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार।
- गेल वाघोडिया ने गुजरात सुरक्षा परिषद, वडोदरा से गुजरात राज्य सुरक्षा पुरस्कार।
- गेल, खेड़ा के लिए निदेशक संस्थान, नई दिल्ली से गोल्डन पीकॉक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पुरस्कार–2012।
- गेल, वाघोडिया के लिए निदेशक संस्थान, नई दिल्ली से गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार–2012।
- खेड़ा कम्प्रेसर केन्द्र और क्षेत्रीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर, नई दिल्ली से सुरक्षा अभिनवता पुरस्कार।

GAIL

निगमित नियंत्रण

बेहतर नियंत्रण पर ध्यान केन्द्रित करके हम अपने लक्ष्यों और कारोबारी उद्देश्यों को इस प्रकार पूरा करते हैं जिससे भविष्य में न केवल कम्पनी के लिए मूल्य अर्जित हो अपितु कालान्तर में हमारे स्टेकहोल्डरों के लिए लाभप्रद भी हो। अपनी प्रतिबद्धता और नैतिक रूप से अपना कारोबार करने के उत्तरदायित्व को समझते हुए हम वास्तव में यह विश्वास करते हैं कि सतत् विकास का आधारभूत तत्व स्टेकहोल्डरों के प्रति पारदर्शी बने रहने और जवाबदेह रहने में निहित है।

सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के कारण गेल में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि यथा–लागू सभी नियमों, विनियमों, विधि और उप–विधि का अनुपालन किया जाए। कम्पनी का प्रबंधन विभिन्न संविधियों का पूर्णतः अनुपालन करने और सांविधिक कार्य संरचना के अनुपालन से आगे बढ़कर सर्वोत्तम प्रक्रिया–विधि अपनाने में विश्वास रखता है ताकि इसके प्रचालन के सभी पहलुओं में तथा सभी स्टेकहोल्डरों के साथ हमारे कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता लाई जा सके। इस गतिशील और विकसित हो रहे कारोबारी परिदृश्य में हम कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं में सतत् रूप से सुधार करते हैं। हमारी निगमित नियंत्रण कार्य संरचना[1] के आधारभूत सिद्धांतों में बोर्ड के सदस्यों को सक्रिय रूप से सूचना प्रदान करने, यथा–लागू कानूनों के अनुपालन और सूचना की यथा–समय जानकारी प्रदान करने इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारा बोर्ड कम्पनी की नीतियों को परिभाषित करने के लिए उत्तरदायी है और इनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है। हमारी कम्पनी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है इसलिए हमारे बोर्ड के पदाधिकारियों को भारत के माननीय राष्ट्रपति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से सीधे नियुक्त करते हैं। दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार हमारे बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, 2 अल्पकालिक निदेशकों (सरकार की ओर से नामित) और 3 अल्पकालिक स्वतंत्र निदेशकों सहित 6 पूर्णकालिक निदेशक हैं।

हम केवल निदेशक मण्डल के गठन को छोड़कर निगमित नियंत्रण के बारे में स्टाक एक्सचेंज के इक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 49 और लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने अपने दृष्टिकोण, कार्यनीति और कारोबार योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने और जहां आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय करने तथा अपने स्टेकहोल्डरों के हितों की रक्षा करने के लिए निदेशक मण्डल के अधीन अनेक उप–समितियां गठित की हैं। इनमें लेखा–परीक्षा समिति, कारोबार विकास और विपणन समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, कर्मचारी अनुशासन समिति, अधिकार प्राप्त सी. और पी. समिति, प्राकृतिक गैस/एल.एन.जी./पॉलीमर का आयात करने के लिए (प्राकृतिक गैस, एल.एन.जी. और पॉलीमर) अधिकार प्राप्त समिति, पारिश्रमिक समिति, शेयर होल्डर/निवेशक शिकायत निवारण समिति, शेयर अंतरण समिति, स्टेकहोल्डरों की शिकायत का निवारण करने के लिए समिति और सतत् विकास समिति शामिल हैं। हमारे निगमित नियंत्रण के बारे में और ब्यौरे के लिए कृपया वित्त वर्ष 2012–13 की वार्षिक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

गेल में सतत् विकास नियंत्रण

गेल ने सतत् विकास नियंत्रण में समग्र दृष्टिकोण का अनुपालन किया है। हमने सतत् विकास को सदैव निगमित योजना और कार्यनीति के भाग के रूप में देखा है जो प्रबंधन द्वारा इसे प्रदान किए गए महत्व के स्तर को प्रकट करता है। सबसे पहले अपने प्रयासों का मूल्यांकन करने और इसके बाद दीर्घकालिक कार्यनीति और दिन–प्रतिदिन की नीति–निर्माण प्रक्रिया में सतत् विकास के पहलुओं को शामिल करके अपने स्टेकहोल्डरों के लिए मूल्य अर्जित करने का विचार है। शर्तों, मानकों और लक्ष्यों के बारे में सामान्य समझबूझ पैदा करके हमने गेल में उत्तरदायी व्यवहार का प्रचार–प्रसार करने के लिए आधारभूत निर्माण ब्लॉक के रूप में कार्य करने के लिए सतत् विकास नीति[2] तैयार की है। इस नीति में आर्थिक, पर्यावरण तथा आधारभूत सामाजिक स्तरों के संबंध में हमारे दृष्टिकोण और हमारी अपेक्षाओं को शामिल किया गया है।

हम अपने सतत् विकास से संबंधित मुद्दों को उठाने में सक्रिय रहे हैं और हमने सुपरिभाषित संरचना के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है जो संगठन से संबंधित जटिलताओं का कारगर ढंग से प्रबंधन करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में व्याप्त है, जिनमें श्री अरूण अग्रवाल (स्वतंत्र निदेशक) की अध्यक्षता में सतत् विकास बोर्ड की उप–समिति (एस.डी.बी.सी.) और निदेशक–परियोजना तथा निदेशक कारोबारी विकास द्वारा सहायता प्रदान करना शामिल है। इस समिति ने गेल के समग्र प्रचालनों में सतत् विकास के लिए सक्रिय योगदान किया है। इस समिति के बहुआयामी कार्यों के आधार पर हमने हाल ही में इसके सदस्यों के रूप में सभी कार्यात्मक निदेशकों अर्थात् निदेशक–वित्त, निदेशक–विपणन और निदेशक–मानव संसाधन को शामिल किया है। इससे हमें अपने सभी प्रचालनों में सतत् विकास करने में सहायता मिली है।

वर्ष 2012–13 में इस समिति की चार बैठकें आयोजित की गई हैं और सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों में से कुछ इस प्रकार हैं :

- गेल की कारोबारी प्रक्रियाओं में सतत् विकास की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक एन.वी.जी. सिद्धांत के लिए नोडल विभाग को पदनामित करना।
- हर प्रकार से लक्ष्य को पूरा करने के लिए समझौता–ज्ञापन परियोजनाओं के सतत् विकास की कड़ी निगरानी और समीक्षा करना।
- कारगर आंकड़ा संग्रह करने के लिए गेल के ई–सतत् विकास मॉड्यूल को लागू करना और सभी प्रचालनों तथा स्थलों पर वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर उपयुक्त आंकड़ा प्राधिकरण के साथ इनका मिलान करना।
- प्राथमिकता प्राप्त स्टेकहोल्डर समूहों के लिए संचार कार्यनीति तैयार करना।

[1] कृपया विस्तृत विवरण के लिए वित्त वर्ष 2011–12 की सतत् विकास रिपोर्ट के निगमित नियंत्रण खण्ड का अवलोकन करें।

[2] कृपया विस्तृत नीति के लिए वित्त वर्ष 2011–12 की सतत् विकास रिपोर्ट का अवलोकन करें।

सतत् विकास लक्ष्यों, उद्देश्यों को हासिल करने और परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए इन्हें गति प्रदान करने और इनकी दिशा निर्धारित करने के लिए निदेशक–व्यापार विकास की अध्यक्षता में एक सतत् विकास संचालन समिति (एस.डी.एस.सी.) गठित की गई है। कार्य–स्थल स्तर पर कारगर ढंग से पहलों को कार्यान्वित करने के लिए हमने बहु–विषयक स्थल–स्तरीय समितियां गठित की हैं। कोर दल के प्रधान कार्यकलापों में एस.डी.बी.सी. और एस.डी. एस.सी. के कार्यकलापों में सहायता प्रदान करना, नई सतत् विकास पहलों से संबंधित कार्यकरण, सतत् विकास के पहलुओं के बारे में कर्मचारियों के प्रशिक्षण और गेल की सतत् विकास रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।

गेल के ई–स्थायित्व मॉड्यूल का प्रारंभ

सतत् विकास बोर्ड समिति

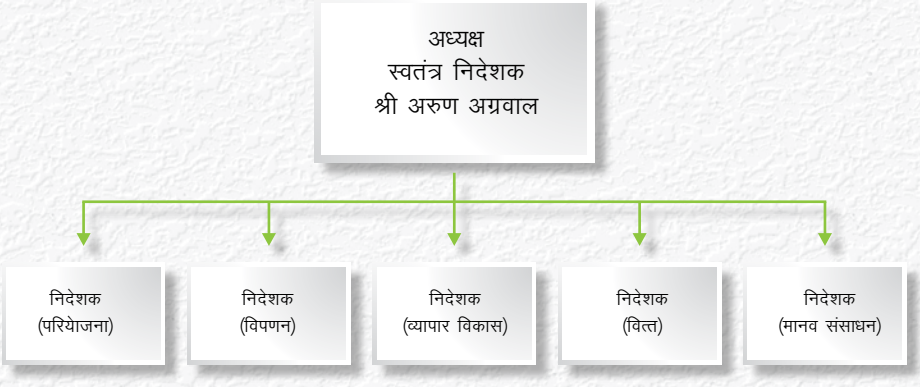

सतत् विकास संचलन समिति

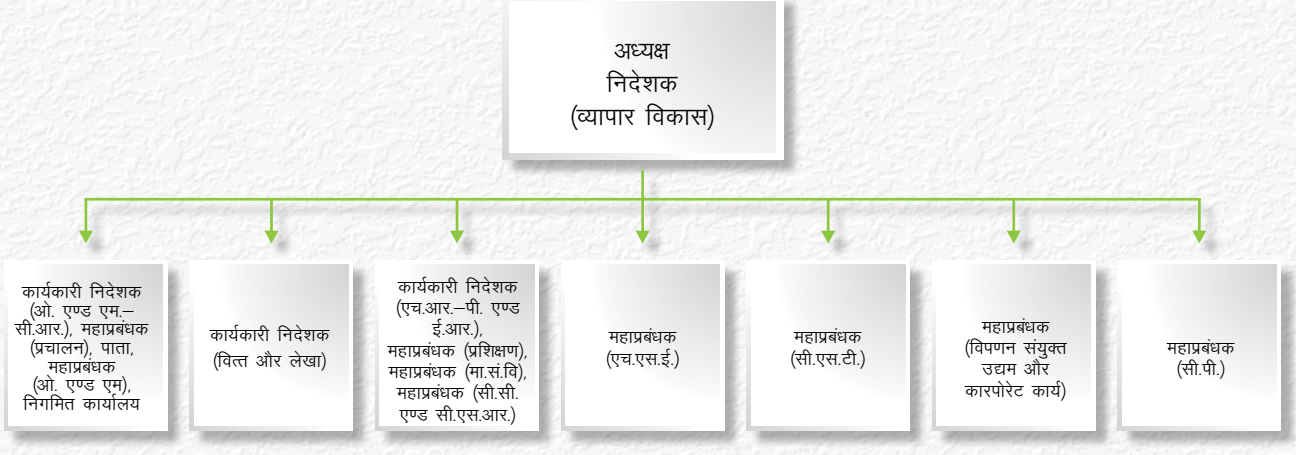

पिछले वर्ष अनिवार्य अपेक्षा से आगे बढ़कर हमने संचालन समिति के मार्गदर्शन में गेल की सतत् विकास अपेक्षाएं 2020[3] दस्तावेज तैयार किया है। सतत् विकास अपेक्षाएं 2020 दस्तावेज तैयार करके हम जी.एच.जी. उत्सर्जन, पानी की खपत, ऊर्जा कुशलता और सतत् विकास से संबंधित प्रशिक्षण/जागरूकता पैदा करने से संबंधित अपने सतत् विकास निष्पादन में सुधार करने में सक्षम हुए हैं।

जोखिम सुरक्षा प्रबंधन

पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे अत्यधिक चिंता का कारण हैं और ये किसी कारोबार के लिए जोखिम तथा अवसर प्रदान कर सकते हैं। हमने सतत् कारोबारी विकास को सुनिश्चित करते हुए संगठन और इसके स्टेकहोल्डरों को सुरक्षा प्रदान करने तथा संगठन के मूल्य में वृद्धि करने के लिए एकीकृत जोखिम सुरक्षा कार्य संरचना की व्यवस्था की है। इस कार्य संरचना में गैस संचरण और व्यापार सुविधाओं, एल.पी.जी. संचरण सुविधाओं तथा एल.पी.जी./द्रवित हाइड्रोकार्बन/पेट्रोकैमिकल प्रोसेसिंग सुविधाओं को शामिल किया गया है। जांच समिति के साथ–साथ बोर्ड हमारे समग्र प्रचालनों में जोखिम सुरक्षा प्रबंधन की कारगरता और निष्पादन की निगरानी करता है।

जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है, इसकी तीव्रता निर्धारित की जाती है, प्राथमिकता तय की जाती है और इन्हें कम करने के लिए तैयार की जाने वाली योजनाओं की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा तथा निगरानी की जाती है। अपने प्रचालनों के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण पर्यावरण तथा सामाजिक मुद्दों का निर्धारण और मूल्यांकन करने के बाद कार्य–स्थल पर स्थल स्तरीय समिति इनकी जांच करती है और इसके बाद निगमित कार्यालय में एक संचालन समिति मुख्य अधिकारियों से इनके बारे में बातचीत करती है। इसके बाद इन समितियों की सिफारिशें जांच समिति के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई के लिए निदेशक मण्डल को अग्रेषित की जाती हैं। मुख्य जोखिम संकेतों की विस्तृत सूची और इन्हें कम करने की

स्थायित्व के सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित जोखिमों का नए व्यवसाय की योजनाओं/कार्यकलापों के लिए पहले ही पता लगा लिया जाता है।

योजनाएं तैयार की गई हैं तथा तिमाही आधार पर विभिन्न स्तरों पर इनकी समीक्षा की जा रही है और निदेशक मण्डल वर्ष में एक बार इन्हें देखते हैं। सतत् विकास के सामाजिक और पर्यावरण पहलुओं का मूल्यांकन करने के तंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए पहले नई कारोबारी योजनाओं, पूंजीगत परियोजनाओं, आमेलन और अधिग्रहण से संबंधित जोखिमों को निर्धारित किया जाता है तथा विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट के साथ इन्हें अनुमोदित किया जाता है। इसके साथ–साथ अनुपालन के लिए अलग से बजटीय व्यवस्था करके संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से यथा–समय सभी सांविधिक अनुपालन पूरे करके सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की जाती है। पर्यावरण और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए आई.एस.ओ. 14001 और ओ.एच.एस.ए.एस. 18001 जैसे प्रमाणन के लिए सक्रिय उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कम्पनी के प्रचालन क्षेत्र में सामाजिक मुद्दों का समाधान करने के लिए सुनियोजित और समेकित सी.एस.आर. कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

हम सभी यथा–लागू विधानों का पूर्णतः अनुपालन करने में विश्वास रखते हैं और अपने प्रचालनों के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा समानता लाने के लिए सांविधिक कार्य संरचना के अनुपालन से आगे बढ़कर सर्वोत्तम प्रक्रिया–विधि अपनाने का प्रयास करते हैं। हमने नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए लक्ष्यों को और आगे बढ़ाने के लिए ई–कारोबार, बिल निगरानी प्रणाली, फाइल संचालन प्रणाली, उपभोक्ता संबंध प्रबंधन, उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली, ऑनलाइन भर्ती, ई–निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (ई–पी.एम.एस.), ऑनलाइन सतर्कता शिकायत पंजीकरण प्रणाली और ई–बजटीय प्रणाली जैसी अनेक पहल अपनाई हैं। अपवाद रिपोर्ट तैयार करने के साथ–साथ हमने कुशल और कारगर नीति–निर्माण प्रक्रिया के लिए अपनी प्रबंधन सूचना प्रणाली की व्यवस्था की है जिसकी निगरानी उच्च प्रबंधन स्तर पर की जाती है। इलेक्ट्रानिक लेनदेन में सक्षम बनने के लिए हमने ई–प्राप्ति, ई–बीजक और ई–लेखा बही जैसी अनेक सुविधाओं की भी व्यवस्था की है। संविदा और प्रापण मैनुअल, मानव संसाधन मैनुअल, आंतरिक लेखा–परीक्षा मैनुअल, द्रवित हाइड्रोकार्बन उत्पाद मूल्य निर्धारण नीति और पॉलीमर मूल्य निर्धारण नीति जैसी विभिन्न नीतियों तथा मैनुअल से हमारे विभागों को पारदर्शी और एक समान नीति निर्माण प्रक्रिया अपनाने में सहायता मिलती है।

उपयुक्त आचरण तथा अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमने कर्मचारी संहिता के अतिरिक्त बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता तैयार की है। बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वार्षिक रूप से इस आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हैं। हमने कार्य–स्थल और इसके बाहर उपयुक्त आचरण तथा अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों हेतु गेल कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1986 भी तैयार किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ उपहार, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से संबंधित नियम शामिल किए गए हैं।

गेल ने 'जनहित की जानकारी देने और सूचना देने वाले की सुरक्षा' के बारे में भारत सरकार के संकल्प को अपनाया है और अपनी 'व्हिसल ब्लोअर नीति' के तहत इसे कार्यान्वित किया है। इस

[3] कृपया इस रिपोर्ट के सतत् विकास नीति खण्ड का अवलोकन करें।

नीति के तहत कर्मचारियों को भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के संबंध में किसी आरोप के बारे में लिखित में कोई शिकायत अथवा जानकारी प्रबंधन को देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस नीति में ऐसे कर्मचारियों जो इस तंत्र का लाभ उठाते हैं, के उत्पीड़न के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, किन्हीं अपवादस्वरूप मामलों में जांच समिति के अध्यक्ष से सीधे मिलने की भी इसमें व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में हम अपने सतर्कता विभाग जो शासन संबंधी मुद्दों पर नजर रखता है, को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) की ओर से सूचित किए दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हैं। हाल ही में हमने धोखाधड़ी का पता लगाने, इससे बचने और इसकी सूचना देने के लिए प्रणाली तैयार करने हेतु धोखाधड़ी रोधी नीति बनाई है और हम इस प्रकार के मामलों का कारगर ढंग से निपटारा और नियंत्रण कर रहे हैं।

गेल ने सत्यनिष्ठा सन्धि को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2007 में मैसर्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे प्रापण प्रक्रिया में पारदर्शिता आई थी। इसके साथ स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति की गई है जो गेल में भ्रष्टाचार, रिश्वत अथवा किसी अनैतिक कार्य को रोकने के लिए सत्यनिष्ठा सन्धि कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त गेल ने नैतिक मूल्य समिति, स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल की उप–समिति का गठन किया है जो हमारे समग्र प्रचालनों में नैतिक मूल्यों के सभी पहलुओं का समाधान करती है।

स्टोकहोल्डरों की शिकायतों का संतोषजनक रूप से समाधान करने के लिए पर्याप्त प्रक्रिया–विधि की व्यवस्था करने हेतु हमने विक्रेताओं, उपभोक्ताओं, शेयरहोल्डरों, कर्मचारियों इत्यादि जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की है। उपभोक्ताओं और विक्रेताओं की समस्याओं के बारे में विचार–विमर्श करने तथा इनका समाधान करने के लिए वार्षिक सतर्कता जागरूकता सप्ताह

के दौरान उपभोक्ता तथा विक्रेता बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त विक्रेताओं के साथ उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने के लिए निपटान सलाहकार समिति का गठन किया गया है। सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए स्टेकहोल्डर शिकायत निवारण समिति, बोर्ड की एक उप–समिति गठित की गई है ताकि इसे विचारार्थ भेजे गए विवादों का समाधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त निवेशकों की शिकायतों और रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण अभिकर्ता से संबंधित मामलों की जांच–पड़ताल करने के लिए शेयरहोल्डर/निवेशक शिकायत निवारण समिति गठित की गई है।

गेल में कारोबारी कार्यों और प्रभागों के मध्य पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। हमारे पास आंतरिक समझौता–ज्ञापन

परियोजना सतर्क दृष्टि – केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की शिकायत दर्ज करने की एक अद्वितीय प्रक्रिया को अपनाने में अग्रणी

(आई.एम.ओ.यू) भी है जिस पर विभिन्न कारोबारी यूनिटों ने हस्ताक्षर किए हैं ताकि उन्हें इस समझौता–ज्ञापन में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर निष्पादन प्रबंधन और जवाबदेही की ओर अग्रसर किया जा सके।

परियोजना सतर्क दृष्टि (सतर्कता दृष्टि)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) की सतर्क रहने संबंधी परियोजना के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की बेमिसाल प्रक्रिया को अपनाने और इसका अनुसरण करने में गेल सदैव अग्रणी रहा है। यह परियोजना नागरिक केन्द्रित परियोजना है जिसमें नागरिक भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष करने में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ सहयोग करते हैं। यह एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से सतर्कता संबंधी सूचना स्वतंत्र रूप से आम जनता से आयोग को जाती है और यह शिकायत में संवदेनशील सूचना को तीव्र गति से भेजने के लिए आसान पहुंच प्रदान करने से संभव हुआ है। हमारा सतर्कता विभाग यह सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को इस परियोजना के संबंध में निर्देश दें। हम भी यह सुनिश्चित करते हैं कि शिकायत दर्ज कराने की पद्धति से संबंधित सूचना सभी मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित की जाए ताकि इस परियोजना को प्रोत्साहित किया जा सके तथा इसके बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। हम **http://www.vigeye.com/** के माध्यम से इस पर सम्पर्क कर सकते हैं।

India's No.1 Natural GAS Company
GAIL (India) Limited
PRESS CO
May 28, 2013
R. D. GOYAL
B. C. TRIPATHI

स्टेकहोल्डरों को शामिल करना और इसका महत्व

गेल के वित्त वर्ष 2012–13 के सतत् विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से हमने इनमें स्टेकहोल्डरों को शामिल करने संबंधी पहल की श्रृंखला शुरू की है। आंतरिक विश्लेषण के आधार पर हमने कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और गैर–सरकारी संगठनों की प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं ताकि हम इन स्टेकहोल्डरों के साथ सतत् संवाद बनाए रख सकें और सतत् विकास संबंधी सार्थक पहलों पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। भारत सरकार हमारी मुख्य स्टेकहोल्डर है। हम सतत् रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, पी.एन.जी.आर.बी., लोक उद्यम विभाग, डी.जी.एच. और योजना आयोग इत्यादि जैसे सरकारी निकायों के साथ बातचीत करते हैं। इसके अतिरिक्त हम विभिन्न समझौता ज्ञापनों के माध्यम से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क करते हैं।

स्टेकहोल्डर को शामिल करना

हम प्रत्येक स्टेकहोल्डर समूह के लिए विशेष रूप से तैयार की गई सुव्यवस्थित प्रश्नावली के माध्यम से प्रत्येक स्टेकहोल्डर समूह की अवधारणा का मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार का मूल्यांकन करने से पहले स्टेकहोल्डरों के साथ सीधी बातचीत करके उन्हें सतत् विकास के तत्वों के बारे में संवेदनशील बनाया जाता है और इसके बाद प्रश्नावली के संबंध में उनका प्रत्युत्तर प्राप्त किया जाता है। अपने कर्मचारियों के लिए हमने विशेष रूप से अपने इंटरनेट पर ऑनलाइन प्रश्नावली की भी व्यवस्था की है ताकि इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाए जाने के साथ–साथ अधिकतम फीडबैक प्राप्त किया जा सके। इसके तहत हमने अपने प्रचालनों के विभिन्न समूहों के 800 से भी अधिक स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत की है। फीडबैक प्राप्त करने के लिए स्टेकहोल्डरों को शामिल करने से संबंधित संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

कर्मचारी :

कर्मचारी हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर हैं क्योंकि ये इस कम्पनी को चलाने वालों में शामिल हैं और हमारे सपनों तथा लक्ष्यों को साकार करने में सहायता प्रदान करते हैं। हमारे कर्मचारी गेल को ऐसी अग्रणी प्राकृतिक गैस कम्पनी के रूप में देखते हैं जो कर्मचारी कल्याण, उपभोक्ता संतुष्टि पर विशेष ध्यान देती है और पर्यावरण तथा सामाजिक रूप से सजग एक सम्मानित ब्राण्ड है। हमारे कर्मचारियों ने मुख्य क्षमताओं के रूप में आकर्षक पारिश्रमिक, उत्कृष्ट कर्मचारी कल्याण उपाय, पर्याप्त अध्ययन तथा विकास अवसर, कुशल मानव संसाधन, कारगर सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम, उपयुक्त उपभोक्ता संबंध प्रबंधन और सक्षम निगमित नियंत्रण तंत्र का उल्लेख किया है। हमारे अधिकांश कर्मचारियों ने गेल के सतत् विकास से संबंधित पहलों के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने और इनमें कर्मचारियों की सहभागिता में वृद्धि करने के लिए कुछ मुख्य उपायों के रूप में कर्मचारियों के कुछ नियत घण्टे स्वेच्छा से आबंटित करने के साथ–साथ विभाग स्तरीय और वैयक्तिक स्तरीय सतत् विकास विनिर्दिष्ट के.आर.ए. बनाने का समर्थन किया है। हमारे कर्मचारियों के दृष्टिकोण से सतत् विकास जोखिम मानचित्रण, अनुसंधान और विकास, जैव–विविधता, जीवन चक्र मूल्यांकन, सामग्री प्रतिस्थापन, स्थानीय विक्रेता विकास और सतत् विकास ब्रांडिंग ध्यान किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।

70%

से अधिक आपूर्तिकर्ताओं

के साथ नई स्थायित्व पहलों के बारे मे जानने वाले विचार–विमर्श

आपूर्तिकर्ता :

हमारे आपूर्तिकर्ता हमारे प्रचालनों की जीवन रेखा हैं। इनकी यथा–समय और गुणवत्तामूलक कार्य–निष्पादन क्षमता के कारण ही हम अपने उपभोक्ताओं की मांग को पूरा कर सकते हैं। अधिकांश आपूर्तिकर्ता गेल को समाज और पर्यावरण के दृष्टिकोण से उत्तरदायी, गुणवत्ता के प्रति सचेत रहने वाली तथा उपभोक्ताओं का ध्यान रखने वाली कम्पनी मानते हैं। अपनी सतत् विकास पहलों के बारे में जब हमने आपूर्तिकर्ताओं से बातचीत की तो 70 प्रतिशत से अधिक आपूर्तिकर्ता हमारी स्थायित्व पहलों के बारे में जानते थे। इसके अतिरिक्त, यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि किसी भी आपूर्तिकर्ता ने यह नहीं कहा कि गेल के साथ उनका अनुभव असंतोषजनक रहा है, जबकि 70 प्रतिशत से अधिक ने 'उत्कृष्ट अनुभव' का उल्लेख किया। आपूर्तिकर्ताओं ने हमारी फाइल को अनुमोदित करने संबंधी प्रणाली, विवाद समाधान तंत्र, भावी कारोबारी योजनाओं, गुणवत्ता और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रक्रिया–विधियों से संबंधित संचार व्यवस्था की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उनके विचार से ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, जैव–विविधता, सामाजिक उत्तरदायित्व, अनुसंधान और विकास तथा कारोबारी विविधता ध्यान दिए जाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

ग्राहक :

हमारा अस्तित्व अपने ग्राहकों पर निर्भर है। गेल के बारे में उनके विश्वास और भरोसे तथा हमारे उत्पादों के बारे में उनके विचारों से हमें अपने कारोबार में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। अधिकांश उपभोक्ता यह मानते हैं कि गेल ऐसी कम्पनी है जो सामाजिक

रूप से उत्तरदायी, गुणवत्ता के प्रति सचेत और उपभोक्ताओं पर ध्यान देने वाली है। किंतु 80 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं को हमारी सतत् विकास संबंधी पहलों की जानकारी नहीं थी। हमने इस तथ्य पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है और अपने उपभोक्ताओं के साथ उच्च स्तरीय बातचीत करने की योजना बना रहे हैं ताकि उन्हें गेल की सतत् विकास संबंधी पहलों के बारे में जागरूक किया जा सके। अपने उपभोक्ताओं की ओर से हम गर्व के साथ यह उल्लेख करते हैं कि किसी भी उपभोक्ता ने यह नहीं कहा कि गेल के साथ उसका अनुभव असंतोषजनक रहा है जबकि 64 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं ने 'उत्कृष्ट' अनुभव का उल्लेख किया है। हमारे उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रबंधन पहल, लागत प्रतिस्पर्धा, प्रदान किए गए उत्पाद की विश्वसनीयता, उपभोक्ता संबंध प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एजेंडा, सुदृढ़ वित्तीय निष्पादन, भावी दृष्टिकोण और सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम सुदृढ़ निष्पादन के क्षेत्र हैं। जबकि उनके लिए ऊर्जा संरक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व, उपभोक्ता संतुष्टि, कचरा प्रबंधन, जैव–विविधता, जीवन चक्र मूल्यांकन, वायु उत्सर्जन, अनुसंधान और विकास तथा सतत् विकास जोखिम मानचित्रण ध्यान दिए जाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

गैर–सरकारी संगठन :

गैर–सरकारी संगठन हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदार हैं जो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। हमने अपने प्रचालनों से संबंधित गैर–सरकारी संगठन भागीदारों से बातचीत की है ताकि हमारे साथ कार्य करने के बारे में उनके अनुभव की जानकारी प्राप्त की जा सके और इनकी भागीदारी को अधिक कारगर और कुशल बनाया जा सके। ये गैर–सरकारी संगठन अनेक प्रकार की पहलों के बारे में हमारे साथ कार्य करते हैं जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अवसंरचना विकास इत्यादि से संबंधित होती हैं। हमारे साथ कार्य करने वाले किसी भी गैर–सरकारी संगठन ने असंतोषजनक अनुभव का उल्लेख नहीं किया है जबकि 50 प्रतिशत गैर–सरकारी संगठनों ने गेल के साथ कार्य करने के संबंध में 'उत्कृष्ट' अनुभव का उल्लेख किया है। इन गैर–सरकारी संगठनों ने गेल की इन क्षमताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है :– संसाधनों का उपयुक्त प्रावधान, उपयुक्त रूप से निर्धारित किए गए सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम, पूर्णतः स्पष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यसूची, भावी दृष्टिकोण; सामग्री को संभालने और जानकारी साझा करने की कारगर प्रणाली, अपेक्षाओं और अंतिम परिणामों की कारगर व्याख्या तथा उपयुक्त स्टेकहोल्डर संबंध श्रृंखला।

नीचे दी गई तालिका में स्टेकहोल्डरों के बड़े हिस्से के साथ-साथ इनकी आवृति और शामिल करने की पद्धति सहित इन्हें शामिल करने के लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है :

उपभोक्ता

लक्ष्य	➔ उपभोक्ता अपेक्षाओं की जानकारी प्राप्त करना ➔ उनके संतुष्टि स्तर की जानकारी प्राप्त करना ➔ प्रचालन संबंधी चिंताओं का समाधान करना ➔ नए उत्पाद तैयार करने के बारे में फीडबैक प्राप्त करना
आवृत्ति	वार्षिक, तिमाही
पद्धति	उपभोक्ता बैठकें

सरकार और विनियामक

लक्ष्य	➔ संबंध स्थापित करना ➔ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से निष्पादन का मूल्यांकन करना ➔ प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना ➔ मुख्य निवेश योजनाओं के बारे में विचार–विमर्श करना
आवृत्ति	वार्षिक, मासिक
पद्धति	समझौता ज्ञापन, तिमाही प्रगति रिपोर्ट

उद्योग संघ

लक्ष्य	➔ निष्पादन आंकड़ों को साझा करना ➔ मुख्य निर्णयों और परियोजनाओं के बारे में सूचना प्रदान करना ➔ सम्मेलन और संगोष्ठियों में भाग लेना ➔ सार्वजनिक नीति समर्थन में शामिल होना
आवृत्ति	आवश्यकता आधारित
पद्धति	सम्मेलन, संगोष्ठी, उद्योग प्रदर्शनी, साक्षात्कार

निवेशक

लक्ष्य	➔ निवेशक संबंध प्रबंधन का उद्देश्य घरेलू और वैश्विक बाजार दोनों के अधिक से अधिक निवेशकों तक पहुंचना तथा स्टेकहोल्डरों की समस्याओं के बारे में नियमित अंतराल पर कम्पनी के बारे में वित्तीय और गैर–वित्तीय सूचना का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना है। ➔ कम्पनी के मूल्यों, कारोबार योजना, कार्यनीति, जोखिम, विकास विवरण इत्यादि के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना। ➔ पिछली अवधियों की तुलना में कम्पनी के निष्पादन का विशेष रूप से उल्लेख करना। ➔ अनुपालन, जानकारी प्रदान करने, पारदर्शिता और निगमित नियंत्रण में कम्पनी को अग्रणी कम्पनी के रूप में प्रस्तुत करना। ➔ निवेशक समुदाय को इस संबंध में सूचित करना कि कम्पनी किस कारण से निवेशकों के लिए अपनी धनराशि निवेश करने के लिए बेमिसाल है। ➔ भावी चुनौतियों के संबंध में निवेशकों की चिंताओं का समाधान करना। ➔ निवेशक संबंध स्पष्ट रूप से प्रबंधन और निवेशकों के मध्य सेतु के रूप में कार्य करते हैं। आज के दौर में निवेशक और विनियामक अपेक्षाएं अत्यधिक पारदर्शिता बरते जाने की मांग करते हैं जिसमें यथा–समय और सही–सही सूचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
आवृत्ति	वार्षिक / तिमाही / जब भी आवश्यक हो
पद्धति	वार्षिक आम बैठक, निवेशक बैठक, निवेशक सम्मेलन, सम्मेलन आयोजित करना, वित्तीय सूचना को वेबसाइट पर उपलब्ध कराना

कर्मचारी

लक्ष्य	➔ गेल के कारोबार लक्ष्यों, मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में सूचित करना ➔ मुख्य परियोजनाओं के बारे में कार्य योजना ➔ सर्वोत्तम पद्धतियों को कार्यान्वित करना ➔ अध्ययन और विकास सुविधाओं को सुकर बनाना ➔ पिछले मुख्य कार्य–निष्पादन संकेतक और कार्य योजनाएं ➔ समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनका समाधान करना ➔ विचार के बारे में जानकारी प्राप्त करना, साझा करना और इनसे अनुभव प्राप्त करना
आवृत्ति	वार्षिक, तिमाही, मासिक, दैनिक
पद्धति	संतुष्टि सर्वेक्षण, शिकायत निवारण, सुझाव स्कीमें, सी.एम.डी. ओपन हाउस, विभिन्न समितियां, गेल दिवस समारोह, ई–मेल, पत्र–पत्रिकाएं, कर्मचारी संघों तथा यूनियनों के साथ बैठकें

मीडिया

लक्ष्य	➔ संबंध स्थापित करना ➔ निष्पादन की मुख्य विशेषताओं और सामान्य विशेषताओं का मूल्यांकन करना ➔ क्षेत्र आधारित मुख्य विकास के बारे में विचार
आवृत्ति	आवश्यकता–आधारित
पद्धति	प्रेस बैठकें, साक्षात्कार

गैर-सरकारी संगठन

लक्ष्य	➔ सामाजिक उत्तरदायित्व पहल/परियोजनाओं को निष्पादित करना ➔ गंभीर घटनाओं के संबंध में उनकी चिंताओं की जानकारी प्राप्त करना तथा उनका समाधान करना
आवृत्ति	आवश्यकता–आधारित
पद्धति	परियोजना बैठकें, वार्षिक समीक्षा

आपूर्तिकर्ता

लक्ष्य	➔ प्रचालन संबंधी निर्णयों को सूचित करना ➔ उनके निष्पादन से संबंधित डाटा/सूचना प्राप्त करना ➔ उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना तथा इनका समाधान करना
आवृत्ति	वार्षिक, तिमाही, मासिक, प्रतिदिन

महत्व

हमारे इस मूल्यांकन से सतत् विकास से संबंधित अन्य मुद्दे भी सामने आए हैं तथा हम ऐसा महसूस करते हैं कि इनमें भविष्य में महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में उभरने की संभावित क्षमता है। ये अन्य मुद्दे ऊर्जा संरक्षण, जैव–विविधता, जीवन चक्र मूल्यांकन, अनुसंधान और विकास, सतत् विकास जोखिम मानचित्रण तथा विक्रेता प्रबंधन हैं।

गैस स्रोत :

भारत के तीव्र विकास में ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने से यह निर्धारित होगा कि हम इस विकास में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस देश की ऊर्जा आवश्यकता का महत्वपूर्ण घटक है और इसके पर्यावरण तथा आर्थिक निहितार्थ पर विचार करते हुए यह निःसंदेह अन्य परम्परागत ईंधन के बीच अब भी लोकप्रिय बना हुआ है। इस प्रकार स्रोत से गैस की आपूर्ति जो इसकी गुणवत्ता, यात्रा और लागत अपेक्षाओं को पूरा करती है, गेल के सतत् कारोबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम एशिया में प्राकृतिक गैस संचरण के क्षेत्र में अग्रणी हैं और हम 10,500 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइनों सहित 5 देशों में कार्य कर रहे हैं तथा भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस अन्वेषण तथा उत्पादन के लिए अपने निवेश को कार्यनीतिक रूप से बढ़ाना जारी रखे हुए हैं। एल.एन.जी. ईंधन अथवा गैस का सबसे शुद्ध रूप है और दीर्घकालिक सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए; हम विविध आपूर्ति स्रोतों से एल.एन.जी. की आपूर्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भू–राजनीतिक और मूल्य–निर्धारण जोखिम को कम किया जा सके। गैस का द्रवीकरण करने से कार्बन डाइ ऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी अशुद्धियों के सभी रूप व्यावहारिक रूप से समाप्त हो जाते हैं। हम प्राकृतिक गैस व्यापार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

व्यवसाय विकास :

भारत में पेट्रोलियम के क्षेत्र में किए गए सुधारों से इस क्षेत्र में घरेलू और बहु–राष्ट्रीय कम्पनियों के आने की संभावना बढ़ी है तथा इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। इस प्रकार हमारे प्रचालन लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इससे व्यवसाय विकास इसकी निगरानी तथा समीक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण घटक बन गया है। हमारा पिछला रिकार्ड और सतत् लाभ कमाने की क्षमता के आधार पर गेल में किए जाने वाले निवेश की राशि निर्धारित की जाएगी। प्रत्याशित आय व्यवस्था और विकास कोश, सुदृढ़ और प्रत्याशित नकदी प्रवाह से लाभ और हानि खाते को सुव्यवस्थित रखना, उत्पाद/सेवा मूल्य निर्धारण शक्ति पर नियंत्रण रखने के दृष्टिकोण से बाजार की स्थिति, प्रतिस्पर्धात्मक प्रवेश संबंधी बाधाएं, बाजार हिस्सेदारी के स्तर, मूल्य–दर–आय अनुपात और ई.बी.आई.डी.टी.ए. मुख्य आर्थिक घटक हैं जो कारोबार विकास पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त, के.जी.डी.6 उत्पादन में कमी के कारण प्राकृतिक गैस क्षेत्र और गेल में होने वाले हाल ही के कार्यकलापों, कम–वसूली की उच्च दर में गेल द्वारा की गई हिस्सेदारी, अत्यधिक पूंजीगत लागत और कम भौतिक विकास के कारण प्राप्ति अनुपात में कमी तथा पी.एन.जी.आर.बी. आदेशों के कारण प्रशुल्क में कमी से निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम वैकल्पिक ईंधन के माध्यम से अपनी गैस अवसंरचना से मूल्य प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं और अपने पेट्रो–रसायन उत्पादन में वृद्धि करने पर ध्यान दे रहे हैं। सतत् विकास अपेक्षाएं 2020 के आधार पर तैयार की गई हमारी 2020 कार्यनीति से हमें गेल का तीव्र और सतत् आधार पर विकास करने के लिए आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी।

ग्राहक संतुष्टि :

गेल के गैस उपभोक्ता इसके विद्युत संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों, स्पंज लौह संयंत्रों, सिरामिक टाइल विनिर्माताओं, चाय बागानों, प्रोसेसरों, तेल शोधक कारखानों और कांच विनिर्माताओं जैसे विविध प्रकार के उद्योग हैं। हमारे व्यवसाय के विकास के लिए उनकी विविध प्रकार की अपेक्षाओं को समान रूप से पूरा करना अनिवार्य है। हम अपने उपभोक्ताओं को यथा–समय और वहनीय कीमत पर गुणवत्तामूलक उत्पाद प्रदान करके उन्हें सदैव संतुष्ट रखने का प्रयास करते हैं। हम अपने पूरे कारोबार में

उपभोक्ता संतुष्टि सूची को सुव्यवस्थित रखते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। हमने अपनी पेट्रोकैमिकल विपणन प्रक्रिया में सुदृढ़ उपभोक्ता संबंध प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था कर रखी है और इसे गैस विपण न कारोबार में दोहराया जा रहा है। हम प्रत्येक उपभोक्ता के फीडबैक को सदैव बेहतर तरीके से रखते हैं और उनकी शिकायतों, समस्याओं और चिंताओं का समाधान करने के लिए कारगर प्रणाली की व्यवस्था कर रखी है। इनमें उपभोक्ता संबंध मॉड्यूल, वित्तीय संव्यवहार पर निगरानी रखने के लिए ई–लेखा बही तथा उपभोक्ता मूल्य प्रबंधन कार्यक्रम शामिल हैं। जबकि आंशिक रूप से हमारा विकास मानदंड़ों, प्रक्रिया–विधियों का अनुपालन करने और अपने कारोबार पर नैतिक मूल्यों के साथ ध्यान देने के कारण हुआ है तथापि इसका वास्तविक श्रेय निःसंदेह हमारे उपभोक्ताओं को जाता है जिन्होंने हम पर अपना विश्वास व्यक्त किया है।

सुरक्षा और सावधानी :

हमारे कारोबार का स्वरूप इस प्रकार है कि हमें अपने समग्र प्रचालनों में कठोर सुरक्षा प्रक्रिया–विधि अपनानी पड़ती है। हम इस बात के प्रति सचेत हैं कि हमारा यह उत्तरदायित्व है कि सभी प्रासंगिक स्टेकधारकों के लिए सुरक्षित और बेहतर कार्य–दशाएं बनाई रखी जाएं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित कर्मचारियों का उच्च मनोबल और उनकी उत्पादन क्षमता बनाए रखने तथा घरेलू बाजार में अलग पहचान रखने वाला कारोबारी बनने के लिए यथा–समय संभावित क्षमता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे द्व ारा पूरे देश में बड़े पैमाने पर कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं और ओ. एण्ड एम. कार्यकलापों तथा हमारे कारोबार प्रचालनों से सम्बद्ध आंतरिक खतरों पर विचार करते हुए यह समीचीन है कि सभी सुरक्षा दिशा–निर्देशों और विनियमों का अनुपालन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम सुरक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं और हमारे सभी प्रचालन स्थलों पर अद्यतन विशेषज्ञता से युक्त सुरक्षा प्रणालियों की व्यवस्था की जाती है तथा वहां प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए जाते हैं ताकि किसी बाह्य अथवा आंतरिक चुनौती से बचा जा सके और निपटा जा सके। हमारी अधिकांश परिसम्पत्तियां राष्ट्रीय महत्व की हैं और इनके सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक परिणाम होते हैं। चूंकि ये स्थापना और पाइपलाइन प्रदर्शन, धरना इत्यादि की समस्याओं का सामना करती हैं और इन पर आंतकवादी हमले की भी संभावना रहती है इसलिए हमने प्रौद्योगिकी तथा मानव उपायों के माध्यम से इनकी सुरक्षा करने के लिए भारी निवेश करने का कार्य जारी रखा है।

जलवायु परिवर्तन :

जलवायु परिवर्तन गेल के लिए कारोबार अवसर है। हम ऊर्जा को अपेक्षाकृत स्वच्छ रूप में प्रदान करने के कारोबार में हैं और इसलिए हम अंतिम प्रयोक्ता को अपना जी.एस.जी. उत्सर्जन कम करने में सहायता कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा स्वेच्छा से उत्सर्जन कम करने संबंधी लक्ष्यों को स्वीकार करने से भावी जलवायु परिवर्तन संबंधी निहितार्थ हमारे प्रचालनों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेंगे। जलवायु परिवर्तन हमारी सतत् विकास अपेक्षाएं 2020 का अभिन्न भाग हैं और हम ऊर्जा कुशलता बढ़ाने तथा ऊर्जा उपयोग को औचित्यपूर्ण बनाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम अपने स्वयं के प्रचालनों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं तथा अन्य प्रचालनों के लिए इसे उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे सुदृढ़ पवन ऊर्जा पोर्टफोलियो और बढ़ते सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो से यह तथ्य सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए अगले उपाय के रूप में हम लैण्डफिल गैस के परिवर्तन और कार्बन डाइ ऑक्साइड गैस के उपयोग की अनुसंधान और विकास परियोजना पर भी ध्यान दे रहे हैं।

कुशल जनशक्ति की उपलब्धता :

तेल और गैस क्षेत्र में उच्च विशेषज्ञता आधारित रोजगार के लिए उपयुक्त रूप से ज्ञान, कौशल, प्रवृत्ति तथा व्यावहारिक जानकारी रखने वाले योग्य कार्मिकों को प्राप्त करने की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। यह प्रासंगिक है कि हमें अपने विकास को गति प्रदान करने के लिए सही प्रतिभा को प्राप्त करना चाहिए और उन्हें अपना चहुंमुखी विकास करने के लिए उपयुक्त जानकारी तथा अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। हमने अपने व्यक्तियों और सम्बद्ध व्यक्तियों तथा मुख्य सुविधा प्रदाताओं को अपनी रूपांतर कार्यसूची में सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है ताकि ये 2020 लक्ष्यों को हासिल करने में हमारी सहायता कर सकें। हमने अपने कर्मचारियों और सम्बद्ध व्यक्तियों को ऐसा कार्य माहौल प्रदान किया है जो निष्पक्ष और औचित्यपूर्ण है तथा जो उपयुक्त कार्य जीवन संतुलन को प्रोत्साहित करता है। हमारी मानव संसाधन नीतियां, प्रणालियां और प्रक्रियाएं इस प्रकार की हैं कि ये हमारे कर्मचारियों और सम्बद्ध व्यक्तियों को नवाचारी कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं और उनकी वास्तविक संभावित क्षमता का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती हैं। इसके साथ–साथ हम कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य, शिकायत निवारण, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचार और कार्रवाई पारदर्शिता, समान आचरण संहिता तथा समान और औचित्यपूर्ण व्यवहार सहित सभी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने को भी उचित महत्व देते हैं।

सतत् विकास कार्यनीति

उत्तरदायी कॉरपोरेट नागरिक के रूप में हम कम कार्बन उत्सर्जन अर्थव्यवस्था और सतत् विकास का मार्ग तैयार करने में योगदान करने की योजना बनाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने नवीकरणीय जैसे विभिन्न कारोबार भाग निर्धारित किए हैं।

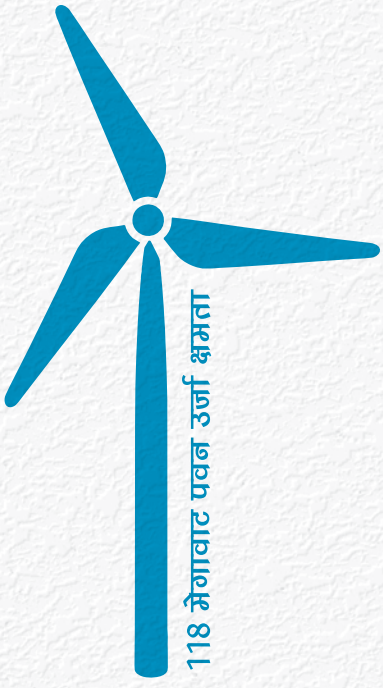

पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हमने अगले पांच वर्षों में 500 मेगावाट पवन विद्युत क्षमता प्राप्त करने की योजना बनाई है जिसमें से गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में 118 मेगावाट क्षमता शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में 5 मेगावाट क्षमता की परियोजना स्थापित की गई है और हमने आगामी वर्षों में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई है।

हमारा ऐसा विश्वास है कि प्रौद्योगिकी ध्यान देने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा, जो अवसर प्रदान करती है और भविष्य में इसकी विपुल संभावनाएं हैं। यह प्रचालनों और प्रक्रियाओं में संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने में सहयोग कर सकती है। हम अपने यथा–निर्धारित विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अनुरूप अनुसंधान और विकास पर ध्यान देते हैं। हम सक्रिय रूप से ऐसी प्रौद्योगिकियों की संभावना का पता लगा रहे हैं जो ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि करने और इस प्रकार भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा के विभिन्न वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने में सहायता कर सकें।

सतत् विकास अपेक्षाएं 2020

हम यह महसूस करते हैं कि हमें अपने सतत् विकास निष्पादन को बेहतर बनाए रखने के लिए यह लक्ष्य पर्याप्त है।

प्रारंभ में हम सतत् विकास कार्यनीति के लिए अपने चरणबद्ध दृष्टिकोण के रूप में अभिनिर्धारित प्राथमिकता आधारित क्षेत्रों में ठोस लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। ये सतत् विकास अपेक्षाएं वास्तविक कार्यान्वयन सहित संबंधित आंतरिक और बाह्य स्टेकहोल्डरों के साथ गहन परामर्श के बाद तैयार की गई थीं और बाद में प्रबंधन द्वारा अनुमोदित की गई थी। इन अपेक्षाओं में उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिन्हें हम सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे और सुपरिभाषित वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इसकी शुरूआत करने के लिए हमने अपने जी.एच.जी. गहनता, जल गहनता, विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने और बेकार पानी को रीसाइकल करने तथा सतत् विकास के रूप में जागरूकता बढ़ाने के पहलुओं का चयन किया है। हम स्वयं द्वारा पिछले दो वर्षों में हासिल की गई प्रगति को पारदर्शी रूप से साझा करना चाहेंगे :

सतत् विकास का महत्वपूर्ण क्षेत्र	जी.एच.जी. उत्सर्जन गहनता में कमी (स्कोप 1 और स्कोप 2)
अपेक्षाएं 2020	आधार वर्ष (वित्त वर्ष 2010–11) की तुलना में जी.एच.जी. उत्सर्जन गहनता में 30 प्रतिशत (कुल जी.एच.जी. उत्सर्जन/सकल विक्रय) कमी करना।
कार्य योजना	➔ प्रक्रिया को इष्टतम बनाना ➔ आई.एस.ओ. 14064 जी.एच.जी. प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना ➔ अपने प्रचालनों में फ्युजीटिव उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों की वेंटिंग में कमी करना ➔ अपने प्रचालनों से जी.एच.जी. उत्सर्जन को अलग करने के लिए वनरोपण करना

जीएचजी गहनता

वर्ष 2012-13 तक प्रगति (सीओ2ई/करोड़ में)

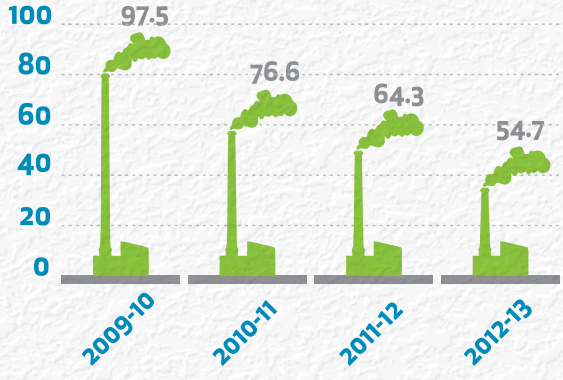

आधार वर्ष से 28.65 प्रतिशत कमी का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

सतत् विकास का महत्वपूर्ण क्षेत्र	ऊर्जा कुशलता
अपेक्षाएं 2020	आधार वर्ष (वित्त वर्ष 2010–11) की तुलना में विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत में 5 प्रतिशत कमी करना
कार्य योजना	➔ एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना ➔ कारपोरेट और कार्यस्थल स्तर पर आंतरिक ऊर्जा जांच समूहों की व्यवस्था करना ➔ ऊर्जा जांच पर विशेष ध्यान देना ➔ ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाना ➔ नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना ➔ फ्लेयर और फ्लेयर गैस वसूली में कमी करना

विशिष्ट ऊर्जा खपत

वर्ष 2012-13 तक प्रगति (एल.एच.सी. और पी.सी. के जी.जे./मी.टन में)

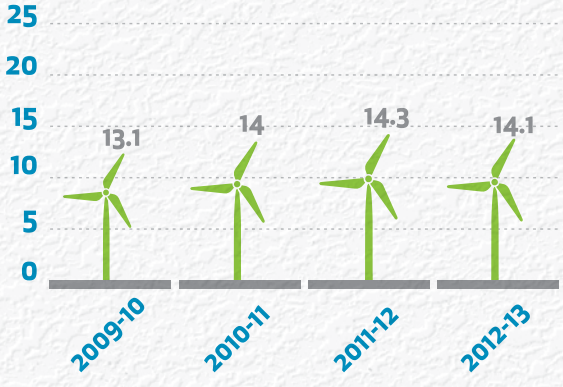

आधार वर्ष से 0.9 प्रतिशत वृद्धि।

सतत् विकास का महत्वपूर्ण क्षेत्र	ताजे पानी की खपत तथा बेकार पानी को रिसाइकल करना
अपेक्षाएं 2020	आधार वर्ष (वित्त वर्ष 2010–11) की तुलना में पानी की गहनता (कुल खपत/सकल विक्रय) में 45 प्रतिशत कमी करना आधार वर्ष (वित्त वर्ष 2010–11) में बेकार पानी को रीसाइकल करने के मौजूदा 45 प्रतिशत स्तर में 5 प्रतिशत वृद्धि करना
कार्य योजना	➔ सभी प्रचालन यूनिटों में सक्षम जल लेखांकन प्रणालियां स्थापित करना ➔ संयंत्र प्रक्रिया अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए शोधित बेकार पानी के उपयोग पर विशेष ध्यान देना ➔ सभी कार्यस्थलों पर वर्षा जल संचयन के कार्य में गति लाना ➔ सुधार, अवसर और हानि को कम से कम करने के लिए प्रभावी जल लेखा–परीक्षा करना

वर्ष 2012-13 तक प्रगति (एम3/करोड़ तथा प्रतिशत में)

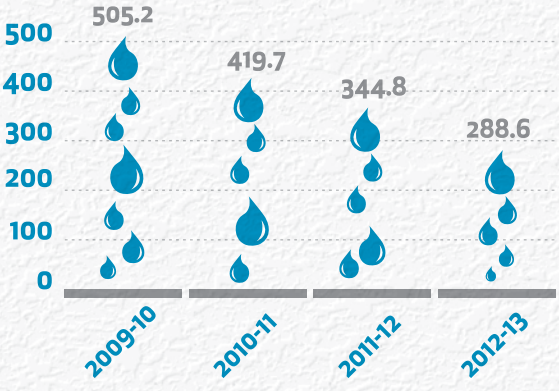

आधारवर्ष से 31.2 प्रतिशत कमी।

वर्ष 2012-13 तक प्रगति (एम3/करोड़ तथा प्रतिशत में)

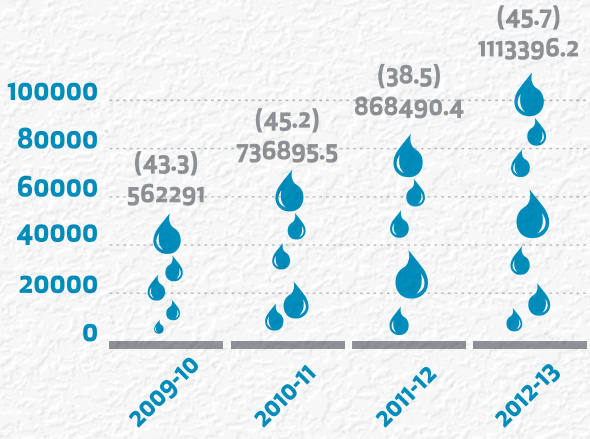

आधार वर्ष से 0.5 प्रतिशत की वृद्धि।

सतत् विकास का महत्वपूर्ण क्षेत्र	सतत् विकास के संबंध में जागरूकता पैदा करना
अपेक्षाएं 2020	हम अपने सभी कर्मचारियों को सतत् विकास के संबंध में जागरूक बनाएंगे
कार्य योजना	➔ संगठन–वार सतत् विकास प्रशिक्षण आवश्यकता अभिनिर्धारण कार्यक्रम ➔ कार्यपालक और गैर–कार्यपालक कर्मचारियों के लिए सतत् विकास प्रशिक्षण कलैण्डर ➔ सतत् विकास के संबंध में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम ➔ कम्पनी में आने वाले नए कर्मचारियों को शामिल करने के दौरान अनिवार्य सतत् विकास मॉड्यूल
वर्ष 2012-13 तक प्रगति	दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार इस कार्यक्रम में लगभग 30 प्रतिशत कर्मचारियों को शामिल कर लिया गया है

बेहतर निष्पादन प्रबंधन और जवाबदेही की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विभागाध्यक्ष और संबंधित निदेशक के मध्य किए गए आंतरिक समझौता–ज्ञापन के माध्यम से अलग–अलग विभाग स्तर पर इन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। इससे प्रबंधन की ओर से सतत् विकास अपेक्षाएं 2020 को हासिल करने के लिए इसे प्रदान किए गए महत्व तथा गंभीरता का पता चलता है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमने सतत् विकास के अन्य पहलुओं के लिए भी अपेक्षाएं निर्धारित करने की योजना बनाई है।

7th Asia
Gas Partnersh
Summit 2012

शेयरधारक / निवेशक

गेल में निवेशक संबंध सतत् कार्यकलाप है जिसमें हम मौजूदा शेयरधारक, संभावित निवेशक, विश्लेषकों और मीडिया सहित अपने निवेशक समुदाय के साथ अपने समग्र प्रचालनों को विनियामक तथा स्वैच्छिक कार्यकलापों से संबंधित मामलों पर विचार–विमर्श करते हैं।

निवेशकों, कम्पनी समाचार, वरिष्ठ प्रबंधन की प्रेस बैठकों, वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइट के साथ–साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकों के माध्यम से यह सम्प्रेषण होता है। इसके पीछे यह विचार है कि स्टेकहोल्डरों के साथ सूचना को पारदर्शी तरीके से साझा किया जाए ताकि वे हमारे कारोबार, शासन, वित्तीय/गैर–वित्तीय निष्पादन तथा परियोजनाओं के बारे में व्यापक समझबूझ प्राप्त कर सकें। सतत् आधार पर चलाए जा रहे महत्वपूर्ण निवेशक संबंध कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि इससे हम निवेशक समुदाय को नैतिक और अन्य मूल्यों के संबंध में समझौता किए बिना सावधानीपूर्वक निवेश निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं।

गेल के निवेशक संबंध कार्य के तहत आयोजित किए गए कुछ मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

- हमारे मूल्यों, कारोबार योजना, कार्यनीति, जोखिम और विकास विवरण को स्पष्ट रूप से सूचित करना।
- प्रतिस्पर्धा की तुलना में हमारे निष्पादन का विशेष रूप से उल्लेख करना।
- अनुपालन, जानकारी प्रदान करने, पारदर्शिता और कारपोरेट शासन से संबंधित गेल के कार्यकलापों को प्रदर्शित करना।
- निवेशक समुदाय को यह सूचित करना कि हमारे ऊपर विश्वास करने और अपनी राशि का निवेश करने के लिए गेल किस प्रकार बेमिसाल है।
- भावी चुनौतियों के संबंध में निवेशकों की समस्याओं का समाधान करना।
- प्रबंधन और निवेशकों के बीच सेतु के रूप में कार्य करना।
- वास्तविक सूचना का यथा–समय प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।

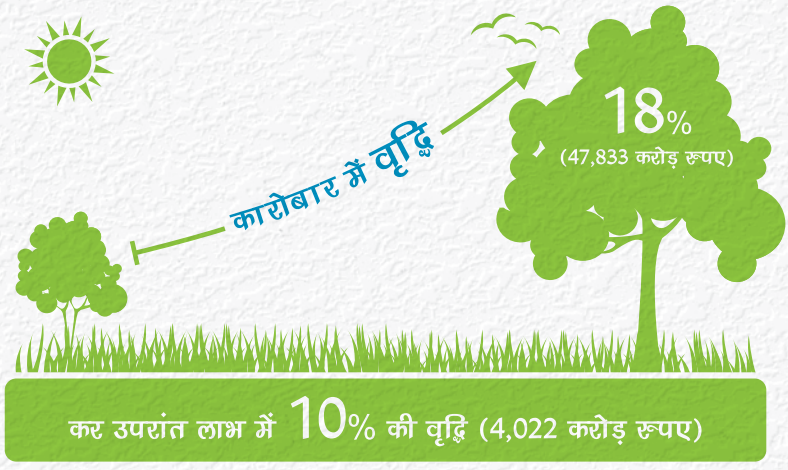

व्यवसाय विकास

सरकारी सहायिकी से बढ़ते दबाव और पाइपलाइन में उत्पन्न होने वाली कमियों के बावजूद इस वर्ष में गेल का कारोबार 18 प्रतिशत बढ़कर 47,333 करोड़ भारतीय रुपए और कर पश्चात लाभ 10 प्रतिशत बढ़कर 4,022 करोड़ भारतीय रुपए हो गया है। औसत विनिमय दर में वृद्धि वित्त वर्ष 2011–12 में लगभग 47 रुपए प्रति अमरीकी डालर से वित्त वर्ष 2012–13 में 54 रुपए प्रति अमरीकी डालर होने के संदर्भ में अधिक विक्रय किया गया है और स्थल पर एल.एच.सी. तथा पेट्रोकैमिकल उच्च मूल्य प्राप्त करने के कारण यह वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त हमने आर्थिक मूल्य (अर्जित किए गए आर्थिक मूल्य में से वितरित किए आर्थिक मूल्य को घटाकर गणना की गई है) 27306 मिलियन रुपए बनाए रखा।

(मिलियन भारतीय रुपए में)

क. अर्जित किया गया आर्थिक मूल्य	**483572**
→ प्रचालन से निवल विक्रय/आय	474027
→ अन्य प्रचालन आय	1900
→ अन्य आय	7645
ख. वितरित आर्थिक मूल्य	**456266**
→ प्रचालन लागत	410649
→ कर्मचारियों का वेतन और अन्य लाभ	10674
→ पूंजी प्रदाताओं को भुगतान	17240
→ सरकार को भुगतान	17056
→ सी.एस.आर. पहल	647
धारित आर्थिक मूल्य (क-ख)	**27306**

दाभोल, महाराष्ट्र में एलएनजी टर्मिनल

निधि प्रबंधक, विश्लेषक और निवेशक हमारे कारोबार के आयामों जिनमें हम प्रचालन करते हैं, के बारे में और विशेष रूप से भविष्य में गेल के संभावित विकास के बारे में समझना चाहते हैं। हमारा पिछला रिकार्ड और सतत् रूप से लाभ कमाने की क्षमता के स्तर यह निर्धारित करेंगे कि कोई निधि प्रबंधक गेल में कितना निवेश करेगा। प्रत्याशित आय व्यवस्था और विकास कोष, सुदृढ़ और प्रत्याशित नकदी प्रवाह से लाभ और हानि खाते को सुव्यवस्थित रखना, उत्पाद/सेवा मूल्य निर्धारण शक्ति पर नियंत्रण रखने के दृष्टिकोण से बाजार की स्थिति, प्रतिस्पर्धात्मक प्रवेश संबंधी बाधाएं, बाजार हिस्सेदारी के स्तर, मूल्य–दर–आय अनुपात और ई.बी.आई.डी.टी.ए. मुख्य आर्थिक घटक हैं जो निवेशकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। के.जी.डी.6 उत्पादन में कमी के कारण प्राकृतिक गैस क्षेत्र और गेल में होने वाले हाल ही के कार्यकलापों, कम–वसूली की उच्च दर में गेल द्वारा की गई हिस्सेदारी, अत्यधिक पूंजीगत लागत और कम भौतिक विकास के कारण प्राप्ति अनुपात में कमी तथा पी.एन.जी.आर.बी. आदेशों के कारण प्रशुल्क में कमी से गेल के अल्पकालिक निष्पादन के प्रति कुछ अविश्वास आया है। इस वर्ष इससे गेल के शेयर मूल्य निष्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कारोबार के विकास को सुनिश्चित करने के लिए गए कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :–

➔ एल.एन.जी. आयात को सुनिश्चित करना

हम स्पॉट कार्गों के माध्यम से आयात करके भारत में प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कठोर प्रयास करते रहे हैं। इस वर्ष के दौरान हमने मिस्र, कतर, यमन, स्पेन से 11 कार्गों का आयात किया और इस प्रकार 0.62 एम.एम.टी.पी.ए. एल.एन.जी. गैस प्राप्त की। अल्पकालिक और मध्यकालिक अवधि के लिए गेल ने 4.9 एम.एम.एस.सी.एम.डी. प्राकृतिक गैस के लिए मारूबेनी, जी.डी.एफ. स्वेज और जी.एन.एफ. के साथ करार सम्पन्न किए हैं। दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम

भू–राजनीतिक और मूल्य निर्धारण जोखिम को कम से कम करने के लिए विविध आपूर्ति स्रोतों से एल.एन.जी. आपूर्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तदनुसार, हमने 20 वर्ष की अवधि में कुल 6 एम.एम.टी.पी.ए. (अमेरिका से 3.5 एम.एम.टी.पी.ए. और रूस से 2.5 एम.एम.टीपी.ए.) आपूर्ति प्राप्त करने के लिए दो संविदा सम्पन्न की हैं। इसके अतिरिक्त हमने 30 वर्ष की अवधि में तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत (टी.ए.पी.आई.) के माध्यम से 38 एम.एम.एस.सी.एम.डी. प्राकृतिक गैस का आयात करने के लिए तुर्कमेन गैस के साथ गैस विक्रय करार सम्पन्न किया है।

➔ पुनः गैसीकरण करने की क्षमता प्राप्त करना

हम भारत के पूर्वी–तटीय क्षेत्र में अपतटीय फ्लोटिंग स्टोरेज और पुनः गैसीकरण टर्मिनल (एफ.एस.आर.यू.) स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। हम इस समय इस परियोजना को स्थापित करने के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन कर रहे हैं। जनवरी 2013 में हमने महाराष्ट्र राज्य के दाभोल में 5 एम.एम.टी.पी.ए. पुनः गैसीकरण टर्मिनल शुरू किया है जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। इसके निहितार्थ मानवीय हैं क्योंकि यह अधिक मात्रा में एल.एन.जी., जहाजरानी व्यवस्था, अपस्ट्रीम परिसम्पत्ति अधिग्रहण और इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था करेगा ताकि गेल को अन्य पुनः गैसीकरण अवसरों का तेजी से पता लगाने

में तथा प्रभावशाली प्राकृतिक गैस वैश्विक कंपनी के रूप में उभरने में विशेषता हासिल हो। इसके साथ–साथ हम आंध्र प्रदेश राज्य के काकीनाडा में 3.5 एम.एम.टी.पी.ए.–एफ.एस.आर.यू. क्षमता को शुरू करने की भी योजना बना रहे हैं ताकि पूर्वोत्तर तट सहित इस राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

➔ प्लास्टिक पार्क, औरैया

गेल ने औरैया, उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पार्क विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यू.पी.एस.आई.डी.सी.) के साथ दिनांक 5 सितम्बर, 2012 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्लास्टिक प्रसंस्करण यूनिटों के लिए औद्योगिक पट्टी स्थापित करने की इस पहल से इस क्षेत्र के चहुंमुखी आर्थिक विकास को अपेक्षित गति मिलेगी। इस औद्योगिक पट्टी के लिए निर्धारित किया गया कुल क्षेत्र लगभग 314 एकड़ है और यू.पी.एस.आई.डी.सी. जमीन और इसके विकास की लागत के लिए पर्याप्त निवेश कर रहा है। औद्योगिक यूनिटों के विकास और प्रगति के लिए गेल प्रतिस्पर्धी बाजार मूल्य पर कच्चे माल की नियमित आपूर्ति के लिए योगदान करेगा, प्लास्टिक प्रोसेसर और पॉलीमर वेयरहाउस की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा ताकि इन औद्योगिक यूनिटों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस प्लास्टिक पार्क में आकर्शक दरों पर जमीन, सड़क परिवहन व्यवस्था, जल आपूर्ति और पर्याप्त सुरक्षा तथा सावधानी बरतने सहित समग्र आधारभूत अवसंरचना की व्यवस्था यू.पी.एस.आई.डी.सी. करेगा। अखिल भारतीय प्लास्टिक विनिर्माता संघ (ए.आई.पी.एम.ए.) के माध्यम से इस पार्क में उद्यमियों का विशेष आमंत्रण सुनिश्चित करेंगे।

गेल के प्रत्येक कारोबार खंड में निष्पादन के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं :

एन.जी. संचरण और व्यापार

हमारी व्यापक पाइपलाइन कवरेज, अंतिम स्थान तक कनेक्टिविटी और आर.एल.एन.जी. की बढ़ती मांग के कारण गेल भारत में लगभग 75 प्रतिशत गैस संचरण कारोबार तथा लगभग 60 प्रतिशत गैस व्यापार कारोबार को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त पाइपलाइन विस्तार के लिए किए जा रहे सक्रिय प्रयासों से भारत में गैस और एलएनजी की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने में

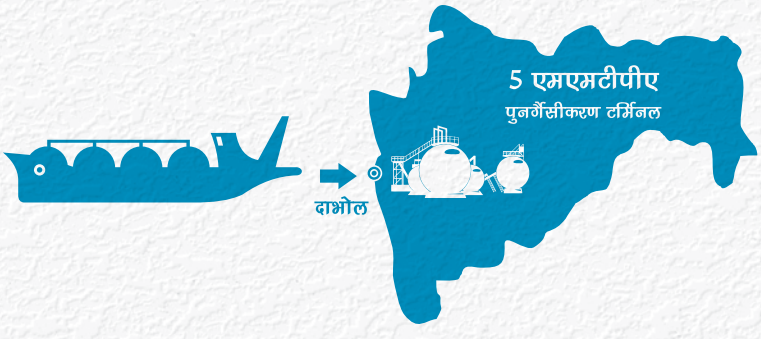

सहायता मिली है। गैस के साथ–साथ एल.एन.जी. की बढ़ती मांग के अनुरूप नियंत्रित मूल्य निर्धारण प्रणाली के कारण हमारा ट्रेडिंग कारोबार सुदृढ़ विकास का साक्षी रहा है। इस वर्ष गेल ने अमेरिका में कोव प्वाइंट एल.एन.जी. द्रवीकरण टर्मिनल परियोजना में 2.3 एम.एम.टी.पी.ए. द्रवीकरण क्षमता की प्रतिबद्धता के लिए अमेरिका की डोमिनियन कोव प्वाइंट एल.एन.जी. एल.पी. के साथ टर्मिनल सेवा करार (टी.एस.ए.) सम्पन्न किया है। गेल ने एल.एन.जी. आधारित 5.8 एम.एम.टी.पी.ए. का एक समझौता हैनरी हब मूल्य निर्धारण के साथ सम्पन्न किया है जो उत्तरी अमेरिका में किसी अकेली कम्पनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा समझौता है। जी.डी.एफ., गेजप्रोम, जी.एन.एफ. और शेनिअर के साथ आर.एल.एन.जी. की आपूर्ति के लिए हमारा अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक संघ भारत में आर.एल.एन.जी. की आपूर्ति सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। हमें अगले पांच वर्षों में इसी प्रकार के और एल.एन.जी. आयात करार किए जाने की आशा है जिससे वर्ष 2018–19 तक नई पाइपलाइनों के उपयोग में 55 से 60 प्रतिशत सुधार होगा।

चूंकि पी.एन.जी.आर.बी. ने मुख्य पाइपलाइनों के प्रशुल्क को अनुमोदित कर दिया है इसलिए घरेलू गैस की आशा से अधिक तेज आपूर्ति के कारण संचरण कारोबार में कम विनियामक जोखिम है और सरकार की ओर से डाउनस्ट्रीम तेल क्षेत्र में सुधारों को कार्यान्वित करने से निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अंतत दाभोल टर्मिनल शुरू किए जाने से हमने 4 एम.एम.एस.सी.एम.डी. अधिक एल.एन.जी. संविदा सम्पन्न करनी शुरू कर दी है जिससे अधिक मात्रा में संचरण होगा तथा अधिक आय होगी। यद्यपि भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है फिर भी कुछ ऐसे घटक हैं जिनसे विकास की गति को धीमी होने की संभावना है। हमारी ओर से वर्ष 2015–16 तक 228 एम.एम.डी.सी.एम.डी. तक संचरण क्षमता का विस्तार करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बावजूद गैस के घरेलू उत्पादन में कमी और एल.एन.जी. आयात में कमी होने का परिणाम कम पाइपलाइन उपयोग हो सकता है। विनियामकों की ओर से प्रशुल्क में कमी करने और अधिक प्रशुल्क के लिए की गई प्रतिपूर्ति का भी प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने और विस्तार परियोजनाओं को पूरा किए जाने में विलम्ब से वित्तीय आधारभूत स्थिति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

द्रवित हाइड्रोकार्बन

हम तेल विपणन कम्पनियों द्वारा डीजल, मिट्टी के तेल और एल.पी.जी. जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय पर व्यय की गई राशि तथा सरकारी और अन्य सरकारी स्वामित्व वाली ओ.एन.जी.सी. तथा ऑयल इण्डिया लिमिटेड जैसी अपस्ट्रीम कम्पनियों की कम वसूली के भाग को वहन करते हैं। अपस्ट्रीम की कम्पनियों के बीच सहायिकी की हिस्सेदारी का तंत्र तदर्थ है और यह सरकार की वित्तीय स्थिति, कम वसूली की सीमा और तेल विपणन कम्पनियों की हानि को वहन करने क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो किसी निवेश के लिए गंभीर बाधा बन जाता है। तेल उद्योग की समग्र कम वसूली राशि अत्यधिक होने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की सरकार की उच्च प्राथमिकता के कारण अपस्ट्रीम कम्पनियां इस वर्ष अत्यधिक सहायिकी हिस्से को वहन करने में सक्षम नहीं हैं। सहायिकी में हिस्सेदारी के लिए अपस्ट्रीम कम्पनियों का हिस्सा वित्त वर्ष 2008 में 33 प्रतिशत था जो वित्त वर्ष 2013 में बढ़कर लगभग 37 प्रतिशत हो गया है। सरकार द्वारा सहायिकी आधारित एल.पी.जी. सिलैण्डरों की अधिकतम संख्या निर्धारित किए जाने से कम वसूली की राशि में कमी होने की संभावना है तथापि इसका पूरा लाभ सरकार के सहायिकी हिस्सेदारी सूत्र के आधार पर वित्त वर्ष 2013–14 में ही प्राप्त होगा।

कैमिकल

हमारे पाता में 450,000 टी.पी.ए. के नियोजित विस्तार में गेल का अधिक लाभ कमाने वाला उद्यम बनने की संभावित क्षमता है। पेट्रोकैमिकल के क्षेत्र में अत्यधिक भावी विकास से हम एशिया में सबसे अधिक पेट्रोकैमिकल लाभ कमाने वाली कम्पनी बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ऑयल इण्डिया के साथ संयुक्त उद्यम (गेल की 70 प्रतिशत हिस्सेदारी) में असम के 280 के.पी.टी.ए., एन.आर.एल. (नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड) और असम सरकार तथा ओ.एन.जी.सी. की 1.1 एम.एम.पी.टी.ए.–ओ.पी.ए.एल. (ओ.एन.जी.सी. पेट्रो एडिशंस लिमिटेड) में 38 प्रतिशत विपणन हिस्सेदारी से हमें भारत के कैमिकल कारोबार में अधिक बाजार हिस्सेदारी प्राप्त होगी।

हम अपने पेट्रोकैमिकल संयंत्र के लिए फीडस्टॉक के रूप में पन्ना–मुक्ता–ताप्ती क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। चूंकि गैस का मूल्य नियत होता है इसलिए हम उच्च प्रचालन उपयोग करते हैं और पॉलीइथिलीन के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में किसी वृद्धि अथवा कमी का प्रभाव सबसे निचले स्तर तक पड़ता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि गैस की लागत नाफ्था (अन्य उत्पादनकर्ता द्वारा उपयोग की गई) की लागत से एक–तिहाई से भी कम होती है इसलिए हमारा ई.बी.आई.टी.डी.ए. लाभ अन्य कारोबारियों की अपेक्षा लगभग 30 प्रतिशत अधिक होता है। तथापि हम अपने नए विस्तार से अपनी गैस अपेक्षा को दोगुना कर लेंगे। प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में कमी होने के कारण इसके बजाय एल.एन.जी. का उपयोग करने से हमारी लाभ कमाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसकी कम मांग और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी होने से हमारे लाभ पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

एल.पी.जी. संचरण

वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान पी.एन.जी.आर.बी. ने दिनांक 06.03.2012 से लागू रेल प्रशुल्क के आधार पर दिनांक 20.12.2012 से एल.पी.जी. प्रशुल्क को संशोधित किया था। इससे जे.एल.पी.एल. के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए और वी.एस.पी.एल. के लिए 3.5 करोड़ रुपए का सकारात्मक प्रभाव एल.पी.जी. पाइपलाइन प्रशुल्क राजस्व पर पड़ा है।

नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केन्द्रित करना

जलवायु परिवर्तन गेल के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम वर्ष 2008 में शुरू की गई भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) का समर्थन करते रहे

गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ट्रांस नेशनल गैस पाइपलाइन के दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए–सभी के लिए फायदे का सौदा

हैं। अब चूंकि भारत ने स्वेच्छा से अपनी कार्बन उत्सर्जन गहनता में वर्ष 2005 की उत्सर्जन गहनता से वर्ष 2020 तक 20 से 25 प्रतिशत तक कमी करने की प्रतिबद्ध ता (प्रति जी.डी.पी. यूनिट उत्सर्जित जी.एच.जी.) व्यक्त की है इसलिए इस प्रतिबद्धता में योगदान करने के लिए हमने अपनी स्वयं की कार्य–योजना तैयार की है। प्राकृतिक गैस जो अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन है, के अतिरिक्त हमने पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन में भी सफल उद्यम किया है।

हमने गुजरात में पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करके वर्ष 2010 में पवन ऊर्जा उत्पादन शुरू किया है। पिछले कुछ वर्षों में हमने अपने पवन ऊर्जा पोर्टफोलियो को 118 मेगावाट तक बढ़ा लिया है जिसमें से 14.7 मेगावाट गुजरात राज्य में और 98.75 मेगावाट कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में है तथा इसके लिए हमने 700 करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश किया है। अद्यतन स्थिति के अनुसार हमने लगभग 34 मिलियन के.डब्ल्यू.एच. पवन ऊर्जा तैयार की है जो लगभग 26,520 टन कार्बन डाइ ऑक्साइड की बचत के बराबर है।

इस वर्ष हमने अपने प्रथम पी.वी. आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र को राघवा ग्राम, जिला जैसलमेर (राजस्थान) में शुरू किया है जिसकी क्षमता 5 मेगावाट है। हम इसके द्वारा तैयार की गई ऊर्जा का कम्पनी के साथ सम्पन्न किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पी.पी.ए.) के अनुसार एन.वी.वी.एन. (एन.टी.पी.सी. विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड) को निर्यात करते हैं। इस संयंत्र को 51.0 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया था। वर्ष 2012–13 के दौरान तैयार की गई और एन.वी.वी.एन. को निर्यात की गई कुल विद्युत 8,38,581 यूनिट थी और इससे लगभग 78 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। इस वर्ष तैयार की कुल सौर ऊर्जा से लगभग 654 टन कार्बन डाइ ऑक्साइड की बचत हुई है।

सामाजिक योगदान

- शुरू से ही हमारा ध्यान न केवल अपने शेयरहोल्डरों के लिए मूल्य अर्जित करने पर रहा है अपितु हमने सदैव अपने प्रचालन के ''स्थानों'' के विकास में भी मुख्य योगदान किया है। इसे कम्पनी की समुदाय–केन्द्रित सी.एस.आर. पहलों में दर्शाया गया है। ऐसी पहल जो हमने समाज के सशक्तिकरण के लिए कार्यान्वित की है, का विस्तृत उल्लेख समुदाय भाग में किया गया है। वित्त वर्ष 2012–13 में गेल ने विभिन्न सी.एस. आर. पहलों के लिए 92.19 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता व्यक्त की है जिनमें स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका अर्जन करने, शिक्षा, सामुदायिक विकास, अवसंरचना, पेयजल और साफ–सफाई तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सी.एस.आर. के लिए संस्वीकृत की गई कुल राशि में से सामुदायिक विकास और अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं में 30 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि निवेश की गई है। हमने राष्ट्रीय विकास तथा बेहतरी के लिए भी निम्नलिखित के माध्यम से योगदान करना जारी रखा है :–
- भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को अपने गैस पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों तक पहुंच प्रदान करना।
- भारत में उच्च स्तर का स्टील उद्योग तैयार करना।
- एल.पी.जी. के सड़क परिवहन को प्रतिस्थापित करना।
- सी.एन.जी. के रूप में स्वच्छ ईंधन प्रदान करके शहरों में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना तथा इस प्रकार डीजल और मोटर स्प्रिट को प्रतिस्थापित करना।
- फ्लेयरिंग से होने वाले जी.एच.जी. उत्सर्जन को कम करना।

हमारा वर्ष 2012–13 का समझौता–ज्ञापन

सरकार और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के मध्य समझौता–ज्ञापन लिखित दस्तावेज़ है, जिसमें करार के उद्देश्यों तथा दोनों पक्षों के दायित्वों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है। समझौता–ज्ञापन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट कारपोरेट क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को समान अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करना है। समझौता–ज्ञापन में आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित किए गए वित्तीय (50 प्रतिशत) और गैर–वित्तीय पैरामीटर (50 प्रतिशत) के लक्ष्य दिए गए हैं। वित्तीय मापदंडों में सकल विक्रय, टर्न ओवर, सकल लाभ, निवल लाभ और निवल मूल्य जैसे घटक शामिल किए गए हैं। गैर–वित्तीय मापदंडों में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत निष्पादन, अनुसंधान और विकास, सतत् विकास, मानव संसाधन प्रबंधन तथा निगमित नियंत्रण जैसे घटक शामिल किए गए हैं।

गेल के वर्ष 2012-13 के समझौता-ज्ञापन के सामाजिक विकास (एस.डी.) पहलुओं के संबंध में अद्यतन निष्पादन

मानदण्ड	यूनिट	उत्कृष्ट निष्पादन लक्ष्य	हासिल किया वास्तविक निष्पादन
सतत् विकास निष्पादन रिपोर्ट को प्रकाशित करना	दिनांक	28.02.2013	28.02.2013
बोर्ड स्तरीय एस.डी. उप–समिति की बैठकों की संख्या	संख्या	4	4
जी.पी.यू. वाघोडिया के हॉट ऑयल हीटर की बर्नर प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित करना	दिनांक	30.11.2012	22.06.2012
गेल, पाता में विवेकानन्द खेल परिसर और बागवानी उद्देश्यों के लिए शोधित जल का उपयोग करना	दिनांक 31.03.2013 तक अथवा इससे पहले हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियां	5	5
गेल (इण्डिया) लिमिटेड की स्थापनाओं के लिए 'ग्रीन हाउस गैस लेखांकन रिपोर्ट' तैयार करना	संख्या	3	4
धरोहरः जी.पी.यू. उसर में स्थानीय संयंत्र उपकरणों का संरक्षण करना	दिनांक 31.03.2013 तक अथवा इससे पहले हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियां	6	6
कर्मचारियों को सतत् विकास पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित करना	मानव घण्टे	1,600	2,000
परियोजनाओं का बाहरी मूल्यांकन करना	संख्या	4	5
सामाजिक विकास व्यय (50 लाख रुपए जमा पिछले वर्ष के 100 करोड़ रुपए से अधिक पी.ए.टी. की 0.1 प्रतिशत राशि)	प्रतिशत	100 प्रतिशत	267 प्रतिशत
कार्बन डाइ ऑक्साइड के उपयोग से संबंधित परियोजनाएं	महत्वपूर्ण उपलब्धियां	7	7
समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आई.आई.टी./इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा हेतु विशेष कोचिंग (परियोजना– गेल उत्कर्ष)	बच्चों की संख्या	100	102
गंदी बस्तियों में विद्यालय न जाने वाले बच्चों को सरकारी विद्यालयों में लाने के लिए मुख्यधारा में शामिल करने हेतु गैर–औपचारिक शिक्षा केन्द्रों (एन.एफ.ई.) की स्थापना करना (परियोजना– पढ़ो और बढ़ो)	एन.एफ.ई. केन्द्रों की संख्या	225	250

ग्रामीण/अर्ध शहरी परिवारों के उपेक्षित युवाओं को रोजगार आधारित व्यावसायिक दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करना (परियोजना– गेल–आई.एल. एंड एफ.एस. दक्षता विद्यालय)	युवाओं की संख्या	700	2880
गेल के मुख्य कार्य–स्थलों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय ग्रामीणों को मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल वैन के माध्यम से चिकित्सा सुविधा प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम	शामिल किए गए व्यक्तियों की संख्या	50,000	2,28,033
5 ग्रामों में अलग–अलग घरों को शामिल करते हुए संपूर्ण स्वच्छता अभियान	स्वच्छता यूनिटों की संख्या	250	386
पिछले वर्ष के पी.ए.टी. के प्रतिशत के रूप में सी.एस.आर. व्यय	प्रतिशत	0.85	1.77
स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण सूचकांक	प्रतिशत	98.5	98.89
कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में ह्रास	प्रतिशत	< 7	1.1
शिकायत निवारण प्रणाली की कारगरता – पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त की गई शिकायतों की तुलना में निपटाई गई शिकायतों का प्रतिशत	निपटान प्रतिशत	80	93.75
ऐसे क्षेत्रों जिनमें कार्य करने से तनाव बढ़ सकता है, में तनाव कम करने के लिए सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल करना और योग कक्षाएं आयोजित करना, जिम इत्यादि जैसे बेहतर स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करना	कार्यक्रमों की संख्या/स्कीम को कार्यान्वित करने की तारीख	7	13
कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण करना – प्रतिशत में ई.एस.आई. माप	प्रतिशत	> 55	72.43
सामाजिक सुरक्षा स्कीम बनाना और कार्यान्वित करना	हां/नहीं	हां	हां
कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या	10	12
क्षेत्र आधारित कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के बारे में प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना	प्रशिक्षण सत्रों की संख्या	40	59

गेल के वर्ष 2013-14 के समझौता-ज्ञापन के सतत् विकास पहलू

मानदण्ड	यूनिट	उत्कृष्ट निष्पादन लक्ष्य
संगठन के भीतर सी.एस.आर. और सतत् विकास कार्य–सूची को आत्मसात करने के लिए सम्मेलन/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण के माध्यम से सी.एस.आर. तथा सतत् विकास पहलुओं के बारे में वरिष्ठ प्रबंधन के साथ–साथ कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करना	मानव घण्टे	1,700
प्राप्त किए गए बेकार कागज को रिसाइकल करना	किलोग्राम	2,000
एन.जी. विद्युत आधारित सी.सी.वी.टी. को सौर विद्युत आधारित करना	शामिल किए गए आर.आर. केन्द्रों की संख्या	5
मुख्य स्टेकहोल्डरों के साथ बैठकें आयोजित करना/परामर्श करना	बैठकों की संख्या	4
अद्यतन जी.आर.आई. मानकों के अनुसार बाह्य रूप से आश्वस्त सतत् विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करना	दिनांक	30.09.2013
तीन स्थानों पर 'गेल–आई.एल. एंड एफ.एस. दक्षता विद्यालय' परियोजना (जारी अग्रणी कार्यक्रम) के तहत उपेक्षित ग्रामीण/अर्ध ग्रामीण परिवारों के युवाओं को रोजगार आधारित व्यावसायिक दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करना	प्रशिक्षित किए गए युवाओं की संख्या	2,000
समाज के उपेक्षित वर्गों के बच्चों का परियोजना – गेल–उत्कर्ष (जारी अग्रणी कार्यक्रम) के तहत आई.आई.टी./इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा हेतु विशेष कोचिंग में नामांकन करना	नामांकित बच्चों की संख्या	100
परियोजना जलधारा – झाबुआ, मध्य प्रदेश के ग्रामों में एकीकृत जल–विभाजक परियोजना	हासिल की गई उपलब्धियों की संख्या	6
सी.एस.आर. तथा सतत् विकास कार्यकलापों पर पिछले वर्ष के पी.ए.टी. के प्रतिशत के रूप में किया गया व्यय	प्रतिशत	1
बोर्ड स्तरीय समिति में किसी स्वतंत्र निदेशक को अनिवार्य रूप से सदस्य बनाने के साथ द्विस्तरीय संगठन संरचना की व्यवस्था करना	हां/नहीं	हां
स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण सूचकांक	प्रतिशत	98.5
ग्राहक संतुष्टि सूचकांक	प्रतिशत	88
कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में ह्रास	प्रतिशत	≤ 5
शिकायत निवारण प्रणाली की कारगरता – वर्ष के दौरान प्राप्त की गई शिकायतों की तुलना में निपटाई गई शिकायतों का प्रतिशत	निपटान प्रतिशत	80
जहां कार्य करने पर तनाव हो सकता है वहां तनाव को कम करने के लिए योग/ध्यान लगाने की कक्षाएं संचालित करना	कार्यक्रमों की संख्या	7
कर्मचारी यूनियनों के साथ आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या	10

अनुपालन संबंधी घोषणा

कारोबार में उत्कृष्टता का लक्ष्य प्राप्त करते हुए हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सभी प्रचालनों में लागू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियमों का अनुपालन किया जाए।

अनुसंधान और विकास

हमने अपने कारोबार क्षेत्रों – प्राकृतिक गैस परिवहन और स्टोरेज, ईंधन सेल और नैनो कम्पोजिट, कार्बन डाइ ऑक्साइड उपयोग और गैर–परम्परागत ऊर्जा के अनुरूप अनुसंधान तथा विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निर्धारित किया है और इस प्रकार के क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रासंगिक कार्यनीति अपनाते हैं। इन विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विख्यात इंजीनियरी संस्थानों और प्रयोगशालाओं के माध्यम से हमने इस वर्ष अनेक आधारभूत/बुनियादी/अनुप्रयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की हैं। हम इस प्रकार की प्रौद्योगिकियों का भी पता लगाने का सक्रिय प्रयास कर रहे हैं जिनका उपयोग पीट गैस, गैस हाइड्रेट और भूमिगत कोयले के गैसीकरण (यू.सी.जी.) जैसे विभिन्न गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के लिए किया जा सकता है ताकि देश में ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों को तैयार किया जा सके। हमारा अनुसंधान और विकास विभाग सूक्ष्म शैवाल का उपयोग करके कार्बन डाइ ऑक्साइड के जैव–निर्धारण और विभिन्न मूल्य वर्द्धित उत्पादों को प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने की दिशा में भी कार्य कर रहा है।

हम लैंडफिल गैस (एल.एफ.जी.) को प्राप्त करने तथा इसे शुद्ध करने के बाद सी.एन.जी. में परिवर्तित करने की बेमिसाल और अपनी तरह की प्रथम प्रायोगिक परियोजना लगा रहे हैं। नगर निगम के ठोस कचरे (एम.एस.डब्ल्यू.) के एनियेरोबिक डाइजेशन से एल.एफ.जी. प्राप्त की जाती है और इसमें लगभग 50 प्रतिशत मिथेन होती है। मिथेन ग्रीन हाउस गैस (जी.एच.जी.) है और ग्लोबल वार्मिंग के दृष्टिकोण से कार्बन डाइ ऑक्साइड की अपेक्षा 21 गुणा शक्तिशाली है। यह धुंआ छोड़ती है और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा करती है। भारत में लैण्डफिल से मिथेन उत्सर्जन लगभग 16 मीट्रिक टन कार्बन डाइ ऑक्साइड ई.क्यू. प्रतिवर्ष है और वर्ष 2020 तक इसके 20 मीट्रिक टन कार्बन डाइ ऑक्साइड ई.क्यू. प्रतिवर्ष होने की संभावना है। इस परियोजना को गाजीपुर लैंडफिल स्थल, दिल्ली में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना से गैर–वैज्ञानिक प्रबंधन लैण्डफिल स्थल से एल.एफ.जी. को प्राप्त करने की संभावना को प्रदर्शित करने और इसे स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित करने की आशा की गई है। इस परियोजना की सफलता से पूरे देश में इसकी सफलता को दोहराने की संभावना बनेगी। इस परियोजना को दो चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रथम चरण में लैंडफिल समापन, एल.एफ.जी. प्राप्त करने तथा फ्लेयरिंग को शामिल किया गया है। इसके बाद द्वितीय चरण में एल.एफ.जी. को शुद्ध करके इसे सी.एन.जी. परिवर्तित करने का कार्य शामिल किया गया है। इस परियोजना का प्रथम चरण पहले ही पूरा कर लिया गया है और परियोजना के द्वितीय चरण के लिए डिजाइन आधार को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया जारी है।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आई.आई.पी.), देहरादून के साथ मिलकर हमने व्यर्थ प्लास्टिक को ईंधन में परिवर्तित करने की संभावित क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए बेंच स्तरीय अध्ययन किए हैं और इन अध्ययनों के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। सतत् आधार पर बेंच स्तरीय प्रचालन स्थापित करने के बाद हम अगले चरण के रूप में प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने की व्यवहार्यता को निर्धारित कर रहे हैं।

प्रचालन आधारित उत्कृष्टता

हमने अपनी कार्य–प्रणाली में सुव्यवस्थित तरीके से 'उत्कृष्टता' की अवधारणा को एकीकृत किया है। हम उच्चतम शिखर से सबसे निचले स्तर तक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम नवाचारी सोच के आधार पर अपने कर्मचारियों की क्षमताओं को प्रोत्साहित करते हैं और इसके बाद उन अवसरों को निर्धारित, विकसित तथा प्राप्त करते हैं जो हमारे प्रचालन के फुटप्रिंट और लागतों को कम करते हैं। हमने टी.क्यू.एम. के संबंध में सुदृढ़ दृष्टिकोण अपनाया है जिसके तहत प्रत्येक प्रचालन यूनिट पर छोटे किन्तु कारगर गुणवत्ता सर्किल तैयार करने पर ध्यान दिया जाता है। गेल के समग्र प्रचालनों में सभी गुणवत्ता और निष्पादन सुधार पहलों को एक साथ समन्वित करने के लिए निगमित स्तर पर सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन समूह गठित किया गया है। इस वर्ष 112 गुणवत्ता चक्र परियोजनाएं पूरी की गई हैं और विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 15.68 करोड़ रुपए की बचत की गई है। कर्मचारियों की जागरूकता और क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं ताकि गुणवत्ता परियोजनाएं प्रदान की जा सकें तथा उनके मन में सतत् गुणवत्ता सुधार की संस्कृति उत्पन्न की जा सके। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों में नवाचार और सृजनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए गुणवत्ता सर्किल, सुझाव स्कीमें भी शुरू की गई हैं। यह कार्यक्रम उन व्यक्तियों जो अपने कार्यक्षेत्र में निष्पादन सुधार विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, को पुरस्कार प्रदान

करने की स्कीम है। सर्वोत्तम कारगर सुझाव के लिए हमारे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा प्रति वर्ष एक लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा के कुशल उपयोग में सुधार करने को गेल के सर्वाधिक प्रचालन सुधार क्षेत्रों में शामिल किया गया है। हम अपनी सतत् विकास अपेक्षाएं 2020 के तहत 2010 के आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 तक अपने विनिर्दिष्ट ऊर्जा उपभोग को 5 प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। हमने संगठन–वार एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली और अपनी ऊर्जा जांच प्रक्रिया–विधियों को सुदृढ़ करने के साथ–साथ कुछ अन्य तकनीकी उपायों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई है।

हमारे प्रचालनों में प्राकृतिक गैस–प्रसंस्करण (एम.एम.एस.सी.एम.)

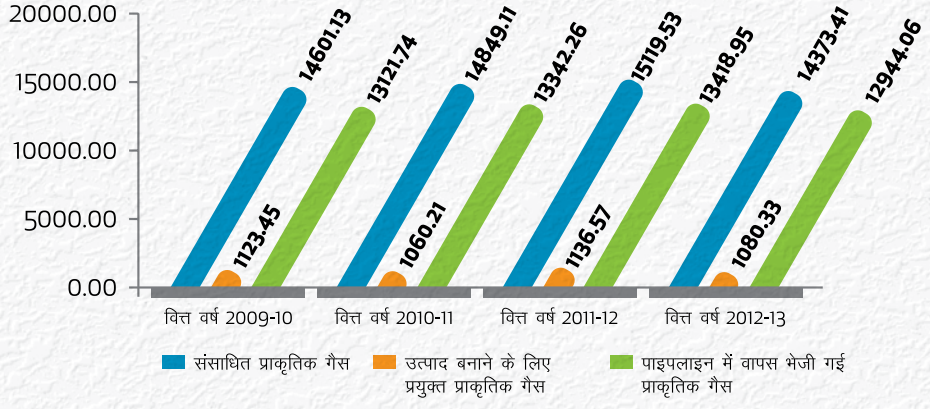

हमारी ऊर्जा खपत (जी.जे. मिलियन)

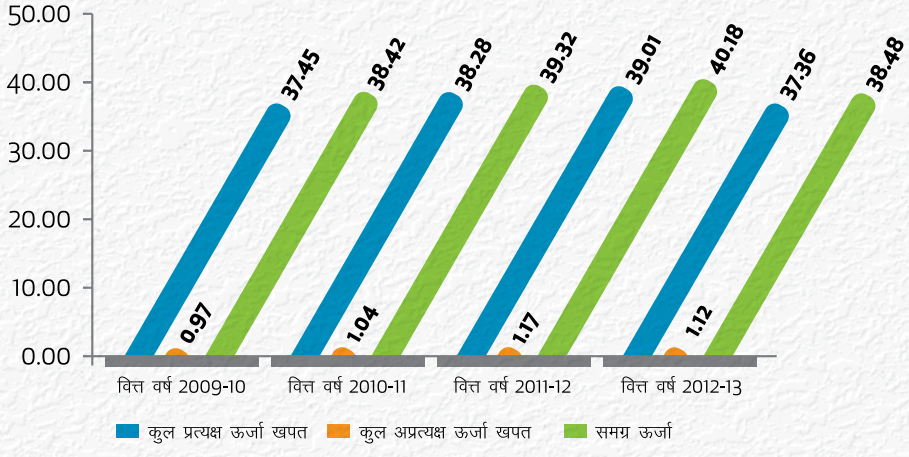

आश्वासन के बाद हमारे प्रचालनों से जी.एच.जी. उत्सर्जन (प्रति टन कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन)

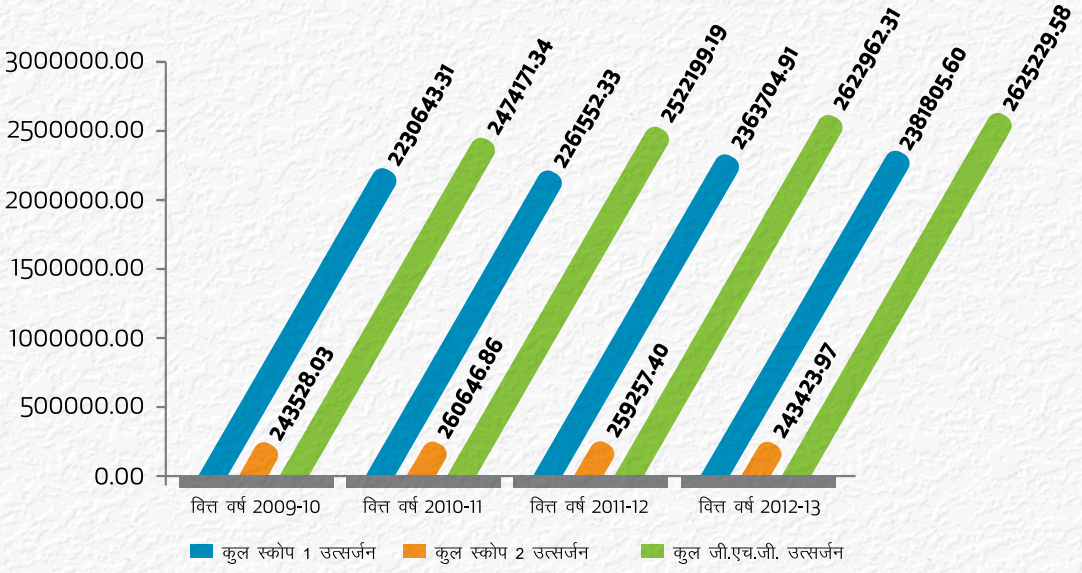

उसर में ऊर्जा लेखा–परीक्षा

ऊर्जा के कुशल उपयोग में सुधार करने और कुल बर्बादी को कम करने के लिए गेल के सभी संयंत्रों के लिए की गई सतत् विकास पहलों के भाग के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से प्रमाणित ऊर्जा लेखा–परीक्षकों (सी.ई.ए.) के ओ. एण्ड एम. के आंतरिक दल ने उसर में ऊर्जा लेखा–परीक्षा की। इस दल की मुख्य टिप्पणियां तथा निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

- प्राकृतिक गैस के संबंध में ऊर्जा हानि को कम करने और जी.एच.जी. उत्सर्जन के कारण होने वाले पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए गैस भरने वाले कम्प्रेसर की सील से गैस निकलने और गैस रिसने के अवसरों को कम करना।
- सामान्य सुधार, गैस रिसने में कमी और कुछ इंटर लॉक व्यवस्था करके कम्पनियों में नाइट्रोजन तथा कम्प्रेस्ड वायु जैसी ऊर्जा की खपत में कमी करना।
- पम्प ऊर्जा खपत को कम करने के लिए अग्निशमन जल नेटवर्क में होने वाली पानी की हानि को कम करना।
- विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत को अधिकतम करने के लिए कूलिंग टावर की क्षमता, ऊष्मा एक्सचेंजर और संबंधित मापदंडों की निगरानी करना।
- पम्प की कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए खराब और बेकार हो गए भागों का अनुरक्षण करने और बदलने का निर्देश देना।
- गैस टरबाइन वेस्ट हीट रिकवरी में उत्पन्न बेकार ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने की पर्याप्त संभावना है।
- वातानुकूल व्यवस्था में बिजली की खपत को कम करने के लिए स्टार रेटेड ए.सी. का उपयोग करना।
- आप्टीकल स्विच का उपयोग करके गलियों की प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा खपत को कम करना।

खेड़ा में गैस टर्बाइन नियंत्रण प्रणाली का उन्नयन

खेड़ा कम्प्रेसर केन्द्र जो हजीरा–विजयपुर– जगदीशपुर (एच.वी.जे.) मार्ग पर स्थित है, कॉपर बेस्सीमर–आर.एफ.4बी.बी.30 गैस कम्प्रेसर और रोल रायस आर.बी.211 गैस जेनरेटर (ड्राइव) वाले तीन गैस टरबाइन कम्प्रेसर पैकेज से सुसज्जित है। एच.वी.जे. पाइपलाइन के साथ–साथ निर्बाध गैस आपूर्ति के लिए इन मशीनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों आर.बी.–211–24 जी, जी.टी.सी. के लिए एकीकृत नियंत्रण प्रणाली का उन्नयन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण था। खेड़ा में पैकेज की मौजूदा नियंत्रण प्रणाली अत्यधिक पुरानी थी और तकनीकी दृष्टि से अप्रचलित बन गई थी; इसके अतिरिक्त पुर्जे प्राप्त करने में भी कठिनाई होती थी। ये मौजूदा प्रणालियां मशीन को स्टार्ट करते समय/बंद करते समय और मशीन चालू रहने की स्थिति में भी अचानक ट्रिप कर जाती थीं। इसलिए उपलब्धता और प्रारंभिक विश्वसनीयता में वृद्धि करने, मशीन बंद होने की घटनाओं में कमी करने, सुविधाजनक अनुरक्षण व्यवस्था करने और दूर से समस्या को दूर करने संबंधी सुविधाओं में सुधार करने, तकनीकी अप्रचलन को हटाने के लिए वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान इन जी.टी.सी. पैकेज की नियंत्रण प्रणाली का स्तर उन्नत बनाया गया था।

पी.एन.जी. (पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस) के लिए फ्लेयर गैस का उपयोग

विजयपुर स्थित एलपीजी संयंत्र में एलईएफ कम्प्रेसरों के ड्राई सील गैस वेंट से और अनुरक्षण के लिए सौंपने से पहले उपकरणों के डी–प्रेशराइजेशन से या वाल्वों के स्मॉल पासिंग से लगभग 1200 एससीएम प्रति दिन प्राकृतिक गैस को फ्लेयर किया जाता है। कुमार आवास, अतिथि गृह और कैंटीन जैसे सार्वजनिक भवनों के अलावा गेल, विजयपुर टाउनशिप, जिसमें 560 क्वार्टर हैं, की कुल पीएनजी की मांग अनुमानतः 336 एससीएम प्रतिदिन है। इस पृष्ठभूमि में इस कालोनी में मौजूदा एल.पी.जी. के बजाय पी.एन.जी. के रूप में फ्लेयर गैस का उपयोग करने की योजना बनाई गई थी। यह परियोजना 2.04 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू की गई थी और यह कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है। गेल, विजयपुर में इस पहल से वातावरण में 275.4 टन कार्बन डाइ ऑक्साइड कम होने की आशा है।

वाघोडिया में ऊर्जा दक्षता पहल

गेल की सतत् विकास अपेक्षाएं 2020 की आवश्यकताओं के अनुरूप वाघोडिया में कुछ ऊर्जा दक्षता पहल की गई थीं। इनमें से कुछ मुख्य पहल इस प्रकार हैं :

- गैस टरबाइन कम्प्रेसर (जी.टी.सी.) से निकलने वाली बेकार ऊष्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए वेस्ट हीट रिकवरी स्टीम जेनरेशन सिस्टम (डब्ल्यूएचआरएसजी) करने वाली प्रणाली संस्थापित की गई थी। इसके लिए कुल 62 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था जबकि 52 मीट्रिक टन प्रति घण्टा भाप बनने से होने वाली बचत की कुल राशि लगभग 15.65 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। जी.पी.यू. को प्रदान की गई गैस को ठन्डी करने के लिए दक्षिण ी गुजरात पाइपलाइन को भेजी गई आर.एल.एन.जी. के कम दबाव के कारण उत्पन्न शीतलता का उपयोग करने के लिए एक स्कीम तैयार की गई थी। इस परियोजना के लिए कुल 2.35 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था जिससे प्रति वर्ष 5600 एम.डब्ल्यू.एच. ऊर्जा की बचत होती है और 1.94 करोड़ रुपए मूल्य की एल.पी.जी. के 1,340 एम.टी.पी.ए. की अतिरिक्त प्राप्ति होती है।
- हॉट ऑयल हीटर में समुन्नत स्वचालित बर्नर प्रबंधन प्रणाली संस्थापित की गई थी। इस प्रणाली से प्रचालन सुरक्षा और पर्यावरण प्रभाव में सुधार करने के साथ–साथ बेहतर वायु–ईंधन अनुपात नियंत्रण के कारण पायलट बर्नर के रूकने और उच्च कुशलता से हम ईंधन की बचत करने में सक्षम होंगे। इस परियोजना के लिए कुल 83.44 लाख रुपए का निवेश किया गया था और इससे ईंधन गैस उपभोग में 12.77 प्रतिशत की कमी आई है जो प्रति वर्ष 28 लाख रुपए की बचत के बराबर है।

पाता में डी-रिमिंग आवृत्ति को कम करना

डी–रिमिंग आवृत्ति को कम करने के लिए नाइट्रोजन संयंत्र में इंजीनियरी संशोधन संबंधी कार्य किए गए थे। इस परियोजना से 22.43 लाख रुपए के बराबर 4,48,560 के.डब्ल्यू.एच. विद्युत ऊर्जा की प्रति वर्ष बचत के साथ–साथ उत्पादन हानि में 900 मीट्रिक टन द्रवित नाइट्रोजन की कमी आती है।

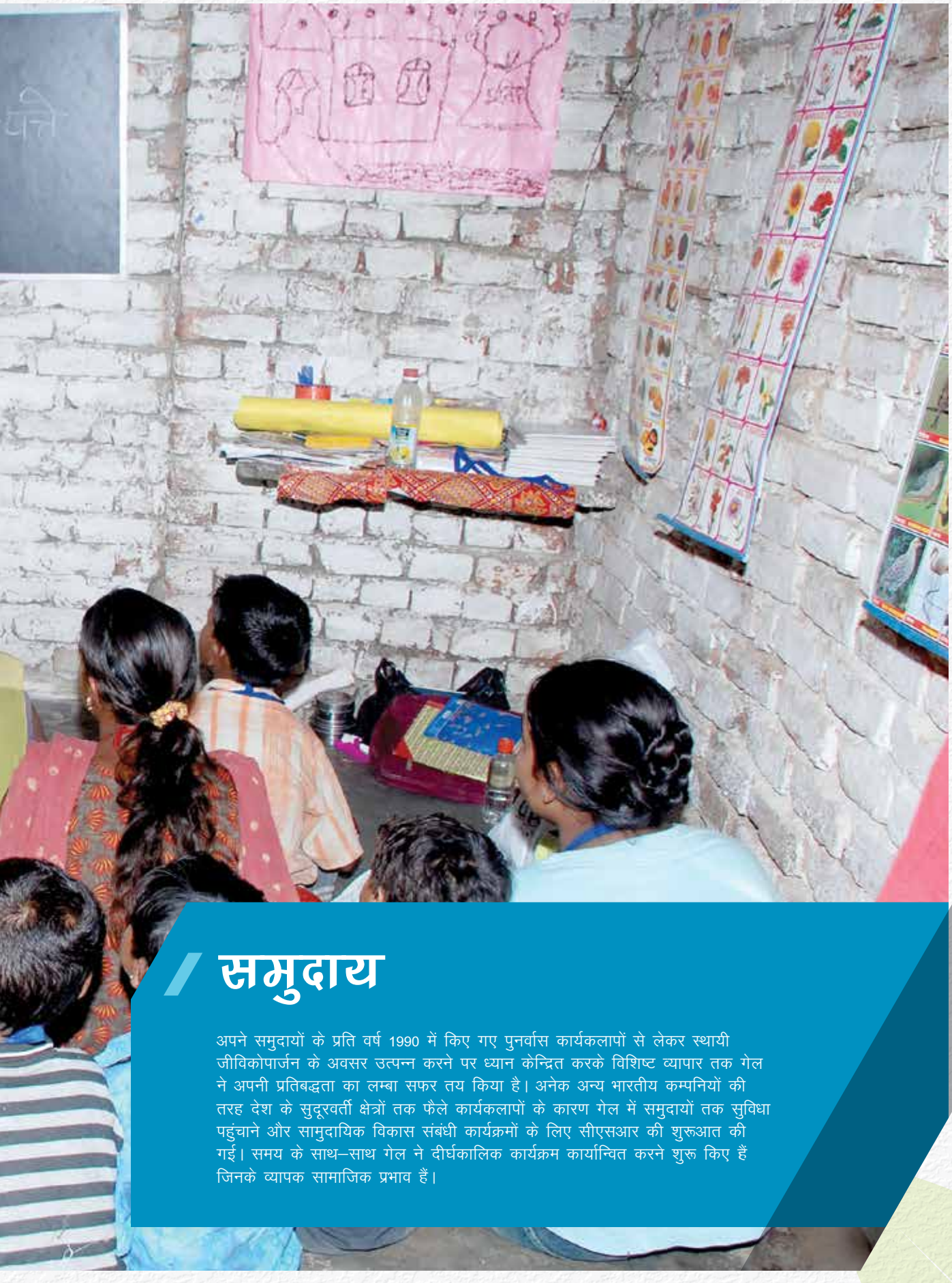

समुदाय

अपने समुदायों के प्रति वर्ष 1990 में किए गए पुनर्वास कार्यकलापों से लेकर स्थायी जीविकोपार्जन के अवसर उत्पन्न करने पर ध्यान केन्द्रित करके विशिष्ट व्यापार तक गेल ने अपनी प्रतिबद्धता का लम्बा सफर तय किया है। अनेक अन्य भारतीय कम्पनियों की तरह देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक फैले कार्यकलापों के कारण गेल में समुदायों तक सुविधा पहुंचाने और सामुदायिक विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए सीएसआर की शुरूआत की गई। समय के साथ–साथ गेल ने दीर्घकालिक कार्यक्रम कार्यान्वित करने शुरू किए हैं जिनके व्यापक सामाजिक प्रभाव हैं।

हम सामुदायिक पहलों में गेल की सहभागिता तथा प्रतिबद्धता में वृद्धि करने के लिए सी.एस.आर. नीति से शासित होते हैं। गेल के प्रचालनों में समुदाय के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमने इस प्रकार की पहलों को कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत प्रणाली की व्यवस्था कर रखी है। कम्पनी के विज़न के अनुरूप अपनी सेवाओं, आचरण और प्रयास के माध्यम से अपने प्रचालनों के आसपास के समाज और समुदाय में मूल्य सृजन में वृद्धि करने के लिए सीएसआर प्रयास किये जाते हैं ताकि समाज और समुदाय के लिए सतत् विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ सम्पन्न किए गए समझौता–ज्ञापन में सी.एस.आर. निष्पादन सूचकों को शामिल किया गया है।

सरकारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए गेल अपने पिछले वित्त वर्ष के निवल कर–पश्चात लाभ (पी.ए.टी.) की दो प्रतिशत राशि अपने सी.एस.आर. कार्यकलापों के लिए आबंटित करती है। गेल अपने सात मुख्य निर्धारित क्षेत्रों अर्थात् – शिक्षा/साक्षरता वृद्धि, सामुदायिक विकास, अवसंरचना, कौशल विकास/सशक्तिकरण, पेयजल/साफ–सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल/चिकित्सा सुविधा और पर्यावरण संरक्षण/बागवानी में अपनी सी.एस.आर. पहल कार्यान्वित करती है। कम्पनी ने वित्त वर्ष 2012–13 के लिए सी.एस.आर. कार्यकलापों और अपने मुख्य कार्य केन्द्रों के आसपास के स्थान के लिए (इस वर्ष के लिए अपने पी.ए.टी. की 2 प्रतिशत राशि जमा पिछले वर्ष की उपयोग न की गई आगे ले जाई गई राशि) कुल 92.19 करोड़ रुपए बजट आबंटित किया है। गेल में किए जाने वाले सी.एस.आर. कार्यकलापों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: (i) इसके कार्य केन्द्रों के आस–पास समुदाय को सुविधा उपलब्ध कराने और सामुदायिक विकास संबंधी कार्यकलाप पर विशेष ध्यान दिया जाता है और (ii) सम्पदा और मूल्य सृजन के लिए अग्रणी कार्यक्रम जिनका उद्देश्य उपेक्षित व्यक्तियों की क्षमता विकास और उन्हें समर्थ बनाना है। यद्यपि कम्पनी ने सी.एस.आर. पहलों के लिए उपर्युक्त उल्लिखित सात विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निर्धारित किया है तथापि पिछले कुछ वर्षों में इसने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, जीवन–यापन करने और स्वास्थ्य देखभाल के कौशल विकास के संबंध में विशेष ध्यान दिया है। अधिकांश अग्रणी कार्यक्रम जिनमें कम्पनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता निहित होती है, इन क्षेत्रों में समुदायों के सशक्तिकरण और सहायता द्वारा दीर्घकालिक और सतत् प्रभाव डालने के उद्देश्य से कार्यान्वित किए गए हैं।

सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी उपेक्षित वर्गों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं पर नज़र रखने में सक्षम होना और उन्हें समझना है। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखने के कारण ही कम्पनी ने सभी वर्गों के समग्र विकास में सक्षम होने के लिए अपनी प्रणालियों, प्रक्रियाओं तथा कार्यकलापों को पुनः निर्धारित किया है। कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की बोर्ड स्तरीय सी.एस.आर. उप–समिति द्वारा निगरानी और समीक्षा की जाती है। गेल में सी.एस.आर. को विशेष कार्य के रूप में विकसित किया गया है और इसके लिए सुनियोजित सी.एस.आर. नीति के कार्य ढांचे के भीतर रहकर कार्य करने वाला समर्पित दल है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयास के रूप में गेल उभरते मुद्दों को निर्धारित करने, परियोजनाएं तैयार करने और चुनौतियों का कारगर ढंग से प्रत्युत्तर देने के लिए समुदायों, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों, अकादमिक संस्थाओं तथा अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करती है। हम अपनी सी.एस.आर. परियोजनाओं को निर्धारित करने, कार्यान्वित करने तथा इनकी निगरानी करने में सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों का अनुसरण करते हैं।

हमारी सी.एस.आर. परियोजनाओं की सुव्यवस्थित और वास्तविक ढंग से आयोजना बनाने और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

सी.एस.आर. परियोजनाओं जो व्यापक रूप से इसके मुख्य कार्य केन्द्रों/स्थापनाओं में और इनके आस–पास ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती हैं, को कार्यान्वित करने में परियोजना आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

- आवश्यकताओं का मूल्यांकन करके कार्यक्रमों का सुव्यवस्थित रूप से निर्धारण।
- प्रत्येक बाह्य निष्पादन भागीदार के साथ सम्पन्न किए गए मानक करार के अनुसार सुपरिभाषित समय–सीमा और परियोजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के संबंध में परियोजना आधारित जवाबदेही दृष्टिकोण अपनाना।
- लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए सी.एस.आर. से संबंधित दिशा–निर्देशों के अनुसार गेल की सी.एस.आर. नीति की धारा 4.9.1 के तहत यथा–सूचीबद्ध विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वयन करना।
- तृतीय पक्षकार द्वारा किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से परियोजना को पूरी करने तथा इससे सम्बद्ध अन्य घटकों के आधार पर आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन सहित निगरानी करना और फीडबैक प्राप्त करना।
- त्रिस्तरीय अनुमोदन प्रणाली के माध्यम से सक्षम कार्यान्वयन तंत्र की व्यवस्था की गई है। बोर्ड की उप–समिति जिसके अध्यक्ष गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, किसी वित्त वर्ष में कार्यान्वित किए जाने वाले समग्र सी.एस.आर. कार्यकलापों को अनुमोदित करती है

गेल कार्य केन्द्रों के आस–पास रहने वाले उपेक्षित वर्गों के लिए सी.एस.आर. परियोजनाओं का विशेष रूप से आबंटन करने के अतिरिक्त गेल की सी.एस.आर. नीति में निम्नलिखित शीर्षों के लिए आबंटन करने की भी व्यवस्था की गई है:

- गेल के धर्मार्थ और शिक्षा न्यास की संग्रहित निधि में अंशदान के लिए। वित्त वर्ष 2012–13 में गेल के धर्मार्थ और शिक्षा न्यास जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत निकाय हैं, के कार्यकलापों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी। गेल का धर्मार्थ और शिक्षा न्यास इस संग्रहित निधि में किए

गए अंशदान पर अर्जित ब्याज से स्कूली और उच्चतर शिक्षा स्तर पर विद्यार्थियों को योग्यता–व–साधन आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान करता है।

- प्राकृतिक आपदा अथवा विपत्ति में सहायता प्रदान करने के लिए अंशदानः गेल अपने प्रचालन क्षेत्रों में और इनके आस–पास प्राकृतिक आपदा अथवा विपत्ति से प्रभावित होने वाले समुदायों को सहायता प्रदान करने/योगदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष आबंटन करती है। इस शीर्ष में किए गए वार्षिक आबंटन के तहत उपयोग न की गई शेष राशि को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाता है। वित्त वर्ष 2012–13 में इसके लिए सी.एस.आर. बजट की 10 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई थी।
- सी.एस.आर. कार्यक्रमों/प्रकाशनों की आवश्यकता को निर्धारित करना, प्रभाव का मूल्यांकन करना और प्रायोजित करनाः आवश्यकता निर्धारण, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों, क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण और सी.एस.आर. कार्यक्रमों/प्रकाशनों को प्रायोजित करने के समग्र व्यय के लिए वार्षिक सी.एस.आर. आबंटन के कुछ घटक निर्धारित किए जाते हैं। गेल इसके लिए अपने सी.एस.आर. बजट की 3 प्रतिशत राशि निर्धारित करती है।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/सरकारी स्कीमों के लिए आबंटनः सरकारी/पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशों का अनुपालन करके गेल सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किए जाने वाले संयुक्त सी.एस.आर. कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए अपने वार्षिक सी.एस.आर. आबंटन की 20 प्रतिशत राशि निर्धारित करती है। पिछले कुछ वर्षों से गेल राजीव गांधी एल.पी.जी. वितरण योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को एल.पी.जी. कनेक्शन प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

दिसम्बर, 2012 में सी.एस.आर. और सतत् विकास मुद्दों के संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशा–निर्देशों के मद्देनज़र वित्त वर्ष 2013–14 के लिए इन उपर्युक्त उल्लिखित आबंटनों को संशोधित किया गया है।

उत्तरदायी रहना

सामाजिक रूप से उत्तरदायी कारपोरेट कम्पनी के रूप में गेल विशेष रूप से बड़े पैमाने पर समुदाय तथा विशेष रूप से समाज के उपेक्षित वर्गों, विभिन्न स्टेकहोल्डर समूहों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है। इसे कम्पनी द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सी.एस.आर. कार्यक्रमों के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। गेल इस तथ्य के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है कि इन कार्यक्रमों के तहत व्यक्तियों और क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए ताकि व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के साथ–साथ उस क्षेत्र का समग्र विकास किया जा सके।

शिक्षा/साक्षरता वृद्धि

गेल अपनी शिक्षा/साक्षरता वृद्धि पहलों के माध्यम से समाज के ऐसे बच्चों और युवाओं जो अत्यधिक गरीबी के कारण ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों से वंचित रह गए हैं, की स्थिति सुधारने का कार्य कर रही है। अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों, साक्षरता दर, विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए शिक्षा, अन्य बातों सहित विद्यालयों के लिए उपकरण और बुनियादी सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए अनेक परियोजनाएं लागू की गई हैं। कमजोर वर्गों के बच्चों को उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गरीब किंतु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वर्ष 2009 में गेल धर्मार्थ और शिक्षा ट्रस्ट की स्थापना की गई थी।

शिक्षा के क्षेत्र में गेल का सबसे पहला और सर्वाधिक कारगर उपाय ई–शिक्षा कार्यक्रम को शुरू करना था। इस परियोजना के भाग के रूप में एक अर्हक शिक्षक और सहायक शिक्षण सामग्री के साथ विद्युत आधारित सचल वाहन में कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित करना था। इस कार्यक्रम को विजयपुर (मध्य प्रदेश) में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में वर्ष 2008 में शुरू किया गया था तथा इससे 4500 से भी अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। इस कार्यक्रम से सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने और विद्यार्थियों को सचल कंप्यूटर आधारित प्रयोगशाला के माध्यम से अपनी नियमित कंप्यूटर विद्यालय पाठ्यचर्या को पूरा करने के लिए सुविधा प्रदान करने में सहायता मिली है। स्कूली घण्टों के बाद ये कम्प्यूटर वाहन विजयपुर के ग्रामवासियों के लिए उपलब्ध थे ताकि वयस्क लोग टंकण और आधारभूत कंप्यूटर साक्षरता में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकें।

लाभ प्राप्त करने वाली जनता और गेल के लिए अत्यधिक प्रेरक और समृद्ध पहलों से हम दो अग्रणी परियोजनाओं – उत्कर्ष तथा पढ़ो और बढ़ो को संचालित करने में सफल रहे हैं।

गेल उत्कर्ष का उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, जो धन की कमी के कारण

अन्यथा अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते, के भविष्य को सुरक्षित करना है। इस अग्रणी परियोजना के तहत विशेष आवासीय कोचिंग/गहन मार्गदर्शन के संबंध में किए गए सभी व्यय की पूर्ति की जाती है ताकि उपेक्षित वर्गों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी आई.आई.टी./जे.ई.ई., ए.आई.ई.ई.ई., यू.पी.टी.यू. इत्यादि जैसी इंजीनियरी प्रवेश परीक्षाओं में सफल हो सकें। इस कार्यक्रम को श्री अभय आनन्द, भारतीय पुलिस सेवा के योग्य मार्गदर्शन से संचालित किया जाता है। वर्ष 2012–13 में अत्यधिक सावधानीपूर्वक चयन प्रक्रिया के माध्यम से इस कार्यक्रम के लिए 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया था जिनमें 83 विद्यार्थियों का प्रतिष्ठित इंजीनियरी कॉलेजों और तकनीकी संस्थाओं में चयन हो गया है तथा 23 विद्यार्थियों ने विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश ले लिया है।

शहरी गंदी बस्तियां, वहां रहने वाले बच्चों के बचपन को तहस–नहस कर सकती हैं। चूंकि इनमें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने की स्थिति बनी रहती है इसलिए इन शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चे न केवल अध्ययन करने के अवसरों से वंचित रह जाते हैं अपितु वे अपने बचपन की खुशी और आनन्द प्राप्त करने से भी वंचित रह जाते हैं। गेल की पढ़ो और बढ़ो परियोजना के तहत इनके शिक्षा प्राप्त करने के सपनों को पूरा करके इन बच्चों के जीवन को कुछ बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2009 से इस परियोजना के तहत हम दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की शहरी गंदी बस्तियों में 250 गैर–औपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने में सफल रहे हैं। अब तक 8900 से भी अधिक विद्यार्थियों को सरकारी शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल किया गया है और वर्ष 2012–13 में 250 गैर–औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में 7500 विद्यार्थियों को शामिल करके उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने का कार्य जारी है।

कुछ कम उपेक्षित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के कार्य को गति प्रदान करने के लिए गेल ने विद्यार्थियों के बीच सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने और विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति में सुधार करने के लिए विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने, उपकरणों का प्रावधान करने, सहायक शिक्षण सामग्री और स्टेशनरी की व्यवस्था करने के लिए योगदान किया है। गेल के समग्र विकास सिद्धांत के कारण विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए श्रवण–सहायक सामग्री तथा अन्य सहायक उपकरणों का प्रावधान करके तथा उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए सहायता प्रदान करने से उनको शिक्षा प्रदान करने की संभावना बनी है।

कौशल विकास / सशक्तिकरण

उपेक्षित व्यक्तियों को सक्षम और अधिकार–सम्पन्न बनाने के कार्य को गेल की सी.एस.आर. पहलों में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ताकि वे परिवर्तन के सूत्रधार बन सकें। संगठन उपेक्षित वर्गों को कौशल प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है ताकि वे बेहतर रोजगार के साथ–साथ सामाजिक सम्मान, आत्म–निर्भरता और आत्मविश्वास भी प्राप्त कर सकें। गेल अपनी सी.एस.आर. पहलों के माध्यम से देश के ग्रामीण युवाओं को रोजगार सम्बद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके इस लगातार बढ़ती जा रही असमानता को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। स्वावलंब परियोजना के तहत मध्य प्रदेश (गुना), आंध्र प्रदेश (तंडुर) और गुजरात (देदियापाडा) में स्थापित किए गए बहु–कौशल विद्यालय देश के ग्रामीण और युवाओं को रोजगार सहायता के साथ–साथ भिन्न–भिन्न कार्यों, आतिथ्य और सुविधा प्रबंधन में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते रहे हैं। वित्त वर्ष 2012–13 में 2800 से भी अधिक युवाओं को भिन्न–भिन्न कार्यों, विक्रय, आतिथ्य, बी.पी.ओ. सेवा, सुविधा प्रबंधन इत्यादि के क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। इन विद्यालयों के माध्यम से प्रदान किए गए प्रशिक्षण और रोजगार से संबंधित एकीकृत 'पिछले और अगले' संबंधों से उन्हें इस दृष्टिकोण से सतत् जीवन–यापन करने के लिए सक्षम और अद्वितीय बनाया जाता है।

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रहने वाली उपेक्षित जनजातीय जनसंख्या को आत्मनिर्भर बनाने तथा जीवन–यापन करने के अवसर प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से गेल ने इन्हें कौशल आधारित प्रशिक्षण, बेहतर प्रौद्योगिकी प्रदान करने और स्थानीय उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए, वैकल्पिक तथा सतत् जीवन–यापन अवसर प्रदान करने के लिए एक उपाय किया है अर्थात् अनहद ग्राम परियोजना शुरू की है। इस परियोजना को 25 निर्धारित ग्रामों (आधारभूत सर्वेक्षण के माध्यम से निर्धारित) में शुरू किया गया था और इसमें समग्र विकास मॉडल के लिए चुनिन्दा ग्रामों में कार्बनिक खेती, कृषि और कम लागत वाले ईंधन के रूप में जैव कचरा ब्रिकेट, पशुपालन तथा जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया था। स्वयंसेवी समूहों का गठन करके और इस प्रकार जनता के बीच सूक्ष्म उद्यम सृजन को प्रोत्साहित करके इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सतत् विकास केन्द्रों के रूप में प्रोत्साहित करने के बजाय व्यक्तियों के शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने की जांच करना था। ग्रामीणों को आसानी से जल उपलब्ध कराने के लिए तालाबों की खुदाई करके उन्हें गहरा करने और रोकबांध का निर्माण करने जैसी जल विभाजक प्रबंधन पहल भी की गई हैं। इस पहल से प्राप्त सफलता और सद्भावना से हमारी कम्पनी इस क्षेत्र में लगभग 40 ग्रामों को शामिल करके अन्यथा पानी की कमी वाले क्षेत्र में वित्त वर्ष 2013–14 में एकीकृत जल विभाजक विकास और प्रबंधन परियोजना अर्थात् जलधार परियोजना को शुरू करने के लिए प्रेरित हुई है ताकि इस क्षेत्र के व्यक्तियों को पानी का विवेकसम्मत उपयोग करने और पर्यावरण की दृष्टि से सतत् विकास करने में सक्षम बनाया जा सके।

गेल ने 'पढ़ो और बढ़ो' कार्यक्रम से सम्बद्ध बच्चों की माताओं और बहनों को अधिकार–सम्पन्न बनाने के लिए अपनी गरिमा परियोजना के माध्यम से प्रयास किया है। यह परियोजना इन महिलाओं को आय अर्जित करने के अवसर प्रदान करने और बच्चों को वापस बाल श्रम के शिकंजे में जाने से रोकने का दोहरा उद्देश्य पूरा कर रही है। वर्ष 2012–13 में 1400 से अधिक महिलाओं को पहले ही कढ़ाई, बुनाई और सिलाई, परिधान/वर्दी बनाने, हस्तशिल्प और सौंदर्य–निखार इत्यादि में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है ताकि

स्व–रोजगार के माध्यम से आय अर्जित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।

उपेक्षित और जनजातीय क्षेत्रों के व्यक्तियों को दरी डिजाइन करने, कम्बल बुनने, प्लम्बिंग, हाउस वायरिंग, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन इत्यादि में रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा जीवन–यापन करने के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं ताकि उन्हें कारगर ढंग से अधिकार–सम्पन्न और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये सभी प्रशिक्षण स्वाभाविक रूप से उन्हें कारगर ढंग से आय अर्जित करने के अवसर प्रदान करने पर आधारित हैं, इसलिए लाभार्थियों के बीच इनकी अत्यधिक मांग है।

विभिन्न प्रकार से सक्षम और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अधिकार–सम्पन्न बनाने का एक अन्य क्षेत्र में गेल अनिवार्य चिकित्सा सहायता, उपस्कर और अवसंरचना सहायता का प्रावधान करके सक्रिय रूप से योगदान कर रहा है। इस दिशा में गेल की ओर से किए गए प्रयासों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष वाहन का वितरण करने जैसी पहल शामिल है ताकि उनकी आत्मनिर्भरता बन सकें।

स्वास्थ्य देखभाल/चिकित्सा

चूंकि गेल की अधिकांश प्रचालन योजनाएं और पाइपलाइन केन्द्र ग्रामीण भारत में हैं इसलिए संगठन ने स्थानीय समुदाय को उनके ही द्वार पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने की परियोजनाएं बनाई हैं और कार्यान्वित की हैं। स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य क्षेत्र और उपेक्षित व्यक्तियों के जीवन में इसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए वोकहार्ड्ट प्रतिष्ठान जो औरैया, गुना, झाबुआ और खेड़ा के विभिन्न ग्रामों में सचल चिकित्सा यूनिट संचालित करके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने संबंधी कमी को पूरा करता है, की भागीदारी में गेल अपनी आरोग्य परियोजना के तहत इन समस्याओं का समाधान करता है। गेल के समग्र सी.एस.आर. कार्यकलाप के तहत एक अद्भुत कार्यक्रम अर्थात् अनहद ग्राम परियोजना झाबुआ के आदिवासी क्षेत्र में चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय को वित्तीय रूप से स्वतंत्र और सामाजिक रूप से अधिकार–सम्पन्न बनाकर उसका चहुंमुखी विकास करना है।

गेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्षय रोग, कैंसर के रोगियों के लिए, थैलासीमिया जांच, नेत्र जांच और चश्मों का वितरण करने के लिए अनेक चिकित्सा सुविधा/स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं। इसने टिहरी–उत्तराखण्ड क्षेत्र के उपेक्षित परिवारों को इस क्षेत्र की महिलाओं की सांस से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए खाना पकाने के उन्नत बायोमास आधारित स्टोव का प्रावधान करने के साथ–साथ कैंसर उपचार सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए भी योगदान किया है। इसके अतिरिक्त, गेल ने विभिन्न अस्पतालों में एम्बुलेंस, जांच उपकरण, कंप्यूटर आधारित ई.सी.जी. उपकरण, जैव–रसायन विश्लेषक उपकरण का भी प्रावधान किया है। हमारी कम्पनी ने मिरगी के रोगियों को निःशुल्क दवाई भी वितरित की है और मध्य प्रदेश के नेत्र चिकित्सा अस्पताल में विट्रो–रेटिनल यूनिट स्थापित की है। गेल अपने कारोबार प्रचालन को सुदृढ़ बनाने में वाहक/चालक/ट्रक मालिकों की भूमिका और महत्व को भलीभांति समझता है। जनता के इस भाग से सम्बद्ध एच.आई.वी./एड्स की गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए गेल ने मध्य प्रदेश में एस.टी.आई. क्लीनिक संचालित की है और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता शिविर भी लगाए हैं। गेल कुछेक विनिर्दिष्ट मामलों में यथा–अपेक्षित विशेषज्ञ सलाह के महत्व को महसूस करता है। इसने विशेष सलाह प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में टेली चिकित्सा केन्द्र का स्तर उन्नत बनाया है जिसमें रोगी और चिकित्सक देश के सर्वाधिक विख्यात अस्पतालों और चिकित्सा विशेषज्ञों से विशिष्ट सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

पेयजल/स्वच्छता व्यवस्था

आज के समय में पानी की कमी वैश्विक चिंता का विषय है और गेल ने लगातार कम हो रहे प्राकृतिक संसाधन के रूप में पानी के महत्व को विशेष प्राथमिकता दी है। स्वच्छ पानी की आपूर्ति को आसान बनाने और इसमें वृद्धि करने के लिए पेयजल/स्वच्छता के विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्र के तहत एकीकृत जल प्रबंधन कार्यनीति अपनाई गई है जिसमें उत्तरदायी जल प्रबंधन और पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस उपाय के भाग के रूप में गेल ने बोरवेल, ट्यूबवेल, हैंडपम्प, ओवरहैड टैंक, सबमर्सिबल पम्प और पानी को जमा करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं तथा ग्रामों में वर्षा जल संचयन और रोक बांध/सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहित किया है। गेल इस सिद्धांत में विश्वास करती है कि स्वस्थ और सार्थक जीवन जीने के लिए स्वच्छ और साफ–सुथरा वातावरण रखना महत्वपूर्ण है। उपेक्षित वर्गों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां साफ–सफाई नहीं होती तथा जो दूर–दराज हैं और इनमें जल–निकासी अथवा शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में समग्र ग्राम विकास कार्यक्रमों और समग्र

साफ–सफाई कार्यक्रमों के माध्यम से इस आवश्यकता को पूरा किया जाता है। संगठन ने कुछ ऐसी परियोजनाएं भी शुरू की हैं जिनके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अपने परियोजना क्षेत्रों के पास नालों का निर्माण करके तथा जल निकासी प्रणाली का पुनः निर्माण करके स्थानीय स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रक्रिया–विधियों में सुधार करने के लिए योगदान किया जाता है।

आधारभूत ढांचा

गेल ने अन्य उपायों के साथ–साथ ग्रामीण अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए भी अनेक उपाय किए हैं जिनका उद्देश्य ऐसे समुदायों के जीवन को बेहतर है जो इसके कार्य केन्द्रों के बिल्कुल पास रहते हैं। ग्रामीण आधारभूत ढांचा अथवा इसकी कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती रही है और अनेक संगठनों ने इस तथ्य को महसूस किया है। सभी स्टेकहोल्डरों के समग्र तथा सतत् विकास के लिए गेल ने स्टेकहोल्डर समूहों के समग्र भाग की बेहतरी तथा उसके द्वारा उपयोग किए जाने के लिए ''सार्वजनिक संसाधनों'' में निवेश करने के लिए कदम बढ़ाया है। हम सहयोगी दृष्टिकोण अपनाकर अपने भागीदारों के साथ कार्य करते हैं ताकि निवेश की मात्रा और स्वरूप को निर्धारित करने के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित किया जा सके तथा इनका मूल्यांकन किया जा सके। इनमें ग्रामों और/कस्बों तथा शहरों के मध्य कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए ग्रामों को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़कों का निर्माण, ग्राम के अनुरूप कार्यक्रमों, सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण, सामुदायिक प्रसाधन कक्षों, आंगनवाडी केन्द्रों, विद्यालय भवनों तथा पुस्तकालय भवनों का निर्माण करने की परियोजनाएं शामिल हैं ताकि व्यापक स्तर पर समुदाय को इनका लाभ प्रदान किया जा सके। गेल संयंत्र, विजयपुर, मध्य प्रदेश से सम्बद्ध ग्रामों में रोकबांध और जल–आवाह क्षेत्रों ने सफलतापूर्वक किसानों के कृषि संबंधी कार्यों तथा उनके जीवन का कायाकल्प कर दिया है। भौतिक परिसम्पत्तियों को सृजन करने से उपेक्षित समुदायों की संसाधनों को प्राप्त करने की भौतिक पहुंच में सुधार होता है तथा इस प्रकार जीवन में उनकी सामाजिक सहभागिता में भी सुधार होता है।

सामुदायिक विकास

सतत् और समग्र विकास के लिए गेल त्रिस्तरीय आधारभूत बातों अर्थात् जनता (समुदाय), लाभ (कारोबार) तथा संयंत्र (पर्यावरण) के आधार पर कार्य करती है और इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि समाज की आर्थिक प्रतिस्पर्धा इसकी सामाजिक और पर्यावरण स्थिति पर निर्भर होती है जिसे केवल सबसे निचले स्तर तक सुदृढ़ करके ही व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। सामुदायिक विकास की कार्य–संरचना में सतत् विकास को शामिल करके गेल ने विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं/भवनों के निर्माण और नवीकरण में अपनी सहायता प्रदान करके ग्रामों में एकीकृत विकास कार्यक्रमों का समर्थन किया है तथा इसके परिणामस्वरूप जीवन दशाओं में सुधार हुआ है। इनमें से कुछ चिकबल्लापुर, कर्नाटक में पुस्तकालय भवन का निर्माण, ग्राम सड़कों का निर्माण, तालाबों की चारदीवारी का निर्माण, सौर लाइटें लगाना और स्वच्छ पेयजल का प्रावधान करना है। पूरे समुदाय के सतत् विकास के लिए गेल संबंधित ग्रामों में विशेष रूप से छोटे और सीमांत कृषकों के लिए जीवन–यापन कार्यक्रमों के बारे में भी सहायता प्रदान कर रहा है। इसने भण्डारा के पिछड़े जिले में भी विकास कार्यों के लिए परियोजना शुरू की है।

पर्यावरण सुरक्षा/बागवानी

पर्यावरण के लिए प्रतिबद्धता को गेल के विज़न कथन का मुख्य भाग बनाया गया है और अपनी सी.एस.आर. पहलों के माध्यम से इसने विनिर्दिष्ट पर्यावरण–अनुकूल कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके इसे प्रोत्साहित किया है। व्यापक सतत् विकास परिधि के भाग के रूप में हम सदैव प्राकृतिक स्थानों और पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रति संवेदनशील रहे हैं और इसलिए अपने कार्यकलापों के आसपास के क्षेत्रों को कम से कम क्षति पहुंचाने के लिए नियंत्रित किया है। गेल ने पर्यावरण को होने वाली क्षति को कम से कम करने का प्रयास किया है और इसने प्रदूषण पैदा करने वाले पदार्थों को बिल्कुल न फैलाने को कारगर ढंग से सुनिश्चित करके, वर्षा जल संचयन को रिसाइकल करने, नुकसानदायक बहिस्राव पानी के शून्य डिस्चार्ज और भूजल को पुनः उपयोग करने संबंधी पद्धति को अपनाकर, कार्य केन्द्रों के आसपास के क्षेत्रों में हरित आच्छादन के विस्तार जमीन के खारेपन को दूर करने का गहन उपचार करके और मृदा संतुलन को पुनः बनाए रखकर, वनरोपण और अन्य जैव–विविधता प्रबंधन कार्यकलापों के माध्यम से वृद्धि करके अपने प्रदूषण तथा पर्यावरण क्षति को कम किया है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के तहत किए गए विनिर्दिष्ट उपायों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल पशु चिकित्सा वेन (एम.वी.एस.), कोडाइकराई वन्य जीव अभ्यारण्य, तमिलनाडु में वन्दरनयम क्षेत्र में विलुप्त हो रही प्रजातियों तथा वन्य जीवों के लिए पेयजल सुविधाओं में सुधार, बाढ़ सुरक्षा उपायों के माध्यम से सोनाली नदी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड के खादर क्षेत्र की कृषि भूमि का संरक्षण, जिला वन विभाग, बदायूं को पशुओं के लिए वैन इत्यादि प्रदान करना शामिल है।

समग्र विकास और एक–समान विकास

गेल इस बात में विश्वास करता है कि आर्थिक विकास की कुंजी सामाजिक निवेश में निहित है। किसी कारोबार को समृद्ध और सतत् विकास स्वरूप प्रदान करने के लिए यह स्वाभाविक है कि वह ''क्षेत्र'' जहां कारोबार किया जा रहा है, भी समृद्ध और विकसित होता रहे। समग्र विकास और एक–समान विकास के उद्देश्य को हासिल करने के लिए गेल ने अभिनव किन्तु व्यवहारिक सामाजिक–आर्थिक निवेश मॉडल की व्यवस्था करने के लिए बहु–स्टेकहोल्डर भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया है। कम्पनी ने इसे सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली की व्यवस्था कर रखी है जिसके संबंध में गेल की सी.एस.आर. नीति से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है। सभी स्टेकहोल्डर समूहों को शामिल करके ही परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। गेल का समर्पित सी.एस.आर. दल सी.एस.आर. परियोजनाओं को निर्धारित करके, समग्र और एक–समान विकास के सिद्धांतों के अनुसार इनके वास्तविक मूल्य का मूल्यांकन करके संबंधित प्रयासों

को समेकित करता है। इन कार्यक्रमों को आंतरिक सी.एस.आर. विभाग (विभागों) के सहयोग से बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और इस कार्यान्वयन में गेल की सी.एस.आर. नीति में यथा–निर्धारित सिद्धांतों और पद्धति के अनुरूप प्रक्रिया का सुव्यवस्थित अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। गेल अपनी मुख्य सी.एस.आर. पहलों का वार्षिक तृतीय पक्षकार प्रभाव का मूल्यांकन करती है। इसे दिल्ली समाज कार्य स्कूल, टाटा समाज विज्ञान संस्थान इत्यादि जैसी बाहरी एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों, अकादमिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

वर्ष 2012–13 के लिए गेल ने अपनी मुख्य सी.एस.आर. पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए टाटा समाज विज्ञान संस्थान की सेवाएं प्राप्त की हैं। कम्पनी ने वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान उन परियोजनाओं के रूप में सामुदायिक विकास पहलों में 30 करोड़ रुपए का निवेश किया है जिनके तहत भौतिक आधारभूत ढांचा (विद्यालयों, कॉलेजों, सड़कों इत्यादि), पेयजल सुविधाओं और उपयुक्त जल–निकासी प्रणालियों, समग्र ग्राम विकास पहलों की व्यवस्था की गई है। कम्पनी ने सामुदायिक स्टेकहोल्डरों सहित उनके कार्यान्वयन भागीदारों के साथ नियमित निगरानी, समीक्षा और बातचीत करने की प्रणाली की व्यवस्था भी की है ताकि लक्षित समुदाय द्वारा इन सामुदायिक विकास पहलों को सफलतापूर्वक अपनाया जा सके और इन कार्यक्रमों का वास्तविक लाभ प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सके।

अंततः सभी स्टेकहोल्डरों, विशेष रूप से उपेक्षित स्टेकहोल्डरों के प्रति गेल का उत्तरदायित्व आधारित दृष्टिकोण गेल की सी.एस.आर. परियोजनाओं के भौगोलिक स्थान में प्रदर्शित होता है। अधिकांश सी.एस.आर. पहल देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों और आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति के अनुसार उपेक्षित जनता के महत्वपूर्ण भाग वाले क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं। गेल इस संबंध में उपेक्षित समूहों अर्थात् जनजातियों, महिलाओं, उपेक्षित युवाओं तथा विकलांग व्यक्तियों इत्यादि पर विशेष ध्यान देता है।

सामुदायिक विकास और आधारभूत ढांचा

गेल ने इस प्रकार के कार्यक्रमों जिनसे स्थानीय समुदायों की ऊर्जा तक पहुंच में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुधार होता है, के संबंध में 60.00 लाख रुपए (लगभग) की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इन पहलों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सौर लाइटों की व्यवस्था करना तथा टिहरी/उत्तराखण्ड क्षेत्र के उपेक्षित परिवारों को उन्नत बायोमॉस आधारित खाना पकाने का स्टोव प्रदान करना शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2012–13 में कर भुगतान के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में सी. एस.आर. के संबंध में किया गया कुल व्यय 1.77 प्रतिशत (गेल के वित्त वर्ष 2012–13 के लेखा–परीक्षित लेखाओं के अनुसार) था।

क्रम संख्या	विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्र	सी.एस.आर. आबंटन (करोड़ रुपए में)	सी.एस.आर. व्यय (करोड़ रुपए में)
1	शिक्षा	11.33	9.75
2	सामुदायिक विकास	23.45	17.67
3	अवसंरचना	8.85	6.34
4	पेयजल/साफ–सफाई व्यवस्था	4.07	1.09
5	दक्षता विकास/अधिकारिता	24.68	16.23
6	पर्यावरण संरक्षण/बागवानी	0.60	0.20
7	स्वास्थ्य देखभाल	9.72	4.50
कुल		**82.70**	**55.78**

*इसके अतिरिक्त कुछ राशि आवश्यकता का पता लगाने/प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन करने और प्रायोजकता तथा प्राकृतिक आपदा निधि के लिए सहायता प्रदान करने के लिए भी आबंटित की गई है।

गेल ने सामुदायिक विकास और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए लगभग 23.50 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस संबंध में यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि अन्य विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्रों के तहत कार्यान्वित की जा रही अन्य परियोजनाओं का भी किसी न किसी रूप में समुदाय पर प्रभाव पड़ा है और इस प्रकार इसने समुदाय के व्यक्तियों के जीवन को समृद्ध किया है। गेल के कारोबार प्रचालनों को ध्यान में रखते हुए समुदाय और व्यक्तियों के प्रति इसके सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में 7 विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निर्णय लिया गया है।

सामुदायिक विकास से संबंधित अधिकांश कार्यक्रमों में गेल के कार्य केन्द्रों के आस–पास रहने वाले व्यक्तियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने और समुदाय के लिए संसाधन तैयार करने में सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। सामुदायिक विकास परियोजनाओं और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं में अस्पतालों, विद्यालयों, सामुदायिक

केन्द्रों, स्टेडियमों और अन्य ''सार्वजनिक संसाधनों'' के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिनका समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। सड़कों, बस स्टैंडों के निर्माण को भी इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया गया है।

स्वच्छता और पेयजल कार्यक्रमों को भी गेल की सामुदायिक विकास पहल का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। इस विशेष कार्य के भाग के रूप में शौचालयों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं का प्रावधान किया जाता है।

वित्त वर्ष 2012–13 में शुरू की गई कुछ मुख्य सामुदायिक विकास और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में सौर लाइटों की व्यवस्था करना और ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतों को प्रोत्साहन देना।
- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गांवों में हैण्डपम्प, वाटर कूलर, बोर कुंओं इत्यादि लगाकर पेयजल का प्रावधान करना।
- संपूर्ण स्वच्छता अभियानों के माध्यम से औरेया और गुना के ग्रामों का समग्र विकास करना।
- ग्राम सड़कों, पुलिया, नालों और अन्य भौतिक आधारभूत ढांचा जैसे बस स्टाप इत्यादि का निर्माण करना।
- राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और गुजरात राज्यों में पुस्तकालयों, विद्यालय आधारभूत ढांचा और चिकित्सा ढांचा तैयार करके सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि करना।
- महाराष्ट्र के भण्डारा* जिले में विकास कार्य करना।
- मध्य प्रदेश के गुना में कौशल विकास परिसर की स्थापना करना।

*अधिसूचित पिछड़ा जिला है।

परियोजना निष्पादन और प्रभाव विश्लेषण

जैसा कि लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए सी.एस.आर. दिशा–निर्देशों में निर्धारित किया गया है, गेल अपनी सी.एस.आर. परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न विशिष्ट एजेंसियों का उपयोग करती है। चूंकि गेल के पास कार्यान्वित किए जा रहे सी.एस.आर. कार्यकलापों का विस्तृत क्षेत्र है और जो न केवल विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हैं अपितु इनका स्वरूप भी भिन्न–भिन्न प्रकार का है तथा इनके लिए विशिष्ट ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है इसलिए यह अपनी सी.एस.आर. परियोजनाओं को उन विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से निष्पादित करती है जिनके पास किसी विशेष परियोजना को निष्पादित करने की अपेक्षित विशेषज्ञता होती है। इन विशिष्ट एजेंसियों में सरकारी विभाग, गैर–सरकारी संगठन, परामर्शी संगठन और किसी विशेष परियोजना अथवा आवश्यकता के संबंध में सेवा प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट अन्य संगठन शामिल होते हैं। गेल का आंतरिक दल इस संबंध में सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न एजेंसियों अथवा कार्यान्वयन भागीदारों को सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करके सभी सी.एस.आर. परियोजनाओं के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करता है। गेल का आंतरिक दल कोई कार्य सौंपने से पहले कार्यान्वयन भागीदारों के पूर्ववृत्त और पिछले रिकार्ड का कम्पनी की ओर से सर्वोत्तम संभावित सीमा तक सत्यापन करने का हरसंभव प्रयास करता है। इन एजेंसियों का चयन गेल की सी.एस.आर. नीति के प्रावधानों का अनुपालन करके किया जाता है जिनमें कुछ अनिवार्य और वांछित मानदण्ड को पूरा करने की अपेक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि ये एजेंसियां इस संबंध में राष्ट्रीय सी.एस.आर. केन्द्र (लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों में यथा–सूचीबद्ध) से अनुमोदन प्राप्त करें और/अथवा उनके पैनल में शामिल हों। इसके साथ–साथ इन एजेंसियों के पंजीकरण प्रमाण–पत्रों और लेखा–परीक्षित लेखाओं का भी सत्यापन किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन करते समय सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों अथवा बड़े संगठनों के साथ उनके पिछले कार्य अनुभव और सरकारी संगठनों अथवा मंत्रालयों के पैनल में शामिल होने जैसे तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाता है।

वित्त वर्ष 2012–13 तक गेल धर्मार्थ और शिक्षा ट्रस्ट, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत निकाय हैं, के कार्यकलापों के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। यह ट्रस्ट अपने कार्पस के अंशदान से अर्जित ब्याज से स्कूली स्तर और उच्चतर शिक्षा के लिए मेरिट और आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रवृत्तियां प्रदान करता है।

कम्पनी की सी.एस.आर. परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है तथा इनके प्रभाव का निर्धारण किया जाता है। परियोजना के अंत में कार्यान्वयन भागीदार संबंधित कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें हासिल की गई महत्वपूर्ण परियोजना उपलब्धियों और प्राप्त किए गए मात्रात्मक तथा गुणवत्ता आधारित लाभ का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। इसके साथ–साथ गेल के प्रत्येक कार्य केन्द्र पर गठित की गई समग्र कार्य सी.एस.आर. समिति भी परियोजना से हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का मूल्यांकन करती है। गेल की मुख्य सी.एस.आर. पहलों का नियमित अंतराल पर स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन भी किया जाता है। इन अध्ययनों में शामिल की गई एजेंसियां प्राथमिक रूप से अकादमिक स्वरूप की हैं और इनमें टाटा समाज विज्ञान संस्थान (मुम्बई), समाज कार्य विभाग (डी.एस.डब्ल्यू) के साथ–साथ दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय शामिल हैं। टाटा समाज विज्ञान संस्थान ने वित्त वर्ष 2012–13 में विभिन्न कार्य केन्द्रों के संबंध में गेल की 5 मुख्य सी.एस.आर. पहलों का तृतीय पक्ष प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया है। तृतीय पक्ष मूल्यांकन से गेल को अपनी सी.एस.आर. पहलों को संशोधित करने और बेहतर परिणाम हासिल करने में सहायता मिलती है।

कार्यान्वित की जा रही किसी विशेष समुदाय विकास पहल के संबंध में समुदाय के भीतर ''स्वामित्व'' की भावना पैदा करने के लिए सभी अनिवार्य उपाय किए जाते हैं। सभी सी.एस.आर. पहलों और सामुदायिक विकास पहलों विशेषकर जनता केन्द्रित पहलों में सामुदायिक

भागीदारी/बातचीत, जागरूकता पैदा करने, इन्हें शामिल करने, स्टेकहोल्डर विचार–विमर्श तथा क्षमता निर्माण के आयाम को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। इन विभिन्न प्रणालियों का उद्देश्य समुदाय के भीतर "अपनेपन" की भावना पैदा करना है। इसके साथ–साथ सभी सामुदायिक विकास पहल दीर्घकालिक स्वरूप की हैं और इनमें सतत् विकास के घटक को शामिल किया गया है। इन पहलों को स्थानीय शासन संरचना और संस्थाओं सहित स्थानीय समुदाय को शामिल करने के सहयोगी प्रयास तथा प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। कम्पनी संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी से यह आग्रह करती है कि समुदाय को प्रेरित करने और उसको सक्षम बनाने के साथ–साथ समुदाय के साथ चरणबद्ध रूप से भागीदारी की जाए ताकि कार्यक्रम अथवा सेवा को स्वयं उनकी ओर से प्रचालित किया जा सके।

ऑनलाइन कार्यकारी प्रशिक्षु कार्य निगरानी प्रणाली तैयार करना

गेल प्रति वर्ष 150 कार्यपालक प्रशिक्षुओं की भर्ती करता है जिन्हें हमारे प्रचालनों में प्रशिक्षित किया जाता है। अभी तक इन प्रशिक्षुओं द्वारा हार्ड कापी के रूप में निष्पादन रिपोर्टें प्रस्तुत की जा रही थीं। हमने गेल में तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को लागू किया है और इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है तथा कागज के उपयोग को कम किया है। इस प्रणाली को लागू करने से गेल में कागज के वार्षिक उपयोग में लगभग 18000 शीटों की कमी हुई है।

अपने स्वामित्व वाले प्रचालनों का पर्यावरण निष्पादन

गेल (इंडिया) लिमिटेड पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संरक्षण के लिए गेल के समग्र कारोबार में विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में गेल ने नए कारोबार में प्रवेश किया है और त्रिस्तरीय ई–दृष्टिकोण अर्थात् नैतिक मूल्य, अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया है। नए कारोबार में से गेल का सी.जी.डी. कारोबार अनेक शहरों को अपना पर्यावरण स्वच्छ रखने में सहायता प्रदान कर रहा है। गेल की अपने उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति से उन्हें सांविधिक मानदण्डों को पूरा करने में सहायता प्राप्त हो रही है। अपने मौजूदा प्रचालनों में ऊर्जा संरक्षण उपायों के लिए किए जा रहे सतत् प्रयासों से हमें बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने में सहायता मिल रही है।

गेल स्वाभाविक रूप से तथा स्वयं अपनी ओर से पर्यावरण अनुकूल संगठन है। हम न केवल अपने निजी पर्यावरण की देखभाल करते हैं अपितु हम प्राकृतिक गैस के माध्यम से कारोबार के दौरान अपने उपभोक्ताओं की भी सहायता करते हैं। हमारे उत्पादों अर्थात् पॉलीमर ने लकड़ी की मांग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गेल ने स्थापनाओं, जो कि पर्यावरण के लिए जिम्मेदार कंपनी के रूप में देखे जाने के लिए हमारे प्रयास के प्रमाण हैं, सहित विभिन्न हरित पहलों के माध्यम से सतत् विकास के लिए हमेशा योगदान किया है। इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

➔ जी.एच.जी. उत्सर्जन प्रबंधन

गेल के पाता, विजयपुर, वाघोडिया और हजीरा संयंत्रों में ग्रीन हाउस गैस लेखांकन प्रक्रिया शुरू की गई थी और इसे आई.एस.ओ. 14064 और डब्ल्यू. आर.आई. जी.एच.जी. प्रोटोकाल के अनुसार पूरा किया गया है। अब गेल के चार अतिरिक्त कार्यस्थलों पर ग्रीन हाउस गैस लेखांकन प्रक्रिया पूरी की गई है। गेल (इंडिया) लिमिटेड और संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (यू.एस.–ई.पी.ए.) के साथ समझौता–ज्ञापन सम्पन्न करके और इसे प्राकृतिक गैस स्टार (एस.टी.ए.आर.) कार्यक्रम का भागीदार बनाकर विजयपुर, झाबुआ और हजीरा में वैश्विक मिथेन पहल (जी.एम.आई.) कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि क्षणभंगुर और रिसने वाली मिथेन गैस के उत्सर्जन के बारे में अध्ययन किया जा सके। यह अध्ययन विजयपुर, हजीरा और झाबुआ सुविधाओं के संबंध में यू.एस. ई.पी..ए. द्वारा किया गया है। धुआं रहित आग जलाने के लिए फ्लेयर्स का डिजाइन तैयार करके उसे लागू किया गया है।

➔ अन्य वायु उत्सर्जन प्रबंधन

➔ उत्सर्जन की मात्रा में कमी करने के लिए वी.डी.पी.एल. पाइपलाइन के माध्यम से गैस का संचरण करने के लिए शुष्क न्यून उत्सर्जन (डी.एल.ई.) गैस टरबाइन लगाया गया था। गेल के सभी मुख्य स्थानों पर प्राकृतिक गैस को फीडस्टॉक और ईंधन स्टॉक के रूप में प्रयोग किया जाता है जिससे कि सस्पेंडेड पर्टीकुलेट मैटर (एस.पी.एम.) और सल्फर के ऑक्साइड (SOx) के उत्सर्जन की संभावना को ही समाप्त किया जा सके। इसी प्रकार, नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NOx) उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए न्यून NOx बर्नर लगाकर उन्हें प्रचालित किया गया है। गेल के सभी प्रचालनों में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एन.ए.ए.क्यू. एस.) में यथा–विनिर्दिष्ट सीमाओं के तहत ईंधन गैस उत्सर्जन के फैलने और बेहतर भूतल सान्द्रता रखने के लिए स्टैक की पर्याप्त ऊंचाई तथा उनकी निगरानी का प्रावधान किया गया है। गेल की पेट्रोरसायन यूनिट में इसके परिवेशी वायु गुणवत्ता की सतत् निगरानी न केवल स्थायी निगरानी केन्द्रों द्वारा की जाती है अपितु मोबाइल निगरानी केन्द्रों से भी की जाती है। इसी प्रकार स्टैक की सतत् निगरानी के लिए सभी स्टेक में ऑनलाइन विश्लेषक लगाए गए हैं और सभी भावी परियोजनाओं में प्रावधान किया गया है। गैस रिसने का तत्काल पता लगाना और इसे नियंत्रित करना सुनिश्चित करने के लिए मुख्य संयंत्र प्रचालनों में गैस जांच प्रणाली लगाई जा रही है। इसी प्रकार, तात्कालिक उत्सर्जन को रोकने के लिए व्यापक यांत्रिक सुरक्षात्मक रखरखाव पद्धतियों की व्यवस्था की गई है।

➔ अन्य पर्यावरण पहल

इस वर्ष गेल ने अपने सभी प्रचालनों और

मुख्य कार्य केन्द्रों पर विश्व पर्यावरण दिवस और तेल तथा गैस संरक्षण पखवाड़ा मनाने के साथ–साथ अर्थ ऑवर – जो डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. की एक वैश्विक पहल है, भी मनाया। सुरक्षा के लिए किए गए अपने सतत् प्रयासों से हमने खतरनाक पदार्थ छोड़ने वाले सभी सुरक्षा वाल्वों, दाब नियंत्रित करने वाले वाल्वों को अत्यधिक विश्वसनीय फ्लेयर प्रणाली के साथ जोड़ा है, जिसमें छोड़ी गई गैस तथा तरल पदार्थों को नियंत्रित सुरक्षित स्थानों पर जलाया जाता है। उपकरण का सही प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए गेल के सभी संयंत्रों में ध्वनि के स्तरों की समय–समय पर निगरानी की जाती है। अपने कार्य स्थानों पर शोर को नियंत्रित करने के लिए बर्नर असेम्बली में ध्वनि अवरोधी लाइनिंग लगाई गई है ताकि अत्यधिक शोर को कम किया जा सके। गेल के मुख्य स्थानों पर अप्रत्याशित वेंटिंग के दौरान शोर को कम करने के लिए साइलेंसर लगाए गए हैं और शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अन्य उपाय किए जाते हैं।

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

गेल की अधिकांश स्थापनाएं पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली अर्थात् आई.एस.ओ. 14001:2004 (ई.एम.एस.) से प्रमाणित है। अपने पर्यावरण निष्पादन को प्रदर्शित करने तथा निरंतर सुधार करने के लिए किसी संगठन द्वारा अपनाए जाने वाले ये स्वैच्छिक मानक हैं। ई.एम.एस. का प्रमाणन इस बात का प्रमाण है कि हमने सदैव सभी यथा–लागू पर्यावरण नियमों का विधिक अनुपालन किया है। आई. एस.ओ. 14001 प्रणाली के तहत प्रति वर्ष सुपरिभाषित उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और संकलित किए जाते हैं। अर्हक लेखा–परीक्षकों द्वारा समय–समय पर आंतरिक लेखा–परीक्षा की जाती है और बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रति वर्ष स्वतंत्र लेखा–परीक्षा भी की जाती है।

जल संरक्षण

- गेल की सभी प्रमुख स्थापनाओं में व्यापक गंदे पानी का शोधन करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस प्रकार साफ किए गए गंदे पानी को स्थापनाओं को शून्य डिस्चार्ज यूनिट बनाकर रिसाइकल किया जाता है और उसका पूरी तरह दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इस बहुमूल्य संसाधन का संचयन करने और इसके उपभोग में कमी करने के स्थायी प्रयास किए जाते हैं, इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से शोधित किए जाने वाले गंदे पानी की मात्रा में कमी की जाती है।
- व्यर्थ बह जाने वाले पानी को साफ करने के लिए गंदे पानी का शोधन संयंत्र लगाना और डिस्चार्ज मानकों का हमेशा अनुपालन करना।
- साफ किए गए गंदे पानी का व्यापक दोबारा इस्तेमाल बागवानी और अन्य उद्देश्यों के लिए करना। गेल प्रति वर्ष कुल लगभग 46 प्रतिशत साफ किए गए गंदे पानी का दोबारा इस्तेमाल करता है।
- भू–जल स्तर में वृद्धि करने और पानी की अपनी खपत को कम करने के लिए सभी संयंत्रों में वर्षा जल को जमा करने के उपाय किए गए हैं।
- गेल के सभी प्रचालनों में जल दिवस मनाना।
- हमारे पाता स्थल पर मार्च 2013 के लिए डिस्चार्ज जल गुणवत्ता मापदंडों का औसत मूल्य इस प्रकार हैं :–

1. टी.एस.एस. : 64.5 मि.ग्रा. प्रति लीटर
2. बी.ओ.डी. : 13.2 मि.ग्रा. प्रति लीटर
3. सी.ओ.डी. : 177 मि.ग्रा. प्रति लीटर
4. सल्फाइड : 1.3 मि.ग्रा. प्रति लीटर
5. तेल और ग्रीस : < 10 मि.ग्रा. प्रति लीटर
6. फेनोलिक्स : 0.018 मि.ग्रा. प्रति लीटर
7. पी.एच. : 7.45

हमारी जल की खपत
(मिलियन घन मीटर)

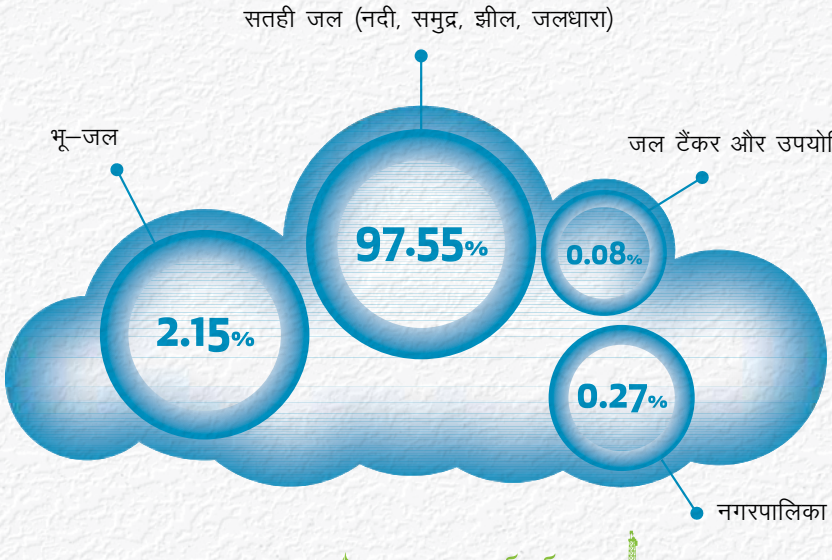

हमारे प्रचालनों से वायु प्रदूषण (टन/वर्ष)

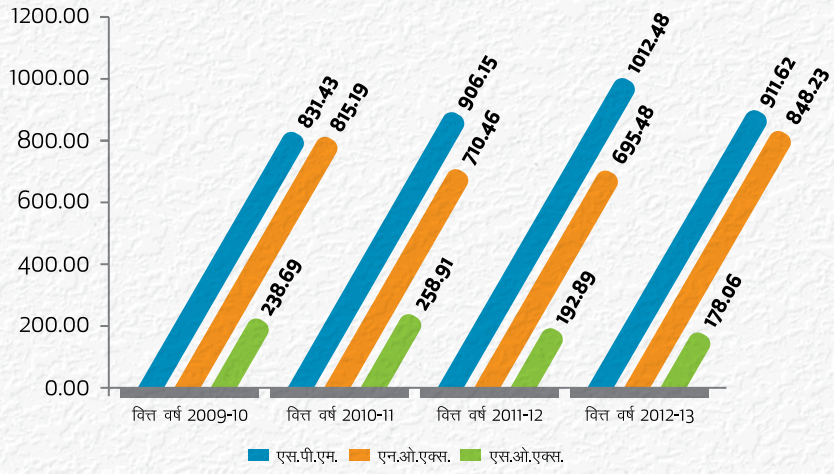

ओ.डी.एस. गैस खपत (कि.ग्रा.)

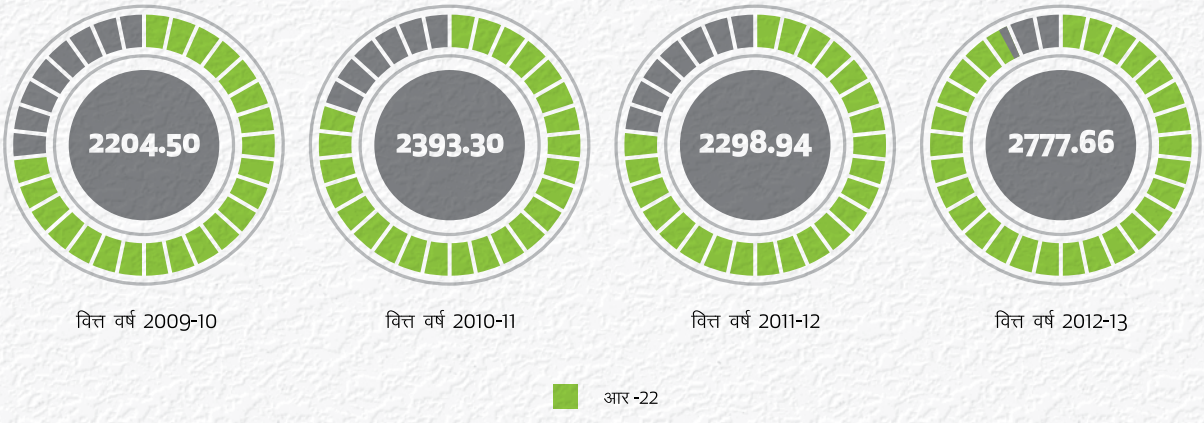

जैव विविधता प्रबंधन

अपने मुख्य प्रचालनों, विशेष रूप से पाइपलाइन प्रचालनों के अतिरिक्त हम इस बात के प्रति भी सचेत हैं कि पाइपलाइनें समृद्ध जैव–विविधता क्षेत्रों से गुजरती हैं। इसके लिए हम इन जैव–विविधता क्षेत्रों को उनके प्राकृतिक रूप में सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हें प्राकृतिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए उनका नियमित मूल्यांकन करते हैं तथा वनस्पति और जीव–जंतुओं को उनके संबंधित जोखिम से बचाते हैं। वास्तव में हमारे सभी प्रचालनों में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की कड़ी प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है और सुधार उपायों सहित हमारी समस्त कार्रवाई इन मुद्दों को प्रारंभ से ही ध्यान में रखकर सुनियोजित ढंग से की जाती है। इस प्रकार इनसे पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। यद्यपि हमारा कोई भी मुख्य प्रचालन प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय मानदण्डों के तहत यथा–परिभाषित संरक्षित अथवा सुरक्षित जैव–विविधता क्षेत्रों में नहीं है तथापि गेल ने प्रक्रिया के रूप में अपने सभी प्रभारी अधिकारियों को जैव–विविधता वाले क्षेत्रों की उपस्थिति/संभावित उपस्थिति के संबंध में अपने अलग–अलग स्थानों की मंजूरी के बारे में उद्घोषणा प्रस्तुत करने का अधिदेश दे रखा है। हमने अपने सभी कार्य केन्द्रों में अनेक जैव–विविधता कार्यकलाप किए हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है:–

- प्रदूषण तत्व, यदि कोई हों, और शोर तथा गंध को कम करने के लिए पूरे देश में सभी स्थानों पर व्यापक हरित पट्टी तैयार की गई है। प्रतिकूल जलवायु और मृदा दशाओं वाले दुर्गम स्थानों पर भी इस उद्देश्य को हासिल किया गया है। गेल के पेट्रोरसायन संयंत्र में वनस्पतियों और जीव–जन्तुओं की दुर्लभ प्रजातियों को आकर्षित करने के लिए हमारी जमीन के काफी बड़े क्षेत्र को जल निकायों से कवर किया गया है।
- गेल की कुल जमीन धारिता का लगभग 41 प्रतिशत हरित पट्टी क्षेत्र है। इसका हरित पट्टी क्षेत्र लगभग 17.2 मिलियन वर्ग मीटर है।
- क्षेत्र में वनस्पतियों और जीव–जन्तुओं को आकर्षित करने और उनके रहने के स्थान में वृद्धि करने के लिए जल निकायों, हरित पट्टी, लॉन, पार्क और

पारिस्थितिकी पार्कों की स्थापना करना।

परियोजना धरोहर – तैयार करो, देखभाल करो और साझा करो

''स्थानीय वृक्ष संरक्षण भू–परिदृश्य'' का उल्लेख प्रदूषण नियंत्रित करने और आसपास के पर्यावरण में सुधार करने के विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के साथ स्थानीय वृक्षों के प्राकृतिक भू–परिदृश्य के रूप में किया गया है। अपने आसपास की बस्तियों के साथ स्थानीय वृक्ष विपुल संसाधन हैं। जी.पी.यू. उसर ने अपनी उपलब्ध जमीन और अन्य संसाधनों से हमारी भावी पीढ़ियों के लिए इस संपदा को संरक्षित रखने के अपने इरादे को व्यक्त किया है। इस परियोजना को ''राष्ट्रीय पारिस्थितिकी संतुलन संरक्षण और जैव–विविधता अनुरक्षण मिशन'' के अनुरूप बनाया गया है।

जैव–विविधता के महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक कोंकाण क्षेत्र का पश्चिमी घाट है जो भारत के पश्चिमी तट पर जमीन का आकर्षक परिदृश्य है और यहां सुन्दर समुद्री तट, सुरम्य पर्वत और मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य है तथा यह क्षेत्र स्वादिष्ट सुनहरे अलफांसो आम, काजू, कटहल, मसालों की फसलों, नारियल, सुपारी और कोकुम जैसे बेहतरीन फलों के लिए विख्यात है। हाल ही के कुछ वर्षों से जनसंख्या विस्तार, वनों में कमी होने और वनों की कटाई करने, खनन, बांध निर्माण और जमीन के बेतरतीब उपयोग जैसे मानवजनित खतरे इस क्षेत्र को कमजोर कर रहे हैं तथा इसकी पारिस्थितिकी प्रणाली खण्डित हो रही है। ये घटक पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण पश्चिमी घाटों के वृक्षों की स्थानीय प्रजातियों के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं।

बाजार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में अनूठी प्रजातियां प्रसिद्ध हो गई हैं। परंतु इस प्रकार की अनूठी प्रजातियां स्थानीय परिस्थिति में उपयुक्त नहीं बैठतीं। भूजल स्तर के गिरने, जमीन की उर्वरा शक्ति कम होने, स्थानीय पक्षियों और वन्य जीवों का पलायन होने के कारण यहां के पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग, जो पूरे विश्व में महसूस की जा रही है, से ये समस्याएं और बढ़ गई हैं। प्रत्येक सरकार इस संबंध में वैश्विक पर्यावरण संकट से निपटने और इसे नियंत्रित करने के लिए दबाव में है। फिर भी, हमारा ऐसा मानना है कि यह केवल सरकार का कार्य नहीं है बल्कि प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए कार्य करे।

इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय, जो हम कर सकते हैं, वह हरित क्षेत्र को पुनः से बसाना है। किंतु अनूठी प्रजातियों का उपयोग करके हरित क्षेत्र लाना एकमात्र समाधान नहीं है; यह हरित आवरण स्थानीय प्रजातियों का उपयोग करके भी लाया जा सकता है। अपनी सीमित क्षमता से इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए एल.पी.जी. प्राप्ति संयंत्र, गेल, उसर ने ''धरोहर – तैयार करें, देखभाल करें और साझा करें'' नामक परियोजना पर विचार किया है।

इस परियोजना के तहत गेल, उसर के हरित पट्टी क्षेत्रों के भाग के रूप में निम्नलिखित निर्धारित किया जाएगा :

तैयारी

- स्थानीय पौधों की विस्तृत सूची तैयार करना
- परियोजना में उपयोग किए जाने वाले पौधों का चयन करना
- मौजूदा जमीन उपयोग का अध्ययन करना
- पुनः वनस्पति लगाने की योजना तैयार करना

देखभाल करना

- नर्सरी का निर्माण तथा स्थापना करना
- मूल पौधों का चयन और अनुरक्षण करना
- पौधरोपण के लिए जन प्रचार–प्रसार करना
- स्थानीय पौधों द्वारा वनस्पति को पुनः उगाना

साझा करना

- स्थानीय जनता और कृषकों में जानकारी और क्षमता निर्माण का प्रचार–प्रसार करना
- उसर संयंत्र में और इसके आसपास के क्षेत्रों में इच्छुक व्यक्तियों और किसानों को पौधों की स्थानीय प्रजातियों की आपूर्ति करना ताकि इन्हें इस क्षेत्र में इन्हें पुनः उगाया जा सके।

गेल गांव, पाता में मौजूदा एस.टी.पी. क्षमता में वृद्धि करना

गेल गांव में बगीचों और हरित पट्टी की सिंचाई बोरवैल से की जा रही थी तथा इस प्रकार भूजल के स्तर में गिरावट आ रही थी। इसके अतिरिक्त, इस टाऊनशिप के नियोजित विस्तार से मौजूदा एस.टी.पी. (सीवेज ट्रीटमेंट प्लान) पर अतिरिक्त भार रहा था। अतः प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि एक और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की जाए जिसके बहिस्राव में ऐसे पैरामीटर हों जो बगीचों की सिंचाई करने जैसे कार्यों के लिए उपयुक्त हों। इस उद्देश्य के लिए चुनी गई प्रौद्योगिकी एम.बी.आर. (मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर) थी। इस एम.बी.आर. प्रणाली में वातन बेसिन में अत्यधिक एम.एल.एस.एस. सान्द्रता के कारण कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसमें मेम्ब्रेन के 0.1–माइक्रोन आकार के कारण जैविक कीचड़ को पृथक करने के लिए दूसरी बार शोधन करने अथवा तीसरी बार शोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जल की गुणवत्ता किसी अन्य प्रौद्योगिकी की तुलना में बेहतर होती है और इसमें कॉलिफोर्म तथा अन्य रोगजनकों को बड़े पैमाने पर हटाया जाता है, और इस प्रकार संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। अनेक जल शोधन यूनिटें प्रचालनों में कभी–कभार खराबी आ जाने के कारण कम गति से प्रगति करती हैं। कारगर जल शोधन प्रक्रिया में गंध रहित और

स्वच्छ पर्यावरण के साथ–साथ शोधित जल की उन्नत गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है जिससे स्वास्थ्यवर्धक स्तर बढ़ता है। इस परियोजना को निष्पादित करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती प्रोसेस को रोके बिना एम.बी.आर. को स्थापित करना था। एम.बी.आर. आधारित एस.टी.पी. लगाने का यह फायदा होता हुआ कि समग्र बहिःस्राव उपयोग करने के योग्य है और इसमें कुछ भी सीवेज पानी बेकार नहीं जाता है। इस परियोजना की कुल लागत 4.43 करोड़ रुपए थी।

फ्यूजिटिव उत्सर्जन का पता लगाना और रिसाव का सर्वेक्षण

सितम्बर, 2011 में गेल अमेरिका–ई.पी.ए. (संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी) के प्राकृतिक गैस के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का अंतर्राष्ट्रीय भागीदार बन गया है और मैसर्स ओ. एन.जी.सी. के बाद यह भारत से दूसरा भागीदार है। इस कार्यक्रम के तहत अमेरिका–ई.पी.ए. मिथेन के फ्यूजिटिव उत्सर्जन का पता लगाने तथा मात्रा निर्धारण के लिए कार्यस्थल का सर्वेक्षण करता है। कार्यस्थल संबंधी सर्वेक्षण के दौरान वाल्व, वेंट, उपकरण फिटिंग और ट्यूब लगाने और पाइप फ्लेंज, जिन पर प्रायः हमारा ध्यान नहीं जाता है, से होने वाले सूक्ष्म मिथेन उत्सर्जन का पता लगाने के लिए इन्फ्रेड कैमरों और अल्ट्रासोनिक रिसाव जांच उपकरणों का उपयोग किया गया। मिथेन उत्सर्जन स्रोतों का पता लगाने के बाद कैलिब्रेटिड बैग, हाई फ्लो सैम्पलर टरबाइन मीटर और वीडियो आकलन का उपयोग करके मिथेन उत्सर्जन की मात्रा को निर्धारित किया गया। एल.पी.जी. संयंत्र और कम्प्रेसर स्टेशन दोनों से कुल 8.95 एम.एम.एस.सी.एम. वार्षिक उत्सर्जन का अनुमान लगाया गया था जिसमें से 3.32 एम.एम.एस.सी.एम. उत्सर्जन रिसाव के कारण था और इस प्रकार इसे निर्देशित जांच और अनुरक्षण से रोका जाना संभव था। इस 3.32 एम.एम.एस.सी.एम. उत्सर्जन में से 2.45 एम.एम.एस.सी.एम. उत्सर्जन (कुल 3.32 एम.एम.एस.सी.एस.एम. उत्सर्जन का 74 प्रतिशत, जो विभिन्न घटकों के रिसाव होने से हुआ) व्यवहार्यता आधार पर ठीक कर दिया गया है जबकि अन्य के लिए संयंत्र/स्टेशन को बंद करना जरूरी था। अन्य फ्यूजिटिव उत्सर्जन अर्थात् 2.89 एम.एम.एस.सी.एम. मुख्य रूप से कम्प्रेसर की सील के गीला होने के कारण था जिसे ठीक करने के लिए अत्यधिक संशोधन और पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता थी और अब यह प्रस्तावित संशोधन की व्यवहार्यता के आधार पर तैयार की गई दीर्घकालिक कार्य–योजना का हिस्सा है।

पाता, उत्तर प्रदेश में गेल के पेट्रोरसायन संयंत्र में उपचारित अपशिष्ट जल स्थायित्व परियोजना का उपयोग

एल.पी.जी. स्फियर के सांविधिक निरीक्षण के दौरान पोर्टेबल वाष्प रिकवरी कम्प्रेसर की स्थापना करना

सांविधिक आवश्यकता के अनुसार एल.पी.जी. स्फियर की प्रत्येक पांच वर्षों में निरीक्षण और हाइड्रो जांच की जाती है। इस जांच के लिए इस प्रकार के स्थानों को पूरी तरह एल.पी.जी. वाष्प से खाली किया जाता है। अब से पहले एल.पी.जी. स्फियर की जांच के दौरान वाष्प रिकवरी कम्प्रेसर का उपयोग (गेल, विजयपुर ने 8 एल.पी.जी. स्फियर और 3 प्रोपेन स्फियर हैं) किया जाता था, इस प्रक्रिया में एल.पी.जी. वाष्प के प्रवाह को परिवर्तित कर फ्लेयर में भेजा जाता था। तथापि पोर्टेबल वेपर रिकवरी कम्प्रेसर को लगाए जाने से 2.0 कि.ग्रा./से.मी.2ग्राम एल.पी.जी. वेपर की रिकवरी होती है (भरे हुए एल.पी.जी. स्फियर का दाब औसतन 9.0 कि.ग्रा./से.मी.2 ग्राम होता है)। इस पहल के परिणामस्वरूप लगभग 15 टन एल.पी.जी. प्रति स्फियर निरीक्षण की रिकवरी की जाती है जो इससे पहले फ्लेयर में भेजे जाने के कारण कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन करती थी। गंधार में भी इसी प्रकार की पहल लागू की जा रही है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित एजेंसी के माध्यम से ठोस कचरा निपटान व्यवस्था

गेल के संयंत्रों की प्रक्रिया में उपलब्ध सर्वोत्तम पर्यावरण पद्धतियों के अनुसार हानिकारक ठोस कचरे को जमा करके उसका निपटान किया जाता है। गेल के संयंत्रों से इस ठोस कचरे को एकत्र करके जमा किया जाता है और इस ढंग से संभाल कर रखा जाता है कि इससे भू–जल और पर्यावरण के किसी अन्य भाग पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके साथ–साथ पर्यावरण की सुंदरता को भी ध्यान में रखा जाता है। इस संबंध में गेल, विजयपुर ने संयंत्र परिसरों में उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का निपटान करने के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड की अधिकृत नोडल एजेंसी अर्थात् मैसर्स एम.पी.डब्ल्यू.एम.पी. (रैमकी एनवायर्न इंजीनियर्स लिमिटेड) की उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा (सी.एच.डब्ल्यू.–टी.एस.डी.एफ.) की सदस्यता प्राप्त की है और इस प्रकार पर्यावरण की दृष्टि से महारत्न कंपनी की अपनी भूमिका को निभाया है।

HONDA

ग्राहक

ग्राहक हमारे मुख्य स्टेकहोल्डर हैं। हम अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं को पूरा करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने का सतत् प्रयास करते हैं। हम अपने ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने ग्राहकों को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करके कनेक्टिविटी प्रदान करने के आशय से वे मूल्य और लाभ प्रदान करते हैं जो उनकी अपेक्षाओं से बढ़ कर होते हैं।

गेल द्वारा होंडा के तापुकारा संयंत्र के लिए गैस आपूर्ति प्रारंभ

गेल के गैस ग्राहकों में विद्युत संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों, स्पोंज आयरन संयंत्रों, सिरामिक टाइल विनिर्माताओं, चाय बागानों, प्रोसेसर्स, रिफाइनरियों और कांच विनिर्माताओं के रूप में विविध प्रकार के उद्योग शामिल हैं। अब से पहले गैस बाजार उन राज्यों तक सीमित थे जहां गैस स्रोत पाए जाते थे। हमने अपने ग्राहकों को कनेक्टिविटी प्रदान करके अपने अखिल भारतीय पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करके भारत के राज्यों में अपने गैस बाजार का विस्तार किया है। इससे न केवल इन राज्यों में आर्थिक कार्यकलापों की गति तेज हुई है बल्कि पर्यावरण पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव डालकर जनता के लिए राजस्व और रोजगार के अवसर भी सृजित किए गए हैं। आज उद्योग स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपना रहे हैं। कोयले और कच्चे तेल की बढ़ती लागत से प्राकृतिक गैस–ऊर्जा के स्वच्छ और सस्ते स्रोत का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

हमारा पेट्रोरसायन कारोबार खंड हमारे समग्र विकास का महत्वपूर्ण घटक है। यह खंड एच.डी.पी.ई. और एल.एल.डी. पी.ई. पेलेट्स, एल.पी. फ्लेक्स और पी.ई. श्रेड्स प्रदान करके प्लास्टिक उद्योग की कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आज के आधुनिक युग में प्लास्टिक कपड़ों और शेल्टर से लेकर, परिवहन और संचार तक तथा मनोरंजन से स्वास्थ्य देखभाल तक जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्लास्टिक ने अपने हल्के, टिकाऊ, लचीले, प्रोसेस करने के आसान तरीके और अत्यधिक क्षमता जैसे बेहतर गुणो से इन सभी में कम लागत तथा प्रभाव के कारण कुछ पदार्थों को प्रतिस्थापित कर दिया है। अनेक मामलों में प्लास्टिक का उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए बैरियर फिल्मों, जिनसे शीतल रखने और ऊर्जा लागत की बचत होती है, में खाद्य सामग्री की कीटाणु रहित पैकिंग; लचीले पैकेज में खाद्य तेल तथा दूध की पैकिंग, जिससे टिन और शीशे के कंटेनर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती; स्टील के ड्रम की बजाय अत्यधिक रसायन को जमा करने के लिए ठोस एच.डी.पी.ई. बैरल; पीईटी बोतल में पेयजल रखने इत्यादि कार्यों के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है।

8 सीजीडी संयुक्त उद्यम

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
(मैसर्स गेल गैस लिमिटेड)

कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट लिमिटेड के साथ गैस बिक्री करार

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्लास्टिक को पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन जो गैर–नवीकरणीय हैं, से बनाया जाता है, अतः इसके लगातार उपलब्ध होने के संबंध में प्रश्न उठाए गए हैं। तथापि यह मुद्दा बेतरतीब ढंग से निपटान किए जाने के कारण उठा है और इसका समाधान यह है कि प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए अच्छा प्रबंधन किया जाए। हमने प्लास्टिक उत्पादों के लाभ और सुरक्षित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता तथा इस प्रणाली में प्लास्टिक कचरे को अधिक से अधिक रिसाइकल करने के संबंध में ग्राहकों को शिक्षित करने तथा जागरूक बनाने के लिए भारतीय प्लास्टिक पर्यावरण केन्द्र (आई.सी.पी.ई.) के साथ भागीदारी की है। गेल में हम सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और किफायती उत्पाद तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणित कम्पनी के रूप में हम अपनी समग्र गुणवत्ता प्रबंधन (टी.क्यू.एम.) प्रणाली के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तथापि, हम प्लास्टिक के जीवन–चक्र प्रबंधन की चुनौतियों से समझते हैं।

गेल ने 8 सी.जी.डी. संयुक्त उद्यम (आई.जी.एल., एम.जी.एल., सी.यू.जी. एल., जी.जी.एल., ए.जी.एल., बी.जी.एल., टी.एन.जी.सी.एल., एम.एन.जी.एल.) और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी (मैसर्स गेल गैस लिमिटेड) की स्थापना की है ताकि समाज के सभी वर्गों को ऊर्जा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। इस समय सी.एन.जी. नेटवर्क भारत के 9 राज्यों (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, एन.सी.आर., राजस्थान, हरियाणा और गुजरात) में कार्य कर रहा है जिसके 190 मदर स्टेशन, 277 ऑनलाइन स्टेशन, 120 सहायक बूस्टर/सहायक स्टेशन हैं, जो अपने सी.एन.जी. खुदरा विक्रय केन्द्रों से 10 लाख से भी अधिक वाहनों की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं; जबकि

इसका पी.एन.जी. नेटवर्क 8 राज्यों (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, एन.सी.आर., राजस्थान और हरियाणा) के 21 शहरों में कार्य कर रहा है।

गेल में ग्राहक संपर्क

हम अपने ग्राहकों को समय पर और सस्ती कीमत पर बढ़िया उत्पाद उपलब्ध कराकर उन्हें संतुष्ट रखने का सदैव प्रयास करते हैं। हम अपने पूरे व्यवसाय में ग्राहक संतुष्टि सूची पर नजर रखते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके साथ मिलजुलकर कार्य करते हैं। इस वर्ष हमने अपनी ग्राहक संतुष्टि सूची में पिछले वर्ष की तुलना में 89.44 प्रतिशत से 90.47 प्रतिशत ग्राहक संतुष्टि लक्ष्य प्राप्त करके सुधार किया है। ग्राहक प्रतिबद्धता के मुख्य तत्व के रूप में हमने उनके साथ नियमित और सीधा संपर्क बनाए रखने के लिए पूरे वर्ष अपने समग्र कारोबार में नियमित ग्राहक दौरों की व्यवस्था की है। इस प्रकार के दौरों से हमें ग्राहक समस्याओं की वास्तविकता को अलग–अलग आधार पर समझने का मंच प्राप्त होता है। वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों ने पूरे भारत में 45 ग्राहक बैठकें आयोजित की हैं जिनमें विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के मौजूदा तथा भावी ग्राहकों से संबंधित अनेक मामलों का समाधान किया गया। वित्त वर्ष 2012–13 में हमने अपनी कुछ ग्राहक बैठकों में सतत् विकास और गेल के संबंध में एक सत्र आयोजित करके सतत् विकास के पहलुओं को एकीकृत करने का प्रयास किया है। ग्राहक दौरों और बैठकों के अतिरिक्त हमने गैस, पेट्रोरसायन और तरल हाइड्रोकार्बन से संबंधित ग्राहक शिकायत निवारण नीति की भी व्यवस्था की है। पिछले कुछ वर्षों में हमने अद्यतन विशेषज्ञता आधारित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करके ग्राहकों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान करने के लिए कारगर प्रणाली तैयार की है। इससे संबंधित कुछ मुख्य पहल इस प्रकार हैं :–

- ग्राहक संपर्क मॉड्यूल (सी.आर.एम.) की व्यवस्था करना जिसके माध्यम से ग्राहक तत्काल इंटरनेट से सेवा अनुरोध अथवा शिकायत को दर्ज करा सकते हैं।
- अपने ग्राहकों से सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन ग्राहक सुझाव प्रणाली की व्यवस्था करना ताकि हम अपने उत्पाद और सेवाओं को अधिक कारगर तथा अधिक कुशल बना सकें।
- शिकायत निवारण तंत्र : कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित किसी समस्या और शिकायत को केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट पर दर्ज कर सकता है अथवा हमारी वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान को गुप्त रखना चाहता है तो ''जनहित की जानकारी देने और सूचना देने वाले/वाली की सुरक्षा संकल्प'' के तहत इसे गुप्त रखा जा सकता है। हम सूचना प्रदान करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सिद्धातों तथा प्रावधानों का भी अनुपालन करते हैं।

ग्राहकों की सुविधा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना

हम पारदर्शी और समय पर सूचना साझा करना सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने और उसका उपयोग करने के प्रति भी सचेत हैं, जिसके परिणामस्वरूप हम अपने ग्राहकों के लिए निर्णय लेने वाली ठोस नीति बनाते हैं। हमारी ओर से अपने ग्राहकों के लिए बनाई गई कुछेक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- ई–प्राप्ति, ई–टिकट और ई–बीजक सुविधा
- उनके अद्यतन ग्राहक खाता बही को देखने के लिए ई–खाता बही सुविधा
- ऑनलाइन पॉलीमर उत्पाद मूल्य सुविधा
- ऑनलाइन उत्पाद प्रेषण ब्यौरा सुविधा

सार्वजनिक नीति को समर्थन देना

हम इस प्रकार की नीतियों को तैयार करने में सहायता और समर्थन देने तथा समूह बनाने में विश्वास करते हैं जो सार्वजनिक वस्तुओं को बेहतर बनाने के कार्य को प्रोत्साहित करती हों। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने स्वयं को विभिन्न संघों, उद्योग निकायों और प्रभावशाली समूहों से जोड़ा है। हम एशिया गैस भागीदारी शिखर सम्मेलन (ए.जी.पी.एस.), जिसमें भारत सरकार अन्य देशों के उच्च स्तर के पदाधिकारियों सहित पूरे विश्व के मुख्य प्राकृतिक गैस, उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता भाग लेते हैं, के प्रधान प्रायोजक हैं। ए.जी.पी.एस. दक्षिणी एशिया में प्राकृतिक गैस के संबंध में आयोजित किया जाने वाला द्विवार्षिक अग्रणी कार्यक्रम है जिसे गेल प्रोत्साहित करता है। ए.जी.पी.एस. इस संबंध में गैस और गैस आधारित आधारभूत ढांचा उद्योगों के आसपास के अधिकांश मुद्दों के बारे में विचार–विमर्श करने के लिए एक कारगर मंच है। ए.जी.पी.एस. के तत्वावधान में ऊर्जा सुरक्षा, सतत् विकास, विनियम, कराधान, आधारभूत ढांचा संबंधी बाधाओं, एल.एन.जी., अन्वेषण और उत्पादन व्यवस्था इत्यादि जैसे विविध प्रकार के मुद्दों की जांच–पड़ताल करने के लिए बहु–स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों की सिफारिशें सरकार की नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सातवां ए.जी.पी.एस. दिनांक

23–24 मार्च, 2012 के दौरान आयोजित किया गया था और इसके लिए उद्योग की उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इस शिखर सम्मेलन में 14 देशों के 46 उच्च स्तरीय वक्ताओं, 21 देशों से लगभग 1000 भागीदारों, और 45 से अधिक कार्यक्रम भागीदारों ने भाग लिया।

हम मुख्य सरकारी नीतियों को बनाने में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में गठित विभिन्न कार्यकरण समितियों में योगदान देते हैं। गेल सरकार/पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इस संबंध में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के बारे में उठाए गए प्रश्नों का नियमित रूप से प्रत्युत्तर देता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन के संबंध में चावला समिति, प्राकृतिक गैस मूल्य–निर्धारण के बारे में रंगराजन समिति इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। हम गैस आबंटन, गैस मूल्य निर्धारण, विनियम, गैस पूलिंग कराधान, गैस स्वैपिंग इत्यादि के बहु–स्तरीय पहलुओं के बारे में सरकारी नीतियां बनाने में भी भागीदारी करते हैं। हम मुख्यतः उन परियोजनाओं के समझौता ज्ञापनों के माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों के साथ भी भागीदार हैं जिनका उद्देश्य इन राज्यों के उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रदान करना है।

हम भारत में तेल और गैस कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पंजीकृत निकाय अर्थात् तेल और गैस प्रचालक संघ के सदस्य हैं। तेल और गैस प्रचालक संघ का गठन तात्कालिक प्रचालन मुद्दों के बारे में सूचना का आदान–प्रदान करने, इनके सामान्य समाधान का पता लगाने और यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में प्राधिकारियों से सम्पर्क करने का नेटवर्क बनाने के लिए किया गया था ताकि उन परिवर्तनों को अमल में लाया जा सके जिनसे भारत में अन्वेषण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस समय इस संघ के छः कार्य समूह हैं जिनमें 22 सदस्य कंपनियों को शामिल किया गया है। हम जी.आई.आई.जी.एन.एल. के भी सदस्य हैं जो अपने सदस्यों को एल.एन.जी. उद्योग की सामान्य आर्थिक स्थिति और अद्यतन विशेषज्ञता से युक्त एल.एन.जी. प्रौद्योगिकी, प्रचालनों तथा सर्वोत्तम पद्धतियों के दृष्टिकोण से अवगत कराता है। इस प्रकार की सूचना से सुविधा प्रचालनों का विस्तार करने, संविदा तकनीकों को विविध स्वरूप प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से उद्योग पदाधिकारियों को सहायता प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जी.आई.आई.जी.एन.एल. के सदस्य एल.एन.जी. के बारे में वाणिज्यिक और तकनीकी कार्यकलापों सहित सदस्य सुविधाओं पर सुरक्षा घटनाओं संबंधी सूचना भी साझा करते हैं। जी.आई.आई.जी.एन.एल. सदस्यों के साझा हितों के कार्यकलापों में विश्व में एल.एन.जी. क्रय, आयात, प्रोसेसिंग, परिवहन, हैंडलिंग, पुनः गैसीकरण तथा एल.एन.जी. के उपयोग शामिल हैं।

प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधनों में एक स्वच्छ ईंधन विकल्प है और गेल ने भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी होने के कारण राजकोषीय लाभ प्रदान करने और कर संरचना को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए कारगर ढंग से उपयुक्त प्राधिकार प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यापार संघों के माध्यम से अभ्यावेदन/ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार के अभ्यावेदनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संबंधी मुद्दों को निम्न प्रकार शामिल किया गया है :–

- प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परिवहन कारोबार की व्यवस्था करने और इसे प्रचालित करने के लिए आयकर

गेल का अग्रणी कार्यकलाप – एशिया गैस सहभागिता शिखर सम्मेलन

अधिनियम, 1961 की धारा 35 क घ के तहत अतिरिक्त कटौती।

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 801 ख और धारा 42 के तहत प्राकृतिक गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई. और पी.) कारोबार के लिए अतिरिक्त कर प्रोत्साहन।
- सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 के तहत 'घोषित माल' की श्रेणी में प्राकृतिक गैस को शामिल करना ताकि प्राकृतिक गैस पर मूल्यवर्धित कर, जो विभिन्न राज्यों में 5 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के बीच है, को 5 प्रतिशत तक सीमित किया जा सके।
- विद्युत क्षेत्र द्वारा उपयोग की जा रही तरल प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के संबंध में उत्पाद शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त, शेल गैस के क्षेत्र में हमने भारत सरकार शेल गैस नीति के मसौदे पर टिप्पणियां प्राप्त करने की परामर्शी प्रक्रिया में भागीदारी की है। हमने उक्त नीति मसौदे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी हैं और हमने जिम्मेदार तरीके से भारत में शेल तेल और गैस के अन्वेषण तथा दोहन के त्वरित प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उद्योग संघों के साथ विचार–विमर्श किया है।

शामिल किए गए कुछ अग्रणी संघ इस प्रकार हैं :–

- ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल
- रसायन और पेट्रोरसायन विनिर्माता संघ
- भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली
- भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिसंघ, नई दिल्ली
- ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क, नई दिल्ली
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यांकन – भारत सी.ई.ओ. मंच
- भारत ऊर्जा मंच
- भारतीय प्रशिक्षण और विकास सोसाइटी
- सार्वजनिक उद्यम संस्थान, हैदराबाद
- इंटरनेशनल गैस यूनियन, नार्वे
- इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ लिक्विड नेचुरल गैस इम्पोर्टस (जी.आई.एस.जी.एन.एल.), फ्रांस
- नेशनल एसोसिएशन ऑफ कोरोज़न इंजीनियर्स इंटरनेशनल, अमेरिका
- राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ
- पेट्रोफेड
- पेट्रोटेक सोसाइटी
- पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स
- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसोसिएट
- सार्वजनिक उद्यम स्थाई सम्मेलन (स्कोप)
- टाटा ऊर्जा और अनसंधान संस्थान (टीईआरआई)– सतत् करोबार विकास परिषद
- दि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडीटर्स, अमेरिका
- विश्व ऊर्जा परिषद – भारतीय सदस्य समिति, नई दिल्ली
- विश्व पर्यावरण प्रतिष्ठान
- वर्ल्ड एलपीजी एसोशिएशन (डब्ल्यू. एल.पी.जी.ए.), फ्रांस

GAIL (India) Limited
Vendor Interactive Meet
&
Closure Ceremony
of

आपूर्तिकर्ता

हमारे विक्रेता, कांट्रेक्टरों और अन्य कारोबार भागीदार उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा माल और सेवाएं, जो हमारे प्रचालनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, प्रदान करके हमारे प्रचालनों में सहायता करते हैं। इसी सहायता के कारण हम ऐसे उत्पाद तैयार करने में सक्षम होते हैं जो हमारे उपभोक्ताओं के लिए मूल्य सृजित करते हैं।

आपूर्ति श्रृंखला में अनुचित कारोबार करने की बहुत संभावना रहती है और इसलिए हम नैतिक और पारदर्शी कारोबार लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए अपने विक्रेताओं तथा कर्मचारियों के बीच कारगर सतर्कता प्रोत्साहित करने का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं। हमने आपूर्तिकर्ता क्रय नीति बनाई है जिसमें हमारे कर्मचारियों और हमारे आपूर्तिकताओं दोनों की भूमिका तथा जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध किया गया है।

आपूर्तिकर्ता प्रबंधन और नियुक्ति प्रणाली

सभी प्रचालनों में अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्च स्तरों को प्राप्त करने के लिए हमने कारोबार के सभी पहलुओं में पारदर्शिता लाने के लिए तीन स्वतंत्र निदेशकों, चार पूर्णकालिक निदेशकों और कम्पनी सचिव को शामिल करके बोर्ड स्तरीय लेखा–परीक्षा समिति गठित की है। अनुपालन को बनाए रखने और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदान की गई सभी निविदाओं में बाल श्रम और बलात श्रम कराने से संबंधित खण्डों को शामिल किया जाए।

हम विक्रेता बैठकें और नियमित कारोबार समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं ताकि विक्रेताओं की मुख्य समस्याओं का समाधान किया जा सके। हमने सतत् विकास के संबंध में जागरूकता पैदा करने और गेल की पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने विक्रेताओं के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं। हम अपने विक्रेताओं को उनके दिन–प्रतिदिन के कारोबार में सतत् विकास संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं ताकि पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

हम अपने देश के तीव्र औद्योगिक विकास के बारे में सचेत हैं और सुदृढ़ स्थानीय आपूर्तिकर्ता आधार तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके कारोबारी हितों की रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है ताकि उन क्षेत्रों में आर्थिक विकास किया जा सके जहां हम अपना प्रचालन कार्य करते

विक्रेता बैठक के दौरान विक्रेताओं को पुरस्कार देते हुए निदेशक परियोजना (दाए)

हैं। हमने स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से अपनी खरीद को पिछले वर्ष के 79.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 83.84 प्रतिशत किया है और इसमें 6,814.93 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। हम अपने प्रचालनों में आधारभूत रोजगार की व्यवस्था करने के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता देकर उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं।

गेल ने जाने–माने स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ताओं (आई.ई.एम.) को नियुक्त किया है ताकि हमारी क्रय पद्धति में पारदर्शिता लाई जा सके। ये स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता इस संबंध में विक्रेताओं के लिए अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने का पारदर्शी तरीका प्रदान करके और कारगर ढंग से इनका समाधान प्रस्तुत करके संविदाओं और क्रय पद्धति में सतर्कता को सुदृढ़ करते हैं। जबकि अपने प्रचालनों में भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए हमने कठोर उपाय किए हैं तथापि इस वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार के सात मामलों की सूचना दी गई थी। सतर्कता विभाग ने इन मामलों में अपनी ओर से की गई जांच के परिणाम के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की थी। हमने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और बिल निगरानी प्रणाली, फाइल संचालन प्रणाली, पुनः नीलामी और निविदा निगरानी प्रणाली जैसी कुछ नई पहल अपनाई हैं ताकि विक्रेताओं को गेल के साथ जोड़ने के दौरान उनके बीच संतुष्टि का उच्च स्तर सुनिश्चित किया जा सके। हमारा दैनिक कारोबार अनेक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं/संविदाकारों/ विक्रेताओं से संबंधित होता है। टी.आई. द्वारा तैयार किया गया सत्यनिष्ठा समझौता यह सुनिश्चित करने का दस्तावेज है कि कंपनी और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बीच सभी कार्यकलाप और लेनदेन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किए जाएं। इस सत्यनिष्ठा समझौते को एक करोड़ रुपए से अधिक की उच्च मूल्य संविदाएं रखने वाले विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से सम्पन्न किया गया है।

बिल निगरानी प्रणाली

हमने वेब आधारित बिल निगरानी प्रणाली तैयार की है जो हमारे विक्रेताओं के लिए पारदर्शिता बढ़ाती है और उन्हें अपने भुगतान की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है तथा इस प्रकार हमारे संबंध में उनके विश्वास को बढ़ाती है। इसके परिणामस्वरूप बिल के यथासमय भुगतान की व्यवस्था की गई है तथा बिल को प्रोसेस करने के समय को आठ दिन से घटाकर छः दिन किया गया है। इस प्रकार, इसके अपेक्षित समय को कम किया गया है। इस प्रणाली को और सुदृढ़ करने तथा इसकी कुशलता में सुधार करने के लिए हमने इसमें एस.ए.पी. शामिल किया है ताकि डुप्लीकेट बिल, गेल के पर्यवेक्षकों के लिए अगली बिलिंग की तारीख को अधिसूचित करने

के मामले में चेतावनी संदेश भेजने की व्यवस्था की जा सके और इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर एक ही प्रकार के रोजगार के अनुरूप निविदा लाने में हमारी सहायता की जा सके।

फाइल संचलन प्रणाली

गेल में नीति–निर्माण प्रक्रिया को तेज करने के लिए हमने फाइल संचलन प्रणाली कार्यान्वित की है। यह एक ई–निगरानी व्यवस्था है जिसमें किसी विशेष फाइल को प्रणाली में रोककर रखने के कारणों तथा स्थान का सही–सही पता लगाया जाता है। उच्च प्रबंधन इस संबंध में लम्बित फाइलों की प्रक्रिया पर नजर रखता है तथा निगरानी करता है। इस प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के लिए किसी कर्मचारी को अनेक बार भेजी गई फाइल (5 बार अथवा इससे अधिक बार) का पता लगाने की प्रणाली शुरू की गई है। किसी कर्मचारी द्वारा अनावश्यक विलम्ब/अनिर्णय के कारण बाधा डाले जाने के मामले में प्रबंधन उस कर्मचारी विशेष के विरूद्ध कार्रवाई करेगा। फाइलों की प्रत्यक्ष निगरानी के कारण फाइल संचलन प्रणाली में 90 दिन से अधिक अवधि के लिए लम्बित अथवा मार्ग में रहने वाली फाइलों की संख्या 503 से घटकर 227 रह गई है जो वर्ष 2008 के स्तरों से लगभग 45.13 प्रतिशत कम है।

प्रतिलोम नीलामी

प्रतिलोम नीलामी ऐसी सीधी प्रक्रिया है जिसमें विक्रेताओं द्वारा उल्लिखित पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण की व्यवस्था की जाती है। गेल ने 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की सभी खरीद के लिए प्रतिलोम नीलामी का आयोजन करना अनिवार्य बना दिया है। इस वर्ष हमने एक निविदा के लिए इस प्रकार की 10 नीलामी पहले ही आयोजित कर ली हैं जिसके परिणामस्वरूप हमें कुल 8.07 करोड़ रुपए की बचत हुई है तथा इस प्रकार अनुमानित लागत के अतिरिक्त हमें खरीद लागत में पर्याप्त बचत हुई है। क्रय प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाने के लिए हमने सक्षम निविदा निगरानी प्रणाली भी तैयार की है जो अधिग्रहण, निविदा प्रक्रिया, आदेश देने, निष्पादन, भुगतान, पूर्णता, समाप्ति जैसी खरीद संबंधी प्रक्रिया के संबंध में पूरी सूचना प्रदान करती है और एक क्लिक करके यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

संविदा समापन पहल

संविदा आधारित अनेक कार्य, जो कुछ वर्ष पहले पूरे किए गए थे, से संबंधित संविदा का समापन नहीं किया गया था तथा विक्रेताओं द्वारा जमा की गई राशि को आवश्यक कटौती करने के बाद लौटाया नहीं गया था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सतर्कता विभाग ने संबंधित विभागों को संविदाओं का समापन करने का विशेष अभियान शुरू करने के लिए कहा है। इस अभियान के परिणामस्वरूप इस वर्ष के दौरान संविदाओं का समापन करने का प्रतिशत 84 प्रतिशत से बढ़कर 89 प्रतिशत हो गया है। इस अभियान के तहत इस प्रकार रोककर रखी गई राशि जो इस वर्ष की शुरुआत में 1.84 करोड़ रुपए थी, को घटाकर 1.31 करोड़ रुपए किया जा सका है। इस अभियान के लाभ सतत् आधार पर प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी संविदाओं की उनके अंतिम समापन स्तर तक सभी विभागाध्यक्षों/प्रभारी अधिकारियों तथा निदेशकों द्वारा एस.ए.पी. के माध्यम से निगरानी की जानी चाहिए तथा अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के अवलोकन के लिए तिमाही एम.आई.एस. रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। बी.आई.एस. ने इस उद्देश्य के लिए एस.ए.पी. के क्षेत्रों को निर्धारित किया है और इसे पूरा करने की वास्तविक तारीख, पी.ओ. समापन की स्थिति, वारंटी समाप्त होने की निर्धारित तारीख और किसी राशि को रोककर रखने के कारणों सहित उसे रोकने संबंधी विवरण एस.ए.पी. की एक स्क्रीन में प्रदर्शित करके पी.ओ./डब्ल्यू.ओ. की जानकारी प्राप्त करने के लिए एस.ए.पी. में विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान किया है।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

हमने विजयपुर और पाता कार्यस्थल पर पिछले वर्ष के दौरान प्रायोगिक परियोजना के रूप में संविदा और प्रापण विभाग द्वारा शुरू की गई आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन करना जारी रखा है। इस प्रणाली के निष्पादन के आधार पर हम इसे अन्य स्थानों पर भी दोहराएंगे। यह प्रणाली संबंधित निविदा प्रक्रिया की व्यवस्था करने और सामग्री को कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए उसे संभालने के लिए जिम्मेदार है। इसमें विद्युत, यांत्रिक, प्रलेखन, रसायन और पेट्रोरसायन विस्तार परियोजना जैसे विभिन्न विषयों के व्यक्तियों को शामिल करके दल गठित किया जाता है जो विनिर्माण, संभार–तंत्र निगरानी और बंदरगाह मंजूरी के सभी स्तरों पर विक्रेताओं तथा उप–विक्रेताओं की ओर से कार्य शीघ्र किये जाने को सुनिश्चित करता है।

एक सफर सुहाना सा ...

कर्मचारी

हमारे कर्मचारी संबंधित प्रतिस्पर्धा बनाने में हमारी सहायता करते हैं और यह उनके समर्पित तथा सत्यनिष्ठ प्रयासों का ही परिणाम है कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने तथा इस दिशा में और आगे बढ़ने में सफल रहे हैं। हमारे कर्मचारी सतत् विकास के वाहक हैं; हम बेहतरीन प्रतिभा का विकास करने और सभी कर्मचारियों के लिए विकास के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ उन्हें लाभप्रद करियर प्रदान करने में विश्वास रखते हैं तथा इस प्रकार सभी का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करते हैं।

गेल स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा वर्तमान और सेवा–निवृत्त कर्मचारियों के साथ गेल में कार्यपालक प्रशिक्षु

एम. रविन्द्रन

निदेशक (मानव संसाधन)

दिनांक 01.06.2013 से

हमें अपनी सर्वाधिक बहुमूल्य परिसम्पत्ति अर्थात् अपने कर्मचारियों पर गर्व है। चूंकि हम संगठनात्मक संस्कृति और कार्यकरण के भीतर सतत् विकास को मुख्यधारा में रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए हम अपने कर्मचारियों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सदैव अग्रणी रहने वालों के रूप में देखते हैं। संगठन में सर्वाधिक आवश्यक सतत् विकास की व्यवस्था करने के लिए सभी स्तर के कर्मचारियों को इस तरीके से कारोबार करने की आवश्यकता से संबंधित योग्यता प्राप्त करनी होगी जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से सतत् विकास पर आधारित हो। के.पी.आई. और के.आर.ए. के माध्यम से विभागीय/व्यक्तिगत निष्पादन से सतत् विकास को जोड़ने के लिए आंतरिक समझौता–ज्ञापन में विनिर्दिष्ट मापदंड शामिल किए गए हैं। यद्यपि अपने सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और जागरूक बनाना हमारी सतत् विकास अपेक्षाएं 2020 का हिस्सा है, फिर भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस प्रकार के अनेक कार्यक्रमों के लिए प्रयास करेंगे जिनसे उनको अपनी दक्षता में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान की जा सकती हो। कर्मचारी हमारे कारोबार का मुख्य हिस्सा हैं और सतत् आंतरिक विकास के लिए उनकी ओर से किए जा रहे अथक और निष्ठावान प्रयासों के कारण हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस दिशा में आगे बढ़ने से हम सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।

वास्तव में प्रसन्न और संतुष्ट कार्यबल गेल की सफलता की कुंजी है। हमने अपने कार्मिकों और सम्बद्ध संगठनों को अपनी कायांतरण कार्य–सूची में सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है और अपने लक्ष्य 2020 को हासिल करने में हमारी सहायता करने वाले ये मुख्य योगदानकर्ता हैं। हम ऐसा कार्यबल तैयार करने का प्रयास करते हैं जो हमें सही प्रतिभा का चयन करने वाला नियोक्ता बनाने के लिए बेहद जरूरी है। हमने अपने कर्मचारियों और सम्बद्ध संगठन को ऐसा माहौल दिया है जो निष्पक्ष, औचित्यपूर्ण है और उपयुक्त कार्य जीवन संतुलन को प्रोत्साहित करता है। हमारी मानव संसाधन नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अपने कर्मचारियों तथा सम्बद्ध संगठन को नए रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करने और उनकी पूर्ण संभावित क्षमता को महसूस करने के अनुरूप निर्धारित किया गया है। इसके साथ–साथ कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने, शिकायत निवारण प्रणाली, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचार और कार्रवाई में पारदर्शिता बरतने को भी उचित महत्व दिया गया है।

अपनी मानव पूंजी का प्रबंधन

बेहतर कार्य–स्थल बनाना

हमने अपने कर्मचारियों की नब्ज को टटोलने के लिए वर्ष 2010 के दौरान कार्य सर्वेक्षण कराया था। इस सर्वेक्षण के माध्यम से कर्मचारियों से उनको सौंपे गए कार्य, कार्य के माहौल, टीम वर्क, कंपनी की नीतियों और पद्धतियों, प्रबंधकीय प्रभावकारिता, संस्कृति इत्यादि जैसे उनके रोजगार से संबंधित कुछ पहलुओं के बारे में जानकारी मांगी गई थी। कर्मचारियों के कार्य स्तरों को दर्शाने के अलावा, कर्मचारी कार्य सर्वेक्षण से कर्मचारियों के कार्य स्तर पर महत्वपूर्ण सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव रखने वाले मुख्य तत्वों का भी पता चला है। सहयोगी कर्मचारियों, लाभ और रोजगार आधारित कार्य सर्वोत्तम क्षेत्र होने के कारण इनकी समग्र उपलब्धि 71 प्रतिशत थी जबकि निष्पादन, मूल्यांकन, मान्यता और जन मानव संसाधन पद्धति ऐसे क्षेत्रों के रूप में उभरे जिनमें सुधार की आवश्यकता थी। हम इन क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कार्य करते रहे हैं और इस संबंध में हमने कुछ उपाय किए हैं जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं :

- कार्यात्मक, विपरीत कार्यात्मक और व्यवहार संबंधी क्षमता के तत्वों सहित और सुधार करने के लिए कार्यकारियों (डी.जी.एम. तक) के लिए निष्पादन प्रबंधन प्रणाली को अधिक बेहतर बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य न केवल वर्तमान निष्पादन का मूल्यांकन करना है बल्कि उच्चतर भूमिका तथा उत्तरदायित्व को निभाने में अपने कार्यकारियों की संभावित क्षमता को प्रोत्साहित करना भी है।
- कर्मचारियों की सराहना करने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा महिला पुरस्कार के साथ–साथ कर्मचारियों के लिए कुछ नए पुरस्कार वाली विस्तृत पुरस्कार स्कीम का मसौदा कर्मचारियों के सभी वर्गों के विचार प्राप्त करने के बाद तैयार किया गया है।
- गेल में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी ई.टी. के लिए मागदर्शक कार्यक्रम के तहत एक मार्गदर्शक, जो वरिष्ठ स्तर का कार्यकारी होता है, को सम्बद्ध किया जाता है।
- एस.एम.डी.सी. कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए सभी वरिष्ठ कार्यकारियों के लिए विशेष विकास कार्यक्रम (आई.डी.पी.) कार्यान्वित किया गया है। इस आई.डी.पी. कार्यक्रम में पुस्तकों के वितरण, हारवर्ड मैनेज मेंटर से ई–अध्ययन पाठ्यक्रमों और भारतीय प्रबंधन संस्थानों, आई.एस.बी. तथा अन्य विख्यात संस्थाओं में प्रबंधन प्रशिक्षण शामिल किया गया है।
- मानव संसाधन नीतियों के संबंध में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में एक खण्ड तैयार किया गया है और उसे गेल के इन्ट्रानेट पर उपलब्ध कराया गया है ताकि सभी कर्मचारियों को इन्हें समझने में आसानी हो।

उपर्युक्त उल्लिखित पहलों जो सर्वेक्षण परिणाम के भाग के रूप में कार्यान्वित की गई हैं, के अतिरिक्त गेल को बेहतर कार्य–स्थल बनाने के लिए निम्नलिखित सहित अनेक अन्य नीतिगत स्तरीय समीक्षाएं की गई हैं :

- गेल की भर्ती नीति
- विदेशी कार्यों के लिए कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति/तैनाती की सामान्य निबंधन और शर्तें
- किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु/पूर्ण स्थायी विकलांगता (टी.पी.डी.) के मामले में वित्तीय सहायता
- विभिन्न प्रकार की अग्रिम राशि पर ब्याज की दर
- संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में गेल के कर्मचारियों को तैनात करने की सामान्य निबंधन और शर्तें
- गेल के यात्रा/दैनिक भत्ते (टी.ए./डी.ए.) नियमों के तहत ग्राह्य दैनिक भत्ते की दर
- अधिवर्षिता लाभ निधि योजना से परिभाषित अंशदान योजना।
- प्रतिनियुक्ति भत्ता
- पट्टे पर लिए गए आवास के लिए गृह किराया वसूली और कम्पनी के स्वामित्व वाले आवास के लिए लाइसेंस शुल्क वसूली की दर
- गेल कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1986
- सुरक्षा किट वर्दी को जारी करने के दिशा–निर्देश

गेल में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने से संबंधित कार्यक्रम

अपने कर्मचारियों का कल्याण गेल के मानव संसाधन सिद्धांत की मुख्य आधारशिला है। हमारी मूल्य आधारित प्रणाली में इस तथ्य के संबंध में गहराई से यह माना जाता है कि कारपोरेट का विकास अन्ततः कर्मचारियों का विकास और प्रगति है। दूसरे शब्दों में गेल का विकास, समृद्धि और बौद्धिक क्षमता उस मूल्य के रूप में परिलक्षित होती है जो इसने अपने कर्मचारियों के लिए अर्जित किया है। अपने उपर्युक्त दर्शन के आधार

पर हमने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और कार्य–जीवन संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी नीतियां तैयार और कार्यान्वित की हैं। इनमें शामिल की गई कुछ इस प्रकार हैं:–

- हम अपनी महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश लेने की अनुमति प्रदान करते हैं।
- हम अपने पुरुष कर्मचारियों को अधिकतम 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान करने की सुविधा प्रारंभ की है। हम अपनी महिला कर्मचारियों को अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) की अवधि के लिए दो अवयस्क बच्चों तक सीमित शिशु देखभाल अवकाश भी प्रदान करते हैं ताकि उनकी देखभाल की जा सके। इसके अतिरिक्त, हमने संविदा आधारित रोजगार के दौरान और उसे करते समय किसी कर्मचारी के दुर्घटना में घायल होने के कारण अनुपस्थिति के मामलों को कवर करने के लिए अधिकतम 24 माह तक के विकलांगता अवकाश का प्रावधान भी कर रखा है।
- हम अपने कर्मचारियों को उनकी तैनाती के स्थान पर कंपनी के स्वामित्व वाले आवास प्रदान करते हैं। जहां इस प्रकार का आवास उपलब्ध नहीं होता वहां यथा–लागू मकान किराया भत्ता/पट्टा लाभ प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है। गेल अपने कर्मचारियों को भवन निर्माण भत्ता भी प्रदान करता है। संबंधित स्थानों पर अपने कार्यपालकों को खेलकूद और मनोरंजन सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए क्लब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अपने मुख्य कार्यस्थलों – पाता और विजयपुर में हमने टाऊनशिप में ही अपने कर्मचारियों के लिए स्कूल सुविधाएं प्रदान की हैं। इसके साथ–साथ जहां संभव होता है, वहां टाऊनशिप के भीतर अथवा यथासंभव सबसे निकट स्थानों पर अस्पताल सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
- कम्पनी से अधिवर्षिता आयु प्राप्त कर, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं :
  - उनके खाते में जमा अवकाश के अनुसार अवकाश नकदीकरण।
  - कंपनी में की गई सेवा के आधार पर 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्यूटी।
  - विभिन्न नियमों की शर्त के अधीन पी.आर.एम.एस. (सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना)।
  - एक माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर स्मृति चिह्न ।
  - कंपनी की अधिवर्षिता लाभ निधि (एस.बी.एफ.) स्कीम के अनुसार पेंशन।
  - दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार।
  - शहरों/कस्बों के कार्य केन्द्रों पर तैनात किए गए कर्मचारियों को कम्पनी के पैनल में शामिल किए गए अस्पतालों में ओ.पी.डी. और इंडोर पद्धति सुविधा प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
  - हमारे कर्मचारी गेल परिवार के सदस्य हैं और इस परिवार में गेल स्थापना दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और इसी प्रकार अनेक अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनसे कर्मचारियों में आपसी सद्भाव की भावना पैदा होती है।

कर्मचारी को दीर्घावधि सेवा पुरस्कार देते हुए निदेशक परियोजना (दाए)

गेल में महिलाओं को मुख्यधारा में लाना

गेल समान अवसर प्रदान करने वाला नियोक्ता है जो अपनी कार्यबल विविधता से इसे प्रोत्साहित करता है तथा इसका विस्तार करता है। गेल समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का अनुपालन करता है और इसमें महिला–पुरुष के आधार पर वेतन में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हमारी मानव संसाधन नीतियों को अधिसूचित किया गया है और सभी कर्मचारियों को इनकी सूचना देने के लिए इन्हें व्यापक स्तर पर परिचालित किया जाता है। ई–मेल और मानव संसाधन परिपत्र, मानव संसाधन हस्त–पुस्तिका, कार्मिक मैनुअल और कर्मचारी फार्मों जैसे विभिन्न माध्यम से भी इन्हें सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने की हमारी सुपरिभाषित नीति है। इस नीति को निर्धारित करते समय हम अपने आचरण, अनुशासन और अपील (सी.डी.ए.) और प्रमाणित स्थाई आदेशों में प्रासंगिक संशोधन भी शामिल किए हैं ताकि कार्यस्थल पर इस प्रकार की स्थिति को पैदा होने से रोका जा सके। महिला कर्मचारियों को उचित महत्व और प्रतिनिधित्व प्रदान करने के विचार से हमने महिला प्रकोष्ठ की भी व्यवस्था

इंटर यूनिट क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान गेल की क्रिकेट टीम

की है। गेल का महिला प्रकोष्ठ महिला कर्मचारियों के संबंध में कम्पनी की योजनागत स्कीमों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा करने और जहां संभव हो इन स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिला विकास के पहलू को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। यह महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय महिला आयोग; स्कोप और सार्वजनिक क्षेत्र मंचों की महिलाओं (डब्ल्यू.आई.पी.एस.) के साथ भी महिला विकास से संबंधित कार्यों के बारे में सम्पर्क रखता है। गेल की महिला कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा को महत्व प्रदान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गेल की महिला कर्मचारी पुरस्कार स्कीम (जी.डब्ल्यू.ई.ए. एस.) को शुरू किया गया था जिसमें 1 लाख रुपए नकद, प्रमाण–पत्र, ट्राफी और प्रशस्ति–पत्र की व्यवस्था की गई है। इस स्कीम के तहत कार्यात्मक प्रबंधन, सामाजिक और सांस्कृतिक पहल के क्षेत्रों में अनुकरणीय निष्पादन करने के लिए दो पुरस्कार – कार्यकारी और गैर–कार्यकारी महिला कर्मचारियों को एक–एक पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग से एक–एक सदस्य तथा अग्रणी अकादमिकों को शामिल करके गठित की गई बाहरी ज्यूरी इस स्कीम के नामांकन का मूल्यांकन करती है। समाज में महिलाओं की भूमिका और महत्व पर ध्यान देने के लिए हम प्रति वर्ष दिनांक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं।

ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली

गेल प्रबंधन इस प्रकार की प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से सुव्यवस्थित, तीव्र, जवाबदेह, समयबद्ध और आसानी से सुलभ होने वाली हो। इसी के आधार पर गेल के मानव संसाधन दल ने अपनी 'ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली' को बनाया है और स्थापित किया है। इस वेब आधारित अनुप्रयोग को आंतरिक स्तर पर तैयार किया गया था। इस मॉडल के तौर–तरीके बिल्कुल सामान्य थे जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है :

चरण I : कोई पीड़ित कर्मचारी ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग करके अपनी शिकायत संबंधित मानव संसाधन प्रभारी को दर्ज करा सकता है जिससे संबंधित शिकायत को दर्ज कराने की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर इसका निपटान करने की अपेक्षा की जाती है। यह निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद वह शिकायत स्वत: कारपोरेट मानव संसाधन विभाग को उनकी ओर से निपटान करने के लिए अंतरित की जाएगी।

चरण II : यदि पीड़ित कर्मचारी संबंधित मानव संसाधन प्रभारी द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो वह अपील करके कारपोरेट मानव संसाधन विभाग के साथ उस मामले को उठा सकता है/सकती है। कारपोरेट कार्यालय के महाप्रबंधक (मानव संसाधन) इसके लिए निर्धारित किए गए हैं जो शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर संबंधित कर्मचारी को प्रत्युत्तर देंगे।

चरण III : पीड़ित कर्मचारी के कारपोरेट मानव संसाधन विभाग की ओर से दिए गए उत्तर से संतुष्ट न होने की स्थिति में वह ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग करके निदेशक (मानव संसाधन) को अपील कर सकता है/सकती है। निदेशक (मानव संसाधन) संबंधित कार्यकारी (कार्यकारियों) से इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार की अपील प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर संबंधित कर्मचारी को प्रत्युत्तर दे सकते हैं। संबंधित शिकायत का निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा किया गया इस प्रकार का निपटारा अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली में पंजीकृत कर्मचारियों की शिकायतों को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्ष इस प्रणाली में और सुधार किया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिकायतों के समाधान की पाक्षिक स्थिति से संबंधित रिपोर्ट गेल के सभी मानव संसाधन प्रभारी द्वारा प्रस्तुत की जाती है जिसे इसके बाद निदेशक (मानव संसाधन) के माध्यम से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की शिकायतों का बेहतर तरीके से निपटान किया जाता है।

संघ बनाने और सामूहिक समझौता करने की स्वतंत्रता

गेल ने कामगार यूनियन, अधिकारी संघ, महिला मंच, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ और इसी प्रकार के अन्य निकायों को मान्यता प्रदान करके और प्रोत्साहित करके अपने कर्मचारियों के संघ बनाने तथा सामूहिक समझौता करने के अधिकारों की स्वतंत्रता को बनाए रखा है। इस प्रकार के मंचों के माध्यम से कार्य, कार्य–निष्पादन हिस्सेदारी, कार्यनीतियों और कारोबार योजनाओं के बारे में भी सक्रिय रूप से पारदर्शिता बरती जाती है।
सौहार्दपूर्ण और मधुर औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए संघों और यूनियनों के साथ नियमित रूप से विचार–विमर्श किया जाता है। गेल में कारगर सामूहिक समझौता करने के लिए निम्नलिखित पद्धतियां अपनाई जाती हैं:

- कर्मचारी समूहों के साथ नियमित रूप से बातचीत करना
- श्रम प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना
- औद्योगिक विवादों का निपटान करना
- शिकायत निवारण प्रणाली
- संविदा आधारित श्रम/पी.ए.पी./सहकारी समितियों से संबंधित मुद्दे का समाधान करना
- श्रम कानूनों का अनुपालन करना
- समूहों के कार्य केन्द्र स्तरीय मुद्दों का रिकार्ड रखना/विश्लेषण करना
- दीर्घकालिक निपटान के लिए यूनियनों से बातचीत करना

हम स्वैच्छिक रूप से श्रम करने और काम करने के अधिकार में विश्वास रखते हैं। भारत सरकार के निदेशों के अनुसार हम श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने सहित सांविधिक भुगतान के साथ न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को सुनिश्चित करते हैं। न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि के भुगतान, संविदा आधारित श्रमिक को कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, अन्य सांविधिक लाभ/भुगतान आदि के तहत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए गेल की नीति में ही अंतर्निर्मित प्रावधान किए गए हैं और नियमित आधार पर अनुपालन जांच भी की जाती है। गेल में संविदाकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने संबंधित श्रमिकों को दुर्घटना बीमा स्कीम के तहत शामिल करें। विभिन्न संविदाकारों को अन्य सांविधिक दायित्वों के अतिरिक्त उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन भुगतान किया जाता है। प्रत्येक कार्य केन्द्र का प्रभारी इंजीनियर यह सुनिश्चित करता है कि संविदाकारों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रासंगिक श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाए। हमारी नीति ऐसी है जिसमें रोजगार के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है और बाल श्रम पर कठोरतापूर्वक रोक लगाई है।

गेल में कामगारों और कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली दो यूनियन हैं। गेल कर्मचारी संघ (जी.ई.ए.) ऐसे गैर–कार्यपालकों का प्रतिनिधि निकाय है जो कारपोरेट कार्यालय को छोड़कर पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/संयंत्रों/स्थापनाओं में तैनात किए गए हैं जबकि कारपोरेट कार्यालय में तैनात किए गए गैर–कार्यपालकों का प्रतिनिधित्व गेल कर्मचारी संघ (जी.के.एस.) करता है। गेल के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व गेल अधिकारी संघ (जी.ओ.ए.) करता है।

मानव संसाधन निदेशालय का सदैव यह प्रयास रहता है कि नीति की समीक्षा करने और नई स्कीमों को शुरू करने सहित मानव संसाधन के विभिन्न मुद्दों की प्रगति से कर्मचारी समूहों को जोड़ा जाए। कारपोरेट स्तर पर विभिन्न सतत् मुद्दों के बारे में यूनियनों और संघों के साथ विचार–विमर्श करने के उद्देश्य से मानव संसाधन निदेशालय ने विभिन्न समूहों, कार्यों और कार्य केन्द्रों की ओर से नामांकित वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों की समिति गठित की गई है। कार्य केन्द्र स्तर पर इस समिति में प्रभारी अधिकारी, मानव संसाधन और अन्य विभागों के अध्यक्ष शामिल किए जाते हैं। कार्य केन्द्रों और कारपोरेट स्तर पर मासिक द्विमासिक/तिमाही बैठकों के माध्यम से कर्मचारी समूहों के साथ विचार–विमर्श किया जाता है। विभिन्न कार्य केन्द्रों पर किए गए विचार–विमर्श को मासिक आधार पर निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा कारगर निगरानी किए जाने के लिए कारपोरेट कार्यालय में एकत्र किया जाता है। ऐसे लम्बित मुद्दों जिन पर कारपोरेट कार्यालय की सहायता/हस्तक्षेप जरूरी होते हैं, उनका समाधान कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा किया जाता है और निदेशक (मानव संसाधन) के मार्गदर्शन में कार्य केन्द्रों को इस संबंध में सूचित किया जाता है। कारपोरेट स्तर पर किए गए विचार–विमर्श के अनुसार विभिन्न मुद्दों को रिकार्ड भी किया जाता है और उनका त्वरित समाधान किया जाता है।

कारपोरेट स्तर पर विभिन्न कर्मचारी समूहों अर्थात् जी.ओ.ए./जी.ई.ए./जी.के.एस./जी.एस.ई.डब्ल्यू.ए. के संघ अनेक सत्र/बैठकें आयोजित की गई हैं और उनके द्वारा उठाए गए लगभग सभी मुद्दों का सावधानीपूर्वक समाधान किया गया है और निपटारा किया गया है। प्रबंधन में कर्मचारी सहभागिता और नीति–निर्माण प्रक्रिया में उन्हें कारगर ढंग से शामिल करना हमारी कम्पनी के दर्शन का अभिन्न भाग रहा है। संगठनात्मक संस्कृति के संरक्षक के रूप में मुक्त संचार और प्रगतिमूलक औद्योगिक संबंध जैसे पहलुओं को मानव संसाधन निदेशालय ने पहलों के रूप में कार्यान्वित किया है ताकि इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया जा सके। हमारी मुक्त प्रवेश नीति, अनौपचारिक संचार चैनल और अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशक सहित वरिष्ठ कार्यकारियों के आसानी से उपलब्ध रहने के कारण नीति–निर्माण प्रक्रिया में विचार करने/शामिल करने के लिए कर्मचारी फीडबैक को शामिल करना सुनिश्चित होता है। इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं है जब किसी कर्मचारी को वरिष्ठ कार्यपालकों से बातचीत करने से रोका गया हो।

गेल में इस प्रकार के अनेक मंच हैं जिनसे संगठन की नीति निर्माण प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी और कर्मचारी कल्याण से संबंधित मुद्दों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इनमें कुछ को नीचे सूचीबद्ध किया गया है :–

- कर्मचारी कल्याण समिति
- कैंटीन समिति
- गुणवत्ता सर्किल

- आवास आबंटन सलाहकार समिति
- गेल कर्मचारी अंशदान भविष्य निधि न्यास
- ग्रेच्युटी न्यास
- गेल कर्मचारी अधिवर्षिता लाभ निधि न्यास

गेल में मानवाधिकार

गेल भारतीय संविधान के मानवाधिकार घटकों, राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों तथा मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय विधेयक/संधियों की विषय–वस्तु को भलीभांति समझता है। हमारा मानना है कि मानवाधिकारों की प्रकृति अंतर्निहित, सार्वभौमिक, अविभाज्य तथा एक–दूसरे पर निर्भर करती है। हम विभिन्न समुदायों और समाज के कमजोर तथा उपेक्षित वर्गों सहित कार्यस्थल के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर अपने स्टेकहोल्डरों तथा संबंधित समूहों के मानव अधिकारों के महत्व को समझते हैं और इनका सम्मान करते हैं। हमने मई, 2011 में यू.एन.जी.सी. सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इस प्रकार हमने मानवाधिकारों का समर्थन करने के बारे में वैश्विक प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मानवाधिकार अधिनियम, 1993 (संशोधन अधिनियम, 2006 सहित), भारतीय संविधान और श्रम कानूनों के अनुसार हमने अपनी नीतियों को उपयुक्त रूप से और सुविचारित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया है। हम भारत सरकार की ओर से समाज के अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करते हैं। समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए हम खुली और कैम्पस भर्ती के माध्यम से सामान्य भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त विशेष भर्ती अभियान चलाते हैं। गेल के कर्मचारियों पर सी.डी.ए. (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1986 लागू होते हैं और इनमें मानवाधिकारों के संरक्षण के सिद्धांतों को शामिल किया गया है।

शामिल किए जाने वाले सभी कर्मचारियों को सी.डी.ए. नियमों की जानकारी दी जाती है ताकि वे इसे भलीभांति समझ सकें। हम अपनी पढ़ो और बढ़ो पहल के माध्यम से बाल श्रम का उन्मूलन करने और बच्चों का बचपन बचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिवर्ष दिनांक 12 जून को *पढ़ो और बढ़ो – नन्हे–मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है* नामक बाल श्रम रोधी दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करके और इन उपेक्षित बच्चों पर विशेष ध्यान देने का प्रयास करके बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

गेल में संपूर्ण और सकारात्मक कार्यक्रम

गेल में एक सुपरिभाषित भर्ती नीति है जो भारत सरकार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित दिशा–निर्देशों के अनुरूप है, जिससे हम संगठन में समग्र विकास करने और विविधता लाने में सक्षम हुए हैं। जहां तक आरक्षण का संबंध है, हम संगठन में भर्ती करने के दौरान सरकार के मानदण्ड़ों का अनुपालन करते हैं। एक आदर्श नियोक्ता और सामाजिक रूप से जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में हम अपने कर्मचारियों, उनके परिवारों और व्यापक रूप से आम जनता के सामने पेश आ रहे सामाजिक, स्वास्थ्य और नैतिक मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम विभिन्न प्रकार की पहलों के माध्यम से अपने स्टेकहोल्डरों के बीच एच.आई.वी./एड्स को फैलने से रोकने और नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे संघर्ष का समर्थन करते हैं। हमने एच.आई.वी./एड्स से बचने और नियंत्रित करने के लिए एक कार्यस्थल नीति तैयार की है। इस नीति का विस्तृत उद्देश्य एच.आई.वी./एड्स महामारी के कारण पड़ने वाले प्रभाव को कम करने और रोकने के लिए राष्ट्रीय प्रतिक्रिया निर्धारित करने हेतु भारत सरकार की एच.आई.वी./एड्स से संबंधित राष्ट्रीय नीति के अनुरूप हैं।

गेल में स्वास्थ्य और संरक्षा उपाय

हम अपने सभी प्रचालनों में कड़ी संरक्षा कार्य–पद्धति का अनुपालन करते हैं और अपने सभी प्रासंगिक स्टेकहोल्डरों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक कार्य–दशाओं को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। कर्मचारियों का मनोबल और उत्पादन क्षमता को ऊंचा बनाए रखने में संरक्षा तथा स्वास्थ्य के पहलू महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने प्रचालनों में प्रचालन संहिता के भाग के रूप में संरक्षा सुनिश्चित करना और संरक्षा संस्कृति को प्रोत्साहित करना गेल की ओर से विशेष ध्यान दिए जाने का मुख्य क्षेत्र है। पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं और ओ. एण्ड एम. कार्यकलापों के विशाल क्षेत्र तथा कारोबार प्रचालनों से सम्बद्ध आंतरिक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह उचित है कि सभी संरक्षा दिशा–निर्देशों तथा विनियमों का

वार्षिक एचएसई कार्यशाला के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक

अनुपालन किया जाना बेहद जरूरी है।

गेल में इसके बोर्ड की एच.एस.ई. उप–समिति इसके प्रचालनों के स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण निष्पादन की निगरानी तथा समीक्षा करती है। एच.सी.ई. मुद्दों के बारे में विचार–विमर्श करने तथा संबंधित कार्रवाई करने के लिए प्रति वर्ष इस समिति की तीन बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष भी ''आपदा प्रबंधन'' के संबंध में गेल की 13वीं एच.एस.ई. कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला का हमारे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने उद्घाटन किया था और इसमें सभी कार्यात्मक निदेशकों तथा एच.एस.ई. उप–समिति के अध्यक्ष ने भाग लिया था। इसमें किसी आपदा से निपटने की पद्धतियों के संबंध में कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) और तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ.आई.एस.डी.) से देश के अग्रणी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था और उन्होंने हमारे कर्मचारियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से बातचीत की थी। दिनांक 8 अक्तूबर, 2012 को निदेशक (बी.डी.) ने ऑनलाइन एच.एस.ई. रिपोर्टिंग प्रणाली का शुभारंभ किया था।

प्रत्येक वर्ष की भांति वर्ष 2011–12 के लिए ''सर्वोत्तम एच.एस.ई. निष्पादन'' हेतु सी.एम.डी. ट्राफी की घोषणा की गई थी। इस वर्ष की सी.एम.डी. ट्राफी के विजेता इस प्रकार हैं:

श्रेणी–I : गैस प्रोसेसिंग और पेट्रोकैमिकल यूनिट : गैस प्रोसेसिंग यूनिट वाघोडिया

श्रेणी–II : एन.जी. कम्प्रेसर स्टेशन और एल.पी.जी. बूस्टर स्टेशन : कम्प्रेसर स्टेशन, विजयपुर

श्रेणी–III : प्राकृतिक गैस और एल.पी.जी. टर्मिनल : चेरलापल्ली, वी.एस.पी.एल पाइपलाइन

हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से संरक्षा प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। इस वर्ष आयोजित किए गए कुछ मुख्य प्रशिक्षण सत्रों में ''संरक्षा नेतृत्व'' और ''संरक्षा नेतृत्व तथा संस्कृति परिवर्तन'' के संबंध में ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा आयोजित तकनीकी विचार–विमर्श सत्र शामिल है। इसके अतिरिक्त हमने गेल की स्थापनाओं में संरक्षा अवधारणा सर्वेक्षण और अंतराल विश्लेषण पूरा किया है। एच.एस.ई. प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए कारपोरेट एच.एस.ई. अधिकारियों द्वारा विभिन्न गेल स्थापनाओं के 60 से भी अधिक दौरे किए गए थे।

जनवरी, 2013 में हमारे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने गेल की विस्तृत अग्नि संरक्षा नीति का शुभारंभ किया था। यह नीति सभी गेल कार्यस्थलों के बारे में जारी किए गए एकीकृत अग्नि संरक्षा मैनुअल पर आधारित है। गेल के सभी कार्यस्थलों की आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ई.आर.डी.एम.पी.) को पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) को प्रस्तुत किया गया था। पी.एन.जी.आर.बी. ने तृतीय पक्षकार निरीक्षण एजेंसियों द्वारा अनुमोदित मॉक ड्रिल के माध्यम से इन योजनाओं तथा हमारी आपातकालीन तैयारी स्तरों की पुनः जांच करता है। गेल के अग्नि संरक्षा सदस्यों ने दिनांक 5 जनवरी, 2013 को आग लग जाने के दौरान आई.ओ.सी.एल. हजीरा में अग्निशमन कार्यकलापों में सक्रिय भागीदारी की। गुजरात के सूरत जिला प्रशासन ने इन प्रयासों की सराहना की थी।

हमारी एक व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच समिति है जिसकी सहायता करने के लिए 6 स्थानीय स्तर की व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच समितियों की व्यवस्था की गई है और कर्मचारियों की सतत् निगरानी करने तथा उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रत्येक तिमाही में इसकी बैठक आयोजित की जाती है। निगमित एच.एस.ई. विभाग ने एक व्यावसायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ पाता में व्यावसायिक स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उनके प्रबंधन की जांच की थी। इस वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में व्यावसायिक स्वास्थ्य समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं। व्यावसायिक स्वास्थ्य समिति के सदस्यों में निगमित और मुख्य कार्यस्थलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

एच.एस.ई. निष्पादन प्रवृत्तियां
(पिछले 5 वर्ष का एच.एस.ई. सूचकांक)

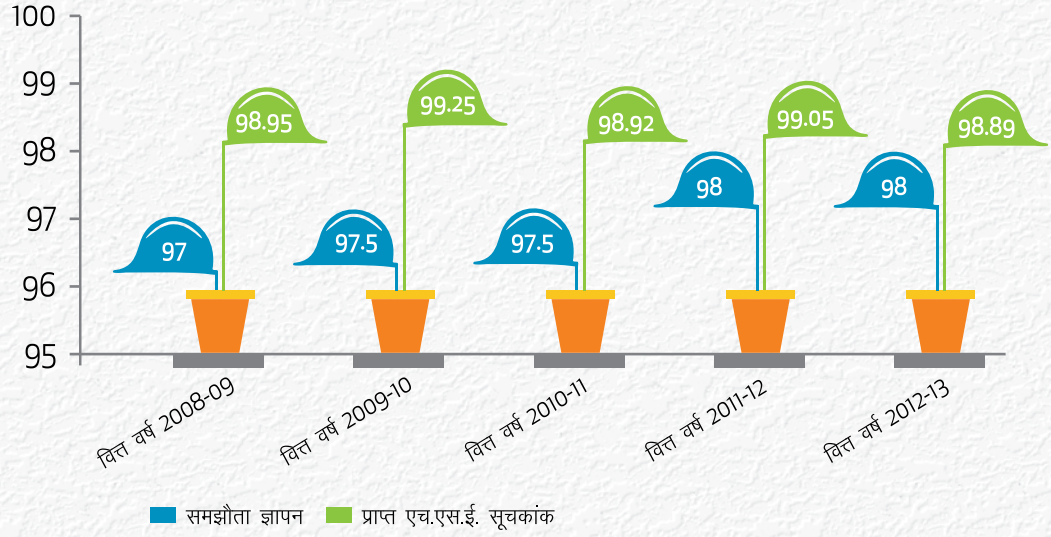

गेल में सुरक्षा सुनिश्चित करना

हमने अपने सभी प्रचालन स्थानों पर अद्यतन विशेषज्ञता से युक्त सुव्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारियों सहित सुरक्षा प्रणाली स्थापित की है। ये सावधानियां किसी अप्रत्याशित आंतरिक अथवा बाहरी चुनौतियों से बचने और उससे निपटने में सक्षम होने के लिए बरती गई हैं। हमारी अधिकांश परिसम्पत्तियां राष्ट्रीय महत्व की हैं और इन परिसम्पत्तियों के संबंध में घटने वाली किसी घटना के अनिवार्य रूप से सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक परिणाम होंगे। चूंकि ये स्थापना और पाइपलाइन धरना, प्रदर्शन की चुनौतियों का सामना करती हैं तथा इन पर आतंकवादी हमला होने की संभावना है इसलिए हमने प्रौद्योगिकी तथा मानवीय उपायों के माध्यम से इनकी सुरक्षा करने के लिए भारी निवेश को जारी रखा है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) कार्मिक और पुनर्वास महानिदेशालय (डी.जी.आर.), भूतपूर्व सैनिक विभाग (रक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के माध्यम से भर्ती किए गए सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों के साथ–साथ गेल का सुरक्षा दल हमारी सभी स्थापनाओं तथा पाइपलाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

हम विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानदण्डों को शामिल करते हुए मानवाधिकारों के पहलुओं के बारे में अपने सुरक्षा कार्मिकों के लिए विस्तृत प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हम जनता के अधिकारों का सम्मान करें तथा उन्हें बनाए रखें; जाति, धर्म, नस्ल, वंश, महिला–पुरूष, भाषा अथवा रंग के आधार पर भेदभाव करने से बचें; किसी व्यक्ति की निजता के बारे में अनावश्यक हस्तक्षेप को प्रोत्साहित न करें; किसी अमानवीय और हतोत्साहित करने वाले व्यवहार से बचें और शक्ति अथवा अग्निशस्त्रों का उपयोग करने के लिए कठोर दिशा–निर्देशों की व्यवस्था करें।

हम अपने सुरक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) से सम्पर्क करने की भी योजना बना रहे हैं। हम कम्पनी की परिसम्पत्तियों, कार्मिकों और प्रचालनों की इस तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों का सम्मान बना रहे।

सुरक्षा जागरूकता

गेल में 13 से 18 दिसम्बर, 2012 तक 11वां सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए गए। गेल में तैनात की गई सभी 06 सी.आई.एस.एफ. यूनिटों के बीच ''बम विस्फोट'' और ''आतंकवादी फायरिंग'' की परिस्थितियों में किया जाने वाला सुरक्षा आपात प्रतिक्रिया अभ्यास (एस.ई.आर.डी.) किया गया। इस मॉक परिस्थिति के निष्पादन और कारगर प्रतिक्रिया के आधार पर मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल ने गेल, लकवा को सर्वोत्तम यूनिट घोषित करने का निर्णय लिया था। जागरूकता सप्ताह के उद्घाटन दिवस पर गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने ओ.आई.सी. और सी.आई.एस.एफ. अध्यक्ष, गेल, लकवा को रोलिंग ट्राफी से सम्मानित किया।

इस वर्ष के दौरान निदेशक (मानव संसाधन) की अध्यक्षता में दो सुरक्षा समीक्षा (एस.आर.एम.) बैठकें आयोजित की गईं जिनमें सभी सुरक्षा प्रभारियों तथा सुरक्षा का कार्य देखने वाले मानव संसाधन प्रभारियों ने भाग लिया था। इनमें गेल में सुरक्षा प्रभावकारिता को बेहतर करने के लिए कार्य–योजना शुरू करने के साथ–साथ विभिन्न सुरक्षा मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया था।

सुरक्षा संवेदनशीलता कार्यशालाएं

निगमित सुरक्षा विभाग ने सभी 34 सुरक्षा कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों को शामिल करके ''सुरक्षा प्रबंधन'' के संबंध में जी.टी.आई., नोएडा के माध्यम से दो दिवसीय विस्तृत कार्यशालाओं की योजना बनाई और उन्हें आयोजित किया। इन कार्यशालाओं में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया :–

सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ

- वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य
- सुरक्षा व्यवस्था का प्रभाव और इससे की जाने वाली अपेक्षाएं
- सुरक्षा संरचना – डिज़ाइन प्रणाली और प्रचालन
- संघर्ष और तनाव सुरक्षा प्रबंधन
- आत्मरक्षा के सिद्धांत
- महत्वपूर्ण सुरक्षा, जोखिम विश्लेषण और हानि से बचना
- वैयक्तिक सुरक्षा, सावधानी और आत्मरक्षा उपायों से संबंधित निदर्शन
- पेट्रोलियम और पाइपलाइन अधिनियम, अनिवार्य वस्तु अधिनियम
- समाज–विरोधी गतिविधियां, शस्त्र और विस्फोटक सामान निरोधक अधिनियम
- सुरक्षा व्यवस्था में इलेक्ट्रानिक्स का उपयोग
- आपातकालीन प्रत्युत्तर और सुरक्षा की भूमिका
- सुरक्षा सर्वेक्षण और लेखा–परीक्षा
- अपहरण और बंधक बनाने की घटना निरोधक प्रबंधन

उपर्युक्त के अलावा गेल के निगमित कार्यालय, नोएडा और एन.सी.आर. में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आसूचना ब्यूरो के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए। इस प्रकार के सत्रों और कार्यशालाओं के अतिरिक्त वर्ष में दो बार हमारे सुरक्षा कार्यपालकों को गेल के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए नामांकित किया जाता है। इस प्रकार सभी कर्मचारियों को वर्ष में दो बार सुरक्षा संबंधी विषयों की जानकारी प्रदान की जाती है। इस वर्ष 898 कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी मामलों के बारे में प्रशिक्षित किया गया है।

संविदा आधारित सुरक्षा कार्मिकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण

यद्यपि डी.जी.आर. के सुरक्षा कार्मिकों को सेवाकाल के दौरान ही प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर भी उनकी कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए उन्हें सतत् प्रशिक्षण दिया जाता है। संविदा आधारित कार्मिकों के लिए आई.एस.ओ. लेखा–परीक्षा करने के लिए नामांकित सुरक्षा कार्यपालक द्वारा वर्ष में दो बार और संबंधित स्थापना के स्थानीय सुरक्षा प्रभारी द्वारा 3 माह में एक बार सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। इस प्रकार हमारे संविदा आधारित सुरक्षा गार्डों की प्रत्येक यूनिट के लिए प्रति वर्ष कुल छः प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण सत्रों में अन्य बातों के साथ–साथ पहुंच नियंत्रण, अनुशासन, औद्योगिक सुरक्षा, गैजेट का उपयोग, गश्त लगाने, रिपोर्ट लिखने, आपातकालीन परिस्थिति में सुरक्षा की भूमिका, क्या करें और क्या न करें, आधारभूत अग्नि–सुरक्षा, मानक प्रचालन कार्य–पद्धति, पाइपलाइन पैदल गश्त को शामिल किया गया। इस वर्ष कुल 2115 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

हमारे पास 4300 कार्मिकों का सुरक्षा कार्यबल है, जिसमें 800 सुरक्षा कार्मिक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हैं और 3500 कार्मिक डी.जी.आर. (यह आंकड़ा गेल में कुल सुरक्षा कर्मचारियों का है) के माध्यम से चुने गए हैं। सी.आई.एस.एफ., जो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है, ने पूरी सेवा के दौरान अपने विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्य–पद्धति निर्धारित कर रखी है जिसमें उन्हें मानवाधिकारों और महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने सहित औद्योगिक सुरक्षा तथा सावधानी के सभी पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है।

महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित पहल

इस वर्ष हमने महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है और उनकी वैयक्तिक सुरक्षा तथा रक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में महिला कर्मचारियों और महिला निवासी/पति–पत्नी/किशोर बालिकाओं को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। कालोनी/सोसाइटी के लगभग सभी निवासियों को शामिल करके अलग–अलग बैच में ''आत्मरक्षा'' के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशालाएं एक बाहरी एजेंसी के माध्यम से आयोजित की गईं और ये व्याख्यान–निदर्शन पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त निगमित कार्यालय पर महिला कर्मचारियों और अन्य मुख्य कार्य केन्द्रों पर तैनात की गई अन्य महिलाओं के लिए वैयक्तिक सुरक्षा पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केवल महिलाओं के लिए व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया। इस वर्ष हमने गेल में कार्य कर रहीं सभी महिला कर्मचारियों के लिए आत्मरक्षा के हैंडी औजार जैसे आंखों में मिर्च झोंकने वाला स्प्रे वितरित करने की बेमिसाल पहल शुरू की है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न आंतरिक सुरक्षा लेखा–परीक्षकों द्वारा अपने द्विवार्षिक दौरों के दौरान गेल की 14 टाऊनशिप की सभी महिला कर्मचारियों को सुरक्षा जानकारी प्रदान करना जारी रखा गया।

संक्षिप्त निष्पादन विवरण

हमारा पर्यावरण निष्पादन

सामग्री खपत

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
संसाधित प्राकृतिक गैस	एमएमएससीएम	14601.13	14849.11	15119.53	14373.41
उत्पाद तैयार करने के लिए प्रयुक्त प्राकृतिक गैस	एमएमएससीएम	1123.43	1060.21	1136.57	1080.33
पाइपलाइन में वापस भेजी गई प्राकृतिक गैस	एमएमएससीएम	13121.74	13342.26	13418.95	12944.06
अन्य सामग्री[1]	मीट्रिक टन	8869.86	10412.00	9916.43	10630.56
पैकेजिंग सामग्री	मीट्रिक टन	2128.00	2112.00	2249.00	2208.00

ऊर्जा खपत

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
प्रत्यक्ष ऊर्जा[2]	जी.जे.	37452841.61	38281008.47	39012486.03	37359155.95
अप्रत्यक्ष ऊर्जा[3]	जी.जे.	971397.52	1039694.31	1166546.11	1118455.42
नवीकरणीय ऊर्जा	जी.जे.	546.36	33784.30	54880.74	838594.00
प्राकृतिक गैस फ्लेयरिंग से ऊर्जा	जी.जे.	393032.80	379338.37	337453.16	367375.07
एल.पी.जी. फ्लेयरिंग से ऊर्जा	जी.जे.	892.98	987.43	4922.70	2472.37
प्राकृतिक गैस वेंटिंग से ऊर्जा	जी.जे.	97180.46	115026.50	133305.52	444484.41
एल.पी.जी. वेंटिंग से ऊर्जा	जी.जे.	4283.81	2789.28	3738.54	2618.53
कुल ऊर्जा बचत	जी.जे.	..	672231.73	1174649.79	155608.85

उत्सर्जन

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन[4]	टीसीओ$_2$ई	2230643.31	2261552.33	2363704.91	2381805.60
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन[5]	टीसीओ$_2$ई	243528.03	260646.86	259257.40	243423.97
कुल जी.एस.जी. उत्सर्जन	टीसीओ$_2$ई	2474171.34	2522199.19	2622962.31	2625229.58

पानी

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
पानी की खपत	एम^3	12818938.09	13811971.82	14077208.93	13855143.06
प्राप्त किया गया बेकार पानी	एम^3	1298756.40	1629270.27	2255076.53	2437812.64
यूनिट से निकलने वाला बेकार पानी	एम^3	710547.00	854256.62	1331330.45	1200865.63
पानी को रिसाइकल करना	एम^3	562291.03	736895.45	868490.41	1113396.22

उत्पन्न होने वाला खतरनाक कचरा

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
प्रयुक्त तेल	लीटर	21126.00	42588.08	58150.00	10410.00
प्रयुक्त बैटरी	संख्या	225.00	610	138.00	849.00
बास्केट फिल्टर कचरा	मीट्रिक टन	2.82	3.52	84.48	4.75
ई.टी.पी. स्लज	मीट्रिक टन	0.00	0.00	6.00	0.00
टार	मीट्रिक टन	3.35	19.50	2.45	17.40
टार राख	मीट्रिक टन	0.00	15.20	10.02	0.00
तैलीय कीचड़	मीट्रिक टन	300.00	282.00	343.43	341.07
प्रयुक्त ल्यूब तेल	लीटर	141487.97	168604.93	94779.57	82411.00
खाली ड्रम	संख्या	213.00	220.00	8694.00	6199.00
ई–अवशिष्ट	मीट्रिक टन	35.20	45.19	312.25	2.22
जैव–चिकित्सा अवशिष्ट	मीट्रिक टन	0.15	0.23	0.21	0.58
स्लोप ऑयल	लीटर	117226.70	136237.05	446603.00	325027.73

उत्पन्न होने वाला ऐसा कचरा जो खतरनाक नहीं है

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
उपयुक्त सामग्री	मीट्रिक टन	0.48	0.56	0.00	0.06
उपयुक्त बैग फिल्टर	संख्या	1090.00	869.00	982.00	2202.00
खाली बैरल	संख्या	419.00	257.00	253.00	0.00
धातु कचरा	मीट्रिक टन	264.73	385.18	631.74	642.50
प्लास्टिक कचरा	मीट्रिक टन	15.78	17.18	46.80	164.72
लकड़ी का कचरा	मीट्रिक टन	12.60	0.70	235.74	442.21
स्पेंट एल्यूमिना	मीट्रिक टन	1168.51	1221.73	1151.70	1196.89
सिलिका जैल	मीट्रिक टन	24.01	45.51	45.01	45.05
सेल्यूलोज कीचड़	मीट्रिक टन	0.28	0.14	0.16	0.21
कैंटीन कचरा	मीट्रिक टन	10.60	11.20	12.57	41.52
मॉलीक्यूलर सीव	मीट्रिक टन	0.00	100.00	0.43	223.19
सिरामिक सामग्री	संख्या	116.00	0.00	0.00	19.15
एल्यूमीनियम कचरा	मीट्रिक टन	1.05	0.36	0.74	0.00
विविध अवशिष्ट	मीट्रिक टन	..	13.81	24.88	9.30

वायु उत्सर्जन

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
एस.पी.एम.	टन प्रति वर्ष	831.43	906.15	1012.48	911.62
एन.ओ.एक्स.	टन प्रति वर्ष	815.19	710.46	695.48	848.23
कार्बन मोनो ऑक्साइड	टन प्रति वर्ष	0.02	0.04	0.03	0.00
एस.ओ.एक्स.	टन प्रति वर्ष	238.69	258.91	192.89	178.06
वी.ओ.सी.	टन प्रति वर्ष	0.02	0.01	0.01	0.02

ओ.डी.सी. गैस खपत

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
आर–22	कि.ग्रा.	2204.50	2393.30	2298.94	2777.66

कुल पर्यावरण संरक्षण निवेश और व्यय का प्रकार

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
प्राप्त हुए कारण बताओ नोटिस	संख्या	0.00	0.00	1.00	0.00
पर्यावरण संबंधी जुर्माना	करोड़ रुपए	0.00	0.00	0.00	0.00
पर्यावरण संबंधी व्यय	करोड़ रुपए	3.73	5.89	6.34	5.39

हमारा सामाजिक निष्पादन

स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
सुरक्षा समितियों में प्रबंधन प्रतिनिधित्व	संख्या	218.00	235.00	245.00	247.00
सुरक्षा समितियों में गैर–प्रबंधन प्रतिनिधित्व	संख्या	126.00	170.00	172.00	182.00

स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मचारी

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
बाल–बाल बचे व्यक्तियों के मामले	संख्या	173.00	179.00	156.00	157.00
मामूली चोट	संख्या	5.00	2.00	0.00	0.00
रिपोर्ट करने योग्य चोट – पुरुष	संख्या	0.00	2.00	0.00	0.00
रिपोर्ट करने योग्य चोट – महिला	संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00
रिपोर्ट करने योग्य चोट के कारण ह्रास हुए दिनों की संख्या	संख्या	0.00	115.00	0.00	0.00
घातक मामले – पुरूष	संख्या	0.00	1.00	0.00	0.00
घातक मामले – महिला	संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00
प्राथमिक उपचार मामले	संख्या	8.00	20.00	17.00	11.00

काम के श्रम घण्टे	श्रम घण्टे	6280243.00	6355332.00	6584731.00	5603054.00
एल.टी.आई.एफ.आर.	प्रति मिलियन श्रम घण्टे	0.00	0.74	0.00	0.00
गंभीरता दर	प्रति मिलियन श्रम घण्टे	0.00	42.30	0.00	0.00
मृत्यु दर – पुरुष	प्रिति मिलियन श्रम घण्टे	0.00	0.37	0.00	0.00
मृत्यु दर – महिला	प्रिति मिलियन श्रम घण्टे	0.00	0.00	0.00	0.00

स्वास्थ्य और सुरक्षा ठेका श्रमिक

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
बाल–बाल बचाव के मामले	संख्या	177.00	189.00	208.00	184.00
मामूली चोट	संख्या	12.00	28.00	3.00	0.00
रिपोर्ट करने योग्य चोट – पुरूष	संख्या	0.00	1.00	0.00	0.00
रिपोर्ट करने योग्य चोट – महिला	संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00
रिपोर्ट करने योग्य चोट के कारण ह्रास हुए दिनों की संख्या	संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00
घातक मामले – पुरूष	संख्या	1.00	2.00	0.00	0.00
घातक मामले – महिला	संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00
प्राथमिक उपचार मामले	संख्या	120.00	110.00	73.00	57.00
काम के श्रम घण्टे	श्रम घण्टे	16886211	20145368.00	30669256.00	16682966.00
एल.टी.आई.एफ.	प्रिति मिलियन श्रम घण्टे	0.00	0.11	0.00	0.00
गंभीरता दर	प्रिति मिलियन श्रम घण्टे	0.00	0.00	0.00	0.00
मृत्यु दर – पुरुष	प्रिति मिलियन श्रम घण्टे	0.12	1.87	0.00	0.00
मृत्यु दर – महिला	प्रिति मिलियन श्रम घण्टे	0.00	0.00	0.00	0.00

प्रशिक्षण

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
प्रबंधन कर्मचारी (प्रत्यक्ष)– पुरूष	प्रशिक्षण श्रम घंटे	92691	99218	107250	129831
प्रबंधन कर्मचारी (प्रत्यक्ष)– महिला	प्रशिक्षण श्रम घंटे	3960	5974	5445	7210
कामगार (प्रत्यक्ष कर्मचारी)– पुरूष	प्रशिक्षण श्रम घंटे	47102	48595	29071	26493
कामगार (प्रत्यक्ष कर्मचारी)– महिला	प्रशिक्षण श्रम घंटे	1656	1392	1520	1268
अनुबंधित श्रमिक (प्रचालन)– पुरूष	प्रशिक्षण श्रम घंटे	30197	28617	38944	41835
अनुबंधित श्रमिक (प्रचालन)– महिला	प्रशिक्षण श्रम घंटे	5	0	0	670

कर्मचारी श्रेणी [6]

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
वरिष्ठ प्रबंधन	संख्या	164	192	208	225
मध्यम प्रबंधन	संख्या	1237	1275	1317	1336
कनिष्ठ प्रबंधन	संख्या	1291	1429	1501	1525
गैर–प्रबंधन कामगार	संख्या	1002	973	911	868
कर्मचारी– पुरूष	संख्या	3495	3652	3715	3720
कर्मचारी– महिला	संख्या	199	217	222	234
विलगन दर– पुरूष	प्रतिशत	0.69	0.49	0.70	1.13
विलगन दर– महिला	प्रतिशत	0.50	0.92	0.0	0.85
सुरक्षा कर्मचारी– पुरूष	संख्या	..	..	..	2129.00
सुरक्षा कर्मचारी– महिला	संख्या	..	..	..	161.00
अनुबंधित कामगार– पुरूष	संख्या	..	..	..	6999
अनुबंधित कामगार– महिला	संख्या	..	..	..	518

हमारा आर्थिक निष्पादन

अर्जित किया गया और वितरित किया गया आर्थिक मूल्य

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
राजस्व	करोड़ रुपए	2,55,572	3,29,837	4,11,745	4,83,572
प्रचालन लागत	करोड़ रुपए	2,02,879	2,70,115	3,54,441	4,10,649
कर्मचारी वेतन और संबंधित लाभ	करोड़ रुपए	6,212	7,527	7,208	10,674
पूंजी प्रदान करने वालों को भुगतान	करोड़ रुपए	10,343	10,700	14,352	17,240
सरकार को भुगतान	करोड़ रुपए	16,478	15,530	17,769	17,056
सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता	करोड़ रुपए	0.00	0.00	0.00	0.00

स्थानीय आपूर्तिकर्ता

	यूनिट	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13
माल का कुल प्रापण और आपूर्ति	करोड़ रुपए	6286.00	4667.00	8128.48	5106.94
स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से माल का कुल प्रापण और आपूर्ति	करोड़ रुपए	3999.00	4046.00	6814.93	4060.49

[1] इस वर्ष हमने अपनी एल.पी.जी. पाइपलाइन, एन.जी. पाइपलाइन और कम्प्रेसर स्टेशनों के अन्य महत्वपूर्ण डाटा की निगरानी शुरू की।

[2,3] इस वर्ष हमने अपनी डाटा निगरानी और रिपोर्टिंग की यथार्थता दर में वृद्धि की है। कुछ साइटों में डीजल, ईंधन गैस और बिजली उपभोग के डाटा को सही किया गया है।

[4] हमारे स्कोप–1 उत्सर्जन को अलग–अलग गैस धारा (जैसे शेष गैस और फ्लेयर गैस) की कार्बन मात्रा के आधार पर सही किया गया है। इससे पहले यह अधिक था क्योंकि प्राकृतिक गैस के लिए आई.पी.सी.सी. मानक उत्सर्जन उपर्युक्त दो गैस धाराओं के लिए उपयोग किए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न गैस धारा के लिए मीथेन गैस के वास्तविक उपभोग को ध्यान में रखकर वेंटिंग उत्सर्जन गणना पद्धति को सही कर लिया गया है।

[5] हमारे स्कोप–2 उत्सर्जन को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत द्वारा प्रदान किए गए ग्रिड उत्सर्जन घटकों के इश्टतम उपयोग को ध्यान में रखकर सही किया गया है।

[6] गेल का कर्मचारी, प्रबंधन, गैर–प्रबंधन डाटा वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुसार है। पिछले वर्ष तक हमने मानव घंटों के आधार पर सुरक्षा कर्मियों और संविदा कार्यबल की रिपोर्ट दी थी। इस वर्ष हमने जेंडर सहित सुरक्षा कर्मियों और संविदा कार्यबल की रिपोर्टिंग के आधार पर भी गणना की है।

स्वतंत्र आश्वासन विवरण

गेल (इंडिया) लिमिटेड ने अपनी वर्ष 2012–13 की निगमित सतत् विकास रिपोर्ट में स्वतंत्र आश्वासन देने के लिए इमरजेंट वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया है। आश्वासन प्रक्रिया ए.ए.1000ए.एस.(2008) के अनुसार पूरी की गई है। इस रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए ए.ए.1000ए.पी.एस. (2008) में यथा–उल्लिखित समावेश, महत्व और प्रत्युत्तर क्षमता और जी.आर.आई. जी.3.1 दिशा–निर्देशों तथा जी.आर.आई. तेल और गैस क्षेत्र अनुपूरक (ओ.जी.एस.एस.) दिशा–निर्देशों का मानदण्ड के रूप में उपयोग किया गया है।

इस आश्वासन विवरण के लक्षित प्रयोक्ता गेल की सतत् विकास रिपोर्ट 2012–13 के पाठक हैं। गेल का प्रबंधन स्टेकहोल्डरों के साथ कार्य करने, उपयोग की गई सामग्री का पता लगाने और इस रिपोर्ट में दी गई सामग्री को एकत्र करने तथा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। गेल का प्रबंधन केवल आश्वासन, स्वतंत्र आश्वासन विवरण को और कम्पनी की ओर से सहमत निबंधन और शर्तों के अनुसार ही निष्पादित करने के लिए ही उत्तरदायी है। इसलिए इस आश्वासन विवरण के आधार पर किसी निवेश अथवा अन्यथा के संबंध में निर्णय लेने के लिए तृतीय पक्षकार के किसी उत्तरदायित्व को हम स्वीकार नहीं करते अथवा इस प्रकार की कोई धारणा नहीं रखते।

आश्वासन का क्षेत्र

स्वतंत्र आश्वासन विवरण को ए.ए.1000ए.एस. (2008) में यथा–निर्धारित आश्वासन का उदार स्तर प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इस आश्वासन के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. समावेश, महत्व और प्रत्युत्तर क्षमता के ए.ए.1000 ए.पी.एस. (2008) सिद्धांतों, ग्लोबल रिपोर्टिंग पहल के सिद्धांतों, जी 3.1 दिशा–निर्देश और जी.आर.आई. तेल और गैस क्षेत्र अनुपूरक (ओ.जी.एस.एस.) दिशा–निर्देशों के अनुपालन का मूल्यांकन करना।
2. अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट सतत् विकास सूचना की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना।

हमारा दृष्टिकोण

जून–जुलाई, 2013 की अवधि के दौरान आश्वासन प्रक्रिया की योजना बनाई गई थी तथा इसे पूरा किया गया था। हमारे परिणाम प्रासंगिक सूचना, रिपोर्ट की विषय–वस्तु और निष्पादन डाटा जिसमें स्टेकहोल्डरों को शामिल करने तथा इनका महत्व निर्धारित करने के लिए गेल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा शामिल की गई है, को अभिनिर्धारित करने तथा इनके आपसी संबंध की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रियाओं और कार्य–पद्धति की समीक्षा पर आधारित हैं। प्रासंगिक दस्तावेज, हमारे स्टेकहोल्डरों ने ए.ए.1000 ए.एस.1000ए.एस. (2008) के तहत आश्वासन के लिए यथा–अपेक्षित समावेश, महत्व और प्रत्युत्तर क्षमता के सिद्धांतों के आधार पर हमारे आश्वासन का आधार तैयार करते हैं।

हमारी समीक्षा के आधार पर हमने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. **कार्य–स्थल दौरा:** ई.वी.आई. दल ने गेल की सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सेट जिसमें तीन गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों (पाता, विजयपुर, ऊसर), एक पेट्रोरसायन संयंत्र (पाता), दो गैस कम्प्रेसर स्टेशनों (हजीरा, विजयपुर) और एक एल.पी.जी. पम्पिंग स्टेशन (आबू रोड) शामिल किए गए हैं, का दौरा किया है ताकि डाटा के स्रोत, साक्षात्कार डाटा धारकों का मूल्यांकन किया जा सके। ई.वी.आई. दल ने जी.टी.आई. और इन्फोहब, नोएडा और निगमित मुख्यालय, नई दिल्ली का भी दौरा किया।
2. **साक्षात्कार:** कार्य–स्थलों पर डाटा धारकों का साक्षात्कार लेने के अतिरिक्त हमने गेल में स्टेकहोल्डरों को शामिल करने और उनके महत्व को निर्धारित करने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्यालय पर सतत् विकास मुख्य दल का साक्षात्कार किया।
3. **आंकड़ों की वास्तविक जांच:** इस रिपोर्ट में विभिन्न संकेतकों के तहत प्रदान की गई सूचना का इसे एकत्र करने के तरीके तथा इसके स्रोत के साथ इसका समन्वय करके सत्यापन किया गया। इसके संबंध में हम आंतरिक एस.ए.पी. प्रणाली, बीजक, कार्य आदेश, विभिन्न विनियामक निकायों को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, कम्पनी के बिल, अंतर–विभागीय पत्राचार इत्यादि तथा कार्य–स्थल जांच और अवलोकन जैसे विभिन्न दस्तावेज तथा स्रोतों पर निर्भर रहे हैं। कुछ स्थानों, जहां हमें कम्पनी के आंतरिक दस्तावेज पर निर्भर रहना था, वहां हमने चूक होने के अवसर को कम से कम करने के लिए दो विभिन्न स्रोतों से पुन: सत्यापन करने का प्रयास किया है।

सीमाएं और अपवर्जन

1. इस आश्वासन का क्षेत्र इस रिपोर्ट में यथा–परिभाषित सीमा तक सीमित है और दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए है।
2. यह आश्वासन किसी उपभोग की गई सामग्री की माल–सूची, प्राप्त किए गए कचरे, उत्सर्जन और प्रवाह जैसे किसी भौतिक सत्यापन की शर्त के अधीन नहीं है।
3. इस आश्वासन के क्षेत्र में रिपोर्ट का ऐसा विवरण जिसमें कम्पनी के दृष्टिकोण, कार्यनीति, उद्देश्य, अपेक्षा, आकांक्षा अथवा विश्वास अथवा आशय का उल्लेख किया गया है, शामिल नहीं है।

एमरजेंट वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 5वां तल, यूनिवर्सल ट्रेड टावर, सेक्टर–49, गुड़गांव, हरियाणा–122001
दूरभाष:+91 1246658100, फैक्स:+91 1246658200, ई–मेल : contact@emergentventures.com
वेबसाइट : www.emergentventures.com

निष्कर्ष

अपनी समीक्षा के आधार पर हमने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले है :

हमारी राय मे गेल की इस तृतीय सतत् विकास रिपोर्ट मे कम्पनी द्वारा की गई सतत् विकास पहलो को उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। गेल ने इस प्रकार की प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं जिनसे यह कम्पनी के महत्वपूर्ण पहलुओं को अभिनिर्धारित करने, अपनी अधिकांश सुविधाओं के निष्पादन डाटा एकत्र करने और जी.आर.आई. जी3.3.1 दिशा–निर्देशो तथा जी.आर.आई. तेल और गैस क्षेत्र अनुपूरक (ओ.जी.एस.एस.) दिशा–निर्देशो के अनुपालन करने संबंधी सूचना प्रदान करने मे सक्षम हुई है।

ए.ए.1000ए पी.एस. (2008) के तहत इन तीन सिद्धांतों के अनुपालन से संबंधित हमारा अवलोकन इस प्रकार है :

विस्तृत: वास्तव मे हमें ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकें कि गेल ने स्टेकहोल्डरों को शामिल करने मे समावेश के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया है। विभिन्न विभाग इस संबंध में बहु–स्तरीय विनियोजन चैनलों के माध्यम से अपने प्रासंगिक स्टेकहोल्डरों के साथ नियमित सम्पर्क रखते है।

महत्व: गेल ने इस संबंध मे महत्व को निर्धारित करने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया का अनुपालन किया है। इस उद्देश्य के लिए किए गए कार्य और कार्यकलापों जैसे बातचीत, अवलोकन के अपने क्षेत्राधिकार के आधार पर हमें सतत् विकास निष्पादन से संबंधित ऐसे किसी महत्वपूर्ण पहलू का पता नही चला है जिसे इस रिपोर्ट मे शामिल न किया गया हो।

प्रत्युत्तर क्षमता : अपने अवलोकन, साक्षात्कार और प्रलेखन के आधार पर हमारा विश्वास है कि गेल ने अपने स्टेकहोल्डरों के संदर्भ में प्रत्युत्तर क्षमता के सिद्धांत को लागू किया है। हमें इस प्रकार का कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नही मिला है जिससे हम यह विश्वास कर सकें कि स्टेकहोल्डरों के साथ कार्य करते समय प्रत्युत्तर क्षमता के सिद्धांत को लागू नही किया जा रहा है।

जी.आर.आई. जी 3.1 दिशा–निर्देश और जी.आर.आई. तेल तथा गैस क्षेत्र अनुपूरक दिशा–निर्देश

रिपोर्ट में दी गई सूचना और हमसे मांगे गए स्वतंत्र आश्वासन के आधार पर हमें यह पता चला है कि कम्पनी जी.आर.आई. जी 3.1 दिशा–निर्देश और जी.आर.आई. तेल तथा गैस क्षेत्र अनुपूरक दिशा–निर्देश मे यथा–विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग की ए+स्तर अपेक्षा को पूरा करती है।

अवलोकन और सिफारिश

सतत् विकास रिपोर्ट के समग्र निष्कर्ष को प्रभावित किए बिना इस रिपोर्ट के संबंध मे निम्नलिखित अवलोकन और सिफारिशों को जानकारी मे लाना चाहेंगे :

- चूंकि गेल अपने सतत् विकास कार्यक्रमों में सतत् विकास मुद्दों के बारे मे कार्य–स्थल पर स्टेकहोल्डरों की क्षमता बढ़ाने पर अधिक ध्यान देती है, इसलिए इसकी सिफारिश की जाती है।
- गेल ने सूचना प्रकाशन के लिए नई डाटा एकत्रण प्रक्रिया शुरू की है। बेहतर डाटा प्रकाशन के लिए इस प्रक्रिया को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

एमरजेंट वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए

AA1000
Licensed Assurance Provider
000-96

आशुतोष पाण्डेय
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एमरजेंट वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
गुड़गांव, दिनांक 9 जुलाई, 2013

शब्दावली

एआईईईई	अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा
एपीआई	अमेरीकन पेट्रोलियम संस्थान
एएसएमई	अमेरीकी अभियांत्रिक इंजीनियर सोसाइटी
बीपीसीएल	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
बीओजी	बायल्ड ऑफ गैस
बीसीपीएल	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड
बीडी	व्यापार विकास
सीएस	कार्बन स्टील
सीपीसीबी	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीपीएसई	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
सीवीसी	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
सीएमडी	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सीएफसी	क्लोरो–फ्लूरो कार्बन
सीजीडी	शहरी गैस वितरण
सीबीएम	कोयला आधारित मिथेन
सीआरजेड	तटवर्ती विनियमन क्षेत्र
सीएजीआर	चक्रवर्ती वार्षिक विकास दर
सीएनजी	कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीएसआर	निगमित सामाजिक दायित्व
सीएसआई	उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक
डीवीपीएल	दाहेज–विजयपुर पाइपलाइन
डीजीएम	उप–महाप्रबंधक
डीजीएच	हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय
डीआईएन	डच नोर्मंग संस्थान
ईवीआई	एंमरजेंट वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ईपीए	पर्यावरण संरक्षण अभिकरण
ईडी	कार्यकारी निदेशक
ई एंड पी	अन्वेषण और उत्पादन
एफआईसीसीआई	भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिसंघ

एफवाई	वित्त वर्ष
जीटीआई	गेल प्रशिक्षण संस्थान
जीपीयू	गैस प्रोसेसिंग यूनिट
जीआरईपी	गैस पुनर्स्थापना और विस्तार परियोजना
जीएम	महाप्रबंधक
जीजे	गीगा–जूल
जीआरआई	वैश्विक रिपोर्टिंग पहल
जीएचजी	ग्रीन हाउस गैस
जीएसपीसी	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन
एचवीजे	हजीरा–विजयपुर–जगदीशपुर
एचएसई	स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण
एचएसईएमएस	स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली
एचआरएसजी	ऊष्मा प्राप्ति वाष्प जेनरेटर
एचडीपीई	उच्च घनत्व वाली पोली–इथीलीन
एचआर	मानव संसाधन
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
आईईएम	स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्त्ता
आईआईटी–जेईई	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–संयुक्त प्रवेश परीक्षा
आईएनआर	भारतीय राष्ट्रीय रूपया
आईएसटीडी	भारतीय प्रशिक्षण और विकास सोसाइटी
आईएसआरओ	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आईजीएल	इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईएलएफएस	इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज़
आईएमएस	एकीकृत प्रबंधन प्रणाली
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईपीआईईसीए	अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग पर्यावरण संघ
जेएलपीएल	जामनगर लोनी पाइपलाइन
जेएनएनएसएम	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन
जेवी	संयुक्त उद्यम

केएम	किलोमीटर
केजी	कृष्णा गोदावरी
एलपीजी	द्रवित पेट्रोलियम गैस
एलएचसी	द्रवित हाइड्रोकार्बन
एलएलडीपीई	लीनियर लो डेंस्टी पॉली–इथीलीन
एलपी	लो पोलीमर
एमडीपी	प्रबंधन विकास कार्यक्रम
एमबीए	व्यवसाय प्रशाासन निष्णात
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमटी	मीट्रिक टन
एमएमएससीएमडी	मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड घनमीटर प्रतिदिन
एमओईएफ	पर्यावरण और वन मंत्रालय
एमओपी एंड एनजी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमएफओ	मिश्रित ईंधन तेल
एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनएच	राष्ट्रीय राजमार्ग
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनजी	प्राकृतिक गैस
एनईएलपी	नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण–पत्र
एनआरएल	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
ओएचएसएएस	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन श्रंखला
ओआईसी	प्रभारी अधिकारी
ओएनजीसी	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
ओआईएल	ऑयल इण्डिया लिमिटेड
ओआईएसडी	तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय
ओएमसी	तेल विपणन कम्पनियां
ओ एंड एम	प्रचालन और अनुरक्षण
ओएफसी	आप्टीकल फाइबर केबल
ओबीसी	अन्य पिछड़े वर्ग
एनओएक्स	नाइट्रोजन ऑक्साइड
एसओएक्स	सल्फर ऑक्साइड
ओडीएस	ओजोन डिप्लेटिंग पदार्थ
पीईएसओ	पेट्रोलियम और विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

पीसीआरए	पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ
पीपीएसी	पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ
पीएनजी	पाइप आधारित प्राकृतिक गैस
पीसीबी	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पीयूसी	नियंत्रित प्रदूषण
पीई	पोली–इथीलीन
पीएटी	कर भुगतान के बाद लाभ
पीपीपी	सार्वजनिक–प्राइवेट–भागीदारी
आरजीआईपीटी	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान
आरजीपीपीएल	रत्नागिरी गैस एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
आरएलएनजी	पुनः गैसीकृत द्रवित प्राकृतिक गैस
आर एंड डी	अनुसंधान और विकास
आरओयू	उपयोग करने का अधिकार
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एससी	अनुसूचित जातियां
एसटी	अनुसूचित जन जातियां
एसएमडीसी	वरिष्ठ प्रबंधन विकास केन्द्र
एसबीपी	स्पेशल ब्यायलिंग प्वाइंट
एसएच	राज्य राजमार्ग
एससीएडीए	पर्यवेक्षण नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण
एसपीएम	सस्पेंडेड पर्टीकुलेट मैटर
एसडी	सतत् विकास
एसजीएसवाई	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
टीआईएसएस	टाटा समाज विज्ञान संस्थान
टीईआरआई	ऊर्जा और संसाधन संस्थान
टीएमटी	हजार मीट्रिक टन
टीसीओ2ई	कार्बन डाइ ऑक्साइड समतुल्य टन
टीपीए	टन प्रति वर्ष
टीडीएस	कुल घुलनशील ठोस पदार्थ
टीआई	ट्रांसपेरंसी इंटरनेशनल
टीबी	क्षय रोग
टीएपीआई	तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत
यूएनजीसी	संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौता
यूएस	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूएसडी	अमेरिकी डालर
यूपी	उत्तर प्रदेश
यूपीटीयू	उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय
वीएचपी	अत्यधिक उच्च दाब
वीएसपीएल	विशाखापत्तनम–सिकन्दराबाद पाइपलाइन

जी.आर.आई. विषय-वस्तु सूची

संकेतक संदर्भ	विवरण	सूचित किया गया	प्रतिक्रिया	यू.एन.जी.सी. सिद्धांत लिंक	ए.पी.आई./ आई.पी.आई. ई.सी.ए. दिशा-निर्देश लिंक
1. कार्यनीति और विश्लेषण					
1.1	संगठन के सर्वाधिक वरिष्ठ नीति–निर्माता की ओर से विवरण।	पूर्णतः	➔ अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के विवरण के लिए पृष्ठ सं. 6–7 का अवलोकन करें ➔ गेल की सतत् विकास अपेक्षाएं 2020 के लक्ष्य के लिए पृष्ठ 38–41 का अवलोकन करें		
1.2	मुख्य प्रभाव, जोखिम और अवसरों का विवरण।	पूर्णतः	➔ जोखिम बचाव प्रबंधन के लिए पृष्ठ 26–27 का अवलोकन करें ➔ सार के लिए पृष्ठ 34–35 का अवलोकन करें ➔ स्टेकहोल्डरों को शामिल करने के लिए पृष्ठ 30–33 का अवलोकन करें		
2. संगठन रूपरेखा					
2.1	संगठन का नाम।	पूर्णतः	➔ प्रथम आवरण पृष्ठ		
2.2	प्राथमिक ब्रॉण्ड, उत्पाद और/अथवा सेवाएं।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 16–17 पर कारोबार प्रोफाइल का अवलोकन करें		
2.3	मुख्य प्रभागों, प्रचालन कम्पनियों, सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यम सहित संगठन की प्रचालन संरचना।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 16–17 पर कारोबार प्रोफाइल का अवलोकन करें ➔ अधिक जानकारी के लिए वार्षिक रिपोर्ट 2011–12 के खण्ड को पृष्ठ 1–14 पर देखिए		
2.4	संगठन के मुख्यालय का स्थान।	पूर्णतः	➔ पिछला आवरण पृष्ठ		
2.5	उन देशों के नाम जहां संगठन अपना प्रचालन कार्य करता है और उन देशों जहां इस रिपोर्ट में शामिल किए गए सतत् विकास मुद्दों के बारे में मुख्य प्रचालन हैं अथवा विनिर्दिष्ट प्रासंगिक प्रचालन हैं, के नाम।	पूर्णतः	➔ गेल के पूर्णतः नियंत्रण (100 प्रतिशत स्वामित्व) के तहत सभी मुख्य प्रचालन भारत में हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 के पृष्ठ 1–8 पर व्यवसाय रूपरेखा से संबंधित खण्ड का अवलोकन करें ➔ इस रिपोर्ट के पृष्ठ 2–3 का भी अवलोकन करें		

2.6	स्वामित्व का स्वरूप और इसका विधिक रूप।	पूर्णतः	➔ गेल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और इसे एल.एस.ई. से संबंधित बी.एस.ई., एन.एस.ई. और जी.डी.आर. सूची में शामिल किया गया है		
2.7	सेवित बाजार (भौगोलिक विश्लेषण, सेवित क्षेत्रों और उपभोक्ताओं/लाभार्थियों के प्रकार सहित)।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 16–18 पर कारोबार प्रोफाइल पर खण्ड का अवलोकन करें ➔ वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 के पृष्ठ 1–8 का अवलोकन करें		
2.8	रिपोर्टिंग संगठन का पैमाना।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 16–17 पर व्यवसाय रूपरेखा का अवलोकन करें		
2.9	रिपोर्ट की अवधि के दौरान आकार, संरचना अथवा स्वामित्व के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन।	पूर्णतः	➔ इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। रिपोर्ट के क्षेत्र में परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस रिपोर्ट के पृष्ठ 2–3 का अवलोकन करें		
2.10	रिपोर्ट की अवधि में प्राप्त पुरस्कार।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 20–21 पर पुरस्कार और सम्मान से संबंधित अध्याय का अवलोकन करें		
3. रिपोर्ट मापदंड					
3.1	रिपोर्ट की अवधि अर्थात् प्रदान की गई सूचना के लिए (राजकोषीय/कलैण्डर वर्ष)।	पूर्णतः	➔ इसके लिए पृष्ठ 2–3 पर इस रिपोर्ट के खण्ड का अवलोकन करें		
3.2	सर्वाधिक हाल ही की पिछली रिपोर्ट की तारीख।	पूर्णतः	➔ यह गेल की तृतीय सतत् विकास रिपोर्ट है; द्वितीय रिपोर्ट दिनांक 27 फरवरी, 2013 को जारी की गई थी		
3.3	रिपोर्टिंग चक्र (वार्षिक, द्विवार्षिक इत्यादि)	पूर्णतः	➔ वार्षिक		
3.4	रिपोर्ट अथवा इसकी विषय–वस्तु से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सम्पर्क स्थान।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 139 पर भावी पद्धति का अवलोकन करें		
3.5	रिपोर्ट की विषय–वस्तु को परिभाषित करने की प्रक्रिया।	पूर्णतः	➔ इस रिपोर्ट की विषय–वस्तु को अपने स्टेकहोल्डरों के कार्य और सामग्री संबंधी मुद्दों के चयन के आधार पर परिभाषित किया गया है। हम गेल के सभी मुख्य स्टेकहोल्डर समूहों के सम्पर्क में रहे हैं ➔ पृष्ठ 4–5 पर दिए गए बेहतर भावी ऊर्जा भविष्य से संबंधित खण्ड का अवलोकन करें ➔ पृष्ठ 30–33 पर स्टेकहोल्डरों को शामिल करने से संबंधित खण्ड का अवलोकन करें ➔ पृष्ठ 34–35 पर महत्व से संबंधित खण्ड का अवलोकन करें		
3.6	रिपोर्ट की सीमा (अर्थात् देश, प्रभाग, सहायक कम्पनी, पट्टा आधारित सुविधाएं, संयुक्त उद्यम, आपूर्तिकर्ता)। अधिक मार्गदर्शन के लिए जी.आर.आई. प्रोटोकोल सीमा देखिए।	पूर्णतः	➔ इस रिपोर्ट के पृष्ठ 2–3 पर उल्लिखित खण्ड का अवलोकन करें		
3.7	इस रिपोर्ट के क्षेत्र अथवा सीमा से संबंधित किन्ही विनिर्दिष्ट सीमाओं (क्षेत्र की व्याख्या के लिए पूरा करने संबंधी सिद्धांतों को देखिए) का उल्लेख करें।	पूर्णतः	➔ इस रिपोर्ट के पृष्ठ 2–3 पर उल्लिखित खण्ड का अवलोकन करें		
3.8	संयुक्त उद्यम, सहायक कम्पनियों, पट्टा आधारित सुविधाओं, आऊटसोर्स प्रचालनों और अन्य कम्पनियों जो भिन्न–भिन्न समय पर और/अथवा इनके संगठनों के मध्य अपेक्षाकृत पर्याप्त प्रभाव डाल सकती हैं, से संबंधित रिपोर्टिंग का आधार।	पूर्णतः	➔ इस रिपोर्ट के पृष्ठ 2–3 पर उल्लिखित खण्ड का अवलोकन करें		

3.9	इस रिपोर्ट के संकेतांकों और अन्य सूचना को संकलित करने के बारे में लागू आकलन को निर्धारित करने की अवधारणाओं तथा तकनीकों सहित गणना के आधार और तकनीकी माप डाटा। जी.आर.आई. संकेतक प्रोटोकोल के किसी निर्णय को लागू न करने अथवा पर्याप्त रूप से भिन्न होने के कारण स्पष्ट करें।	पूर्णतः	➔ इस रिपोर्ट के पृष्ठ 2–3 पर उल्लिखित खण्ड का अवलोकन करें		
3.10	इससे पूर्ववर्ती रिपोर्टों में प्रदान की गई सूचना के बारे में किसी पुनः विवरण के प्रभाव को इस प्रकार का पुनः विवरण दिए जाने के कारणों सहित (अर्थात् आमेलन/अधिग्रहण, आधार वर्षों/अवधियों में परिवर्तन, कारोबार के स्वरूप, मापन पद्धतियों) स्पष्ट करें।	पूर्णतः	➔ डाटा प्रबंधन प्रणालियों में कुछ सुधार किए जाने के कारण इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए डाटा में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जहां ये परिवर्तन प्रासंगिक हैं वहां इस रिपोर्ट में पाद टिप्पणी के रूप में इनका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है		
3.11	इस रिपोर्ट के क्षेत्र, सीमा अथवा इसके संबंध में लागू की गई मापन पद्धतियों में पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधियों की अपेक्षा किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन।	पूर्णतः	➔ इस रिपोर्ट के पृष्ठ 2–3 पर उल्लिखित खण्ड का अवलोकन करें		
3.12	इस रिपोर्ट में यथा–उल्लिखित जानकारी मानकों के स्थान को अभिनिर्धारित करने वाली तालिका।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 100–115 पर जी.आर.आई. विषय–वस्तु सूची का अवलोकन करें		
3.13	इस रिपोर्ट के संबंध में बाह्य आश्वासन प्राप्त करने के लिए नीति और वर्तमान प्रक्रिया–विधि।	पूर्णतः	➔ इस रिपोर्ट के पृष्ठ 2–3 पर उल्लिखित खण्ड का अवलोकर करें ➔ कृपया पृष्ठ 96–97 पर आश्वासन विवरण का अवलोकन करें		
4. नियंत्रण, प्रतिबद्धता और विनियोजन					
4.1	कार्यनीति अथवा संगठनात्मक निगरानी जैसे विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए उत्तरदायी उच्चतम नियंत्रण निकाय के तहत समितियों सहित संगठन की नियंत्रण संरचना।	पूर्णतः	➔ निगमित नियंत्रण के बारे में पृष्ठ 22–27 पर यथा–उल्लिखित खण्ड का अवलोकन करें		
4.2	कृपया यह उल्लेख करें कि क्या उच्चतम नियंत्रण निकाय के अध्यक्ष कार्यकारी अधिकारी भी हैं।	पूर्णतः	➔ हमारे अध्यक्ष कार्यकारी अधिकारी भी हैं		
4.3	इस संगठन जिसमें एक–समान बोर्ड संरचना है, के उच्चतम नियंत्रण निकाय के ऐसे सदस्यों की संख्या और महिला–पुरुष का उल्लेख करें जो स्वतंत्र हैं और/अथवा गैर–कार्यकारी सदस्य हैं।	पूर्णतः	➔ हमारी वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 के पृष्ठ 44–51 का अवलोकन करें		
4.4	उच्चतम नियंत्रण निकाय को सिफारिशें अथवा निदेश प्रदान करने के लिए शेयरहोल्डरों और कर्मचारियों के लिए प्रणाली।	पूर्णतः	➔ इससे संबंधित सिफारिशें निदेशक मण्डल के अधीन गठित की गई शेयरहोल्डर और स्टेकहोल्डर शिकायत निवारण समिति को प्रदान की जा सकती हैं ➔ स्टेकहोल्डरों को शामिल करने के बारे में पृष्ठ 30–33 और शेयरहोल्डरों/निवेशकों के बारे में पृष्ठ 42–55 का अवलोकन करें		

4.5	उच्चतम नियंत्रण निकाय के सदस्यों, वरिष्ठ प्रबंधकों और कार्यकारियों (उन्हें हटाने सहित) के लिए प्रतिपूर्ति और संगठन के निष्पादन (सामाजिक और पर्यावरण निष्पादन सहित) के बीच संबंध।	पूर्णतः	➔ पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदान किए जाने वाले पारिश्रमिक को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार की प्रतिपूर्ति में निष्पादन आधारित प्रोत्साहन शामिल होता है जो भारत सरकार के साथ सम्पन्न किए गए समझौता ज्ञापन के तहत यथा–परिभाषित निष्पादन मापदंडों पर आधारित होता है		
4.6	हितों में टकराव को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम अभिशासन के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 26–27 पर उल्लिखित नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही से संबंधित खण्ड का अवलोकन करें		
4.7	किसी महिला–पुरूष संबंधी विचार और विविधता के अन्य संकेतकों सहित उच्चतम अभिशासन निकाय और इसकी समितियों के सदस्यों के संघटन, अर्हताओं तथा विशेषज्ञता को निर्धारित करने की प्रक्रिया।	पूर्णतः	➔ पूर्णकालिक निदेशकों का चयन सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पी.ई.एस.बी.) द्वारा किया जाता है और इन्हें पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। सरकार की ओर से नामांकित अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की जाती है। स्टेकहोल्डरों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वतंत्र निदेशकों का चयन जांच समिति द्वारा किया जाता है और इन्हें पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।		
4.8	मिशन अथवा मूल्यों, आचरण संहिता और आर्थिक, पर्यावरण तथा सामाजिक निष्पादन के लिए प्रासंगिक आंतरिक रूप से तैयार किए गए विवरण और इनके कार्यान्वयन की स्थिति।	पूर्णतः	➔ गेल की वर्ष 2012–13 की वार्षिक रिपोर्ट में यथा–उल्लिखित गेल के विज़न तथा मिशन और इस वेब लिंक पर सतत् विकास नीति का अवलोकन करें : ➔ http://www.gail.nic.in/final_site/Sustainable_Development.html		
4.9	संगत जोखिम और अवसर तथा अंतर्राष्ट्रीय सहमत मानकों, आचरण संहिता और सिद्धांतों के अनुसरण अथवा अनुपालन सहित। आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक निष्पादन के विशेष संदर्भ में उच्चतम नियंत्रण निकाय के संगठन के निष्पादन का मूल्यांकन करने की प्रक्रियाएं।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 22–27 पर निगमित नियंत्रण का अवलोकन करें		
4.10	आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक निष्पादन के संदर्भ में उच्चतम नियंत्रण निकाय के स्वयं के मूल्यांकन की प्रक्रिया।	पूर्णतः	➔ वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 के निगमित नियंत्रण खण्ड का आवलोकन करें		
4.11	कृपया यह स्पष्ट करें कि क्या संगठन सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अथवा सिद्धांत अपनाता है यदि हां, तो किस प्रकार।	पूर्णतः	➔ सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के उपयोग का उल्लेख हमारी जोखिम सुरक्षा प्रबंधन कार्य–संरचना में किया गया है। कृपया निगमित नियंत्रण खण्ड के जोखिम सुरक्षा प्रबंधन का अवलोकन करें।		

4.12	बाह्य आधार पर तैयार किए गए आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक चार्टर, सिद्धांत अथवा अन्य पहल जिनके लिए संगठन अंशदान करता है अथवा जिनका समर्थन करता है।	पूर्णतः	➔ इस रिपोर्ट के पृष्ठ 2–3 पर इस संबंध में उल्लिखित खण्ड का अवलोकन करें ➔ कृपया पृष्ठ 116–138 पर जी.आर.आई. जी3.1 दिशा–निर्देश, एन.वी.जी. और बी.आर.आर. संबंधित विवरण का अवलोकन करें		
4.13	विभिन्न प्रकार के संघों (जैसे उद्योग संघों) और/अथवा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सहायक संगठनों जिनमें संगठन : *नियंत्रण निकायों में पद रखता है; *परियोजनाओं अथवा समितियों में भाग लेता है; *सामान्य सदस्यता राशि के अतिरिक्त पर्याप्त निधियन प्रदान करता है; अथवा *सदस्यता को कार्यनीति के रूप में देखता है।	पूर्णतः	➔ कृपया पृष्ठ 73–75 पर सार्वजनिक नीति समर्थन का अवलोकर करें		
4.14	संगठन द्वारा शामिल किए गए स्टेकहोल्डर समूहों की सूची।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 30–33 पर स्टेकहोल्डरों को शामिल करने से संबंधित खण्ड का अवलोकन करें		
4.15	शामिल किए जाने वाले स्टेकहोल्डरों को अभिनिर्धारित करने और उनका चयन करने का आधार।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 30–33 पर स्टेकहोल्डरों को शामिल करने से संबंधित खण्ड का अवलोकन करें		
4.16	स्टेकहोल्डरों के प्रकार और स्टेकहोल्डरों के समूह को शामिल करने की बारम्बारता सहित स्टेकहोल्डरों को शामिल करने संबंधी दृष्टिकोण।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 30–33 पर स्टेकहोल्डरों को शामिल करने से संबंधित खण्ड का अवलोकन करें		
4.17	स्टेकहोल्डरों को शामिल करने के माध्यम से उठाए गए मुख्य विषय और संबंधित चिंताएं तथा संगठन ने अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम सहित किस प्रकार उन मुख्य विषयों तथा चिंताओं का प्रत्युत्तर दिया है।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 34–35 पर महत्व के बारे में उल्लिखित विवरण का अवलोकन करें		
प्रबंधन दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्रदान करना - ई.सी.					
	आर्थिक निष्पादन	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 44–45 पर शेयरहोल्डर/निवेशकों से संबंधित विवरण का अवलोकन करें ➔ वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 34–43 पर प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण करें		
	स्थानीय विषय–वस्तु सहित बाजार में उपस्थिति	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 44–45 पर शेयरहोल्डरों/निवेशकों से संबंधित विवरण का अवलोकन करें ➔ पृष्ठ 34–35 पर उल्लिखित महत्व संबंधी विवरण का अवलोकन करें		
	अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 48–50 पर सामाजिक योगदान से संबंधित विवरण का अवलोकन करें		
	आरक्षित पूंजी	पूर्णतः	➔ लागू नहीं		
प्रबंधन दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्रदान करना - ई.एन.					
	सामग्री	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 34 और पृष्ठ 45–47 पर गैस स्रोत निर्धारण विवरण का अवलोकन करें		एस.ई.5
	ऊर्जा	पूर्णतः	➔ कृपया प्रचालन उत्कृष्टता के संबंध में पृष्ठ 52–55 और सतत् विकास अपेक्षाएं 2020 के संबंध में पृष्ठ 38–41 का अवलोकन करें	सिद्धांत 7, सिद्धांत 9	ई.2, ई.3
	जल	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 41 और 66–67 पर जल प्रबंधन विवरण का अवलोकन करें	सिद्धांत 7, सिद्धांत 8, सिद्धांत 9	ई.6, ई.9

	जैव–विविधता सहित पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाएं	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 67–68 पर जैव–विविधता प्रबंधन विवरण का अवलोकन करें।	सिद्धांत 8	ई.5
	उत्सर्जन, बाह्य प्रवाह और कचरा	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 68–69 पर उत्सर्जन प्रबंधन और कचरा प्रबंधन विवरण का अवलोकन करें।	सिद्धांत 7, सिद्धांत 8	ई.1, ई.7, ई.10
	उत्पाद एवं सेवाएं	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 44 का अवलोकन करें।		एच.एस.4
	अनुपालन	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 52 का अवलोकन करें।	सिद्धांत 10	एस.ई.14
	परिवहन	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 48 का अवलोकन करें।		
	समग्र निष्पादन	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 65–69 पर उल्लिखित स्वामित्व प्रचालनों के पर्यावरण निष्पादन का अवलोकन करें। ➔ पृष्ठ 52–55 पर उल्लिखित प्रचालन उत्कृष्टता का अवलोकन करें।		
प्रबंधन दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्रदान करना - एल.ए.					
	रोजगार	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 34–35 पर महत्व संबंधी विवरण का अवलोकन करें। ➔ पृष्ठ 83–84 पर मानव पूंजी प्रबंधन संबंधी विवरण का अवलोकन करें।	सिद्धांत 81	एस.ई.6, एस.ई.16, एस.ई.17
	श्रमिक/प्रबंधन संबंध	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 87–88 पर मानव अधिकार संबंधी विवरण का अवलोकन करें।	सिद्धांत 4, सिद्धांत 5	एस.ई.8, एस.ई.9, एस.ई.10
	व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 87–88 पर गेल में स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी विवरण का अवलोकन करें।		एच.एस.1, एच.एस.2, एच.एस. 3,एचएस.5
	प्रशिक्षण और शिक्षा	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 88–90 और 96 पर मानव पूंजी प्रबंधन संबंधी विवरण का अवलोकन करें।		एच.एस.1, एस.ई.16, एस.ई.17
	विविधता और समान अवसर	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 83–85 पर मानव अधिकार संबंधी विवरण का अवलोकन करें।	सिद्धांत 6	एस.ई.15, एस.ई.18
	महिलाओं और पुरूषों के लिए समान पारिश्रमिक	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 87 पर मानव अधिकार संबंधी विवरण का अवलोकन करें। ➔ पृष्ठ 83–85 पर मानव पूंजी प्रबंधन संबंधी विवरण का अवलोकन करें।	सिद्धांत 1	एस.ई.8, एस.ई.9, एस.ई.10,एस. ई.15
प्रबंधन के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्रदान करना - एच.आर.					
	निवेश और प्रापण पद्धतियां	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 14–17 कारोबार प्रोफाइल का अवलोकन करें। ➔ पृष्ठ 34–35 पर महत्व संबंधी विवरण का अवलोकन करें। ➔ पृष्ठ 42–48 पर शेयरहोल्डर/निवेशक संबंधी विवरण का अवलोकन करें।	सिद्धांत 10	एच.एस.4, एस.ई.4, एस.ई.7, एस.ई.9, एस.ई.11, एस.ई.12
	समान व्यवहार करना	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 83–87 पर मानव अधिकार संबंधी विवरण का अवलोकन करें।	सिद्धांत 1, सिद्धांत 2	एस.ई.2, एस.ई.7, एस.ई.9, एस.ई.15
	संघ बनाने और सामूहिक सौदेबाजी करने की स्वतंत्रता	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 86–87 पर मानव अधिकार संबंधी विवरण का अवलोकन करें।	सिद्धांत 3	एस.ई.1, एस.ई.2, एस.ई.5, एस.ई.16

	बाल श्रम	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 87 पर मानव अधिकार संबंधी विवरण का अवलोकन करें।	सिद्धांत 5	एस.ई.9, एस.ई.10
	जबरदस्ती और अनिवार्य श्रम को रोकना	पूर्णतः	➔ कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ	सिद्धांत 4	एस.ई.9, एस.ई.10
	संरक्षा पद्धतियां	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 89–90 पर मानवाधिकार संबंधी विवरण का अवलोकन करें।	सिद्धांत 1	एच.एस.2, एस.ई.10
	स्वदेशी अधिकार	पूर्णतः	➔ यद्यपि खंड में समुदायों के बारे में बताया गया है, फिर भी स्वदेशी लोगों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ➔ पृष्ठ 57–64 पर उल्लिखित समुदायों का अवलोकन करें।		एस.ई.2, एस.ई.8
	मूल्यांकन	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 76–79, 80–89 और 58–64 पर उल्लिखित आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों और समुदायों का अवलोकन करें।		एस.ई.8
	उपचार करना	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 78–79, 50 और 62–63 पर उल्लिखित आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों और समुदायों का अवलोकन करें।		एस.ई.18
प्रबंधन के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्रदान करना - एस.ओ.					
	स्थानीय समुदाय	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 57–63 पर उल्लिखित समुदायों का अवलोकन करें।		एस.ई.1, एस.ई.4, एस.ई.5
	भ्रष्टाचार	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 26–27 पर उल्लिखित नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी विवरण का अवलोकन करें ➔ पृष्ठ 71–75 पर उल्लिखित उपभोक्ताओं संबंधी विवरण का अवलोकन करें। ➔ पृष्ठ 77–79 पर उल्लिखित आपूर्तिकर्ताओं संबंधी विवरण का अवलोकन करें।	सिद्धांत 10	एस.ई.11, एस.ई.12, एस.ई.13
	सार्वजनिक नीति	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 73–75 पर उल्लिखित सार्वजनिक नीति समर्थन संबंधी विवरण का अवलोकन करें		एस.ई.14
	प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार	पूर्णतः	➔ हम प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार को हतोत्साहित करने से संबंधित सभी राष्ट्रीय विनियमों का अनुपालन करते हैं	सिद्धांत 10	एस.ई.11, एस.ई.14
	अनुपालन	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 26–27 पर उल्लिखित नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी विवरण का अवलोकन करें ➔ पृष्ठ 52 का अवलोकन करें		एस.ई.11
	आपात स्थिति से निपटने की तैयारी	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 87–89 पर गेल स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी विवरण का अवलोकन करें		
	अनैच्छिक पुनर्वास	पूर्णतः	➔ हम पुनर्वास और पुनर्स्थापना से संबंधित राष्ट्रीय विनियमों का अनुपालन करते हैं; तथापि इस वर्ष किसी भी प्रचालन में कोई आर. एंड आर. नहीं हुआ है		एस.ई.1
	परिसम्पत्ति सत्यनिष्ठा और संरक्षा	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 87–89 पर गेल स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी विवरण का अवलोकन करें		एच.एस.4, एच.एस.5
प्रबंधन के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्रदान करना - पी.आर.					
	उपभोक्ता स्वास्थ्य और संरक्षा	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 71–75 पर उल्लिखित उपभोक्ताओं संबंधी विवरण का अवलोकन करें		एच.एस.4

	उत्पाद और सेवाओं के लेबल निर्धारित करना	पूर्णतः	➔ लागू नहीं		एच.एस.4
	विपणन संचार	पूर्णतः	➔ लागू नहीं		
	उपभोक्ता निजता	पूर्णतः	➔ लागू नहीं		
	अनुपालन	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 26–27 पर उल्लिखित नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी विवरण का अवलोकन करें ➔ पृष्ठ 52 का अवलोकन करें	सिद्धांत 10	एस.ई.11, एस.ई.14
	जीवाश्म ईंधन के विकल्प	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 34–35 पर महत्व संबंधी विवरण का अवलोकन करें ➔ पृष्ठ 47–48 पर नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने संबंधी विवरण का अवलोकन करें	सिद्धांत 8, सिद्धांत 9	ई.3
निष्पादन संकेतक - आर्थिक					
ई.सी.1	राजस्व, प्रचालन लागत, कर्मचारी प्रतिपूर्ति, दान और अन्य सामुदायिक निवेश, प्राप्त आय और पूंजी प्रदाताओं तथा सरकारों को किए गए भुगतान सहित अर्जित और वितरित प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 44 और 95 का अवलोकन करें		
ई.सी.2	जलवायु परिवर्तन के कारण संगठन के कार्यकलापों के लिए वित्तीय प्रभावों और अन्य जोखिम तथा अवसर।	पूर्णतः	➔ गेल ने सतत् विकास अपेक्षाएं 2020 के तहत जलवायु परिवर्तन के संबंध में विनिर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हम भावी वर्षों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम से कम करने के लिए की जाने वाली परियोजनाओं के वित्तीय प्रभावों और परिव्यय की निगरानी करेंगे		
ई.सी.3	संगठन के सुपरिभाषित लाभ योजना दायित्वों की कवरेज।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 83–85 का अवलोकन करें		
ई.सी.4	सरकार से प्राप्त महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 91–95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		एस.ई.13
ई.सी.5	प्रचालन के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थानीय न्यूनतम मजदूरी की तुलना में महिला द्वारा अर्जित की जाने वाली मानक प्रवेश स्तरीय मजदूरी के अनुपात की सीमा।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 87–88 पर उल्लिखित मानव अधिकार और पृष्ठ 84 पर गेल में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने संबंधी विवरण का अवलोकन करें		
ई.सी.6	महत्वपूर्ण प्रचालन स्थानों पर स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के बारे में किए जाने वाले व्यय की नीति, पद्धति और अनुपात।	पूर्णतः	➔ हम स्थानीय को भारतीय उप–महाद्वीप के रूप में परिभाषित करते हैं। व्यय संबंधी ब्यौरे के लिए पृष्ठ 95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण संबंधी तालिका का अवलोकन करें। यद्यपि स्थानीय विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने/उनका पक्ष लेने की हमारी कोई विनिर्दिष्ट नीति नहीं है तथापि जहां संभव हो एक–समान पैरामीटर के आधार पर सभी स्थानीय विक्रेताओं को प्राथमिकता देते हैं। इसके साथ–साथ अधिकांश संविदाएं/परिवहन संविदाएं/कैंटीन संविदाएं/टाऊनशिप संबंधी सुविधाएं आऊटसोर्स के आधार पर स्थानीय विक्रेताओं को दी गई हैं।		एस.ई.4, एस.ई.7
ई.सी.7	प्रचालन के मुख्य स्थानों पर स्थानीय समुदाय से वरिष्ठ प्रबंधन की व्यवस्था करने की कार्य–पद्धति और संबंधित अनुपात।	पूर्णतः	➔ कार्यकारी/अधिकारी संवर्ग की भर्ती केवल अखिल भारतीय आधार पर की जाती है न कि स्थानीय स्तर पर		एस.ई.6

ई.सी.8	किसी वस्तु अथवा प्रो बोनो आधार पर वाणिज्य के माध्यम से प्राथमिक रूप से सार्वजनिक लाभ के लिए प्रदान किए गए अवसंरचना निवेश और सेवाओं का विकास तथा प्रभाव।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 58–64 पर उल्लिखित सामुदायिक विकास और अवसंरचना से संबंधित विवरण का अवलोकन करें		एस.ई.4
ई.सी.9	महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावों की सीमा सहित इनकी समझबूझ रखना तथा उल्लेख करना।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 58–64 पर समुदायों से संबंधित विवरण का अवलोकन करें ➔ पृष्ठ 44–45 पर उल्लिखित शेयरहोल्डरों/निवेशकों से संबंधित विवरण का अवलोकन करें		एस.ई.4
ओ.जी.1	अनुमान के आधार पर प्रमाणित आरक्षित पूंजी और उत्पादन की मात्रा और प्रकार।	पूर्णतः	➔ लागू नहीं		
निष्पादन संकेतक - पर्यावरण					
ई.एन.1	भार और मात्रा के आधार पर उपयोग की गई सामग्री।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 91–95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		एस.ई.5
ई.एन.2	उपयोग की गई ऐसी सामग्री की प्रतिशतता जो रिसाइकल सामग्री निवेश है।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 91–95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		
ई.एन.3	प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से प्रत्यक्ष ऊर्जा उपभोग।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 91–95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		ई.2
ई.एन.4	प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से अप्रत्यक्ष ऊर्जा उपभोग।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 91–95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		ई.2
ओ.जी.2	नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश की गई कुल राशि।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 48 पर उल्लिखित कारोबार प्रोफाइल का अवलोकन करें		ई.3
ओ.जी.3	स्रोत से प्राप्त की गई नवीकरणीय ऊर्जा की कुल मात्रा।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 91–95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		
ई.एन.5	संरक्षण और ऊर्जा कुशल उपयोग सुधार के कारण ऊर्जा बचत।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 91–95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें ➔ पृष्ठ 52–54 पर उल्लिखित प्रचालन उत्कृष्टता विवरण का अवलोकन करें		
ई.एन.6	ऊर्जा के कुशल उपयोग अथवा नवीकरणीय ऊर्जा के आधार पर उत्पाद तथा सेवाएं प्रदान करने संबंधी पहल और इन पहलों के परिणामस्वरूप ऊर्जा आवश्यकताओं में कमी।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 91–95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें ➔ पृष्ठ 52–54 पर उल्लिखित प्रचालन उत्कृष्टता विवरण का अवलोकन करें		
ई.एन.7	अप्रत्यक्ष ऊर्जा उपभोग में कमी करने संबंधी पहल और हासिल की गई कमी।	आंशिक रूप से	➔ इस समय हम अप्रत्यक्ष ऊर्जा उपभोग में सुव्यवस्थित तरीके से कमी नहीं कर रहे हैं। हमने यह विश्लेषण किया है कि अपने कारोबार कार्यकलापों को करने के लिए हमारा स्कोप–3 जी.एच.जी. उत्सर्जन संबंधित स्कोप–1 और स्कोप–2 उत्सर्जन की तुलना में पर्याप्त रूप से कम है। इस समय हम स्कोप–1 और स्कोप–2 उत्सर्जन को कम करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।		
ई.एन.8	स्रोत से प्राप्त किया गया कुल जल।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 92 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		
ई.एन.9	जल के प्राप्त करने के कारण महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुए जल स्रोत।	पूर्णतः	➔ जल को प्राप्त करने के कारण कोई स्रोत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं हुआ है इस संबंध में पृष्ठ 92 और जल संरक्षण से संबंधित पृष्ठ 66–67 का अवलोकन भी करें		ई.6

ई.एन.10	रिसाइकल किए गए और पुनः उपयोग किए गए जल की प्रतिशतता और कुल मात्रा।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 93 पर उल्लिखित सतत् विकास निष्पादन खण्ड और पृष्ठ 66–67 पर उल्लिखित जल संरक्षण संबंधी विवरण का अवलोकन करें।		
ई.एन.11	संरक्षित क्षेत्रों में और उनसे जुड़े क्षेत्रों में स्वामित्व वाली, पट्टा आधारित, प्रबंधित जमीन का स्थान और आकार तथा संरक्षित क्षेत्रों से बाहर उच्च जैव–विविधता मूल्य के क्षेत्र।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 67–69 पर उल्लिखित जैव–विविधता प्रबंधन संबंधी विवरण का अवलोकन करें		ई.5
ई.एन.12	संरक्षित क्षेत्रों में कार्यकलापों, उत्पादों और सेवाओं के जैव–विविधता पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों का विवरण तथा संरक्षित क्षेत्रों से बाहर उच्च जैव–विविधता मूल्य के क्षेत्र।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 67–69 पर उल्लिखित जैव–विविधता प्रबंधन का अवलोकन करें		ई.5
ई.एन.13	संरक्षित अथवा पुनः बेहतर अवस्था में लाए गए प्राकृतिक स्थान।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 67–69 पर उल्लिखित जैव–विविधता प्रबंधन का अवलोकन करें		ई.5
ई.एन.14	जैव–विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए कार्यनीतियां, मौजूदा कार्रवाई और भावी योजनाएं।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 67–69 पर उल्लिखित जैव–विविधता प्रबंधन का अवलोकन करें		ई.5
ओ.जी.4	ऐसे कार्य–स्थलों जिनके संबंध में जैव–विविधता जोखिम का मूल्यांकन किया गया है और निगरानी की गई है, की संख्या और प्रतिशतता।	पूर्णतः	➔ जैव–विविधता जोखिमों के लिए शत–प्रतिशत कार्य–स्थलों का मूल्यांकन किया गया है		
ई.एन.15	लुप्त होने के जोखिम के स्तर के आधार पर प्रचालन से प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय संरक्षण सूची प्रजातियों और आई.यू.सी.एन. खतरा सूची प्रजातियों की संख्या।	पूर्णतः	➔ हमारा कोई भी प्रचालन आई.यू.सी.एन. खतरा सूची प्रजातियों अथवा राष्ट्रीय संरक्षण सूची में शामिल की गई प्रजातियों वाले क्षेत्रों में नहीं है		
ई.एन.16	भारत के आधार पर कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 91 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		ई.1
ई.एन.17	भार के आधार पर अन्य प्रासंगिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 91–92 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण और प्रचालन उत्कृष्टता के तहत पृष्ठ 52–54 पर उल्लिखित विवरण का अवलोकन करें		ई.1
ई.एन.18	ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी करने संबंधी पहल और इनसे हासिल की गई कमी।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 91–92 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण और पृष्ठ 38–41 पर सतत् विकास कार्यनीति संबंधी विवरण सतत् विकास अपेक्षाएं तालिका का अवलोकन करें		ई.1
ई.एन.19	भार के आधार पर ओजोन परत को कमजोर करने वाले पदार्थों का उत्सर्जन।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 93 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		ई.7
ई.एन.20	प्रकार और भार के आधार पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और अन्य महत्वपूर्ण वायु उत्सर्जन।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 93 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		ई.7
ई.एन.21	गुणवत्ता और स्थान के आधार पर प्रवाहित कुल जल।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 92 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		ई.9
ई.एन.22	प्रकार और निपटान पद्धति के आधार पर कचरे का कुल भार।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 92 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण और खतरनाक तथा गैर–खतरनाक कचरा उत्पन्न होने से संबंधित पृष्ठ का अवलोकन करें		ई.10
ओ.जी.5	तैयार किए गए अथवा उत्पादित जल की मात्रा।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 92 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		

ई.एन.23	महत्वपूर्ण स्पिल की कुल संख्या और मात्रा।	पूर्णतः	➔ कोई महत्वपूर्ण स्पिल नहीं है		ई.8
ओ.जी.6	फ्लेयर्ड अथवा निकलने वाली हाइड्रोकार्बन की मात्रा।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 91 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		ई.4
ओ.जी.7	ड्रिलिंग कचरे की मात्रा (ड्रिलिंग कीचड़ और कटिंग) तथा इसके उपचार और निपटारे की कार्यनीतियां।	पूर्णतः	➔ लागू नहीं		
ई.एन.24	बेसल कंवेंशन अनुबंध I, II, III और VIII की शर्तों के अनुसार खतरनाक समझे जाने वाले परिवहन, आयात, निर्यात अथवा उपचार आधारित कचरे का भार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाज से भेजे गए कचरे की प्रतिशतता।	पूर्णतः	➔ लागू नहीं। हम अपने सभी स्थानों पर बेसल कंवेंशन के तहत खतरनाक समझे जाने वाले कचरे के परिवहन, आयात, निर्यात अथवा उपचार से संबंधित किसी कार्यकलाप में शामिल नहीं हैं।		
ई.एन.25	रिपोर्टिंग संगठन की ओर से बहाए गए और छोड़े गए पानी के कारण पर्याप्त रूप से प्रभावित जल निकायों और सम्बद्ध स्थानों की पहचान, आकार, संरक्षित स्थिति और जैव–विविधता मूल्य।	पूर्णतः	➔ हमारी ओर से बेकार पानी छोड़े जाने और बहाए जाने का हमारे प्रचालनों के क्षेत्र में स्थित जल निकायों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता		
ई.एन.26	उत्पाद और सेवाओं के पर्यावरण प्रभावों को कम से कम करने संबंधी पहल और प्रभाव को कम करने की सीमा।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 65–67 पर स्वामित्व वाले प्रचालनों के पर्यावरण निष्पादन से संबंधित खण्ड का अवलोकन करें		
ई.एन.27	विक्रय किए गए उत्पादों की प्रतिशतता और इनकी पैकेजिंग करने वाली ऐसी सामग्री जिनकी श्रेणी के आधार पर पुनः उपयोग किया जाता है।	पूर्णतः	➔ यह हमारे गैस संचरण कारोबार के संबंध में लागू नहीं है ➔ तथापि छोटे आकार के पैकेजिंग बैग के कारण पेट्रो–रसायन के लिए इसका पता लगाना तथा उनका पुनः उपयोग करना संभव नहीं है		
ओ.जी.8	ईंधन में मौजूद बैंजीन, शीशे और गंधक की मात्रा।	पूर्णतः	➔ प्राकृतिक गैस में बैंजीन और शीशा नहीं होता; प्राकृतिक गैस के स्रोत और गुणवत्ता के आधार पर गंधक की मात्रा 4.5 पी.पी.एम. से कम होती है		
ई.एन.28	महत्वपूर्ण जुर्माने का मौद्रिक मूल्य और पर्यावरण कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन न करने के कारण लगाए गए गैर–मौद्रिक प्रतिबंधों की कुल संख्या।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		
ई.एन.29	उत्पादों की परिवहन व्यवस्था करने और संगठन के प्रचालनों के लिए उपयोग किए गए माल और सामग्री की परिवहन व्यवस्था करने के कारण महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रभाव तथा कार्यबल के परिवहन व्यवस्था सदस्यों की संख्या।	आंशिक रूप से	➔ हमने यह विश्लेषण किया है कि अपने कारोबार कार्यकलापों को करने के लिए हमारा स्कोप–3 जी.एच.जी. उत्सर्जन संबंधित स्कोप–1 और स्कोप–2 उत्सर्जन की तुलना में पर्याप्त रूप से कम है। इस समय हम स्कोप–1 और स्कोप–2 उत्सर्जन को कम करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।		
ई.एन.30	कुल पर्यावरण संरक्षण व्यय और प्रकार के आधार पर निवेश।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		
निष्पादन संकेतक - श्रम पद्धतियां और संतोषजनक कार्य					
एल.ए.1	रोजगार प्रकार, रोजगार संविदा और क्षेत्र तथा महिला–पुरूष विश्लेषण के आधार पर कुल कार्यबल।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		एस.ई.15
एल.ए.2	कुल संख्या और किराए पर लिए गए नए कर्मचारियों की दर तथा आयु–समूह, महिला–पुरूष और क्षेत्र के आधार पर कर्मचारी टर्नओवर।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 94–95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		

एल.ए.3	मुख्य प्रचालनों द्वारा पूर्णकालिक कर्मचारियों को प्रदान किए गए ऐसे लाभ जो तदर्थ अथवा अंशकालिक कर्मचारियों को नहीं प्रदान किए हैं।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 83–84 पर कर्मचारियों से संबंधित विवरण का अवलोकन करें		
एल.ए.15	पुरूष के पितृत्व अवकाश के बाद काम पर लौटने तथा काम पर बने रहने की दर।	पूर्णतः	➔ शत–प्रतिशत कर्मचारी काम पर वापस आते हैं और पुरूष तथा महिला दोनों प्रकार के कर्मचारियों के काम पर बने रहने की दर भी शत–प्रतिशत है		
एल.ए.4	सामूहिक सौदेबाजी करार के तहत शामिल किए गए कर्मचारियों की प्रतिशतता।	पूर्णतः	➔ सभी कामगार जो कुल कर्मचारी संख्या का 21.09 प्रतिशत हैं, को सामूहिक सौदेबाजी करार के तहत शामिल किया गया है		एच.एस.1
एल.ए.5	महत्वपूर्ण प्रचालन परिवर्तनों के बारे में यह उल्लेख करते हुए कि क्या इन्हें सामूहिक करारों में विनिर्दिष्ट किया गया है, से संबंधित नोटिस की न्यूनतम अवधि (अवधियां)।	पूर्णतः	➔ महत्वपूर्ण प्रचालन परिवर्तनों के संबंध में नोटिस अवधि की व्यवस्था करने के लिए हम औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 9 क और अनुसूची 4 का अनुपालन करते हैं		
एल.ए.6	औपचारिक संयुक्त प्रबंधन–कामगार स्वास्थ्य और सुरक्षा समितियों जो व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कार्यक्रमों की निगरानी करने में सहायता करते हैं और तत्संबंधी सलाह देते हैं, में प्रतिनिधित्व प्राप्त कुल कार्यबल की प्रतिशतता।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 94–95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		एच.एस.1
एल.ए.7	क्षेत्र और महिला–पुरूष के आधार पर दुर्घटना, व्यवसाय आधारित रोग, खोए गए दिवसों तथा अनुपस्थिति की दर और कार्य आधारित मृत्यु की संख्या।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 94–95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		एच.एस.2, एच.एस.3
एल.ए.8	कार्यबल के सदस्यों, उनके परिवारों अथवा समुदाय सदस्यों को गंभीर रोगों के बारे में सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, बचाव और जोखिम को नियंत्रित करने संबंधी व्याख्या।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 88 और पृष्ठ 83–84 पर कर्मचारियों से संबंधित विवरण का अवलोकन करें		एच.एस.2
एल.ए.9	ट्रेड यूनियनों के साथ सम्पन्न किए गए औपचारिक करारों में शामिल किए गए स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दे।	पूर्णतः	➔ इस समय हम अपने प्रचालनों की यूनियनों में शामिल किए जाने वाले स्वस्थ्य और सुरक्षा संबंधी मुद्दों का मिलान कर रहे हैं		एच.एस.2
एल.ए.10	महिला–पुरूष और कर्मचारी की श्रेणी के आधार पर प्रति वर्ष, प्रति कर्मचारी औसतन प्रशिक्षण घण्टे।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 94–95 पर उल्लिखित संक्षिप्त निष्पादन विवरण का अवलोकन करें		एस.ई.17
एल.ए.11	कौशल प्रबंधन और जीवन–पर्यंत अध्ययन से संबंधित कार्यक्रम जिनसे कर्मचारियों की रोजगार करने की क्षमता को जारी रखने में सहयोग मिलता है और उन्हें अपना कैरियर बेहतर तरीके से पूरा करने में सहायता मिलती है।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 83–84 पर उल्लिखित कर्मचारियों से संबंधित विवरण का अवलोकन करें		
एल.ए.12	महिला–पुरूष के आधार पर नियमित निष्पादन और कैरियर विकास समीक्षाएं प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की प्रतिशतता।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 83–84 पर उल्लिखित कर्मचारियों से संबंधित विवरण का अवलोकन करें		एस.ई.16
एल.ए.13	नियंत्रण निकायों की संरचना और महिला–पुरुष, आयु, आयु समूह, अल्पसंख्यक समूह सदस्यता और विविधता के अन्य संकेतकों के अनुसार कर्मचारियों का प्रति कर्मचारी श्रेणी ब्यौरा।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 22–27 पर उल्लिखित निगमित नियंत्रण विवरण का अवलोकन करें ➔ हमारी वर्ष 2012–13 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 44–51 का अवलोकन करें		एस.ई.15

एल.ए.14	प्रचालन के महत्वपूर्ण स्थानों, कर्मचारी श्रेणी के आधार पर महिला–पुरूष के मूल वेतन और पारिश्रमिक का अनुपात।	पूर्णतः	➔ किसी भी कार्य केन्द्र पर प्रतिपूर्ति करने के संबंध में महिला–पुरूष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता		
निष्पादन संकेतक - मानवाधिकार					
एच.आर.1	उन महत्वपूर्ण निवेश करारों और संविदाओं की कुल संख्या और प्रतिशतता जिनमें मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को समाविष्ट करने के खण्ड शामिल किए गए हैं अथवा जिनके तहत मानवाधिकारों की रक्षा करने की व्यवस्था की गई है।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 26–27 पर उल्लिखित नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी विवरण का अवलोकन करें ➔ पृष्ठ 87–88 पर उल्लिखित मानव अधिकारों का अवलोकन करें		एस.ई.8,
एच.आर.2	ऐसे महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों और अन्य कारोबार भागीदारों की प्रतिशतता जिनके मानव अधिकारों की जांच की गई है और की गई संबंधित कार्रवाई।	पूर्णतः	➔ इस समय हम अपने आपूर्तिकर्ताओं और संविदाकारों के मानव अधिकारों की जांच करने संबंधी प्रणाली स्थापित करने की कार्यवाही कर रहे हैं।		एस.ई.9
एच.आर.3	मानव अधिकारों की नीतियों और संबंधित पहलुओं जो प्रचालन के लिए प्रासंगिक हैं, के बारे में प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की प्रतिशतता सहित कर्मचारी प्रशिक्षण के कुल घण्टे।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 87–88 पर उल्लिखित मानव अधिकार संबंधी विवरण का अवलोकन करें		
एच.आर.4	भेदभाव करने संबंधी घटनाओं की कुल संख्या और की गई सुधारात्मक कार्रवाई।	पूर्णतः	➔ भेदभाव करने संबंधी कोई घटना नहीं हुई है		
एच.आर.5	अभिनिर्धारित किए गए ऐसे प्रचालनों और आपूर्तिकर्ताओं की संख्या जिनमें संघ बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी करने के अधिकार का प्रयोग करने के कार्य में बाधा डाली जा सकती है अथवा इस अधिकार का पर्याप्त रूप से हनन किया जा सकता है और इन अधिकारों का समर्थन करने के लिए की गई कार्रवाई।	पूर्णतः	➔ यद्यपि इस प्रकार के प्रचालनों को अभिनिर्धारित करने की कोई औपचारिक/विनिर्दिष्ट पहल नहीं रही है तथापि ऐसा कोई प्रचालन नहीं है जिसमें संघ बनाने और सामूहिक सौदेबाजी करने संबंधी अधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई जोखिम हो।		
एच.आर.6	अभिनिर्धारित किए गए ऐसे प्रचालनों और महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्त्ताओं की संख्या जिनमें बाल श्रम कराने जैसी घटनाओं के होने का पर्याप्त जोखिम है और बाल श्रम को कारगर ढंग से समाप्त करने में योगदान करने के लिए किए गए उपाय।	पूर्णतः	➔ रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बाल श्रम की किसी घटना के बारे में सूचना नहीं दी गई है। प्रभारी इंजीनियरी (ई.आई.सी.) प्रासंगिक संविधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं। सी. और पी. खण्ड में बाल श्रम को निषेध करने का मानक निर्धारित किया गया है।		
एच.आर.7	अभिनिर्धारित किए गए ऐसे प्रचालनों और आपूर्तिकर्ताओं की संख्या जिनमें जबरदस्ती अथवा बाध्यकारी व्यवस्था के तहत श्रम करवाने की घटना होने की पर्याप्त संभावना है और जबरदस्ती अथवा बाध्यकारी व्यवस्था के तहत कराए जाने वाले सभी प्रकार के श्रम को रोकने में योगदान करने संबंधी उपाय।	पूर्णतः	➔ यद्यपि इस प्रकार के प्रचालनों को अभिनिर्धारित करने की कोई औपचारिक/विनिर्दिष्ट पहल नहीं रही है तथापि मूल्यांकन वर्ष में जबरदस्ती अथवा बाध्यकारी व्यवस्था के तहत श्रम कराने की किसी घटना की सूचना नहीं दी गई है। प्रभारी इंजीनियर (ई.आई.सी.) प्रासंगिक संविधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं।		
एच.आर.8	मानव अधिकारों के पहलुओं से संबंधित संगठन की नीतियों अथवा प्रक्रिया–विधियों जो प्रचालन के लिए प्रासंगिक हैं, के बारे में प्रशिक्षित किए गए सुरक्षा कार्मिकों की प्रतिशतता।	पूर्णतः	➔ गेल में उल्लिखित कर्मचारी विवरण 87–88 पर तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने का विवरण पृष्ठ 95 पर देखें।		एस.ई.10

एच.आर.9	मूल निवासियों के अधिकारों का हनन करने वाली घटनाओं की कुल संख्या और इस संबंध में की गई कार्रवाई।	पूर्णतः	➔ मूल निवासियों के अधिकारों का हनन करने वाली कोई घटना नहीं हुई है। पृष्ठ 87–89 पर उल्लिखित मानवाधिकारों संबंधी विवरण का अवलोकन करें		
एच.आर.10	ऐसे प्रचालनों की कुल संख्या और प्रतिशतता जो मानव अधिकार समीक्षाओं और/अथवा प्रभाव मूल्यांकन के मामले रहे हैं।	पूर्णतः	➔ हमारे सभी मुख्य प्रचालन मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए सतत् रूप से निगरानी तथा समीक्षा करते हैं। अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 87–88 पर उल्लिखित मानव अधिकार विवरण का अवलोकन करें		
ओ.जी.9	ऐसे प्रचालनों की संख्या जहां मूल निवासियों का समुदाय इनके कार्यकलापों में उपस्थित होता है अथवा इनसे प्रभावित होता है तथा जहां इस संबंध में विनिर्दिष्ट कार्य आधारित कार्यनीतियों की व्यवस्था की गई है।	पूर्णतः	➔ हमारा ऐसा एक प्रचालन झाबुआ में है जहां हमारे प्रचालन के पास मूल निवासी समुदाय रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 58–64 पर उल्लिखित विवरण का अवलोकन करें		
एच.आर.11	"मानव अधिकारों के बारे में दर्ज कराई गई, सम्बोधित की गई और औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या"।	पूर्णतः	➔ इस प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है		
निष्पादन संकेतक - समाज					
एस.ओ.1	स्थानीय समुदाय को शामिल करके कार्यान्वित किए गए प्रचालनों की संख्या, प्रभाव मूल्यांकन और विकास कार्यक्रम।	पूर्णतः	➔ हमारे सभी प्रचालन सी.एस.आर. दृष्टिकोण के आधार पर प्रचालित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 58–64 का अवलोकन करें		एस.ई.1
एस.ओ.9	पर्याप्त संभावित क्षमता वाले अथवा स्थानीय समुदायों पर वास्तविक नकारात्मक प्रभाव डालने वाले प्रचालनों की संख्या	पूर्णतः	➔ लागू नहीं		
एस.ओ.10	पर्याप्त संभावित क्षमता वाले अथवा स्थानीय समुदायों पर वास्तविक नकारात्मक प्रभाव डालने वाले प्रचालनों के संबंध में इनके प्रभावों से बचने के लिए और इन्हें कम से कम करने के लिए कार्यान्वित किए गए उपाय।	पूर्णतः	➔ लागू नहीं		
ओ.जी.10	स्थानीय समुदाय और मूल निवासियों के साथ महत्वपूर्ण विवादों की संख्या और संबंधित विवरण।	पूर्णतः	➔ स्थानीय समुदाय और मूल निवासियों के साथ हमारा कोई महत्वपूर्ण विवाद नहीं है		एस.ई.2
ओ.जी.11	ऐसे कार्य–स्थलों की संख्या जहां पुनः कार्य आरंभ किया गया है और ऐसे कार्य–स्थलों की संख्या जहां पुनः कार्य शुरू करने संबंधी प्रक्रिया जारी है।	पूर्णतः	➔ लागू नहीं		
एस.ओ.2	ऐसी कारोबार यूनिटों की प्रतिशतता और संख्या जिनका भ्रष्टाचार से संबंधित जोखिम होने के लिए विश्लेषण किया गया है।	पूर्णतः	➔ भ्रष्टाचार से संबंधित जोखिम को हमारी सतर्कता प्रक्रिया–विधियों और जोखिम सुरक्षा प्रबंधन कार्य–संरचना के तहत शामिल किया गया है। चूंकि हमारी सतर्कता प्रक्रिया–विधियां भारत सरकार द्वारा स्थापित नियमों के तहत अनिवार्य हैं इसलिए हमारे शत–प्रतिशत प्रचालनों को भ्रष्टाचार से संबंधित पहलुओं सहित जोखिम विश्लेषण के तहत शामिल किया जाता है।		एस.ई.11, एस.ई.12

एस.ओ.3	संगठन की भ्रष्टाचार रोधी नीतियों और प्रक्रिया–विधियों के संबंध में प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की प्रतिशतता।	पूर्णतः	➔ हमारे सभी कर्मचारियों को अपने कार्यकाल के दौरान आचरण संहिता को व्यवहार में लाने तथा इसका अनुपालन करने का अधिदेश दिया गया है। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 87–88 पर उल्लिखित मानव अधिकार संबंधी विवरण का अवलोकन करें।		
एस.ओ.4	भ्रष्टाचार संबंधी घटनाओं के बारे में की गई कार्रवाई।	पूर्णतः	➔ जबकि हमने अपने प्रचालनों में भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के कठोर उपायों की व्यवस्था कर रखी है तथापि इस वर्ष भ्रष्टाचार के सात मुख्य मामलों की सूचना दी गई थी। सतर्कता विभाग ने अपनी जांच के निष्कर्ष के आधार पर इनमें आवश्यक कार्रवाई की थी।		
एस.ओ.5	सार्वजनिक नीति संबंधी स्थिति और सार्वजनिक नीति तैयार करने तथा लॉबी बनाने में की गई सहभागिता।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 72–75 पर सार्वजनिक नीति समर्थन संबंधी विवरण का अवलोकन करें		एस.ई.14
एस.ओ.6	देश के राजनीतिक दलों, राजनेताओं और संबंधित संस्थाओं को वित्तीय और अन्य सुविधाओं के अंशदान के रूप में प्रदान किया गया कुल मूल्य।	पूर्णतः	➔ राजनीतिक दलों इत्यादि को किसी वित्तीय अथवा अन्य सुविधा के अंशदान के रूप में कोई मूल्य प्रदान नहीं किया गया है।		
एस.ओ.7	प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार, भरोसे को तोड़ने और एकाधिकार जमाने की पद्धतियों के कारण की गई विधिक कार्रवाई की कुल संख्या और उनके परिणाम।	पूर्णतः	➔ गेल के विरूद्ध ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार, भरोसे को तोड़ने अथवा एकाधिकार जमाने की पद्धति संबंधी कोई घटना नहीं हुई थी।		
एस.ओ.8	महत्वपूर्ण जुर्माने का कुल मौद्रिक मूल्य और कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन न करने के कारण लगाए गए गैर–मौद्रिक प्रतिबंधों की कुल संख्या।	पूर्णतः	➔ इस वर्ष कोई विधिक उल्लंघन नहीं किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से भी इस सूचना की वैधता की जांच की जा सकती है।		
ओ.जी.12	ऐसे प्रचालन जहां अनैच्छिक पुनर्वास किया गया है इनमें से प्रत्येक के तहत पुनर्वास किए गए परिवारों की संख्या तथा इस प्रक्रिया से किस प्रकार उनकी जीवन–यापन दशाएं प्रभावित हुई थीं।	पूर्णतः	➔ ऐसा कोई प्रचालन नहीं है		एस.ई.3
ओ.जी.13	कारोबार कार्यकलाप के आधार पर आयोजित किए गए सुरक्षा कार्यक्रमों की संख्या।	पूर्णतः	➔ ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया		एच.एस.5
निष्पादन संकेतक - उत्पाद संबंधी उत्तरदायित्व					
पी.आर.1	जीवन चक्र चरण जिनमें संबंधित सुधार करने के लिए उत्पाद और सेवाओं के प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है तथा इस प्रकार की प्रक्रिया–विधियों के तहत शामिल किए गए महत्वपूर्ण उत्पादों और सेवा श्रेणियों की प्रतिशतता।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 75 पर उल्लिखित उपभोक्ता संबंधी विवरण का अवलोकन करें ➔ पृष्ठ 52 पर उल्लिखित अनुसंधान और विकास संबंधी विवरण का अवलोकन करें ➔ वित्त वर्ष 2011–12 की गेल के सतत् विकास संबंधी रिपोर्ट के पृष्ठ 67–69 पर उल्लिखित पी.आर. खण्ड पृष्ठ को भी देखिए		एच.एस.4
पी.आर.2	उत्पाद और सेवाओं के उनके जीवन चक्र के दौरान परिणामों के प्रकार के आधार पर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावों से संबंधित विनियमों और स्वैच्छिक संहिताओं का अनुपालन न करने संबंधी घटनाओं की कुल संख्या।	पूर्णतः	➔ रिपोर्ट अवधि के दौरान अनुपालन न करने संबंधी ऐसी घटना नहीं हुई		

पी.आर.3	इस प्रक्रिया–विधि के तहत यथा–अपेक्षित उत्पाद और सेवा सूचना का प्रकार और इस प्रकार सूचना अपेक्षाओं के तहत शामिल किए गए महत्वपूर्ण उत्पादों और सेवाओं की प्रतिशतता।	पूर्णतः	➔ हमारे पेट्रो–रसायन उत्पाद पैकेज पर भारतीय विधान और उद्योग पद्धति के अनुसार विनिर्माण सुविधा के स्थान, ग्रेड नाम और कुल भार का उल्लेख किया जाता है।		
पी.आर.4	परिणामों के प्रकार के आधार पर उत्पाद और सेवा सूचना तथा लेबल लगाने से संबंधित विनियमों और स्वैच्छिक संहिताओं का अनुपालन न करने वाली घटनाओं की कुल संख्या।	पूर्णतः	➔ रिपोर्ट की अवधि के दौरान अनुपालन न करने संबंधी ऐसी घटना नहीं हुई		
पी.आर.5	उपभोक्ता की संतुष्टि को निर्धारित करने के सर्वेक्षण के परिणामों सहित उपभोक्ता संतुष्टि से संबंधित पद्धति।	पूर्णतः	➔ पृष्ठ 72–75 पर उपभोक्ता संबंधी विवरण का अवलोकन करें		
पी.आर.6	विज्ञापन देने, प्रोत्साहन और प्रायोजित करने सहित विपणन संचार से संबंधित कानूनों, मानकों और स्वैच्छिक संहिताओं का अनुपालन करने से संबंधित कार्यक्रम।	पूर्णतः	➔ गेल इस संबंध में विज्ञापन और संचार के लिए ए.एस.सी.आई. मानदण्डों का पूर्णतः अनुपालन करता है और केवल ए.एस.सी. आई. प्राधिकृत मीडिया एजेंसियों के साथ ही कार्य करता है		
पी.आर.7	परिणाम के प्रकार के आधार पर विज्ञापन देने, प्रोत्साहन और प्रायोजित करने सहित विपणन संचार से संबंधित विनियमों और स्वैच्छिक संहिताओं का अनुपालन न करने संबंधी घटनाओं की कुल संख्या।	पूर्णतः	➔ रिपोर्ट की अवधि के दौरान अनुपालन न करने संबंधी ऐसी कोई घटना नहीं हुई		
पी.आर.8	उपभोक्ताओं की निजता को भंग करने और उपभोक्ता डाटा को खोने संबंधी महत्वपूर्ण शिकायतों की कुल संख्या।	पूर्णतः	➔ हमारे उद्योग के लिए उपभोक्ताओं की निजता कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है और इसलिए इसके संबंध में सूचित नहीं किया गया है		
पी.आर.9	उत्पादों और सेवाओं का प्रावधान करने तथा इनका उपयोग करने से संबंधित कानूनों और विनियमों का अनुपालन न करने के कारण लगाए जाने वाले महत्वपूर्ण जुर्माने का मौद्रिक मूल्य।	पूर्णतः	➔ रिपोर्ट अवधि के दौरान अनुपालन न करने संबंधी ऐसी कोई घटना नहीं हुई		
ओ.जी.14	सतत् विकास मानदण्ड को पूरा करने के लिए तैयार किए गए और विक्रय किए गए जैव ईंधन की मात्रा।	पूर्णतः	➔ लागू नहीं		

जी.आर.आई. जी3.1दिशा-निर्देशों, एन.वी.जी. और बी.आर.आर. का एकीकरण

जी3.1		सेबी (एसईबीआई) बीआरआर				एनवीजी
मद	शीर्षक	खण्ड	#	शीर्षक	जी3.1 से मैच(एम)/ लिंक(एल)	सिद्धांत
प्रोफाइल की जानकारी प्रदान करना						
1.1	संगठन के सर्वाधिक वरिष्ठ निर्णयकर्ता की ओर से कथन					
1.2	प्रमुख प्रभावों, जोखिमों और अवसरों का विवरण।	खण्ड ड. : सिद्धांत 6–पर्यावरण	3	क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों को अभिनिर्धारित करती है और उनका मूल्यांकन करती है? हां/नहीं	एल	
		खण्ड ड. : सिद्धांत 2– उत्पाद जीवन चक्र सतत् विकास	1	अपने 3 उत्पादों या सेवाओं जिनके डिजाइन का सरोकार सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दों, जोखिमों और/या अवसरों से है, को सूचीबद्ध करना		
2.1	संगठन का नाम	खण्ड क : कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना	2	कम्पनी का नाम	एम	
2.2	प्राथमिक ब्रॉण्ड, उत्पाद और/या सेवा।	खण्ड क : कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना	7	ऐसे क्षेत्र जिनमें कम्पनी कार्य कर रही है (कोड–वार औद्योगिक कार्यकलाप)	एम	
		खण्ड क : कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना	8	तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिन्हें कम्पनी विनिर्मित/प्रदान करती है (जैसा तुलन–पत्र में दिया गया है)	एम	
2.3	प्रमुख प्रभागों, प्रचालन कंपनियों, सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों सहित संगठन की परिचालन संरचना।	खण्ड ग : अन्य ब्यौरे	1	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?	एम	
2.4	संगठन के मुख्यालय की अवस्थिति।	खण्ड क : कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना	3	पंजीकृत पता	एम	
2.5	उन देशों की संख्या जहां संगठन प्रचालन करता है और उन देशों के नाम जहां प्रमुख परिचालन होता है या जो रिपोर्ट में शामिल सतत् विकास मुद्दों के लिए विशिष्ट तौर पर संगत हैं।	खण्ड क : कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना	9	उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा कारोबार कार्यकलाप किए जाते हैं i. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 स्थानों का विवरण दें) ii. राष्ट्रीय स्थलों की संख्या	एल	
2.6	स्वामित्व और विधिक स्वरूप की प्रकृति।	खण्ड ग : अन्य ब्यौरे	1	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?	एम	

2.7	सेवित बाजार (भौगोलिक आंकड़े, सेवित क्षेत्रों और ग्राहकों/लाभार्थियों के प्रकार सहित)।	खण्ड क : कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना	7	वे क्षेत्र जिनमें कंपनी कार्यरत है (कोड–वार औद्योगिक कार्यकलाप)	एम	
		खण्ड क : कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना	10	कंपनी द्वारा सेवित बाजार – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	एम	
2.8	रिपोर्टिंग संगठन का स्तर					
2.9	आकार, संरचना या स्वामित्व के संबंध में रिपोर्ट अवधि के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन।					
2.10	रिपोर्ट अवधि के दौरान प्राप्त पुरस्कार।					
3.1	दी गई सूचना की रिपोर्ट अवधि (अर्थात् राजकोषीय/कैलेण्डर वर्ष)	खण्ड क : कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना	6	सूचित वित्त वर्ष	एम	
3.2	अत्यधिक हाल की पिछली रिपोर्ट की तिथि (यदि कोई हो)।					
3.3	रिपोर्टिंग चक्र (वार्षिक, द्विवार्षिक आदि)।	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	3	बी.आर. से संबंधित नियंत्रण उस अवधि अंतराल का उल्लेख करें जब निदेशक मण्डल, बोर्ड की समिति अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी कम्पनी के बी.आर. निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। 3 महीने के भीतर, 3–6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक के अन्दर कंपनी के बी.आर. निष्पादन का आकलन करने के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आवृति का संकेत देना क्या कंपनी बी.आर. या कोई सतत् विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशित होने की आवृति क्या है?	एम	
3.4	रिपोर्ट अथवा इसकी विषय–वस्तु से संबंधित प्रश्नों के लिए सम्पर्क बिन्दु।	खण्ड क : कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना	5	ई–मेल आईडी	एम	
3.5	रिपोर्ट की विषय–वस्तु को परिभाषित करने की प्रक्रिया।					
3.6	रिपोर्ट की सीमा (अर्थात् देश, प्रभाग, सहायक कम्पनी, पट्टा आधारित सुविधाएं, संयुक्त उद्यम, आपूर्तिकर्ता)। और मार्गनिर्देश के लिए जी.आर.आई. सीमा प्रोटोकोल को देखिए।	खण्ड ग : अन्य ब्यौरे	2	क्या अनुशंगी कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बी.आर. पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी अनुशंगी कम्पनियों की संख्या बताएं	एल	
		खण्ड ग : अन्य ब्यौरे	3	क्या कोई अन्य कंपनी/कंपनियां (आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी कारोबार करती हैं, कंपनी की बी. आर. पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी कंपनी/कंपनियों का प्रतिशत बताएं? (30 प्रतिशत से कम, 30–60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)		
3.7	रिपोर्ट के क्षेत्र या सीमा के संबंध में किसी विशेष नियंत्रण का उल्लेख करें (क्षेत्र की व्याख्या के लिए कार्य को पूरा करने संबंधी सिद्धांत देखें)।					
3.8	संयुक्त उद्यम, सहायक कम्पनियों, पट्टा आधारित सुविधाओं, बाह्य स्रोत प्रचालन और अन्य कंपनियां जो अवधि दर अवधि और/या संगठनों के बीच तुना करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, के संबंध में रिपोर्टिंग का आधार।					

3.9	रिपोर्ट में संकेतकों और अन्य सूचनाओं का संकलन करने के लिए अनुमानों को निर्धारित करने के संबंध में उपयोग किए गए पूर्वानुमानों और तकनीकों सहित डाटा मापन तकनीक और गणना का आधार। लागू न होने वाले या जी.आर.आई. संकेतक प्रोटोकोल से पर्याप्त रूप से हटने संबंधी किसी निर्णय को स्पष्ट करें।					
3.10	पहले की रिपोर्टों में दी गई किसी सूचना के बारे में पुनः विवरण प्रस्तुत करने के प्रभाव की व्याख्या और ऐसे पुनः विवरण को प्रस्तुत करने का कारण (अर्थात्: विलय/अभिग्रहण आधार वर्ष/अवधि का परिवर्तन, कार्य का स्वरूप, मापन विधि) बताएं।					
3.11	रिपोर्ट में प्रयुक्त क्षेत्र, सीमा या मापन विधि में पिछली रिपोर्टिंग अवधि से हुआ महत्वपूर्ण परिवर्तन।					
3.12	रिपोर्ट में मानक के बारे में जानकारी प्रदान करने के स्थान का निर्धारण करने वाली तालिका।					
3.13	रिपोर्ट के लिए बाहरी आश्वासन प्राप्त करने के बारे में नीति और मौजूदा पद्धति।	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यान्वयन की स्वतंत्र जांच/मूल्यांकन करवाया है?	एम	
4.1	कार्यनीतियां बनाने या संगठनात्मक निगरानी करने जैसे विशिष्ट लक्ष्यों के लिए जिम्मेवार उच्चतम नियंत्रण निकाय के अंतर्गत समितियों सहित संगठन की नियंत्रण संरचना।	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	1	बी.आर. के लिए जिम्मेवार निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा क) बी.आर. नीति/नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा डी.आई.एन. संख्या नाम पदनाम ख) बी.आर. शीर्ष का विवरण 1. डी.आई.एन. संख्या (यदि लागू हो) 2. नाम 3. पदनाम 4. दूरभाष संख्या 5. ई–मेल आईडी	एल	सिद्धांत 1: स्वतः नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर संचालित तथा नियंत्रित किया जाना चाहिए।
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	3	बी.आर. से संबंधित नियंत्रण उस अवधि अंतराल का उल्लेख करें जब निदेशक मण्डल, बोर्ड की समिति अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कम्पनी के बी.आर. निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। 3 महीने के भीतर, 3–6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक के अन्दर कंपनी के बी.आर. निष्पादन का आकलन करने के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आवृति का संकेत देना क्या कंपनी बी.आर. या कोई सतत् विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशित होने की आवृति क्या है?		

4.2	यह बताएं कि क्या उच्चतम नियंत्रण निकाय के अध्यक्ष कार्यकारी अधिकारी भी हैं?					सिद्धांत 1 : स्वतः नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर संचालित तथा नियंत्रित किया जाना चाहिए।
4.3	ऐसे संगठनों जिनकी बोर्ड संरचना समान हो, के बारे में उच्चतम नियंत्रण निकाय के ऐसे सदस्यों की संख्या और महिला–पुरूष का उल्लेख करें जो स्वतंत्र और/अथवा गैर–कार्यकारी सदस्य हों।					सिद्धांत 1 : स्वतः नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर संचालित तथा नियंत्रित किया जाना चाहिए।
4.4	उच्चतम नियंत्रण निकाय को सुझाव देने या निदेश देने के लिए शेयरहोल्डरों और कर्मचारियों के लिए तंत्र।					सिद्धांत 1 : स्वतः नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर संचालित तथा नियंत्रित किया जाना चाहिए।
4.5	उच्चतम नियंत्रण निकाय के सदस्यों, वरिष्ठ प्रबंधकों और कार्यपालकों के लिए प्रतिपूर्ति (अलग से व्यवस्था सहित) और संगठन को निष्पादन (सामाजिक और पर्यावरणीय निष्पादन सहित) के मध्य संबंध।					
4.6	हितों के टकराव सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम नियंत्रण निकाय की निर्धारित प्रक्रियाएं।					सिद्धांत 1 : स्वतः नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर संचालित तथा नियंत्रित किया जाना चाहिए।
4.7	महिला–पुरूष संबंधी किसी विचार और अन्य विविधता संकेतों सहित उच्चतम नियंत्रण निकाय और इसकी समितियों के सदस्यों का संघटन, अर्हताएं और विशेषज्ञता निर्धारित करने की प्रक्रिया।					
4.8	आंतरिक रूप से तैयार किया गया मिशन विवरण या मूल्य, आचार संहिता और आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक निष्पादन के संगत सिद्धांत तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति।					सिद्धांत 1 : स्वतः नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर संचालित तथा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

4.9	संगठन के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक निष्पादन सहित संगत जोखिमों और अवसरों के निर्धारण और उनके प्रबंधन की निगरानी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य मानकों, अचार संहिताओं तथा सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए उच्चतम नियंत्रण निकाय की प्रक्रिया।	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.4	सभी 9 सिद्धांतों के लिए : क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/मालिक/सी.ई.ओ./समुचित निदेशक मंडल के उपयुक्त निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	लिंक	सिद्धांत 1 : स्वतः नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर संचालित तथा नियंत्रित किया जाना चाहिए।
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.5	सभी नौ सिद्धांतों के लिए : क्या कंपनी में नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए बोर्ड की समिति/निदेशक/अधिकारी विनिर्दिष्ट है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	3	बी.आर. से संबंधित अभिशासन उस अवधि अंतराल का उल्लेख करें जब निदेशक मण्डल, बोर्ड की समिति अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कम्पनी के बी.आर. निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। 3 महीने के अंदर, 3–6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक के अन्दर कंपनी के बी.आर. निष्पादन का आकलन करने के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आवृति का संकेत देना क्या कंपनी बी.आर. या कोई सतत् विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशित होने की आवृति क्या है?		
4.10	उच्चतम नियंत्रण निकाय के स्वयं के निष्पादन, विशेषकर आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक निष्पादन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया।					
4.11	यह स्पष्ट करें कि संगठन द्वारा किस प्रकार और कैसे पूर्वोपाय या सिद्धांतों को पूर्ण किया जाता है।					
4.12	बाहर आधार पर तैयार किया गया आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक चार्टर, सिद्धांत या अन्य पहलें जिसे संगठन अंशदान देता है या समर्थन देता है।					
4.13	संघों की सदस्यता (जैसे कि उद्योग संघ) और/या राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय समर्थक संगठन जिसमें संगठन का : नियंत्रण निकायों में स्थान हो;* परियोजना या समितियों में भाग लेता हो;* रूटीन सदस्यता के अतिरिक्त पर्याप्त निधियांन प्रदान करता हो; या* सदस्यता को कार्यनीतिक रूप में देखता हो।	खण्ड ड. : सिद्धांत 7–नीति समर्थन	1	क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैम्बर या संघ की सदस्य है? यदि हां केवल उन प्रमुख संघों का नाम दीजिए जिनके साथ आपका कारोबार होता है :	मैच	

4.14	संगठन द्वारा शामिल किए स्टेकहोल्डर समूह की सूची।	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी4	सिद्धांत 4: कारोबार करने वालों को स्टेकहोल्डरों के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए विशेषकर उनके प्रति जो उपेक्षित, कमजोर तथा समाज में अलग–थलग रहते हों।	लिंक	सिद्धांत 4 : कारोबार करने वालों को स्टेकहोल्डरों के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए विशेषकर उनके प्रति जो उपेक्षित, कमजोर तथा समाज में अलग–थलग रहते हों।
4.15	स्टेकहोल्डरों के निर्धारण और चयन का आधार जिन्हें नियुक्त किया जाना है।	खण्ड ड. : सिद्धांत 4– स्टेकहोल्डर नियुक्ति	1	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी स्टेकहोल्डरों की मैपिंग की है? हां/नहीं	लिंक	सिद्धांत 4 : कारोबार करने वालों को स्टेकहोल्डरों के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए विशेषकर उनके प्रति जो उपेक्षित, कमजोर तथा समाज में अलग–थलग रहते हों।
		खण्ड ड. : सिद्धांत 4– स्टेकहोल्डर नियुक्ति	2	उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने उपेक्षित, कमजोर तथा समाज में अलग–थलग रहने वाले स्टेकहोल्डरों की पहचान की है।		
4.16	स्टेकहोल्डरों के प्रकार और स्टेकहोल्डर समूह के आधार पर इन्हें शामिल करने की बारम्बारता सहित स्टेकहोल्डर को शामिल करने के दृष्टिकोण।	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी4	सिद्धांत 4: कारोबार करने वालों को स्टेकहोल्डरों के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए विशेषकर उनके प्रति जो लाभवंचित, कमजोर तथा समाज में अलग–थलग रहते हों।	लिंक	सिद्धांत 4 : कारोबार करने वालों को स्टेकहोल्डरों के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए विशेषकर उनके प्रति जो उपेक्षित, कमजोर तथा समाज में अलग–थलग रहते हों।
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.2	क्या संगत स्टेकहोल्डरों के परामर्श से नीति तैयार की गई है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.7	क्या संगत बाहरी और आंतरिक स्टेकहोल्डरों को नीति के बारे में औपचारिक सूचना दे दी गई है?		
		खण्ड ड. : सिद्धांत 4– स्टेकहोल्डर को शामिल करना	2	उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने उपेक्षित, कमजोर तथा समाज में अलग–थलग रहने वाले स्टेकहोल्डरों की पहचान की है।		
4.17	मुख्य विषय और सरोकार जिन्हें स्टेकहोल्डरों की नियुक्ति के माध्यम से उठाया गया है और संगठन ने अपनी रिर्पोटिंग सहित उन प्रमुख विषयों और सरोकारों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया दी है?	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.9	क्या कंपनी में स्टेकहोल्डरों की नीति/नीतियों से संबंधित स्टेकहोल्डरों की शिकायतों का समाधान करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	लिंक	सिद्धांत 4 : कारोबार करने वालों को स्टेकहोल्डरों के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए विशेषकर उनके प्रति जो उपेक्षित, कमजोर तथा समाज में अलग–थलग रहते हों।
		खण्ड ड. : सिद्धांत 4– स्टेकहोल्डर को शामिल करना	2	उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने लाभवंचित, कमजोर तथा समाज में अलग–थलग रहने वाले स्टेकहोल्डरों की पहचान की है।		
		खण्ड ड. : सिद्धांत 5– स्टेकहोल्डर को शामिल करना	2	विगत वित्तीय वर्ष में स्टेकहोल्डरों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषप्रद समाधान किया गया।		

आर्थिक श्रेणी						
पहलू : आर्थिक निष्पादन						
डी.एम.ए.		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी2	सिद्धांत 2 : कारोबार करने वालों को ऐसे सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों तथा जो अपने पूरे जीवन चक्र में सतत् विकास क्षमता बनाए रखें।	लिंक	
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी8	सिद्धांत 8 : कारोबार करने वालों को समग्र विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए।		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.1	क्या आपके पास ..... के लिए नीति/नीतियां हैं		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.2	क्या नीति को संगत स्टेकहोल्डरों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अनुरूप करती है? यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें? (50 शब्द)		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/सी.ई.ओ./निदेशक मंडल के उपयुक्त निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए कंपनी में बोर्ड की समिति/निदेशक/अधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया गया है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.7	क्या नीति के बारे में संगत आंतरिक और बाह्य स्टेकहोल्डरों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.8	क्या नीति/नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी में कोई आंतरिक ढांचा है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.9	क्या कंपनी में स्टेकहोल्डरों की नीति/नीतियों से संबंधित स्टेकहोल्डरों की शिकायतों का समाधान करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी से इस नीति के कार्यकरण की कोई स्वतंत्र जांच/मूल्यांकन करवाया है?		
ई.सी.1	राजस्व, प्रचालन लागतों, कर्मचारी प्रतिपूर्ति, दान और अन्य सामुदायिक निवेशों, धारित, आय और पूंजी प्रदाताओं और सरकारों को भुगतान सहित सृजित और वितरित प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य।	खण्ड ख : कंपनी का वित्तीय विवरण	1	चुकता पूंजी (भारतीय रुपए)	मैच	
		खण्ड ख : कंपनी का वित्तीय विवरण	2	कुल कारोबार (भारतीय रुपए)		
		खण्ड ख : कंपनी का वित्तीय विवरण	3	कर भुगतान के बाद कुल लाभ (भारतीय रुपए)		

ई.सी.2	जलवायु परिवर्तन के कारण संगठन के कार्यकलापों के लिए वित्तीय निहितार्थ और अन्य जोखिम तथा अवसर।					
ई.सी.3	संगठन के परिभाषित लाभ योजना दायित्वों की कवरेज।					
ई.सी.4	सरकार से प्राप्त महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता					
पहलू : बाजार उपस्थिति						
ई.सी.5	महत्वपूर्ण प्रचालन स्थलों पर स्थानीय न्यूनतम मजदूरी की तुलना में महिला–पुरुष (लिंग) के माध्यम से मानक प्रवेश स्तरीय मजदूरी के अनुपात की सीमा।					
ई.सी.6	प्रचालन के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं पर खर्च की नीति, पद्धति और अनुपात।	खण्ड ड. : सिद्धांत 2– उत्पाद जीवन चक्र सतत् विकास	3	क्या कंपनी में सतत् विकास स्रोत की कोई प्रक्रिया है (परिवहन सहित)?	मैच	सिद्धांत 2 : कारोबार करने वालों को ऐसी सेवाएं और सामान प्रदान करने चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान सतत् विकास क्षमता बनाए करने में योगदान करते हों।
		खण्ड ड. : सिद्धांत 2– उत्पाद जीवन चक्र सतत् विकास	4	क्या कंपनी ने कार्यस्थल के आस–पास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से सामान और सेवाओं का प्रापण करने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?		
ई.सी.7	प्रचालन के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया और स्थानीय समुदायों से तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए वरिष्ठ प्रबंधन का अनुपात					
पहलू : अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव						
ई.सी.8	वाणिज्यिक रूप से किसी वस्तु अथवा प्रो–बोनो आधार पर प्राथमिक रूप से सार्वजनिक हित के लिए प्रदान किए गए अवसंरचना तथा सेवाओं को तैयार करना तथा इनका प्रभाव।					
ई.सी.9	प्रभाव की सीमा सहित महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव को समझना और वर्णन करना।					

पर्यावरणीय श्रेणी					
डी.एम.ए.	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी2	सिद्धांत 2 : कारोबार करने वालों को ऐसी सेवाएं और सामान प्रदान करने चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान सतत् विकास क्षमता बनाए करने में योगदान करते हों।	मैच	
	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी6	सिद्धांत 6 : कारोबार करने वाले को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए।		
	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.1	क्या आपके पास ..... के लिए नीति/नीतियां हैं		
	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.2	क्या नीति को संगत स्टेकहोल्डरों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है?		
	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें? (50 शब्द)		
	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/सी.ई.ओ./निदेशक मंडल के उपयुक्त निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है?		
	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए कंपनी में बोर्ड की समिति/निदेशक/अधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया गया है?		
	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं?		
	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.7	क्या नीति के बारे में संगत आंतरिक और बाह्य स्टेकहोल्डरों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है?		
	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.8	क्या नीति/नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी में कोई आंतरिक ढांचा है?		
	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.9	क्या कंपनी में स्टेकहोल्डरों की नीति/नीतियों से संबंधित स्टेकहोल्डरों की शिकायतों का समाधान करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?		
	खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी से इस नीति के कार्यकरण की कोई स्वतंत्र जांच/मूल्यांकन करवाया है?		
	खण्ड ड. : सिद्धांत 6– पर्यावरण	3	क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करती है? हां/नहीं		
	खण्ड ड. : सिद्धांत 6– पर्यावरण	3	क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करती है? हां/नहीं		

पहलू : सामग्री						
ई.एन.1	भार या आयतन द्वारा प्रयुक्त सामग्री।					
ई.एन.2	ऐसी प्रयुक्त सामग्रियों का प्रतिशत जो रीसाइकल करके निवेश सामग्री के रूप में तैयार की गई हैं।	खण्ड ड. : सिद्धांत 2– उत्पाद जीवन चक्र सतत् विकास क्षमता	5	क्या कंपनी के पास उत्पादों और कचरे को रीसाइकल करने की प्रणाली है? यदि हां, तो उत्पादों और कचरे के रीसाइकल करने का प्रतिशत (अलग–अलग यथा <5%, 5-10%, >10%), इनके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण भी दें।	लिंक	सिद्धांत 2 : कारोबार करने वालों को ऐसी सेवाएं और सामान प्रदान करने चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान सतत् विकास क्षमता बनाए करने में योगदान करते हों। सिद्धांत 6 : कारोबार करने वालों को पर्यावरण का सम्मान करने, सुरक्षित करने, और उसे संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए।
पहलू : ऊर्जा						
ई.एन.3	प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों से प्रत्यक्ष ऊर्जा उपभोग।					सिद्धांत 6 : कारोबार करने वालों को पर्यावरण का सम्मान करने, सुरक्षित करने, और उसे संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए।
						सिद्धांत 6 : कारोबार करने वालों को पर्यावरण का सम्मान करने, सुरक्षित करने, और उसे संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए।
ई.एन.4	प्राथमिक स्रोतों से अप्रत्यक्ष ऊर्जा उपभोग।					सिद्धांत 6 : कारोबार करने वालों को पर्यावरण का सम्मान करने, सुरक्षित करने, और उसे संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए।
ई.एन.5	ऊर्जा के संरक्षण और कुशल उपयोग के कारण बचाई गई ऊर्जा।	खण्ड ड.: सिद्धांत 6– पर्यावरण	5	क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा के कुशल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के बारे में कोई अन्य पहल की हैं। हां/नहीं। यदि हां, तो वेब पेज का हाइपर लिंक बताएं।	मैच	सिद्धांत 6 : कारोबार करने वालों को पर्यावरण का सम्मान करने, सुरक्षित करने, और उसे संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए।

ई.एन.6	ऊर्जा के कुशल उपयोग या नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की पहलें और इन पहलों के परिणामस्वरूप ऊर्जा आवश्यकता में कमी।	खण्ड ड.: सिद्धांत 6– पर्यावरण	2	क्या कंपनी में जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय तापन आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने के लिए कार्यनीति/पहलें हैं? हां/नहीं। यदि हां, तो वेबपेज का हाइपर लिंक बताएं।	लिंक	सिद्धांत 2 : कारोबार करने वालों को ऐसी सेवाएं और सामान प्रदान करने चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान सतत् विकास क्षमता बनाए करने में योगदान करते हों। सिद्धांत 6 : कारोबार करने वालों को पर्यावरण का सम्मान करने, सुरक्षित करने, और उसे संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए।
		खण्ड ड.: सिद्धांत 6– पर्यावरण	5	क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के बारे में कोई अन्य पहलें की हैं। हां/नहीं। यदि हां, तो वेब पेज का हाइपर लिंक बताएं।		
		खण्ड ड. : सिद्धांत 2– उत्पाद जीवन चक्र निरंतरता	2	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति यूनिट संसाधन उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण दें। उत्पाद (वैकल्पिक) : i. पूरी मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से प्राप्त साधन/उत्पादन/वितरण के दौरान कटौती? ii. पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के दौरान (ऊर्जा, जल) कटौती हासिल की गई है?		
ई.एन.7	अप्रत्यक्ष ऊर्जा उपभोग को कम करने संबंधी पहल और हासिल की गई कमी।	खण्ड ड.: सिद्धांत 2– उत्पाद जीवन चक्र सतत् विकास क्षमता	2.i	''ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति यूनिट संसाधन उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा पदार्थ आदि) के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण दें। उत्पाद (वैकल्पिक) : i. पूरी मूल्य श्रंखला में पिछले वर्ष से प्राप्त साधन/उत्पादन/वितरण के दौरान कटौती?''	लिंक	सिद्धांत 2 : कारोबार करने वालों को ऐसी सेवाएं और सामान प्रदान करने चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान सतत् विकास क्षमता बनाए करने में योगदान करते हों। सिद्धांत 6 : कारोबार करने वालों को पर्यावरण का सम्मान करने, सुरक्षित करने, और उसे संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए।
		खण्ड ड.: सिद्धांत 6– पर्यावरण	2	क्या कंपनी में जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय तापन आदि जैसी वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई कार्यनीति/पहल हैं? हां/नहीं। यदि हां, तो वेबपेज का हाइपर लिंक बताएं।		
		खण्ड ड.: सिद्धांत 6– पर्यावरण	5	क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के बारे में कोई अन्य पहल की हैं। हां/नहीं। यदि हां, तो वेबपेज का हाइपर लिंक बताएं।		
पहलू : जल						
ई.एन.8	स्रोतों से कुल जल प्राप्ति	खण्ड ड. : सिद्धांत 2– उत्पाद जीवन चक्र निरंतरता	2	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति यूनिट संसाधन उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण दें। उत्पाद (वैकल्पिक) : i. पूरी मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से प्राप्त साधन/उत्पादन/वितरण के दौरान कटौती? ii. पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के दौरान (ऊर्जा, जल) कटौती हासिल की गई है?	लिंक	सिद्धांत 6 : कारोबार करने वालों को पर्यावरण का सम्मान करने, सुरक्षित करने, और उसे संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए।
ई.एन.9	जल निकासी से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित जल स्रोत					

ई.एन.10	पुनः चक्रित और पुनः प्रयुक्त जल की कुल मात्रा और प्रतिशत	खण्ड ड. : सिद्धांत 2– उत्पाद जीवन चक्र निरंतरता	2.ii	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति यूनिट संसाधन उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण दें। उत्पाद (वैकल्पिक) : ii. पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के दौरान (ऊर्जा, जल) कटौती हासिल की गई है?	लिंक	सिद्धांत 6 : कारोबार करने वालों को पर्यावरण का सम्मान करने, सुरक्षित करने, और उसे संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए।
पहलू : जैव-विविधता						
ई.एन.11	संरक्षित क्षेत्रों में अथवा उनके पास के क्षेत्रों में और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर अत्यधिक जैव–विविधता मूल्य वाले क्षेत्रों में स्वामित्व वाली, पट्टा आधारित तथा प्रबंधन आधारित जमीन का स्थान और आकार।					
ई.एन.12	संरक्षित क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों से बाहर उच्च जैव–विविधता वाले क्षेत्रों में जैव–विविधता पर कार्यकलाप, उत्पाद और सेवाओं के महत्वपूर्ण प्रभावों का विवरण।					
ई.एन.13	संरक्षित या अनुरक्षित स्थल।					
ई.एन.14	जैव–विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए कार्यनीति, मौजूदा कार्रवाई और आगामी योजनाएं।					सिद्धांत 6 : कारोबार करने वालों को पर्यावरण का सम्मान करने, सुरक्षित करने, और उसे संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए।
ई.एन.15	लुप्त होने के जोखिम स्तर के आधार पर प्रचालन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में आवास स्थलों सहित आई.यू.सी.एन. रेड लिस्ट प्रजाति और राष्ट्रीय संरक्षण सूची प्रजातियों की संख्या।					
पहलू : उत्सर्जन, बाह्य प्रवाह और कचरा						
ई.एन.16	भार के आधार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन।					सिद्धांत 6 : कारोबार करने वालों को पर्यावरण का सम्मान करने, सुरक्षित करने, और उसे संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए।
ई.एन.17	भार के आधार पर अन्य संगत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन।					सिद्धांत 6 : कारोबार करने वालों को पर्यावरण का सम्मान करने, सुरक्षित करने, और उसे संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए।
ई.एन.18	ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के प्रयास और इनसे हासिल की गई कमी।	खण्ड ड. : सिद्धांत 6– पर्यावरण	2	क्या कंपनी में जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय तापन आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई कार्यनीति/पहल हैं? हां/नहीं। यदि हां, तो वेबपेज का हाइपर लिंक बताएं।	लिंक	सिद्धांत 6 : कारोबार करने वालों को पर्यावरण का सम्मान करने, सुरक्षित करने, और उसे संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए।
		खण्ड ड. : सिद्धांत 6– पर्यावरण	4	क्या कंपनी में स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा दें। यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय रिपोर्ट दर्ज की गई है?		
ई.एन.19	भार के आधार पर ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों का उत्सर्जन।					

ई.एन.20	प्रकार और भारानुसार एनओएक्स, एसओएक्स और अन्य महत्वपूर्ण वायु उत्सर्जन।					
ई.एन.21	गुणवत्तापूरक कुल बाह्य जल प्रवाह और लक्ष्य।					सिद्धांत 6 : कारोबार करने वालों को पर्यावरण का सम्मान करने, सुरक्षित करने, और उसे संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए।
ई.एन.22	प्रकार और निपटान के आधार पर कचरे का कुल भार।	खण्ड ड.: सिद्धांत 2– उत्पाद जीवन चक्र सतत् विकास क्षमता	5	क्या कंपनी के पास उत्पादों और कचरे को रिसाइकल करने की प्रणाली है? यदि हां, तो उत्पादों और कचरे को रिसाइकल करने का प्रतिशत अलग–अलग बताएं (अलग–अलग यथा <5%, 5-10%, >10%), इनके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण भी दें।	लिंक	सिद्धांत 6 : कारोबार करने वालों को पर्यावरण का सम्मान करने, सुरक्षित करने, और उसे संरक्षित करने के प्रयास करने चाहिए।
ई.एन.23	महत्वपूर्ण स्पिल की मात्रा और कुल संख्या।					
ई.एन.24	बासेल परम्परा अनुबंध I, II, III और VIII के अंतर्गत जोखिम युक्त माने गए ट्रांसपोर्टेड, आयातित, निर्यातित कचरे का भार और अंतर्राष्ट्रीय रूप से ले जाए गए ट्रांसपोर्टेड कचरे का भार।	खण्ड ड.: सिद्धांत 2– उत्पाद जीवन चक्र सतत् विकास क्षमता	5	क्या कंपनी के पास उत्पादों और कचरे को रिसाइकल करने करने की प्रणाली है? यदि हां, तो उत्पादों और कचरे को रिसाइकल करने का प्रतिशत अलग–अलग बताएं (अलग–अलग यथा <5%, 5-10%, >10%), इनके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण भी दें।	लिंक	
ई.एन.25	जलाशयों का निर्धारण, आकार, संरक्षण स्थिति और जैव–विविधता मूल्य और संबंधित आवास स्थल जो संगठन के जल निकास और अपवाह से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं।					
पहलू : उत्पाद और सेवा						
ई.एन.26	उत्पाद और सेवाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की पहल और प्रभाव को कम करने की सीमा।	खण्ड ड.: सिद्धांत 6– पर्यावरण	2	क्या कंपनी में जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय तापन आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई कार्यनीति/पहल हैं? हां/नहीं। यदि हां, तो वेब पेज का हाइपर लिंक बताएं।	मैच	
		खण्ड ड.: सिद्धांत 2– उत्पाद जीवन चक्र निरंतरता	2	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति यूनिट संसाधन उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण दें। उत्पाद (वैकल्पिक) : i. पूरी मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से प्राप्त साधन/उत्पादन/वितरण के दौरान कटौती? ii. पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के दौरान (ऊर्जा, जल) कटौती हासिल की गई है?	लिंक	
ई.एन.27	विक्रय किये गये उत्पादों का प्रतिशत और उनकी पैकेजिंग जिन्हें श्रेणी के अनुसार वापस लिया गया।	खण्ड ड. : सिद्धांत 2– उत्पाद जीवन चक्र निरंतरता	5	क्या कंपनी के पास उत्पादों और कचरे को रिसाइकल करने करने की प्रणाली है? यदि हां, तो उत्पादों और कचरे को रिसाइकल करने का प्रतिशत अलग–अलग बताएं (अलग–अलग यथा <5%, 5-10%, >10%), इनके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण भी दें।	लिंक	
पहलू : अनुपालन						
ई.एन.28	महत्वपूर्ण जुर्माने की मौद्रिक मूल्य और पर्यावरणीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन न किए जाने के लिए गैर–मौद्रिक प्रतिबंधों की संख्या।					

पहलू : परिवहन						
ई.एन.29	संगठन के प्रचालनों के उत्पादों और इनमें उपयोग किए जाने वाले अन्य माल तथा सामग्री और कार्यबल के सदस्यों की परिवहन व्यवस्था के महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रभाव।					
पहलू : समग्र						
ई.एन.30	कुल पर्यावरण संरक्षण खर्च और निवेश का प्रकार।					
श्रम पद्धतियां और उम्दा कार्य श्रेणी						
डी.एम.ए.		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी3	सिद्धांत 3: कारोबार करने वालों को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।	मैच	
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी4	सिद्धांत 4: कारोबार करने वालों को स्टेकहोल्डरों के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए विशेषकर उनके प्रति जो लाभवंचित, कमजोर तथा समाज में अलग–थलग रहते हों।		सिद्धांत 3: कारोबार करने वालों को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी8	सिद्धांत 8: कारोबार करने वालों को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए।		सिद्धांत 3: कारोबार करने वालों को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.1	क्या आपके पास ..... के लिए नीति/नीतियां हैं		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.2	क्या नीति को संगत स्टेकहोल्डरों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें? (50 शब्द)		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/सी.ई.ओ./निदेशक मंडल के उपयुक्त निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए कंपनी में बोर्ड की समिति/निदेशक/अधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया गया है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बनाएं?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.7	क्या नीति के बारे में संगत आंतरिक और बाह्य स्टेकहोल्डरों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.8	क्या नीति/नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी में कोई आंतरिक ढांचा है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.9	क्या कंपनी में स्टेकहोल्डरों की नीति/नीतियों से संबंधित स्टेकहोल्डरों की शिकायतों का समाधान करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी से इस नीति के कार्यकरण की कोई स्वतंत्र जांच/मूल्यांकन करवाया है?		

पहलू : नियोजन						
एल.ए.1	नियोजन प्रकार, नियोजन संविदा और महिला–पुरुष के आधार पर कुल कार्यबल।	खण्ड ड. : सिद्धांत 3– कर्मचारी कल्याण	1	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।	मैच	
		खण्ड ड. : सिद्धांत 3– कर्मचारी कल्याण	2	कृपया अस्थायी/संविदागत/कैजुअल आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।		सिद्धांत 3 : कारोबार करने वालों को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।
		खण्ड ड. : सिद्धांत 3– कर्मचारी कल्याण	3	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।		सिद्धांत 3 : कारोबार करने वालों को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।
एल.ए.2	अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए नए कर्मचारियों की कुल संख्या और दर तथा आयु समूह, महिला–पुरुष और क्षेत्र के आधार पर कर्मचारियों की कुल संख्या, अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए नए कर्मचारियों की दर और कर्मचारी टर्नओवर।					
एल.ए.3	प्रमुख प्रचालनों के माध्यम से पूर्णकालिक कर्मचारियों को प्रदान किए गए ऐसे लाभ जो अस्थायी या अंशकालिक कर्मचारियों को नहीं दिए गए हैं।					
एल.ए.15	महिला–पुरुष आधार पर पैतृत्व अवकाश के उपरांत कार्य पर वापसी और बने रहने की स्थिति।					
पहलु श्रमिक/प्रबंधन संबंध						
एल.ए.4	सामूहिक सौदेबाजी करारों द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या।	खण्ड ड.: सिद्धांत 3– कर्मचारी कल्याण	5	क्या आपके पास कर्मचारियों का संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।	लिंक	
		खण्ड ड.: सिद्धांत 3– कर्मचारी कल्याण	6	आपके स्थायी कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारी इस पंजीकृत कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?	मैच	
एल.ए.5	महत्वपूर्ण प्रचालनात्मक परिवर्तनों के संबंध में न्यूनतम नोटिस अवधि सहित यह उल्लेख करें कि क्या यह सामूहिक समझौते में विनिर्दिष्ट है।					
पहलू : व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा						
एल.ए.6	औपचारिक संयुक्त प्रबंधन में शामिल कुल कार्यबल का प्रतिशत – कामगार स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति जो व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा कार्यक्रमों की निगरानी करने और सलाह देने में सहायता करेगी।	खण्ड ड.: सिद्धांत 3– कर्मचारी कल्याण	5	क्या आपके पास कर्मचारियों का संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।	लिंक	
		खण्ड ड.: सिद्धांत 3– कर्मचारी कल्याण	6	आपके स्थायी कर्मचारियों के कितने प्रतिशत लोग इस पंजीकृत कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?	मैच	
एल.ए.7	दुर्घटना, व्यावसायिक रोग, बीते दिन और अनुपस्थिति की दर और क्षेत्र और महिला–पुरुष के आधार पर कार्य संबंधित सुविधाओं की संख्या।					
एल.ए.8	गंभीर बीमारियों के संदर्भ में कार्यबल सदस्यों, उनके परिवारों या समुदाय के सदस्यों को सहायता देने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, निवारण और जोखिम नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत।					
एल.ए.9	व्यापार संघों के साथ औपचारिक समझौतों में कवर किए गए स्वास्थ्य और सुरक्षा बिन्दु।					

पहलू : प्रशिक्षण और शिक्षा						
एल.ए.10	महिला–पुरुष और कर्मचारी श्रेणी के आधार पर प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी को दिए गए प्रशिक्षण के औसत घंटे।	खण्ड ड. : सिद्धांत 3– कर्मचारी कल्याण	8	पिछले वर्ष में आपके अग्रलिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया? स्थायी कर्मचारी स्थायी महिला कर्मचारी कैजुअल/अस्थायी/संविदागत कर्मचारी विकलांग कर्मचारी	लिंक	सिद्धांत 3 : कारोबार करने वालों को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।
एल.ए.11	कौशल प्रबंधन और जीवनपर्यंत अध्ययन के लिए कार्यक्रम जो कर्मचारियों के निरंतर नियोजन क्षमता को समर्थन देता है और कैरियर निर्माण में उनकी सहायता करता है।	खण्ड ड. : सिद्धांत 3– कर्मचारी कल्याण	9	पिछले वर्ष में आपके अग्रलिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया? स्थायी कर्मचारी स्थायी महिला कर्मचारी कैजुअल/अस्थायी/संविदागत कर्मचारी विकलांग कर्मचारी	लिंक	सिद्धांत 3 : कारोबार करने वालों को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।
एल.ए.12	महिला–पुरुष आधार पर नियमित निष्पादन और कैरियर विकास समीक्षा प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत।					
पहलू : विविधता और समान अवसर						
एल.ए.13	महिला–पुरुष, आयु समूह, अल्पसंख्यक समूह सदस्यता और विविधता के अन्य संकेतकों के अनुसार प्रति कर्मचारी श्रेणी कर्मचारियों का विवरण और अभिशासन निकायों का संघटन।	खण्ड ड.: सिद्धांत 3– कर्मचारी कल्याण	3	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं	मैच	
		खण्ड ड.: सिद्धांत 3– कर्मचारी कल्याण	4	कृपया विकलांग कर्मचारियों की संख्या बताएं		
पहलू : महिलाओं और पुरुषों के लिए समान परिलब्धियां						
एल.ए.14	प्रचालन के महत्वपूर्ण स्थानों पर कर्मचारी श्रेणी के आधार पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के मूल वेतन और परिलब्धियों का अनुपात।					

मानवाधिकार श्रेणी						
डी.एम.ए.		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी4	सिद्धांत 4: कारोबार करने वालों को स्टेकहोल्डरों के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए विशेषकर उनके प्रति जो लाभवंचित, कमजोर तथा समाज में अलग–थलग रहते हों।	मैच	
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी5	सिद्धांत 5: कारोबार करने वालों को मानवाधिकारों का सम्मान करना व बढ़ावा देना चाहिए।		सिद्धांत 5 : कारोबार करने वालों को मानवाधिकारों का सम्मान करना व बढ़ावा देना चाहिए।
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी8	सिद्धांत 8 : व्यवसाय को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए।		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.1	क्या आपके पास ..... के लिए नीति/नीतियां हैं		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.2	क्या नीति को संगत स्टेकहोल्डरों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें? (50 शब्द)		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/सी.ई.ओ./निदेशक मंडल के उपयुक्त निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए कंपनी में बोर्ड की समिति/निदेशक/अधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया गया है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बनाएं?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.7	क्या नीति के बारे में संगत आंतरिक और बाह्य स्टेकहोल्डरों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.8	क्या नीति/नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी में कोई आंतरिक ढांचा है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.9	क्या कंपनी में स्टेकहोल्डरों की नीति/नीतियों से संबंधित स्टेकहोल्डरों की शिकायतों का समाधान करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी से इस नीति के कार्यकरण की कोई स्वतंत्र जांच/मूल्यांकन करवाया है?		
पहलू : निवेश और प्रापण पद्धतियां						
एच. आर.1	महत्वपूर्ण निवेश समझौतों और संविदाओं की कुल संख्या और प्रतिशत जिसमें मानवाधिकार सरोकारों के लिए खण्ड शामिल किया गया हो या जिनमें मानवाधिकार से संबंधित ब्यौरा दिया गया हो।					

एच. आर.2	महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य कारोबार सहयोगियों का प्रतिशत जो मानवाधिकार जांच से गुजरे हों और इस पर की गई कार्रवाई।					सिद्धांत 2 : कारोबार करने वालों को ऐसी सेवाएं और सामान प्रदान करने चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान सतत् विकास क्षमता बनाए करने में योगदान करते हों।
एच. आर.3	मानवाधिकार पहलुओं से संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं पर कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण के कुल घंटे जो प्रचालन के लिए जरूरी हों तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रतिशत।					
पहलू : भेदभाव-रहित व्यवस्था						
एच. आर.4	भेदभाव की घटनाओं की कुल संख्या और की गई सुधारात्मक कार्रवाई।					सिद्धांत 5 : कारोबार करने वालों को मानवाधिकारों का सम्मान करना व बढ़ावा देना चाहिए।
पहलू : संघ बनाने और सामूहिक सौदेबाजी करने की स्वतंत्रता						
एच. आर.5	अभिचिन्हित प्रचालन और महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता जिनके संबंध में संघ बनाने और सामूहिक सौदेबाजी करने की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो सकता है अथवा इससे पर्याप्त रूप से जोखिम हो सकता है और इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए की गई कार्रवाई।					
पहलू : बाल श्रम						
एच. आर.6	बाल–श्रम की घटनाओं के होने के लिए महत्वपूर्ण जोखिम वाले के रूप में अभिचिन्हित प्रचालन और महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्त्ता तथा बाल श्रम के प्रभावी उन्मूलन के लिए किए गए उपाय।					सिद्धांत 2 : कारोबार करने वालों को ऐसी सेवाएं और सामान प्रदान करने चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान सतत् विकास क्षमता बनाए करने में योगदान करते हों।
पहलू : बलात-श्रम और बाध्यकारी श्रम						
एच.आर.7	बलात–श्रम और बाध्यकारी श्रम की घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण जोखिम वाले के रूप में अभिचिन्हित प्रचालन और महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ताओं और सभी प्रकार के बलात श्रम और बाध्यकारी श्रम के उन्मूलन के लिए किए गए उपाय।	खण्ड ड. : सिद्धांत 3– कर्मचारी कल्याण	7	पिछले वित्त वर्ष के दौरान बाल श्रम, बलात श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या और वित्त वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।	लिंक	सिद्धांत 2 : कारोबार करने वालों को ऐसी सेवाएं और सामान प्रदान करने चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान सतत् विकास क्षमता बनाए करने में योगदान करते हों।
पहलू : सुरक्षा पद्धति						
एच.आर.8	संगठन की नीतियों में प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों का प्रतिशत या मानवाधिकार के पहलुओं से संबंधित प्रक्रियाएं जो प्रचालन के लिए संगत हैं।					

पहलू : मूल निवासियों का अधिकार						
एच.आर.9	मूल निवासियों के अधिकारों के अतिक्रमण सहित अतिक्रमण की घटनाओं की कुल संख्या और की गई कार्रवाई।					सिद्धांत 5 : कारोबार करने वालों को मानवाधिकारों का सम्मान करना व बढ़ावा देना चाहिए।
पहलू : मूल्यांकन						
एच.आर.10	ऐसे प्रचालनों की कुल संख्या का प्रतिशत जो मानवाधिकार समीक्षा और/या प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित रहे हैं।					
पहलू : निवारण						
एच.आर.11	मानवाधिकार क्षेत्र से संबंधित शिकायतों की कुल संख्या जिन्हें औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से देखा गया व निपटाया गया।	खण्ड ड. : सिद्धांत 3– कर्मचारी कल्याण	7	पिछले वित्त वर्ष के दौरान बाल श्रम, बलात श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या और वित्त वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।	लिंक	सिद्धांत 3 : कारोबार करने वालों को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।
		खण्ड ड. : सिद्धांत 3– कर्मचारी कल्याण	8	क्र. सं. श्रेणी वित्त वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या वित्त वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या 1. बाल श्रम/बलात श्रम/अनैच्छिक श्रम 2. यौन उत्पीड़न 3. भेदभाव पूर्ण नियोजन		सिद्धांत 5 : कारोबार करने वालों को मानवाधिकारों का सम्मान करना व बढ़ावा देना चाहिए।
सामाजिक श्रेणी						
डी.एम.ए.		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी1	सिद्धांत 1 : कारोबार करने वालों को आचार, पारदर्शिता और जवाबदेही से परिपूर्ण होना चाहिए तथा अपने आपको इससे नियंत्रित करना चाहिए।	मैच	
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी7	सिद्धांत 7 : कारोबार करने वाला जब लोगों और नियामक नीतियों को प्रभावित करता हो तो उसे यह सब जिम्मेवारीपूर्वक करना चाहिए।		सिद्धांत 8 : कारोबार करने वालों को समावेशी वृद्धि और समान विकास का समर्थन करना चाहिए।
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी8	सिद्धांत 8 : कारोबार करने वालों को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए।		सिद्धांत 8 : कारोबार करने वालों को समावेशी वृद्धि और समान विकास का समर्थन करना चाहिए।
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.1	क्या आपके पास ..... के लिए नीति/नीतियां हैं		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.2	क्या नीति को संगत स्टेकहोल्डरों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें? (50 शब्द)		

		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/सी.ई.ओ./निदेशक मंडल के उपयुक्त निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए कंपनी में बोर्ड की समिति/निदेशक/अधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया गया है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बनाएं?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.7	क्या नीति के बारे में संगत आंतरिक और बाह्य स्टेकहोल्डरों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.8	क्या नीति/नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी में कोई आंतरिक ढांचा है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.9	क्या कंपनी में स्टेकहोल्डरों की नीति/नीतियों से संबंधित स्टेकहोल्डरों की शिकायतों का समाधान करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी से इस नीति के कार्यकरण की कोई स्वतंत्र जांच/मूल्यांकन करवाया है?		
		खण्ड ड. : सिद्धांत 8– समावेशी वृद्धि	1	क्या कंपनी में सिद्धांत 8 से संबंधित नीतियों के अनुपालन में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहलें/ परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।		
		खण्ड ड. : सिद्धांत 8– समावेशी वृद्धि	2	क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं इन–हाउस टीम/स्वयं के फाउंडेशन/बाहरी गैर सरकारी संगठन/सरकारी ढांचे/किसी अन्य संगठन के माध्मय से आयोजित की गईं?		
		खण्ड ड. : सिद्धांत 8– समावेशी वृद्धि	3	क्या आपने अपनी पहलों का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?		
		खण्ड ड. : सिद्धांत 1– आचार, पारदर्शिता और जवाबदेही	1	क्या आचार, घूस और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? हां/नहीं। क्या यह समूहों/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर लागू हैं?		
पहलू : स्थानीय समुदाय						
एस.ओ.1	स्थानीय सामुदायिक नियुक्ति, प्रभाव मूल्यांकन और विकास कार्यक्रमों सहित कार्यान्वित प्रचालनों का प्रतिशत।	खण्ड ड. : सिद्धांत 8– समावेशी वृद्धि	4	क्या आपकी कंपनी का सामुदायिक विकास परियोजनाओं में प्रत्यक्ष योगदान है – राशि भारतीय रुपए में तथा पूरी की गई परियोजनाओं का विवरण।	लिंक	सिद्धांत 8 : कारोबार करने वालों को समावेशी वृद्धि और समान विकास का समर्थन करना चाहिए।
		खण्ड ड. : सिद्धांत 8– समावेशी वृद्धि	5	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के उपाय किए हैं कि सामुदायिक विकास पहले समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाए गए हैं? कृपया 50 शब्दों में बताएं।		
एस.ओ.9	महत्वपूर्ण क्षमता वाले प्रचालन या स्थानीय समुदायों पर वास्तविक नकारात्मक प्रभाव।					

एस.ओ.10	स्थानीय समुदायों पर महत्वपूर्ण क्षमता या वास्तविक नकारात्मक प्रभाव वाले प्रचालनों में कार्यान्वित निवारक और प्रभाव कम करने वाले उपाय।	खण्ड ड. : सिद्धांत 8– समावेशी वृद्धि	4	क्या आपकी कंपनी का सामुदायिक विकास परियोजनाओं में प्रत्यक्ष योगदान है – राशि भारतीय रुपए में तथा पूरी की गई परियोजनाओं का विवरण।	मैच	सिद्धांत 8 : कारोबार करने वालों को समावेशी वृद्धि और समान विकास का समर्थन करना चाहिए।
		खण्ड ड. : सिद्धांत 8– समावेशी वृद्धि	5	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के उपाय किए हैं कि सामुदायिक विकास पहले समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाए गए हैं? कृपया 50 शब्दों में बताएं।		
पहलू : भ्रष्टाचार						
एस.ओ.2	भ्रष्टाचार से संबंधित जोखिमों के लिए आकलित व्यवसाय यूनिटों की कुल संख्या और प्रतिशत।					
एस.ओ.3	संगठन की भ्रष्टाचार–निरोधी नीतियों में प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रतिशत।					
एस.ओ.4	भ्रष्टाचार की घटनाओं के प्रत्युत्तर में की गई कार्रवाई।	खण्ड ड. : सिद्धांत 1– आचार, पारदर्शिता और जवाबदेही	2	विगत वित्तीय वर्ष में स्टेकहोल्डरों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोशजनक समाधान प्रबंधन द्वारा किया गया? यदि हां, तो इस बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।	लिंक	
पहलू : लोक नीति						
एस.ओ.5	प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार, अविश्वास और एकाधिकार पद्धतियों के लिए की गई विधिक कार्रवाई की कुल संख्या तथा उनके परिणाम।					सिद्धांत 7 : कारोबार करने वाले जब सार्वजनिक नीति और विनियामक नीति को प्रभावित करते हों तो उन्हें यह सब जिम्मेवारीपूर्वक करना चाहिए।
एस.ओ.6	देश द्वारा राजनीतिक दलों, राजनीतिज्ञों और संबंधित संस्थाओं को वित्तीय और अन्य वस्तुओं के रूप में योगदान का कुल मूल्य।					
पहलू : प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार						
एस.ओ.7	प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार, अविश्वास और एकाधिकार पद्धतियों के लिए की गई विधिक कार्रवाई की कुल संख्या तथा उनके परिणाम।	खण्ड ड. : सिद्धांत 9– उपभोक्ता मूल्य	3	क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी स्टेकहोल्डर द्वारा अनैतिक व्यापार पद्धति, गैर–जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है और वित्त वर्ष की समाप्ति पर क्या कोई मामला लंबित है? यदि हां, तो इसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।	मैच	
पहलू : अनुपालन						
एस.ओ.8	नियमों और विनियमों का अनुपालन न किए जाने के लिए महत्वपूर्ण जुर्मानों की आर्थिक कीमत और गैर–मौद्रिक प्रतिबंधों की कुल संख्या।					
उत्पाद जिम्मेदारी श्रेणी						
डी.एम.ए.		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी2	सिद्धांत 2 : कारोबार करने वालों को ऐसी सेवाएं और सामान प्रदान करने चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान सतत् विकास क्षमता बनाए करने में योगदान करते हों।	मैच	
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.पी9	सिद्धांत 9 : कारोबार करने वालों को एक जिम्मेवार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित रहना चाहिए।		

		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.1	क्या आपके पास ..... के लिए नीति/नीतियां हैं		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.2	क्या नीति को संगत स्टेकहोल्डरों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें? (50 शब्द)		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/सी.ई.ओ./निदेशक मंडल के उपयुक्त निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2..5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए कंपनी में बोर्ड की समिति/निदेशक/अधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया गया है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बनाएं?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.7	क्या नीति के बारे में संगत आंतरिक और बाह्य स्टेकहोल्डरों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.8	क्या नीति/नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी में कोई आंतरिक ढांचा है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.9	क्या कंपनी में स्टेकहोल्डरों की नीति/नीतियों से संबंधित स्टेकहोल्डरों की शिकायतों का समाधान करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?		
		खण्ड घ : बी.आर. सूचना	2.10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी से इस नीति के कार्यकरण की कोई स्वतंत्र जांच/मूल्यांकन करवाया है?		
पहलू : उपभोक्ता स्वास्थ्य और संरक्षा						
पी.आर.1	जीवन–चक्र स्तर जिसमें सुधार के लिए उत्पादों और सेवाओं के स्वास्थ्य और संरक्षा प्रभाव का आकलन किया जाता है और ऐसी प्रक्रियाओं के अध्यधीन महत्वपूर्ण उत्पादों और सेवाओं का प्रतिशत।					
पी.आर.2	जीवन–चक्र के दौरान निष्कर्षों के प्रकार के अनुसार उत्पादों और सेवाओं के स्वास्थ्य और संरक्षा प्रभाव से संबंधित विनियमों और स्वैच्छिक संहिताओं के गैर–अनुपालन की घटनाओं की कुल संख्या।	खण्ड ड. : सिद्धांत 2– उत्पाद जीवन–चक्र संवहनीयता	1	अपने तीन उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनकी डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय सरोकारों, जोखिमों और/या अवसर को शामिल किया गया है।	लिंक	सिद्धांत 9: कारोबार करने वालों को एक जिम्मेवार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित रहना चाहिए।
पहलू : उत्पाद और सेवा स्तर						
पी.आर.3	प्रक्रियाओं में अपेक्षित उत्पादों और सेवाओं की सूचना का प्रकार और ऐसी सूचना अपेक्षा के अध्यधीन महत्वपूर्ण उत्पादों और सेवाओं का प्रतिशत।	खण्ड ड. : सिद्धांत 9– ग्राहक महत्व	2	क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित उत्पाद लेबल पर उत्पाद सूचना प्रदर्शित करती है? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त सूचना)।	मैच	सिद्धांत 9 : कारोबार करने वालों को एक जिम्मेवार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित रहना चाहिए।

पी.आर.4	जीवन–चक्र के दौरान निष्कर्षों के प्रकार के अनुसार उत्पादों और सेवाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभाव से संबंधित विनियमों और स्वैच्छिक संहिताओं के गैर–अनुपालन की घटनाओं की कुल संख्या।	खण्ड ड. : सिद्धांत 9– ग्राहक महत्व	1	वित्त वर्ष की समाप्ति पर लम्बित उपभोक्ता शिकायतों/उपभोक्ता मामलों का प्रतिशत क्या है?	लिंक	सिद्धांत 9 : कारोबार करने वालों को एक जिम्मेवार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित रहना चाहिए।
		खण्ड ड. : सिद्धांत 9– ग्राहक महत्व	3	क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी स्टेकहोल्डर द्वारा अनैतिक व्यापार पद्धति, गैर–जिम्मेदार विज्ञापन और/या गैर–प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है और वित्त वर्ष की समाप्ति पर क्या कोई मामला लंबित है? यदि हां, तो इसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।		
		खण्ड ड. : सिद्धांत 2– उत्पाद जीवन–चक्र सतत् विकास क्षमता	1	अपनी तीन उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनकी डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय सरोकारों, जोखिमों और/या अवसर शामिल हैं।		
पी.आर.5	ग्राहक संतुष्टि का मापन करने वाले सर्वेक्षण के परिणाम सहित ग्राहक संतुष्टि से संबंधित पद्धति।	खण्ड ड. : सिद्धांत 9– ग्राहक महत्व	4	क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि रूझान आयोजित किया है?	मैच	सिद्धांत 9 : कारोबार करने वालों को एक जिम्मेवार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित रहना चाहिए।
पहलू : विपणन संचार						
पी.आर.6	विज्ञापन, संवर्धन और प्रायोजन सहित विपणन संचार से संबंधित कानूनों, मानकों और स्वैच्छिक संहिताओं के अनुपालन से संबंधित कार्यक्रम।					
पी.आर.7	विज्ञापन, संवर्धन और प्रायोजन के निष्कर्ष के आधार सहित विपणन संचार से संबंधित विनियमों और स्वैच्छिक संहिताओं के गैर–अनुपालन की घटनाओं की कुल संख्या।					
पहलू : ग्राहक निजता						
पी.आर.8	ग्राहक गोपनीयता के हनन और ग्राहक डाटा की हानि से संबंधित पुष्ट शिकायतों की कुल संख्या।					
पहलू : अनुपालन						
पी.आर.9	उत्पाद और लेखाओं के प्रावधान और प्रयोग से संबंधित कानूनों और विनियमों के गैर–अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण जुर्मानों की मौद्रिक कीमत।					

भावी कदम

इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के साथ ही हमने अपनी निरंतर यात्रा के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। हम महसूस करते हैं कि यद्यपि हमने सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं फिर भी अपने सतत् विकास लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए हमें लक्ष्यों की निरंतर कड़ी निगरानी और उनका प्रबंधन करना आवश्यक है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारी निरंतर यात्रा वास्तव में रोचक और रोमांचकारी रही है। हम विश्वास करते हैं कि इस शुरुआती दौर में ही हमने अपनी स्थायित्व नीति का विकास करने और उसे पारदर्शी तरीके से प्रकट करने में पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बनने, स्थलों पर अनेक सतत् विकास परियोजनाएं और पहल शुरू करने, बोर्ड रूम से दुकान तक सतत् विकास से सराबोर मजबूत नियंत्रण संरचना और ऐसी ही बहुत सी उपलब्धियां हासिल करने जैसी अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। कुछेक कम्पनियों में से एक होने के कारण हमने स्वयं के लिए लक्ष्य निर्धारित करके और ''सतत् विकास अपेक्षाएं 2020'' के माध्यम से अपने सभी स्टेकहोल्डरों को पारदर्शी तरीके से जानकारी प्रदान करके अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। आगे बढ़ते हुए हम महसूस करते हैं कि अपने निष्पादन का अवलोकन करना आवश्यक है। हमने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन लक्ष्यों को आई.एम.ओ.यू. के माध्यम से वैयक्तिक विभाग स्तर में शामिल किया है। हमने इन–हाउस सतत् विकास मॉड्यूल तैयार किया है जो यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने निष्पादन का प्रभावी मापन कर सकें। यह मॉड्यूल न केवल सभी स्थलों से प्रामाणिक आंकड़े प्रदान करने में सहायता करता है बल्कि इससे समय की भी बचत होती है। आगे हम उद्योग जगत द्वारा अपनाई गई श्रेष्ठ पद्धतियों के अनुसार सतत् विकास अपेक्षाएं 2020 की समीक्षा करने पर भी विचार करेंगे।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तथा स्थानीय समुदायों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से अनेक सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, हम अपनी सामाजिक पहलों की आवश्यकता का आकलन तथा प्रभाव मूल्यांकन भी करते हैं। हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, डी.जी.एच., पी.एन.जी.आर.बी., ओ.आई.एस.डी., एफ.आई.सी.सी.आई., टी.ई.आर.आई. और एसोचैम जैसी कम्पनियों से भी जुड़े हुए हैं। हम संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अपनी प्रगति दर्ज करते रहेंगे।

गेल तेल और गैस क्षेत्र का एकमात्र सरकारी क्षेत्र उपक्रम है जो जी.आर.आई. (ग्लोबल रिपोर्टिंग पहल) भारत की के सतत् विकास और पारदर्शिता संघ के फोकल प्वाइंट 10 अनन्य बुनियादी सदस्यों में से एक है। हमारा चयन संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक सतत् विकास रिपोर्ट, 2013 के यू.एन.जी.सी. सी.ई.ओ. 2013 अध्ययन के लिए 100 कम्पनियों में एक कंपनी के रूप में हुआ है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हासिल की गई पर्याप्त प्रगति के साथ हम संगठन के कार्यकरण और संस्कृति में सतत् विकास करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। वित्त वर्ष 2010–11 के लिए, ''कारोबार से परे मूल्य'' के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करते हुए अपनी प्रथम रिपोर्ट से शुरू करके हमने उत्तरदायी तरीके से कारोबार किया है, अपनी वित्त वर्ष 2011–12 की ''भविष्य को निर्धारित करने'' संबंधी द्वितीय रिपोर्ट में हमने अपने सभी स्टेकहोल्डरों के लिए मूल्य सृजित करने के लिए समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया है; हमने अपने अच्छे इरादे से आगे बढ़ते हुए, ''बेहतर भावी ऊर्जा भविष्य'' के लिए कार्य किया है ताकि हम ठोस कार्रवाई करके उत्तरदायी बने रहने की रूपरेखा के लिए प्रतिबद्ध रह सकें। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए गेल को प्रदान किए गए महारत्न कम्पनी (जिसका अर्थ विशाल रत्न है) के उच्च दर्जे को ध्यान में रखते हुए हमें सभी स्टेकहोल्डरों के लिए बेहतर भविष्य बनाने और अन्य को बेहतर स्थिति में लाने के लिए संबंधित कार्य में योगदान करने के लिए जिम्मेदार कारपोरेट नागरिकों के रूप में अपने ऊपर आने वाली अतिरिक्त जिम्मेदारी का अहसास है।

चूंकि हम सतत् विकास पहलू और अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को ढर्रे पर लाने के बारे में कर्मचारियों के बीच 100 प्रतिशत जागरूकता सृजित करने की ओर अग्रसर हैं, इसलिए हमारी कारोबार प्रक्रिया में शामिल कर्मचारी इस परिवर्तन को लाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

यदि आप अपने रचनात्मक फीडबैक से हमें अवगत कराना चाहते हैं कि गेल किस प्रकार से सभी के कल्याण के लिए भावी योजनाएं बना सकता है, तो इस संबंध में अपने विचार निम्नलिखित को भेजे जा सकते है :–

➔ श्री शांतनु रॉय, महाप्रबंधक (कारपोरेट योजना) को sroy@gail.co.in

➔ श्री आर.के. सिंह, मुख्य प्रबंधक (कारपोरेट योजना) को rk.singh@gail.co.in

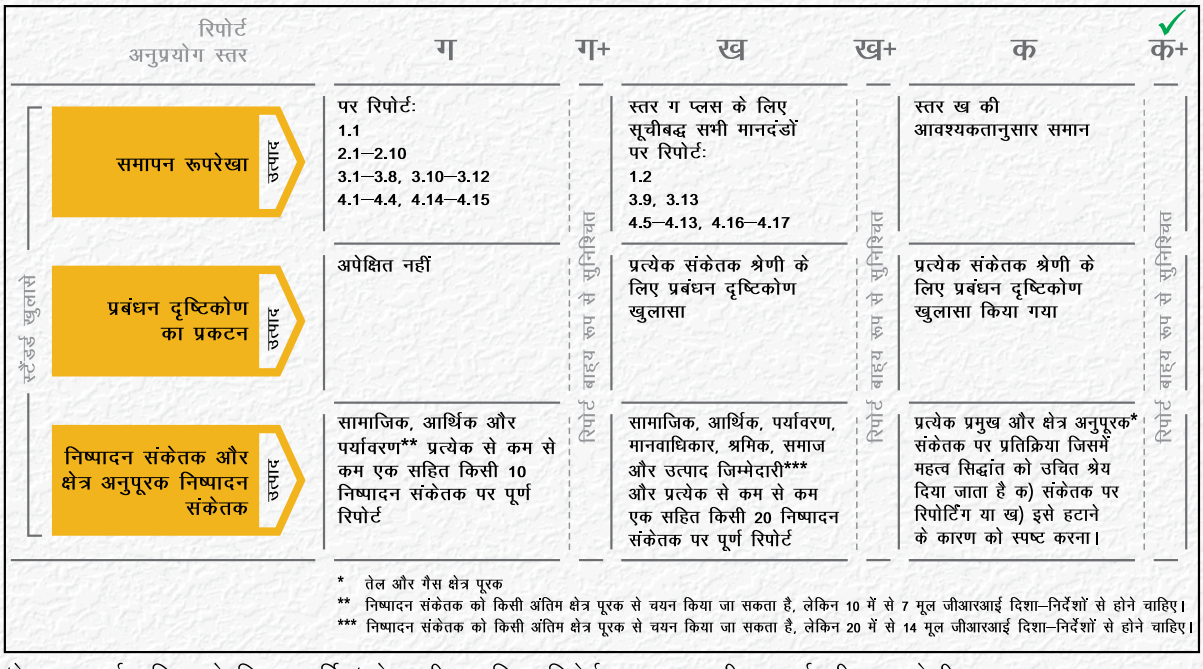

'बेहतर ऊर्जा भविष्य के लिए समर्पित' गेल की स्थायित्व रिपोर्ट 2012–13 जीआरआई जी3.1+ओजीएसएस अनुपालन अनुप्रयोग स्तर क+ रिपोर्ट है।

गेल (इंडिया) लिमिटेड
एक महारत्न कंपनी
पंजीकृत कार्यालयः 16, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066
वेबसाइटः www.gailonline.com